



नव मुस्लिम मार्गदर्शिका

नव मुस्लिमों के लिये सरल नियम व आदेश एवं महत्वपूर्ण
धार्मिक स्पष्टीकरण | संपूर्ण जीवनशैलियों में |

फहद बिन सालिम बाहमाम

NEW
MUSLIM
GUIDE



नव मुस्लिम मार्गदर्शिका

नव मुस्लिमों के लिये सरल नियम व आदेश एवं महत्वपूर्ण धार्मिक स्पष्टीकरण संपूर्ण जीवनशैलियों में ।

बिन सालिम बाहमाम

© **Fahd Salim Bahmmam , 1433**
King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data

Bahammam, Fahd Salim

The new muslim guide. / Fahd Salim Bahammam ; - Riyadh , 1433

256 p ; 16.7X23.7 cm

ISBN: 978-603-01-0798-8

(Indiain Language text)

1-Islamic preaching I-Larab Ben

L.D. no. 1433/7857

ISBN: 978-603-01-0798-8

Second Edition

1440/2019

All rights reserved for

Modern Guide

For charitable printing and distribution of the book

Please contact

Modern Guide

Birmingham UK

B11 1A

Tel: + 441214399144

K.S.A

Tel: + 966112922240

Fax: + 966112922205



लेख	फहद सालिम बाहमाम
अनुवाद	महफूजुर्रहमान समीउल्लाह
परियोजना प्रबंधक	खालिद अहमद अलअहमदी
समन्वय एवं फालोअप	मुहम्मद हम्दी अब्दुल मजीद
चित्रकला (फोटोग्राफी)	डी पी आई स्टूडियो विश्वस्त्रीय विशिष्ट साइटस एवं स्टूडियोज़
डिज़ाइन एवं निर्देशन	सूचना प्रौद्योगिकी समकालीन गाइड
प्रकाशन एवं वितरण	समाउल कुतुब प्रकाशन एवं वितरण हाउस
इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन	सूचना प्रौद्योगिकी समकालीन गाइड



اُوقَاتِ اِنْسَانِ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ اَبِي الرَّاحِمِ

برعاية

Sponsored By

प्राक्कथन

सभी आंकणों सहमत हैं कि विश्व के समस्त धर्मों में इस्लाम सब से तीव्र गति से फैलने वाला धर्म है, क्षैतिज इस के मानने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है एवं विश्वस्तर पर लोग इस से प्रभावित हो रहे हैं एवं इस्लाम नव मुस्लिमों के जीवन में भारी परिवर्तन ला रहा है ।

इस का वास्तविक कारण यह है कि इस्लाम वह ईश्वरीय अनन्त धर्म है जो बुद्धि, आत्मा तथा प्रकृति के अनुकूल है ।

साथ ही इस के विकास एवं प्रचार प्रसार में इस्लामिक केन्द्रों एवं गैर मुस्लिमों में निमंत्रण कार्य करने वाले उन धर्म विशेषज्ञों का भी महत्वपूर्ण योगदान है जो संसार के कोने कोने में विभिन्न तकनीकी साधनों एवं आधुनिक ज्ञान से इस्लाम की ज्योति जलाने में व्यस्त हैं ।

परन्तु इन में अधिकांश गतिविधियाँ तथा प्रयास मात्र लोगों के मार्गदर्शन तथा उन के इस्लाम में प्रवेश तक सीमित हैं, वह कोई ऐसा स्पष्ट चिन्ह तथा उद्देश्य परस्तुत नहीं करतीं जिन के निर्देशानुसार नव मुस्लिम उस मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें जिसे मौखिक साक्ष्य से उस ने आरंभ किया है । इस्लाम में प्रवेश के बाद भी उस के समक्ष जीवन में बहुत कुछ सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, आस्था रखना एवं कर्म करना बाकी रह जाता है ताकि संपूर्ण जीवन में तथाकथित हिदायत का अर्थ पूरा हो सके ।

बड़े गौरव की बात है कि समाउल कुतुब प्रकाशन को नव मुस्लिम मार्गदर्शिका परस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जो अपने आप में एक ऐसी नवीन परस्तुति है जिस में वैज्ञानिक आधारों तथा व्यवसायिक उत्पादन का सुन्दर मिश्रण है एवं जिसे संसार के सभी देशों तथा सभी जीवित भाषाओं में नव मुस्लिमों के लिये परस्तुत किया गया है ।

यह पुस्तक जिसे हम प्रिय पाठकों के लिये परस्तुत कर रहे हैं, यही समस्त संबन्धित उत्पादों का आधार है जैसे कि वेबसाइट, सामाजिक नेटवर्किंग, शैक्षणिक वीडियो क्लिप एवं मोबाइल इंटरैक्टिव कार्यक्रम । यह उन सभी नव मुस्लिमों की सेवा में परस्तुत है जो पृथ्वी के विभिन्न भागों में ईश्वर की दिशा आकर्षित हैं ।

हम अल्लाह से कथनी करनी दोनों में निःस्वार्थता एवं उद्धार की प्रार्थना करते हैं ।

प्रकाशक



मार्गदर्शिका विषय सूची

भूमिकायें



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
जीवन का सर्वमहान उपहार	24	धर्म संपूर्ण जीवन कोणों को सम्मिलित है	34
अब प्रश्न यह है कि इस नेमत का शुक्र कैसे अदा हो ?	25	इस्लाम संपूर्ण जीवन चर्या के लिये पर्याप्त शिक्षा कोर्स है	35
हमारा जन्म उद्देश्य	25	इस्लाम की वास्तविकता, मापदण्ड एवं कसौटी है न कि कुछ मुसलमानों की वर्तमान स्थिति	37
इस्लाम सार्वभौमिक धर्म है	26	पाँच आवश्यकताये	37
संपूर्ण ब्रम्हाण्ड अल्लाह की उपासनाग्रह है	26	धर्म	38
इस्लाम में ईश्वर तथा दास के मध्य कोई अन्य नहीं	26	शरीर	38
इस्लाम ने आकर मनुष्य को सम्मान दिया	27	बुद्धि	38
इस्लाम संपूर्ण जीवन का धर्म है	28	वंश	39
धर्ती निर्माण एवं ग्रह रचना	29	धन संपत्ति	39
लोगों से परस्पर घुल मिल जाना	29		
शिक्षा धर्म	29		
इस्लामी संविधान की शिक्षा लेना	30		
धार्मिक संविधान	30		
वाजिब अर्थात् अनिवार्य - हराम अर्थात् अवैध - सुन्नत तथा मुस्तहब - मक़द्दह - मुबाह	31		
इस्लाम के पाँच आधार	31		
मैं धर्म विधान का ज्ञान कैसे प्राप्त करूँ	31		
इस्लाम संतुलन का धर्म है	33		



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
साक्ष्य के दोनों सूत्रों का अर्थ एवं उन का नोदन	42	ईमान के 6 आधार	48
ला इलाह इल्लल्लाह की आस्था क्यों	42	अल्लाह पर ईमान का अर्थ	49
ला इलाह इल्लल्लाह का अर्थ	42	अल्लाह के अस्तित्व पर ईमान	49
ला इलाह इल्लल्लाह के आधार	42	अल्लाह की प्रकृति	49
इस बात की साक्ष्य कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दूत हैं	43	अल्लाह के अस्तित्व का प्रमाण इस से कही अधिक है कि उसे व्यान किया जाये अथवा गणना की जाये, उन्हीं में कुछ यह है	49
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिचय प्राप्त करना	44	अल्लाह के प्रतिपालन पर ईमान	50
आप का जन्म	44	अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युग में अरब के नास्तिक अल्लाह को अपना प्रतिपालक मानते थे	50
आप का जीवन एवं विकास	44	अल्लाह के प्रतिपालन पर विश्वास से हि दय की शांति मिलती है	52
आप का ईशदूत बनाया जाना	44	अल्लाह के ईश्वरत्व पर ईमान	52
आप के निमंत्रण का आरंभ	45	अल्लाह के ईश्वरत्व पर ईमान का महत्व	53
आप की हिजरत	45	उपासना किसे कहते हैं	53
आप का इस्लाम का प्रचार प्रसार करना	45	जीवन के सभी क्षेत्रों में उपासना संभव	55
आप का देहान्त	45	उपासना ही सृष्टि का जन्मुद्देश्य है	55
इस साक्ष्य का अर्थ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं	44	उपासना के आधार	55
समस्त क्षेत्रों से संबन्धित अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई सूचनाओं की पुष्टि एवं विश्वास एवं उन्हीं में निम्नलिखित यह है	46	उपासना की शर्तें	56
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन तथा वर्जित कार्यों से दूरी। इस में निम्नलिखित वस्तुयें सम्मिलित हैं	46	एकमात्र अल्लाह के लिये उपासना में निःस्वार्थता	56
हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशानुसार ही अल्लाह की उपासना करें, इस संदर्भ में कुछ बातों पर आग्रह आवश्यक है	46	अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अनुकूल होना	56
धर्म में अविष्कार अवैध है	47	अनेकेश्वरवाद	56
		बड़ा शिर्क	58
		छोटा शिर्क	58
		क्या लोगों से प्रश्न करना तथा उन से मांगना शिर्क है ?	58

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अल्लाह के दिव्य नामों तथा विशेष गुणों पर ईमान	59	ईशूदूतों के गुण एवं उन की विशेषतायें	76
अल्लाह सर्वमहान अल्लाह के कुछ नाम	61	ईशूदूतों के चिन्ह एवं उन के माध्य से होने वाले ईश्वरीय चमत्कार	76
अल्लाह के नामों तथा विशेष गुणों पर ईमान का फल	61	ईसा अलैहिस्सलाम के विषय में मुसलमान की आस्था	76
ईमान की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी	61	मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी एवं रसूल होने पर ईमान	76
अल्लाह पर ईमान का फल	62	मुहम्मदी रिसालत के विशेष गुण	77
पार्षदों पर ईमान	62	मुहम्मदी रिसालत भूतपूर्व सभी धर्मों की समाप्ति का नाम है	78
पार्षदों पर ईमान का अर्थ	70	मुहम्मदी रिसालत ने पूर्व समस्त धर्मों को निरस्त कर दिया है। अतः	79
पार्षदों पर ईमान में क्या क्या सम्मिलित है ?	71	मुहम्मदी रिसालत मानव दानव दोनों के लिये साधारण स्थान रखता है	79
हमें उन की जिन विशेषताओं का ज्ञान है, उन पर ईमान, उन में से कुछ निम्नलिखित हैं	71	रसूलों पर ईमान लाने के असंख्य महान फल हैं उन्हीं में से कुछ निम्नलिखित हैं	79
पार्षदों पर ईमान लाने का लाभ	72	अन्तिम दिवस पर ईमान	80
पवित्र ग्रन्थों पर ईमान	72	अन्तिम दिवस पर ईमान का अर्थ	80
पवित्र ग्रन्थों पर ईमान का अर्थ	72	कुर्आन ने अन्तिम दिवस पर ईमान लाने पर ज़ोर क्यों दिया ?	81
पवित्र ग्रन्थों पर ईमान में क्या क्या सम्मिलित है ?	73	अन्तिम दिवस पर ईमान किन किन वस्तुओं को सम्मिलित है	81
दिव्य कुर्आन के विशेष गुण	74	पुनर्जन्म तथा एकत्रित होना	82
दिव्य कुर्आन की दिशा हमारा क्या कर्तव्य है ?	74	हिसाब तथा तराजू पर ईमान	83
भूतपूर्व आकाशीय धर्म ग्रन्थों के विषय में हमारा दृष्टिकोण ?	74	स्वर्ग एवं नर्क	84
धर्म ग्रन्थों पर ईमान का फल तथा लाभ	74	कब्र का प्रकोप एवं उस की सुख शांति	84
ईशूदूतों पर ईमान	74	अन्तिम दिवस पर ईमान का फल एवं परिणाम	84
ईशदौत्य की लोगों की आवश्यकता	74	भाग्य पर ईमान	85
ईमान के आधारों में से एक	75	भाग्य पर ईमान का अर्थ	86
ईशूदूतों पर ईमान का अर्थ	75	भाग्य पर ईमान में क्या क्या सम्मिलित है	87
ईशूदूतों पर ईमान में क्या क्या सम्मिलित है ?	75		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
मनुष्य को स्वतंत्रता, शक्ति एवं चाहत का अधिकार दिया गया है	87	भाग्य का बहाना लेना	87
		तकदीर पर ईमान का फल	87

2

आप की पवित्रता



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
पवित्रता का अर्थ	90	अपवित्रता	93
सलात के लिये किस प्रकार की पवित्रता की आवश्यकता है	90	छोटी अपवित्रता एवं वज	93
साधारण गन्दगी से पवित्रता	91	मैं कैसे वजू कटूँ ?	94
समस्त वस्तुओं के संबन्ध में मूल विधान यही है कि वह वैध तथा पवित्र है अतः	91	बड़ी अपवित्रता एवं श्चनान	96
गन्दी वस्तुयें	91	श्चनान के कारण	96
गन्दगी से पवित्रता प्राप्त करना	91	बड़ी अपवित्रता एवं पत्नीभोग के बाद मुसलमान कैसे पवित्र हो ?	97
शौच जाने एवं सफाई करने की विधि	92	मोज़ों पर मसह करना	97
		जो पानी के प्रयोग में असमर्थ हो	97

3

आप की सलात



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सलात	100	गुप्त अंग तीन प्रकार के है	103
सलात का स्थान एवं उस का महत्व	100	काबा की दिशा मुंह करना	104
सलात का महत्व एवं श्रेष्ठता	100	समय का प्रवेश होना	104
सलात किन के लिये अनिवार्य है	101	पाँचों अनिवार्य सलातें एवं उन का सीमित समय	105
सलात के लिये किन शर्तों को होना आवश्यक है	103	सलात का स्थान	106
गन्दगी तथा अपवित्रता से पवित्रा	103	सलात की विधि एवं नियम	109
गुत्पांगों को छुपाना	103	क्या करे वह व्यक्ति जिसे न याद हों सूर्ये फातिहा एवं सलात के अज़कार ?	109

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सूरये फातिहा का अर्थ निम्नलिखित है	109	जुमा के दिन का महत्व	126
मैं सलात कैसे अदा करूँ ? (क्यामभट्टकूभसुजूद)	109	जुमा किन पर वाजिव है ?	126
सलात के आधार एवं उस की अनिवार्यताये	109	जुमा की सलात का नियम एवं उस का हुक्म	127
सलात की सुन्नते	110	किन लोगों को जुमा में न आने की छूट है	127
सुजूदे सहव	111	क्या डियूटी अथवा नौकरी जुमा से पीछे रह जाने का उचित कारण है ?	134
सलात को भंग कर देने वाली वस्तुये	112	कब किसी का काम जुमा से पीछे रह जाने का उचित कारण बनेगा ?	134
सलात में अप्रिय (मकट्टह) कार्य	113	बीमार की सलात	135
मुस्तहब सलातें कौन सी हैं ?	115	यात्री की सलात	135
नफ़ली सलातों का वर्जित समय	116		
सामूहिक सलात (जमाअत के साथ सलात)	120		
इमाम की पैरवी का अर्थ	120		
इमामत के लिये कौन आगे बढ़े ?	121		
इमाम तथा उस की पैरवी करने वाले कहाँ खड़े हों ?	122		
इमाम के साथ छूटी सलात कैसे पूरी करे ?	122		
क्या पाने से रकअत पाना मान्य होगा ?	123		
अज़ान	124		
अज़ान व इक़ामत की विधि	124		
मुअज़्ज़िन के पीछे अज़ान के शब्द दोहराना	125		
सलात में विनम्रता एवं श्रद्धा	125		
सलात में विनम्रता प्राप्त करने के सहायक साधन	125		
जुमा की सलात	125		



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
रमज़ान के सियाम	138	किन लोगों को अल्लाह ने सियाम की छूट दी है	142
सियाम का अर्थ	138	जिस ने रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा उस का क्या हुक्म है	142
रमज़ान महीने का महत्व एवं श्रेष्ठता	138	नफली सियाम	142
सियाम फर्ज़ होने का उद्देश्य	138	आशूरा का दिन एवं उस से एक दिन पहले तथा एक दिन बाद का रोज़ा	143
सियाम का महत्व	139	अरफ़ह का रोज़ा	143
सियाम नष्ट करने वाली वस्तुयें	140	शव्वाल के छ दिन के रोज़े	143
जान बूझ कर खाना पीना	141	पवित्र ईदुल फ़ित्र	143
रोगी को खून ट्रांसप्लान्ट करना इस लिये कि खाने पीने का मूल उद्देश्य रक्त रचना है	141	ईद के दिन क्या क्या करना संवैधानिक है ?	143
पुरुष के गुप्तांग की सुपारी स्त्री की योनि में प्रवेश कर जाये	141	ईद की सलात	147
इच्छावश इंद्रिय भोग	142	ज़काते फ़ित्र	147
जान बूझ कर उलटी करना	142	प्रत्येक वैध साधन का प्रयोग करते हुये घर के छोटे बड़ों	147
महिला को मासिक धर्म अथवा प्रसूति रक्त आना	142	ईद की रात एवं सलात के लिये जाते हुये अल्लाह की बड़ाई में तकबीर पुकारना मसनून है	147

5

आप की ज़कात (दान)



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
ज़कात के उद्देश्य	150	पशु धन ।	152
किन किन संपत्तियों में ज़कात अनिवार्य है ?	151	ज़कात किन को दी जाये ।	153
सोना चाँदी	151	ज़कात पाने वालों की विभिन्न किस्में निम्नलिखित हैं	153
धन संपत्ति	151		
व्यापार सामग्री	152		
कृषि उत्पाद	152		

6

आप का हज्ज



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
मक्कह एवं मस्जिदे हराम का महत्व	156	हज्ज के उद्देश्य	161
हज्ज का अर्थ	158	उमरह	163
हज्ज का समय	158	पवित्र ईदुल अज़हा	164
हज्ज किन लोगों के लिये अनिवार्य है	158	ईदुल अज़हा के दिन क्या क्या करना संवैधानिक है ?	164
एक मुसलमान के हज्ज की शक्ति रखने की स्थितियाँ	159	उज़हियह	164
महिला के हज्ज के लिये महरम का होना शर्त है	160	कुर्बानी के पशुओं में पाई जाने वाली शर्तें	165
हज्ज का महत्व एवं श्रेष्ठता	160	कुर्बानी का क्या किया जाये ?	165
		दूत नगरी मदीनह का दर्शन	166
		मदीना में किन स्थानों का दर्शन संवैधानिक है ?	166



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
आर्थिक लेन देन का मूल नियम वैध होना है	170	अत्याचार तथा गलत तरीकों से लोगों का धन हड़पना ।	175
जो स्वयं अवैध है	170	विवश करना	176
अल्लाह ने जिन के मूल ही को हaram किया ऐसी वस्तुओं का उदाहरण	170	धोकाधड़ी एवं लोगों को मूर्ख बनाना	176
जो कमाई के कारण अवैध है	170	बिना अधिकार अन्याय करके लोगों का माल हड़पने के लिये क़ानून में हेरफेर करना	176
व्याज	171	रिश्वत	176
ऋण व्याज	171	ऐसा व्यक्ति मुसलमान होजाये जिस ने अपने कुपर के ज़माने में नाहक माल कमाया हो, ऐसे व्यक्ति का क्या हुक्म है	177
भ्रष्ट व्याज	171	जुआ	177
व्याज की संवैधानिक स्थिति	171	जुआ क्या है ?	178
व्याज का दण्ड	172	इस का हुक्म	178
व्यक्ति तथा समाज पर व्याज का भयानक एवं गंभीर प्रभाव	172	व्यक्ति तथा समाज पर जुये का प्रभाव एवं उस की हानि	178
धन वितरण में असंतुलन उत्पन्न होगा एवं धनवान तथा निर्धन के मध्य असमानता की महान दीवार खड़ी होजायेगी ।	173	जुआ लोगों में शत्रुता एवं घृणा उत्पन्न करता है	178
अपव्यय का अभ्यस्त होना एवं बचत न करना	173	जुआ धन का सर्वनाश कर देता	178
व्याज धनवानों को देश के लिये लाभदायक निवेश से रोकने एवं उस में बचि न लेने का कारण है	173	जुआरी जुये की लत में फंस जाता है	179
सूद ब्याज धन की बरकत मिटाने एवं आर्थिक पतन लाने का कारण है ।	173	जुआ के प्रकार	179
यदि कोई मुसलमान होजाये एवं वह किसी व्याज आधारित समझौते का पाबन्द हो तो उस की दो स्थिति होगी	173	वित्तीय लेने लेन में इस्लाम द्वारा परबल तथा आग्रहपूर्ण परिचित कराई गई नैतिकता	179
धोका अस्पष्टता तथा अज्ञानता	174	अमानतदारी	180
धोके अस्पष्टता एवं अज्ञानता पर आधारित व्यापार के कुछ उदाहरण	175	सच्चाई	181
अज्ञानता कब प्रभावी होगी ?	175	काम में पूर्णता, दृढ़ता एवं सुन्दरता	181

8

आप का भोजन पानी



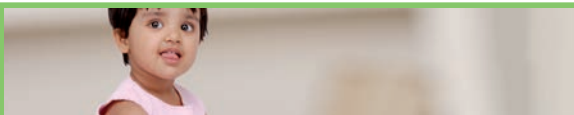
विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
खाने पीने का मूल नियम	184	कौन से पशु हलाल हैं ?	187
फल एवं फसलें	184	हराम पशु निम्नलिखित हैं	187
शराब एवं मादक पदार्थ	185	ज़बह करने की धार्मिक विधि	188
बुद्धि रक्षा	185	गोश्त के प्रकार रेस्तरानों एवं दुकानों में	188
शराब का हुकम	185	धार्मिक विधि से प्राप्त किया गया शिकार	189
नशीले ड्रग्स	186	शिकार में निम्नलिखित शर्तों का पाया जाना अनिवार्य है	189
समुद्री खाने (Sea Food)	186	भोजन पानी के नियम	190
भूमि पशु	187		

9

आप का वस्त्र



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
इस्लाम में वस्त्र	194	जिसे अहंकार व अभिमान के साथ पहना जाय	196
वस्त्र से निम्नलिखित कई आवश्यकतायें पूरी होती हैं	194	जब वस्त्र में सोने की मिलावट हो अथवा प्राकृतिक रेशम का कपड़ा हो तो ऐसा वस्त्र विशिष्ट ब्रूप से पुट्टों के लिये अवैध है	197
वस्त्र के मूल नियम	195	जिस में अपव्यय एवं अनर्थ खर्च हो	197
अवै. वस्त्र (हराम पोशाक)	195		
जिस से गुप्तांग दृष्टगोचर हो	195		
इस्लाम ने स्त्री पुट्टों के गुप्तांग छुपाने की सीमा निर्धारित की है	195		
जिस में काफिरों के विशिष्ट धार्मिक वस्त्र की समानता हो जैसे पादरियों संतों का वस्त्र,	196		



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
इस्लाम में परिवार का स्थान	200	उन के साथ एकांत में होना हराम है	207
भइस्लाम ने विवाह कर गृहस्त जीवन अपनाने का आग्रह किया है	200	हिजाब (पर्दा)	208
भइस्लाम ने परिवार के हर सदस्य को पूर्ण सम्मान दिया है चाहे वह स्त्री हो या पुट्र	200	हिजाब (पर्दा) की सीमायें	208
इस्लाम ने माता पिता के सम्मान सिद्धान्त को लोगों के हृदय में जमा देने में उत्सुकता दिखाई है	201	घूंघट पर्दे के नियम	209
इस्लाम ने बेटे बेटियों के अधिकारों की सुरक्षा का आदेश दिया है एवं उन के मध्य भत्ते एवं प्रकट वस्तुओं में न्याय करने पर बल दिया है	201	इस्लाम में विवाह	209
इस्लाम में महिला का स्थान	201	पत्नी में पाई जाने वाली इस्लाम की शरतें	210
महिलायें जिन की रक्षा एवं देखरेख का इस्लाम ने आग्रह किया है	201	पति में पाई जाने वाली इस्लाम की शरतें	211
मा	201	पति पत्नी के अधिकार	211
बेटी	203	पत्नी के अधिकार	211
पत्नी	203	खर्च तथा आवास	212
दो लिंगों के मध्य संघर्ष का कोई स्थान नहीं	203	उत्तम वैवाहिक सहवास	212
पुत्रों के लिये महिला वर्ग	203	सुशीलता एवं सहनशक्ति	213
महिला उस की पत्नी हो	204	रात बिताना	213
वह उस की ऐसी रिश्तेदार हो जिस से उस का विवाह हराम है	206	उस की रक्षा करना, इस लिये कि वह आप का मान सम्मान है	213
महिला अपरिचित हो	206	दाम्पत्य जीवन के रहस्य न खोले	213
पुत्र एवं अपरिचित महिला के बीच संबन्ध नियम	206	महिला के साथ अत्याचार वैध नहीं	213
निगाहें नीची रखना	207	उस की शिक्षा दीक्षा एवं उस के साथ खैरखाही	214
सद्व्यवहार एवं नैतिकता का पर्दर्शन	207	पत्नी की शरतों की पाबन्दी	215
		पति के अधिकार	215
		अच्छाई के साथ आज्ञापालन अनिवार्य है	215
		पति को आनन्द का अवसर देना एवं उसे सक्षम बनाना	215
		पति जिसे पसन्द नहीं करता उसे घर में प्रवेश होने की अनुमति न देना	215
		पति की अनुमति बिना घर से बाहर न जाना	215

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
पति की सेवा	216	माता पिता की नाफरमानी एवं उन के साथ दुरव्यवहार खतरनाक है	220
बहुविवाह	216	अल्लाह की नाफरमानी के अतिरिक्त हर विषय में उन की आज्ञापालन	220
न्याय	216	उन के साथ सद्व्यवहार करना विशेष कर जब वह बूढ़े होजायें	220
सभी पत्नियों के खाने खर्च का भार उठाने की शक्ति	216	काफिर माता पिता	220
बहुविवाह में एक साथ चार से अधिक पत्नियाँ न हूँ	217	संतान के अधिकार	220
कुछ महिलाओं से एक साथ विवाह करना मना है ताकि निकट संबन्धियों से संपर्क खराब न हो वह निम्न है	217	अच्छी पत्नी का चुनाव ताकि वह अच्छी माँ बन सके	221
तलाक़	219	उन के अच्छे सुन्दर नाम रखना, इस लिये कि नाम बेटे का अनिवार्य चिन्ह होगा	221
इस्लाम का आग्रह है कि विवाह अनुबंध सदैव के लिये हो एवं वैवाहिक युगल के बीच संबन्ध जारी रहे	219	उन की उत्तम शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध करना एवं उन्हें धर्म की मूल बातें सिखाना	221
किन्तु इस्लाम ने तलाक़ को सहितावद्ध करने के लिये बहुत सारे प्रावधान एवं नियम कानून बनाये हैं, उन में से कुछ निम्नलिखित है	219	खाना खच	221
माता पिता के अधिकार	219	संतान के मध्य न्याय चाहे वह बेटे हों या बेटियाँ	221
माता पिता के साथ सदाचार एवं सद्व्यवहार अल्लाह के निकट सर्वमानित एवं महान पुण्य कार्य है जिसे अल्लाह ने अपनी उपासना एवं ऐकेश्वरवाद से जोड़ा है	219		

11

इस्लाम में आप का आचरण एवं शिष्टाचार



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
इस्लाम में शिष्टाचार का स्थान	224	शिष्टाचार प्रत्येक प्रकार की उपासना से जुड़ा हुआ है	224
यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है	224	शिष्टाचार की श्रेष्ठता एवं अल्लाह की तरफ से तैय्यार किया गया महा पुण्य	225
शिष्टाचार ईमान एवं आस्था का अटूट खण्ड है	224	इस्लाम में शिष्टाचार की विशेषता	226

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
उच्च शिष्टाचार विशेष प्रकार के लोगों के साथ विशिष्ट नहीं है।	226	विनम्रता	229
उच्च शिष्टाचार किसी व्यक्ति विशेष से संबन्धित नहीं है	226	दया कृपा	229
उच्च शिष्टाचार का संबन्ध जीवन के सभी क्षेत्रों से है	227	बच्चों पर आप की दया	229
परिवार	227	महिलाओं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दया	230
व्यापार	227	कमज़ोरों पर आप की दया	230
उद्योग	228	पशुओं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दया	231
युद्ध समय इस्लाम के कुछ नैतिक सिद्धांत	228	न्याय	233
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वोच्च मानव नैतिकता के शिखर आदर्श थे यही कारण है कि कुर्आन ने आप को शिष्टाचार के उच्चतम पद पर रखा है	228	परोपकार, दया एवं उदारता	234

12

आप का नया जीवन



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
मनुष्य इस्लाम में कैसे प्रवेश करे ?	238	निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की चरणें	239
जब मनुष्य दोनों साक्षय का अर्थ जान कर आस्था रखते हुये, उन के निहितार्थ द्वारा निर्देशित बातों का पालन कर उन्हें ज़बाद से अदा कर ले तो वह मुसलमान हो जाता है। दोनों साक्षय निम्नलिखित हैं	238	पश्चाताप के बाद क्या करना चाहिये	240
नव मुस्लिम का श्रान	238	ईमान की मिठास	240
पश्चाताप	239	मार्गदर्शन तथा पश्चाताप की अनुग्रह पर शुक्र	241
पश्चाताप का अर्थ अल्लाह की ओर पलटना एवं लौटना है, अत	239	दृढ़तापूर्वक धर्म से चिमटे रहना एवं इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों तथा तकलीफों पर सब्र करना	241
सत्य पश्चाताप की क्या शर्तें हैं ?	239	मनुष्य पर इस्लाम के वर्दान के अनुग्रह का उत्तम साधन यही है कि उस की तरफ लोगों को आमंत्रित किया जाये	241
पाप को तुरंत त्याग देना	239		
पिछले पापों पर पछतावा तथा शर्मिन्दगी	239		
पुनः पाप न करने का दृढ़ संकल्प	239		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
इस्लाम की दिशा निमंत्रण	242	क्या इस्लाम लाने के बाद नाम बदलना प्रिय है ?	254
इस्लाम की दिशा निमंत्रण का महत्व	242	नाम बदलना प्रिय ह	254
अल्लाह की दिशा निमंत्रण देना लोक प्र लोक में सफलता पाने का महत्वपूर्ण साधन है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है	242	प्राकृतिक तरीक़े	254
धर्म उपदेशक की बात अल्लाह के निकट सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वप्रिय होती है	242	खतना	254
धर्म निमंत्रण अल्लाह के आदेशों का पालन है	242	नाभि के नीचे के बाल साफ करना	255
धर्म निमंत्रण समस्त ईशूदूतों का परम कर्तव्य था	242	मूँछ काटना	255
धर्म निमंत्रण अनन्त पुण्य का द्वार है, अतः	242	दाढ़ी बढ़ाना	255
अल्लाह की ओर धर्म निर्देशन का कार्य करने वाले को जो पुण्य मिलेगा वह संसार की समस्त पूंजी से अधिक दुर्लभ होगा	243	नाखुन तराशना	255
सत्य धर्म निमंत्रण के विशेष गुण	243	दोनों हाथों के नीचे बग़ल के बाल उखेड़ना	255
ज्ञान तथा सूक्ष्मदर्शिता	243		
धर्मनिमंत्रण में बुद्धि एवं ज्ञान	244		
परिवार को धर्म निमंत्रण	244		
आप का घर परिवार	245		
इस्लाम में प्रवेश के बाद पारिवारिक जीवन	245		
जब पति पत्नी एक साथ मुसलमान होजायें	245		
आकाशीय धर्म ग्रन्थ वाली पत्नी	245		
पत्नी जो आकाशीय धर्मग्रन्थ वाली न हो	246		
तलाक़ दी गई महिला की इद्दत	246		
यदि पत्नी मुसलमान होजाये किन्तु पति मुसलमान न हो, इस स्थिति में क्या किया जाये ?	247		
बच्चों का इस्लाम	251		
सभी को अल्लाह ने प्रकृति एवं इस्लाम पर जन्म दिया है	252		
किन्तु हम संसार में काफ़िरों के बच्चों के इस्लाम का फैसला कब करेंगे	252		

भूमिका

मंगलमय हो कि दैवयोग एवं अल्लाह की कृपा से आप को सत्यमार्ग मिला एवं आप अंधकार से प्रकाश में आये तथा आप ने इस्लाम जैसा महान धर्म ग्रहण किया ।

धन्य है सत्य की खोज में आप का साहस एवं आप की निष्पक्षता जिस ने आप को इस महान धर्म में प्रवेश करने के संदर्भ में अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर उत्सुक किया ।

जो कोई नया यंत्र खरीदता है, किसी क्लब, टीम अथवा संस्था से जुड़ता है उस की यह चेष्टा होती है कि वह अपने भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर ले तथा जान ले कि नई परिस्थितियों से उसे कैसे निपटना है ।

तो जो अल्लाह की कृपा से अंधकार से प्रकाश में आया, जिसे इस्लाम का अनुपम उपहार मिला, उस की स्थिति क्या होनी चाहिये । इस में संदेह नहीं कि उसे उल्लास व झुंझि होगी कि अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान के आधार पर अल्लाह की उपासना करे, एवं आस पास की विकृत परिस्थितियों में इस्लामी विधानानुसार व्यवहार कर सके ।

शिक्षा ग्रहण करते समय आप के लिये नबवी शुभ सूचना यह है कि जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं वह वास्तव में नबियों तथा रसूलों की पैत्रिक संपत्ति है, इस कारण कि नबियों ने धन संपत्ति की मीराष नहीं छोड़ी अपितु उन्होंने धार्मिक ज्ञान की पैत्रिक संपत्ति छोड़ी, अतः जिस ने यह ज्ञान प्राप्त किया उस ने नबवी मीराष का बड़ा भाग एवं पूर्ण श्रेष्ठता प्राप्त कर ली । (अबूदाऊद : 88)

यह चित्रित मार्गदर्शिका आप (नब मुस्लिम) के समक्ष उस महान धर्म की पहचान के संदर्भ में प्रथम चरण एवं मूल आधार प्रस्तुत करती है जो संपूर्ण मानवजाति के ऊपर महान उपकार है, इस में जीवन चर्या के अधिकांश भागों के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा है जिस की एक मनुष्य को आवश्यकता है, साथ ही इस में अति सरल शैली में आप के जटिल प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया है एवं बड़ी ही सुगम शैली में आस पास घटित परिस्थितियों से निपटने का गुर भी बताया गया है । इस में कुरआन व हदीस पर आधारित बड़ी ही सीमित एवं विश्वस्त जानकारी दी गई है ।

पुस्तक पढ़ने योग्य रोचक मार्गदर्शिका होने के साथ एक ऐसा श्रोत पुस्तक भी है, जिस की तरफ किसी समस्या में अल्लाह का आदेश जानने की आवश्यकता पड़ने अथवा किसी समस्या के समाधान एवं विस्तृत ज्ञान के लिये सरलतापूर्व लौटा जासकता है ।

अल्लाह से हम आप के लिये अधिक सहायता एवं मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं कि अल्लाह आप के हृदय को अपनी आज्ञापालन तथा धर्म पर दृढ़तापूर्वक जमा दे, आप जहाँ कहीं रहे आप को कल्याणकारी बनाये तथा हमें एवं आप को नबियों एवं सिद्दीकों के संग अपने सम्मानित घर अर्थात स्वर्ग में एकत्रित करे,,,

लेखक





भूमिकायें



भूमिका सूची ।

जीवन का सर्वमहान उपहार

हमारा जीवन उद्देश्य ।

इस्लाम सार्वभौमिक धर्म

दास एवं प्रमात्मा के मध्य कोई अन्य माध्यम नहीं

इस्लाम जीवन धर्म है ।

इस्लामी आदेशों की ज्ञान प्राप्ति

धार्मिक संविधान

मुझे धार्मिक आदेशों(संविधान)का ज्ञान कैसे हो ।

केवल इस्लाम ही संतुलन का धर्म है ।

इस्लाम धर्म संपूर्ण जीवन को सम्मिलित है

इस्लाम की वास्तविकता, मापदण्ड एवं कसौटी है न कि कुछ मुसलमानों की वर्तमान स्थिति ।

पाँच आवश्यकतायें ।

> जीवन का सर्वमहान उपहार

अल्लाह ने मानवजाति को असंख्य एवं अपार सुखसामाग्रियाँ प्रदान की हैं, हम में से प्रत्येक अल्लाह की दी हुई इन्ही नेमतों में जी रहा है। अल्लाह ने हमें सुनने एवं देखने की शक्ति दी जबकि इन से बहुत सारे वंचित हैं। अल्लाह ने अपनी कृपा से हमें बुद्धि, तंदुरुस्ती, धन एवं संतान प्रदान की यही नहीं उस ने संपूर्ण ब्रम्हाण्ड सूरज चांद, आकाश धर्ती को हमारी सेवा में लगा दिया। यदि तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो उन्हें गिन नहीं सकते। (अन्नहल : 18)

यह सारी सुखसामग्रियाँ हमारे छोटे से जीवन के संग ही समाप्त होजायेंगी। एकमात्र नेमत जिस से संसार में सौभाग्य तथा शांति प्राप्त होगी एवं अन्तिम दिवस तक जिस का प्रभाव बाकी रहेगा वह है इस्लाम का मार्ग पाने की नेमत। यह अपने दासों पर अल्लाह का सर्वमहान उपकार एवं उपहार है।

यही कारण है कि अल्लाह ने तमाम नेमतों को छोड़ केवल इसी नेमत को अपने आप से जोड़ा है, उस का कथन है : (आज हमने तुम्हारे लिये तुम्हारे धर्म की पूर्ति कर दी एवं तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत की समाप्ति कर दी तथा धर्म के रूप में इस्लाम को तुम्हारे लिये पसंद कर लिया (अलमाइदह : 3)

मनुष्य पर अल्लाह की यह कितनी महान कृपा होती है जब उसे अंधकार से निकाल कर अपने प्रिय धर्म इस्लाम का मार्ग दिखाता है ताकि उस उद्देश्य की पूर्ति होसके जिस के लिये उसे जन्म दिया गया है। और इस प्रकार उसे संसार का सौभाग्य एवं आखिरत में अच्छा फल मिल सके

हम पर अल्लाह का कितना महान उपकार है कि उस ने संपूर्ण विश्वहेतु सर्वश्रेष्ठ सम्प्रदाय बनने के लिये हमारा चयन किया ताकि हम उस लाइलाहा इल्लल्लाह का भार उठाये जिसे देकर समस्त ईशदूतों को अल्लाह ने भेजा।

जब कुछ मुखौं ने यह अनुमान किया कि इस्लाम में प्रवेश करने का श्रेय उन्हें जाता है एवं इस प्रकार वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना उपकार



> इस्लाम जीवन का सर्वमहान उपहार

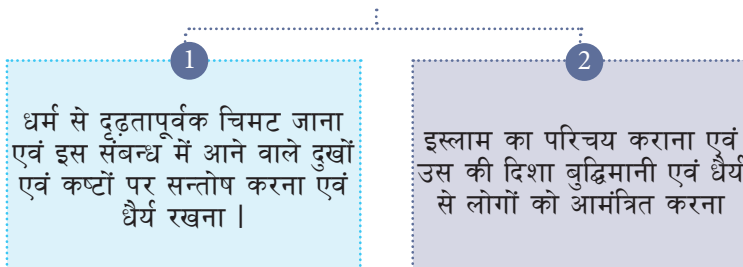
प्रकट करने लगे तो अल्लाह ने उन्हें सावधान किया कि यह मात्र अल्लाह ही की महानता तथा उस का उपकार है कि उस ने उन्हें इस धर्म में आने का मार्ग दिखाया, अल्लाह फर्माता है : वह इस्लाम लाकर आप पर एहसान जताते हैं, आप कह दीजिये : तुम इस्लाम लाकर मुझ पर एहसान मत जताओ, अपितु वास्तव में अल्लाह ने ईमान का मार्ग दिखाकर तुम पर उपकार किया है यदि तुम सच्चे हो। (अल हुजुरात : 17)

ज्ञान हुआ कि अल्लाह की नेमतें असंख्य हैं इस के बावजूद अल्लाह ने हम पर एकमात्र जिस नेमत का वर्णन किया वह इस्लाम तथा उस की उपासना एवं एकेश्वरवाद का मार्ग पाना है।

किन्तु इस नेमत को बाकी रखने के लिये आवश्यक है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : यदि तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और अधिक दूंगा) (इब्राहीम : 7)

अब प्रश्न यह है कि इस नेमत का शुक्र कैसे अदा हो ?

ऐसा दो वस्तुओं से हो सकता है :



हमारा जन्म उद्देश्य

हमारे जीवन के इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते समय अधिकांश बुद्धिजीवी तथा साधारण जन दोनों ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं :

हम यहाँ क्यों आये हैं ?

हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ?

और कुर्आन ने अति स्पष्ट रूप से इस संसार में मानव जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर दिया है । अल्लाह तआला फ़र्माता है : हम ने मानव तथा दानव को केवल अपनी उपासना के लिये जन्म दिया है । (अज़्ज़ारियात : 56) ज्ञात हुआ कि उपासना ही इस धर्ती पर हमारी उपस्थिति का मूल उद्देश्य है । इस के अतिरिक्त जो कुछ है उन की स्थिति साधन मात्र एवं पूर्ति सामग्री यों जैसी है ।

किन्तु इस्लामी अर्थानुसार उपासना न तो सन्यास लेने का नाम है न ही जीवन की सुखसामग्रियों एवं उस के आकर्षण से मुंह मोड़ने का नाम है । इस के विपरीत सलात, सौम तथा ज़कात के संग मनुष्य के प्रत्येक

कथनी करनी, उस के अविष्कारों एवं संबन्धों को सम्मिलित है यहाँ तक कि यदि नीय्यत अच्छी हो तो खेल कूद एवं आनन्द के अन्य साधन से भी इस के मार्गदर्शन में लाभान्वित हुआ जा सकता है । यही कारण है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है : तुम में किसी के गुप्तांग में भी मैं दान का पुण्य है (मुस्लिम : 1006) आप के कहने का अर्थ यह है कि मुसलमान को अपनी पत्नी के संग वैध संबन्ध स्थापित करने पर भी पुण्य मिलता है ।

एवं इस प्रकार उपासना जीवन उद्देश्य होने के साथ साथ जीवन की वास्तविकता भी है, ज्ञात यह हुआ कि एक मुसलमान का संपूर्ण जीवन ही नानाप्रकार की उपासनाओं में व्यतीत होता है जैसा कि अल्लाह तआला फ़र्माता है : हे नबी आप कह दीजिये कि मेरी सलात, मेरी कुर्बानी तथा उपासना, मेरा जीवन एवं मेरी मृत्यु सब सर्वलोक के स्वामी अल्लाह के लिये हैं । (अलअन्आम : 162)

➤ इस्लाम सार्वभौमिक धर्म है

इस्लाम सांस्कृति, रंग, नस्ल, जाति भूमि की मर्यादाओं से अलग सर्वसंसार के लिये दया छाया एवं मार्गदर्शन बन कर आया है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : हे नबी हम ने आप को सर्वलोक के लिये दया पात्र बना कर भेजा है । (अल अंबिया : 107)

यही कारण है कि इस्लाम प्रत्येक समुदाय की रीति रिवाज का सम्मान करता है एवं किसी भी नव मुस्लिम को उन में किसी प्रकार के परिवर्तन पर विवश नहीं करता, परन्तु शरई संविधान का विरोध क्षमा नहीं । अतः वह रीति रिवाज जो इस्लाम विरोधी हैं उन में इस प्रकार परिवर्तन हो कि वह इस्लाम की नीति के अनुकूल हो जायें । क्यों कि जिस अल्लाह ने किसी वस्तु का आदेश दिया अथवा किसी वस्तु से रोका वह सर्वज्ञानी सर्वसूचित है । अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यही है कि हम उस के समस्त आदेशों का पालन भी करें ।

सचेत किया जाता है कि मुसलमानों के वह रीति रिवाज जिन का इस्लाम तथा उस के संविधानों से कोई संबन्ध नहीं उन का अनुपालन करना, उन्हें अपनाना किसी नव मुस्लिम के लिये अनिवार्य नहीं, एक प्रकार से यह मात्र लोगों के कुछ वैध व्यवहार तथा कार्य हैं ।

संपूर्ण ब्रम्हाण्ड अल्लाह की उपासनाग्रह है

इस्लाम का यह मान्य है कि पूरी धर्ती निवास ग्रहण करने तथा उपासनाग्रह बनने के योग्य है, इस धर्ती पर कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं जिस की दिशा स्थानान्तरित होना एवं वहाँ बसना मुसलमानों के लिय आवश्यक है । ६ यान मात्र इस बात पर देना है कि वहाँ पर अल्लाह की उपासना संभव हो ।

किसी भी मुसलमान के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आवश्यक नहीं मगर जब उसे अल्लाह की उपासना से रोक दिया जाये तो उसे वह स्थान छोड़ कर किसी ऐसे स्थान पर निवास ग्रहण करना चाहिये जहाँ उस के लिये स्वतंत्रतापूर्वक अल्लाह की उपासना संभव हो । अल्लाह का फ़र्मान है : हे मेरे मोमिन दासो मेरी धर्ती अति विशाल है अतः तुम मेरी ही उपासना करो । (अल अन्कवूत : 56)



> इस्लाम में ईश्वर तथा दास के मध्य कोई अन्य नहीं

अधिकांश धर्मों ने अपने अनुयाइयों में से कुछ लोगों को अन्य की तुलना धार्मिक विशेषतायें प्रदान की हैं एवं लोगों की उपासनाओं एवं उन के विश्वास को उन्हीं लोगों की प्रसन्नता तथा सहमति से जोड़ रखा है, इन धर्मों की यह धारणा है कि वही गिने चुने लोग ही ईश्वर तथा लोगों के बीच मूल माध्यम हैं। यही लोग क्षमा दान कर सकते हैं, यह लोग सूक्ष्म दर्शी भी हैं एवं इन का विरोध स्पष्ट हानि का कारण है।

इस्लाम ने आकर मनुष्य को सम्मान दिया, उस को महानता प्रदान की एवं इस धारणा ही को निरस्त कर दिया कि संपूर्ण मानवजाति का सौभाग्य, उन का प्रायश्चित्त अथवा उन की उपासना का संबन्ध कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ही के हाथ में है चाहे व्यक्तिगत रूप से वह कितने ही महान क्यों न हों।

मुसलमानों की समस्त उपासनायें मात्र उन के तथा अल्लाह के मध्य हैं, इस का श्रेय किसी अन्य को नहीं जाता न ही कोई इस में

माध्यम बन सकता है। अल्लाह अपने दासों के अति निकट है वह अपने दास की पुकार तथा प्रार्थना को स्वयं सुनता है एवं उन की आवश्यकतायें पूरी करता है उस की सलात, उस की उपासना को देखता है एवं उन का फल देता है। मानवजाति में किसी को यह अधिकार ही नहीं कि वह किसी को क्षमा दान कर सके। दास जब भी सच्चे हृदय से पापों से प्रायश्चित्त करता है तो अल्लाह उसे क्षमा दान करता है। किसी को भी इस संसार में कोई अद्भुत शक्ति प्राप्त नहीं न ही वह इस ब्रह्माण्ड पर अपना कोई विशेष प्रभाव रखता है। सब कुछ अल्लाह के हाथ एवं उस के अधिकार में है।

इस्लाम ने मुसलमान की बुद्धि को स्वतंत्रता प्रदान की है एवं उसे मनन चिंतन के लिये आमंत्रित किया है तथा मतभेद के समय कुर्आन एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रमाणित कथनी एवं करनी की दृश्य से निर्णय लेने का आदेश दिया है। संसार



> इस्लाम में ईश्वर तथा दास के मध्य कोई अन्य नहीं



में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतिरिक्त कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिस के पास मात्र सत्य हो तथा उस की हर बात मान्य तथा हर आदेश का पालन आवश्यक हो, केवल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वह व्यक्ति हैं जो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कहते, आप की हर बात अल्लाह के आदेशानुसार हुआ करती है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कहते, आप की हर बात तो ईशवाणी हुआ करती है। (अन्नज्म : 3-4)

इस धर्म के रूप में अल्लाह का हमारे ऊपर कितनी महान कृपा है जो मानव प्रकृति के अनुकूल है एवं जिस ने मनुष्य का सम्मान कर उसे अपनी आत्मा का अधिकार सौंप कर अल्लाह के अतिरिक्त अन्य की दास्ता एवं औरों के समक्ष झुकने से आज़ादी प्रदान की है।

> इस्लाम संपूर्ण जीवन का धर्म है

इस्लाम सांसारिक तथा पारलौकिक जीवन के मध्य संतुलन स्थापित करता है। इस्लाम की दृष्टि में दुनिया एक ऐसी खेती है जहाँ मुसलमान जीवन में चारों दिशा पुण्य के वृक्ष लगाता है ताकि संसार तथा प्रलोक में उसे इस का फल मिल सके। इस खेती तथा इस वृक्षारोपण के लिये आवश्यक है कि मनुष्य दृढ़ विश्वास तथा पूर्ण संकल्प से जीवन की दिशा आकर्षित हो, यह निम्नलिखित वस्तुओं से स्पष्ट है :

धर्ती निर्माण एवं ग्रह रचना :

अल्लाह का फर्मान है : वही है जिस ने तुम्हें धर्ती से जन्म दिया है एवं उसी में तुम्हें ला बसाया है। (हूद : 61)

ज्ञात हुआ कि अल्लाह ने हमें इस धर्ती पर जन्म देकर उसे आबाद करने का आदेश दिया है, तथा इस पर ऐसी सांस्कृति एवं ऐसे निर्माण कार्य की स्थापना का आदेश दिया है जिस से मानवजाति की सेवा हो एवं वह इस्लाम के दयालु संविधान के विरुद्ध भी न हो, यही नहीं अपितु धर्ती निर्माण एवं उन्नति कार्य को जीवन उद्देश्य तथा जटिल से जटिल परिस्थितियों में उपासना बताया है। यही कारण है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सचेत करते हुये उसे आदेश दिया है कि यदि वह कोई वृक्ष लगाने की सोच रहा हो एवं प्रलय आजाये तो यदि संभव हो तो वृक्ष लगाने से चूकना नहीं चाहिये ताकि वह उस के लिये पुण्य का एक कार्य हो जाये। (अल मुन्नद : 2721)

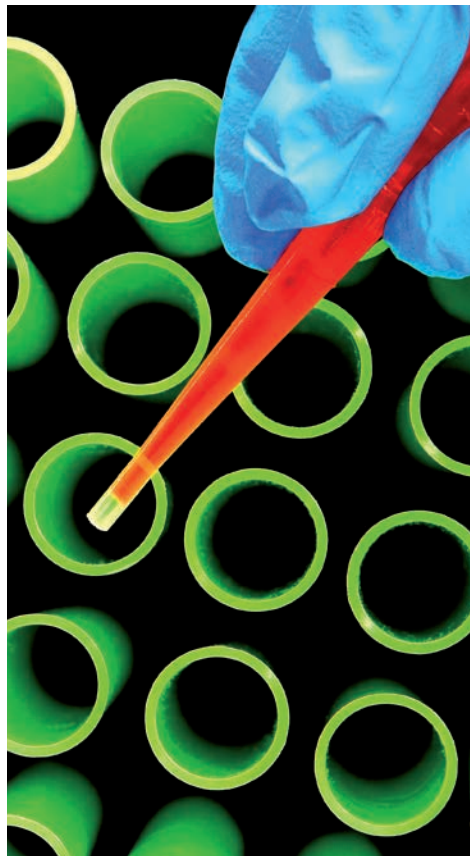
लोगों से परस्पर घुल मिल जाना :

इस्लाम सभी को निर्माणकार्य, संस्कृति स्थापना एवं सुधार कार्य में भाग लेने की न्याता देता है। धर्म जाति तथा संस्कृति से ऊपर उठ कर उच्च व्यवहार तथा सदाचार का प्रदर्शन कर उन्हें परस्पर संबन्ध स्थापित करने पर उभारता है। उस की यह शिक्षा है कि लोगों से कट कर, सन्यासी बन कर रहना समाज सेवियों तथा सदाचारियों का कार्य नहीं। यही करण है कि जो लोगों से घुल मिल कर रहते हैं एवं लोगों की तरफ से मिलने वाली तकलीफों पर धैर्य रखते हैं उन्हें हअल्लाह के

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से उत्तम बताया है जो लोगों से कट कर उन से दूर होकर रहते हैं (इब्ने माजह : 4032)

शिक्षा धर्म :

यह कोई संयोग नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित कुर्आन का प्रथम शब्द ही पढ़ो है, सत्य तो यह है कि इस्लाम मानवजाति के लिये समस्त लाभदायक ज्ञानों का दृढ़ समर्थन करता है। यहाँ तक कि ज्ञान की खोज का मार्ग एक मुसलमान के लिये स्वर्ग का सरलतः मार्ग है जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : जिस ने ज्ञान की खोज



> अन्य धर्मों के विपरीत इस्लाम में धर्म तथा विज्ञान के मध्य कोई युद्ध नहीं।

में कोई मार्ग अपनाया, बदले में अल्लाह उस के लिये स्वर्ग का मार्ग सरल बना देगा। (इब्ने हिब्बान : 84)

इस्लाम में धर्म तथा ज्ञान के मध्य कोई युद्ध एवं शत्रुता नहीं जैसा कि अन्य धर्मों की स्थिति है, इस के विपरीत इस्लाम धर्म ने ज्ञान को बढ़ावा दिया है एवं वही उस का सब से बड़ा समर्थक है एवं जब तक ज्ञान मानवजाति के लिये लाभदायक है इस्लाम उसे सीखने सिखाने का सब से बड़ा प्रचारक भी है।

यही नहीं अपितु इस्लाम ने मानवता तथा पुण्य का पाठ पढ़ाने वाले ज्ञानी को सर्वसम्मानित बता कर उसे सर्वमानित मुकुट प्रदान की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूचना देते हुये फर्माया : समस्त सृष्टि लोगों को पुण्य की शिक्षा देने वालों के लिये प्रार्थना करती है। (अत्तिर्मिज़ी : 2685)

➤ इस्लामी संविधान की शिक्षा लेना

मुसलमान के लिय उचित है कि वह अपने जीवन के प्रत्येक चरण से संबन्धित धर्म ज्ञान प्राप्त करे, उपासना, व्यवहार तथा पारस्परिक संबन्ध सभी विषयों पर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि करे ताकि ज्ञान तथा जागरूकता के आधार पर वह अल्लाह की उपासना कर सके जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : अल्लाह जिसे भलाई प्रदान करना चाहता है उसे धर्म की समझ दे देता है। (अल बुखारी : 71, मुस्लिम : 1037)

अतः आवश्यक है कि अनिवार्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करे, जैसे कि सलात अदा करने की विधि, पवित्रता प्राप्त करने का तरीका, खाने पीने में वैध अवैध का ज्ञान आदि, इसी प्रकार उस के लिये प्रिय है कि धर्म में जिन कार्यों को प्रिय बताया गया है परन्तु वह अनिवार्य नहीं हैं उन की भी जाकारी ले।



➤ अल्लाह जिस के साथ भलाई चाहता है उसे धर्म की समझ प्रदान करता है।

> धार्मिक संविधान

मुण्ड्य की सभी बातें, सभी कृया एवं कार्यक्रम धर्म में पाँच स्थितियों से बाहर नहीं हो सकते :

वाजिब अर्थात अनिवार्य	यह वह आदेश है जिन का पालन करने पर पुण्य तथा त्यागने पर पाप होगा जैसे कि पाँच समय की सलात, रमज़ान के रोज़े आदि ।
हराम अर्थात अवैध	यह वह वस्तुयें हैं जिन से अल्लाह ने रोका है एवं त्यागने तथा रुकने वाले को पुण्य एवं उन्हें अपनाने वालों को दण्ड का वचन दिया है, जैसे कि स्त्रीगमन एवं व्यभिचार, मदिरापान आदि ।
सुन्नत तथा मुस्तहब	यह वह वस्तुयें हैं जिन्हें व्यवहार में लाना इस्लाम में प्रिय है तथा ऐसा करने वालों को पुण्य मिलेगा किन्तु इन्हें त्यागने में कोई पाप नहीं, जैसे लोगों से मुस्कान के साथ मिलना, उन्हें सलाम में पहल करना, मार्ग से दुखदाई वस्तुओं तथा गन्दगी को दूर कर आदि ।
मकरूह	यह वह वस्तुयें हैं जिन्हें त्याग देना इस्लाम में प्रिय एवं पुण्य प्राप्ति का कारण है, किन्तु यदि कोई इन्हें अपना ले तो उसे कोई दण्ड नहीं जैसे कि नमाज़ में उगलियों से खेलना अथवा उन्हें चटखाना आदि ।
मुबाह	वह वस्तुयें हैं जिन का करना न करना समान है, अर्थात जिन के करने न करने के संदर्भ में न तो कोई आदेश है न ही कोई मनाही जैसे खरीदना बेचना, यात्रा एवं वार्तालाप आदि

> इस्लाम के पाँच आधार

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : इस्लाम का आधार पाँच वस्तुओं पर है : इस बात की गवाही कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं एवं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं एवं सलात कायम करना, ज़कात अदा करना, अल्लाह के घर का हज्ज करना, तथा रमज़ान के रोज़े रखना । (बुखारी : 8, मुस्लिम : 16)

यही पाँच मूल आधार धर्म की बुनियाद एवं उन्हें शक्ति प्रदान करने वाले महान स्तंभ हैं, आने वाले अध्यायों में हम इन पर अधिक चर्चा करेंगे तथा उन्हें स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे ।

इन में सर्वप्रथम ईमान तथा एकेश्वरवाद है, एवं (आप का ईमान) के शीर्षक से यही आने वाला अध्याय होगा ।

इस के पश्चात सलात का स्थान आता है जो समस्त उपासनाओं में सर्वमहान तथा सर्वसम्मानित उपासना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : एवं इस का स्तंभ सलात है । (अतिर्मिज़ी : 2749) अर्थात जिस महान स्तंभ पर इस्लाम का महल खड़ा है वह सलात है, सलात के बिना इस्लाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती ।

परन्तु सलात के सही होने के लिये शर्त है कि मुसलमान उसे संपूर्ण पवित्रता के साथ अदा करे अतः (आप का ईमान) अध्याय के पश्चात, (आप की पवित्रता) फिर (आप की सलात) अंशकाय होंगे ।

1



इस बात की साक्ष्य कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं तथा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल अर्थात ईशदूत हैं ।

2



सलात स्थापित करना ।

3



ज़कात अर्थात दान देना ।

4



रमज़ान के रोज़े रखना ।

5



अल्लाह के घर का हज्ज करना ।

इस्लाम के आधार

1

इस बात की साक्ष्य कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं तथा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल अर्थात ईशदूत हैं ।

2

सलात स्थापित करना ।

3

ज़कात अर्थात दान देना ।

4

रमज़ान के रोज़े रखना ।

5

अल्लाह के घर का हज्ज करना ।

> मैं धर्म विधान का ज्ञान कैसे प्राप्त करूँ ।

जो किसी रोग से पीड़ित हो एवं उसे औषधि की आवश्यकता हो तो वह निपुण तथा दक्ष डाक्टरों की खोज करता है ताकि उस की औषधि से शीघ्रतापूर्वक उसे लाभ प्राप्त हो, वह कदापि ऐसा नहीं करता कि किसी भी ऐरे गैरे डाक्टर से दवायें ले ले क्योंकि वह जानता है कि उस का जीवन अनमोल एवं बहुमूल्य है ।

किसी भी मनुष्य का धर्म उस की बहुमूल्य संपत्ति है अतः उस के लिये अनिवार्य है कि अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिये अति प्रयास करे तथा जिन वस्तुओं से वह अनभिज्ञ है उन के विषय में ज्ञानियों तथा विश्वासपात्र लोगों से प्रश्न कर अपने धर्म ज्ञान में वृद्धि करे ।

आप का इस पुस्तक का अध्ययन सही दिशा में कदम रखना है, जैसा कि अल्लाह तआला फ़र्माता है : तुम ज्ञानियों से प्रश्न करो यदि तुम्हें पता नहीं । (अन्नहल : 43) यदि आप को कोई कठिनता हो तो आप का कर्तव्य है कि इस्लामी केन्द्रों तथा निकट की मस्जिदों की सहायता से आप अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करें, इन केन्द्रों तथा उन के नंबरों की जानकारी आप को निम्नलिखित वेबसाइट से मिल सकती है ।

इसी प्रकार आप के लिये आवश्यक है कि आप प्रामाण्य वेबसाइटों की सहायता भी लें जो आप के लिये धर्म की विशेषताओं का खुलासा करते हैं जैसे :

www.newmuslim-guide.com

www.guide-muslim.com

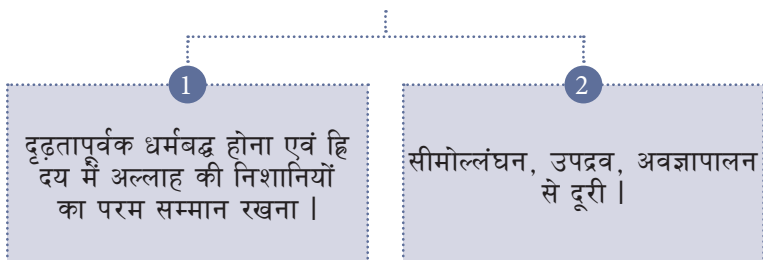


> नव मुस्लिम के लिये आवश्यक है कि वह निकट के इस्लामिक केन्द्रों से अपना संबन्ध बनाये रखे एवं पुस्तकों तथा प्रामाण्य वेबसाइटों से निरंतर सूचित रहे ।

➤ इस्लाम संतुलन का धर्म है

इस्लाम बिना किसी असावधानता, अपूर्णता, हिंसा दमन एवं सीमोल्लंघन एक संतुलित धर्म है एवं ऐसा इस्लाम के सभी विधानों तथा उपासनाओं से स्पष्ट है।

यही कारण है कि अल्लाह ने अपने नबी, नबी के सहाबा तथा समस्त मोमिनों को संतुलन बनाये रखने का दृढ़ आदेश दिया है जो दो वस्तुओं पर ध्यान देने से संभव है :



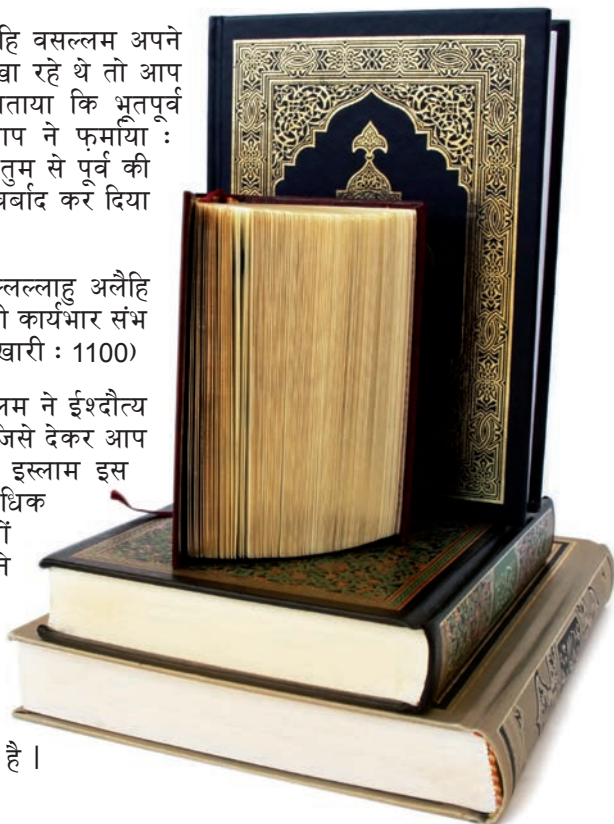
अल्लाह का फर्मान है : आदेशानुसार आप एवं आप के संग प्रायश्चित करने वाले सत्य मार्ग पर जम जायें एवं उपद्रव एवं सीमोल्लंघन न करें, निःसंदेह वह तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। (हूद : 112)

अर्थात् सत्य मार्ग पर दृढ़तापूर्वक जम जाइये एवं बिना किसी सीमोल्लंघन अथवा बनावट इस विषय में प्रयास करते रहिये।

जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी साथी को हज्ज का कोई कार्य सिखा रहे थे तो आप ने उन्हें सीमोल्लंघन से डराया और बताया कि भूतपूर्व समुदायों इसी कारण नष्ट की गयीं, आप ने फर्माया : तुम सीमोल्लंघन से बचो, इस लिये कि तुम से पूर्व की समुदायों को सीमोल्लंघन ही ने नष्ट व बर्बाद कर दिया। (इब्ने माजह : 3029)

एवं इसी कारण अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फर्माया : तुम उतना ही कार्यभार संभालो जिस की तुम में शक्ति है। (अल बुखारी : 1100)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईश्वरद्वैत की उस वास्तविकता को भी स्पष्ट किया जिसे देकर आप को भेजा गया था, आप ने बताया कि इस्लाम इस लिये नहीं आया कि लोगों की शक्ति से अधिक उन पर भार डाल दे, अपितु इस्लाम लोगों को धर्मज्ञान देने, बुद्धि की बातें बताने तथा सरलता का पाठ पढ़ाने के लिये आया है, आप ने फर्माया : अल्लाह ने मुझे कठिनता में डालने वाला अथवा उद्विग्न एवं प्रचण्ड आचरण बना कर नहीं भेजा उस ने तो मुझे मात्र शिक्षक एवं सरलता दर्शाने वाला बना कर भेजा है। (मुस्लिम : 1478)



> धर्म संपूर्ण जीवन कोणों को सम्मिलित है

इस्लाम मुसलमानों के माध्यम से मस्जिदों में प्रार्थना एवं सलात के रूप में अदा की जाने वाली मात्र आध्यात्मिक आवश्यकता ही नहीं

न ही मात्र कुछ विचारधारायें एवं रीति रिवाज हैं जिन्हें केवल इस के अनुयाइयों ने अपनाया हुआ है ।

जैसा कि यह मात्र पूर्ण अर्थव्यवस्था ही नहीं ।

न ही समाज निर्माण व सुधार एवं विधान रचना का कोई सटीक फारमूला ही ।

न ही दूसरों से संबन्ध निर्माण एवं व्यवहार स्थापना हेतु सदाचार व नैतिकता का गढ़र ही ।

परन्तु वास्तव में यह संपूर्ण जीवन काल के प्रत्येक चरण एवं प्रत्येक कोण के लिए एक प्र याप्त शिक्षा शैली है जो जीवन तथा जीवन से हट कर भी बहुसंख्य वस्तुओं को सम्मिलित है ।

अल्लाह ने मुसलमानों पर अपनी इस महान कृपा को परिपूर्ण कर दिया है एवं हमारे लिये इस प्रयाप्त धर्म को पसन्द कर लिया जैसा कि उस का फर्मान है : (आज हमने तुम्हारे लिये तुम्हारे धर्म की पूर्ति कर दी एवं तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत की समाप्ति कर दी तथा धर्म के रूप में इस्लाम को तुम्हारे लिये पसंद कर लिया (अलमाइदह : 3)

एवं जब नास्तिकों में से किसी ने उपहास उड़ाते हुये महान सहाबी हज़रत सलमान फार्सी रज़िअल्लाहु अन्हु से कहा : तुम्हारा साथी अर्थात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तो प्रत्येक वस्तु यथा शौच जाने की विधि भी बताते हैं तो महान सहाबी का उत्तर था : हाँ उन्होंने ने हमें शौच जाने की शिक्षा दी है फिर उन्होंने ने इस विषय में उसे इस्लाम के सारे आदेश एवं शिष्टाचार बता दिये । (मुस्लिम : 262)



> इस्लाम संपूर्ण जीवन चर्या के लिये पर्याप्त शिक्षा कोर्स है ।

➤ इस्लाम की वास्तविकता, मापदण्ड एवं कसौटी है न कि कुछ मुसलमानों की वर्तमान स्थिति

यदि आप को कोई चिकित्सक स्वास्थ्य संबंधी गलत व्यवहार करता मिले अथवा कोई शिक्षक दुराचार से परस्तुत हो तो आश्चर्यचकित होने तथा उस के शिक्षा ज्ञान एवं स्थान व मान के विरुद्ध कार्य को बुरा जानने के बावजूद आप मानवजाति के लिये स्वास्थ्य ज्ञान एवं चिकित्सा शास्त्र के महत्व के विषय में अपना विचार नहीं बदलेंगे। इसी प्रकार समाज एवं सांस्कृतिक के लिये शिक्षा के महत्व का आप इन्कार नहीं करेंगे।

अवश्य आप यही समझेंगे कि वह चिकित्सक अथवा शिक्षक अपने पेशे का आदर्श व्यक्ति नहीं है।

इसी प्रकार जब हमें कुछ मुसलमान दुराचार के मिलें तो वह इस्लाम की वास्तविकता एवं उस की साफ छवि को व्यक्त नहीं करते अपितु वह मानव भेद्यता एवं दुरबलता का प्रतीक तथा दुराचार एवं दुष्सांस्कृतिक की देन हैं जिन का इस्लाम से कोई संबंध नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार जिस तरह उस चिकित्सक का व्यवहार तथा उस शिक्षक का आचरण चिकित्सा तथा शिक्षा से नहीं जोड़े जा सकते।





> अल्लाह ने मानव जीवन की सुरक्षा का आदेश दिया यद्यपि इस संदर्भ में कोई अवैध कार्य ही क्यों न करना पड़े ।

यह पाँच महान हित साधन हैं जो मनुष्य के मर्यादापूर्ण जीवन के लिये अति आवश्यक हैं । सभी धर्मों में इन की सुरक्षा तथा इन्हें हानि पहुंचाने वाली वस्तुओं से दूरी का आदेश है ।

इस्लाम ने इन की रक्षा करने तथा इन का ध्यान रखने की शिक्षा दी है ताकि इस संसार में मुसलमान सुख चैन से जीवन व्यतीत करे एवं लोक प्रलोक दोनों के लिये कार्य कर सके ।

एवं मुस्लिम समाज दीवार की ईंटों के समान एक जुट होकर जीवन व्यतीत करे अथवा उस शरीर के समान जिस के किसी भाग में दुख हो तो संपूर्ण शरीर बुखार तथा रतजगे में उस का साथ दे । इस की रक्षा दो वस्तुओं से हो सकती है ।

1 धर्म :

यही वह परम कर्तव्य है जिस की पूर्ति के लिये अल्लाह ने मनुष्य को जन्म दिया है । जिस के प्रचार प्रसार एवं रक्षा के लिये दूत भेजे हैं, जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : हम ने प्रत्येक समुदाय में यह संदेश देकर एक दूत भेजा कि तुम अल्लाह की उपासना करो तथा उस के अतिरिक्त अन्य की उपास से बचो । (अननहल : 36)

अनेकेश्वरवाद, अंधविश्वास तथा पाप के रूप में जितनी वस्तुयें भी धर्म को हानि पहुंचाने अथवा प्रभावित करने वाली थीं इस्लाम ने सभी से धर्म की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है ।



2 शरीर :

अल्लाह ने मानव जीवन की सुरक्षा का आदेश दिया यद्यपि इस संदर्भ में कोई अवैध कार्य ही क्यों न करना पड़े, विवशता पर मनुष्य के लिये अवैध कार्य क्षमा है, जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : बिना सीमोल्लंघन तथा लौटे जो विवश हो उस पर कोई पाप नहीं, निःसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला अति दयावान है (अल बकरह : 173)

अतः उस ने जीव हत्या तथा उसे हानि पहुंचाने से रोका है, उस का फर्मान है : तुम स्वयं को विनाश में मत डालो । (अलबकरह : 195)



> इस्लाम ने स्वास्थ्य तथा बुद्धि को हानि पहुंचाने वाली हर वस्तु को हाराम कर दिया है ।

एवं अपराध रोधक ऐसे विधान बनाये तथा दण्ड नियुक्त किये जिस से लोग अकारण दूसरों पर अत्याचार से दूर रहें चाहे उन का धर्म कुछ भी हो । अल्लाह फर्माता है : हे ईमान वालो निहित व्यक्ति के विषय में तुम पर कसास अर्थात् बदले की हत्या अनिवार्य है । (अलबकरह : 178)

3 बुद्धि :

इस्लाम की शिक्षानुसार बुद्धि तथा विवेक को प्रभावित करने वाली वस्तुओं से दूरी आवश्यक है, इस लिये कि बुद्धि हमारे लिये अल्लाह का महान उपहार है, इसी से मनुष्य के मान मर्यादा की रक्षा संभव है, एवं इसी के आधार पर लोक प्रलोक में मनुष्य उत्तरदायी होगा ।

इसी कारण अल्लाह ने मदिरा अथवा सभी प्रकार के मादक पदार्थों को अवैध तथा अपवित्र एवं शैतानी कार्य बताया है । फर्माता है : हे ईमान वालो ! निःसंदेह मदिरा, जुआ, थान तथा शराब बताने वाली विधियाँ अपवित्र शैतानों के कार्य है अतः इन से बचो ताकि तुम्हें सफलता मिले । (अल मायदह : 90)

4 वंश :

वंश रक्षा, ग्रहस्त जीवन तथा परिवार निभारण के संदर्भ में इस्लाम के आग्रह, उस के प्रबन्ध तथा दायित्व का पता उस के निम्नलिखित आदेशों से लगाया जासकता है :

● इस्लाम ने विवाह रचाने, उसे सरल बनाने एवं उस में अत्याधिक खर्च से बचने का आग्रह किया है । अल्लाह का फर्मान है : तुम व्यस्क महिलाओं से विवाह करो । (अन्नूर : 32)

● इस्लाम ने समस्त पाप संबन्धों को अवैध बताकर उस तक लेजाने वाले सभी मार्ग बन्द कर दिये हैं। अल्लाह फ़र्माता है : तुम व्यभिचार के निकट भी मत जाओ क्यों कि यह महा पाप तथा अति बुरा मार्ग है। (अल इम्रा : 32)

● इस्लाम ने लोगों के वंश पर मिथ्यारोपण तथा उन की मानहानि से मना किया है एवं इसे महा पाप बताया है, एवं ऐसा करने वालों को संसार ही में निश्चित दण्ड देने का आदेश दिया है। प्रलोक में उन्हें जो प्रकोप होगा वह इस के अतिरिक्त है।

● इस्लाम ने स्त्री पुरुष दोनों ही के मान सम्मान की रक्षा का आदेश दिया है, एवं जो अपने तथा अपने घर वालों के मान सम्मान की रक्षा में मार दिया जाये उसे अल्लाह के मार्ग में शहीद होने का पद दिया है।

5 धन संपत्ति :

इस्लाम ने धन रक्षा के लिये जीविका की खोज में परिश्रम करने का आदेश दिया है एवं लेन देन तथा व्यापार को वैध बताया है।

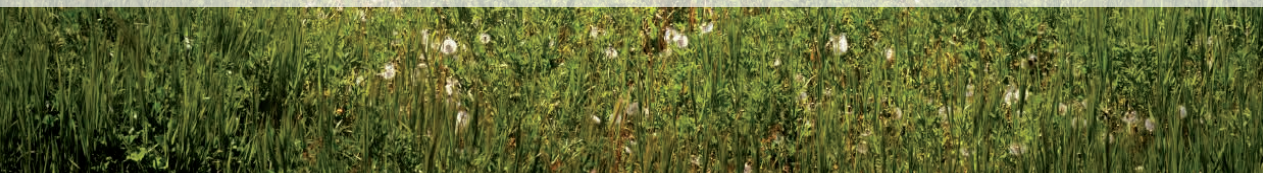
धन की रक्षा ही के लिय उस ने व्याज, चोरी, धोकाधड़ी, अपयोजन एवं गलत तरीके से लोगों का माल खाने को हराम बताया है एवं ऐसा करने वालों को कूर्आन ने कठोर दण्ड देने की धमकी दी है। (देखिये पृष्ठ : 142)



> वंश तथा मान रक्षा इस्लाम के महान उद्देश्यों में से है।



आप का ईमान



1

समस्त ईशदूतों ने अपनी समुदाय के लोगों को मात्र एक अल्लाह की उपासना का संदेश दिया जिस का कोई साझी नहीं तथा अल्लाह को छोड़ कर जिन जिन की पूजा हो रही थी उन सब के इन्कार की दिशा बुलाया, यही लाइलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुरसूलुल्लाह के अर्थ की वास्तविकता है तथा इसी वाक्य की साक्षय से मनुष्य इस्लाम में प्रवेश करता है।

अध्याय सूची :

साक्षय के दोनो सूत्रों का अर्थ एवं उन का नोदन

- ला इलाह इल्लल्लाह की आस्था क्यों ।
- ला इलाह इल्लल्लाह का अर्थ ।
- ला इलाह इल्लल्लाह के आधार ।

इस बात का साक्षय कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दूत हैं ।

- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिचय प्राप्त करना ।
- मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दूत हैं, इस का वास्तविक अर्थ ।

ईमान के छ आधार ।

उपासना का अर्थ क्या है ।

अनेकेश्वरवाद ।

अल्लाह के नामों तथा गुणों तथा विशेषताओं पर विश्वास ।

पार्षदों पर विश्वास ।

आकाशीय ग्रन्थों पर विश्वास ।

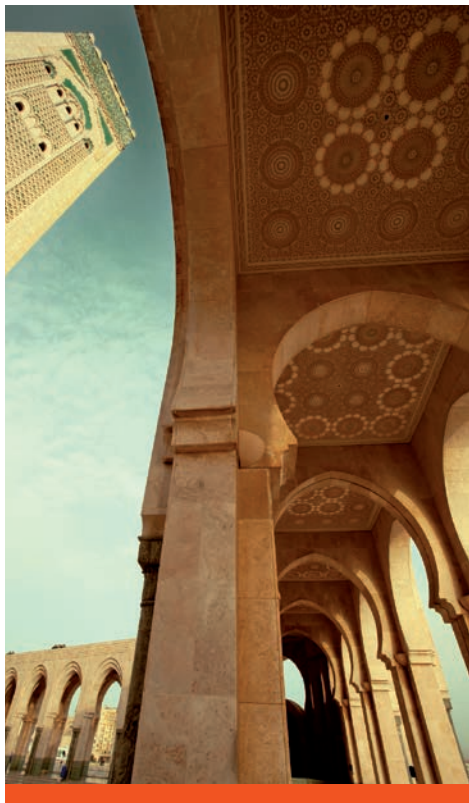
ईशदूतों पर विश्वास ।

अन्तिम अर्थात् प्रलय दिवस पर विश्वास ।

भाग्य पर विश्वास ।

साक्ष्य के दोनो सूत्रों का अर्थ एवं उन का नोदन

मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं एवं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दूत हैं ।



हैं जिस ने केवल अल्लाह की प्रसन्नता के लिये ला इलाह इल्लल्लाह कहा हो । (अल बुखारी : 415)

- एवं विश्वास के साथ जिस की इस वाक्य पर मृत्यु हो तो वह अवश्य स्वर्ग में प्रवेश करेगा । जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : जिस की इस विश्वास के साथ मृत्यु हो कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं तो वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा । (अहमद : 464)
- इसी कारण ला इलाह इल्लल्लाह का विश्वास रखना तथा उस का परिचय प्राप्त करना सर्वमहान अनिवार्यता है ।

ला इलाह इल्लल्लाह का अर्थ :

अर्थात् अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं, वास्तव में ला इलाह इल्लल्लाह में अल्लाह के अतिरिक्त अन्य से ईश्वरत्व का इन्कार है, संपूर्ण ईश्वरत्व एकमात्र अल्लाह ही के लिये जिस का कोई साझी नहीं ।

इलाह : अर्थात् उपास्य, अतः जिस ने किसी वस्तु की पूजा की उस ने अल्लाह को छोड़ कर उसे अपना उपास्य बना लिया ।

एकमात्र अल्लाह के अतिरिक्त यह सभी बातें निराधार हैं, अल्लाह ही वास्तविक प्रतिपालक तथा जन्मदाता है ।

केवल वही उपासना योग्य है, सभी हृदय, प्रेम स्नेह तथा महानता से उसी की उपासना करते हैं, उन में विनम्रता, सुशीलता, भय तथा विश्वास उसी पर है, वह उसी से प्रार्थना करते हैं । ज्ञात हुआ कि अल्लाह के अतिरिक्त न तो किसी अन्य को पुकारा जासकता है न ही उस से सहायता मांगी जासकती है, केवल अल्लाह ही पर विश्वास तथा भरोसा करना है, मात्र उसी के लिये नमाज़ें पढ़नी हैं, निकटता प्राप्त करने के लिये केवल उसी के नाम से

ला इलाह इल्लल्लाह की आस्था क्यों ।

- इस लिय कि यह मुसलमान के जीवन की सर्वप्रथम अनिवार्यता है । अतः जो इस्लाम में प्रवेश करना चाहे उस के लिये आवश्यक है कि वह हृदय से इस की पुष्टि करे तथा मुंह से इस के शब्द अदा करे ।
- इस लिये कि पूर्ण विश्वास एवं अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्ति के लिये जो भी इसे पढ़ेगा यह नर्क से उस की मुक्ति का कारण होगा । जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : अल्लाह ने उस व्यक्ति को नर्क पर हराम कर दिया

पशु की बलि दी जा सकती है। पता चला कि निःस्वार्थता के साथ केवल अल्लाह ही की उपासना करनी है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : उन्हें निःस्वार्थ होकर मात्र अल्लाह की उपासना ही का आदेश दिया गया था। (अल बय्यिनह : 5)

जो निःस्वार्थ होकर, ला इलाह इल्लल्लाह का वास्तविक अर्थ जान समझ कर अल्लाह की उपासना करता है उसे शीघ्र ही अपार प्रसन्नता, हृदय शांति एवं सम्मानजनक तथा आनन्दमय जीवन प्रदान होगा। इस लिये कि दिलों को वास्तविक प्रेम अथवा आत्मशांति केवल एक अल्लाह की उपासना ही से मिल सकती है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : मोमिन स्त्री एवं पुरुष में से जो भी सत्कार्य करेगा हम उसे पवित्र जीवन प्रदान करेंगे। (अननहल : 97)

ला इलाह इल्लल्लाह के आधार :

इस महान शब्द के दो आधार हैं जिन की जानकारी आवश्यक है ताकि उस का अर्थ तथा नोदन स्पष्ट हो :

1

प्रथम आधार : ला इलाह है जिस में अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की उपासना का इनकार तथा अनेकेश्वरवाद का खण्डन है। इस में बताया गया है कि एक अल्लाह की उपासना के अतिरिक्त अनेक की उपासना का इन्कार अनिवार्य है चाहे मनुष्य हो, पशु, मूर्ति अथवा नक्षत्र आदि हो।

2

द्वितीय आधार : इल्लल्लाह है जिस में उपासना को मात्र अल्लाह के लिये प्रमाणित किया गया है तथा बताया गया है कि सलात, प्रार्थना तथा विश्वास जैसी सभी प्रकार की उपासनायें केवल अल्लाह ही के लिये की जायें।

सभी प्रकार की उपासनायें एकमात्र अल्लाह ही के लिये व्यवहार में लाई जायें, जिस किसी ने अल्लाह के अतिरिक्त किसी की कोई भी उपासना की तो वह नास्तिक है।

जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : तथा जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे उपास्य को पुकारता है जिस का उस के पास कोई प्रमाण नहीं तो उस का हिसाब उस के स्वामी के पास है, निःसंदेह वह नास्तिकों को सफल नहीं बनाता। (अल मोमिनून : 117)

ला इलाह इल्लल्लाह का अर्थ तथा उस के आधारों का वर्णन अल्लाह के इस कथन में आया है : अतः जो तागूत अर्थात् अल्लाह के

अतिरिक्त अन्य की उपासना का इन्कार करे एवं अल्लाह पर ईमान लाये तो उस ने सुदृढ़ आधार को थाम लिया। (अलबक़रह : 256)

अल्लाह का यह फ़र्मान : अतः जो तागूत अर्थात् अल्लाह के अतिरिक्त अन्य की उपासना का इन्कार करे, यह प्रथम आधार ला इलाह का अर्थ है एवं अल्लाह का यह फ़र्मान : एवं अल्लाह पर ईमान लाये, यह द्वितीय आधार : इल्लल्लाह का अर्थ है।

> इस बात की साक्ष्य कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दूत है

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिचय प्राप्त करना

1 आप का जन्म :

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म सन 570 ईसवी में मक्का में हुआ, आप बाप से अनाथ थे तथा अल्पायु ही में आपने अपनी माँ को भी खो दिया, फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब की देखरेख में आप का पालन पोषण हुआ, दादा के बाद आप के चचा ने आप की देखभाल की जहाँ आप बड़े हुये ।

2 आप का जीवन एवं विकास :



आप नुबूव्वत से पूर्व चालीस वर्ष 570-610 ईसवी तक अपने कुटुंब कुरैश में रहे जहाँ आप सब के लिये आदर्श सदाचार थे लोग प्रमुखता

एवं दृढ़ता के उदाहरण में आप को परस्तुत करते थे आप वहाँ अमीन व सादिक के उपनाम से प्रसिद्ध हुये, आप ने बकरियाँ भी चरायीं फिर व्यापार भी किया ।

आप इस्लाम से पूर्व इब्राहीम अलैहिस्सलाम के धर्म पर मात्र अल्लाह की उपासना करते थे, आप ने मूर्ति पूजा तथा मूर्ति पूजा से जुड़े समस्त कार्यों को निरस्त कर दिया था ।

हमारे नबी का नाम :

मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अल कुरशी ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वंश में अरबों में सर्वोत्तम थे ।

आप ब्रम्हाण्ड के रसूल थे :

अल्लाह ने हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्रम्हाण्ड के सभी लोगों तथा सभी जातियों के लिये नबी बना कर भेजा एवं सब पर आप के अनुपालन को अनिवार्य बताया, अल्लाह फ़र्माता है : आप कह दीजिये कि हे लोगो ! मैं तुम सब की ओर भेजा गया ईशदूत हूँ । अल आराफ : 158

7 आप का देहान्त :

जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धर्म प्रेषण का कार्य पूरा कर दिया, धरोहर बाँट दिया एवं अल्लाह ने आप के हाथों धर्म पूर्ति के रूप में लोगों पर अपनी कृपा पूरी कर दी तो सफर सन 11 हिजरी को आप को जर हुआ तथा रोग बढ़ता गया एवं सोमवार के दिन 12 रबीउल अब्वल सन 11 हिजरी अनुसार 8/6/632 को आप का देहान्त हो गया । आप को 63 वर्ष की आयु मिली एवं आप को मस्जिदुन्नबवी के निकट आईशा रज़ीअल्लाहुअन्हो के कमरे में दफन किया गया।



3 आप का ईशदूत बनाया जाना :



जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयु चालीस वर्ष की होगई, इस मध्य आप निरंतर विचार में लीन रहते तथा नूर (मक्का का एक क़रीबी) पहाड़ पर स्थित हिरा गुफ़ा में अल्लाह की उपासना में मग्न थे कि उसी समय आप के पास अल्लाह का संदेश आया एवं आप पर कुर्आन के अवतरण का आरंभ हुआ एवं आप पर सर्वप्रथम कुर्आन की यह आयत अवतरित हुई : पढ़ो अपने रब के नाम से जिस ने जन्म दिया । ताकि इस बात की घोषणा कर दी जाये कि आप का आगमन आरंभ से ही ज्ञान, पढ़ाई, आलोक एवं लोगो के पथप्रदर्शन का नया दौर है तत्पश्चात आप पर निरंतर 23 वर्षों तक कुर्आन अवतरित होता रहा ।

4 आप के निमंत्रण का आरंभ :

गुप्त रूप से तीन वर्षों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह के धर्म का निमंत्रण देते रहे । फिर आप ने अन्य दस वर्षों तक खुल कर इस्लाम का प्रचार किया जिस में आप तथा आप के साथियों को कुरैश क़बीले की तरफ से नानाप्रकार की यातनाओं तथा अत्याचार से दोचार होना पड़ा तो आप ने हज्ज के लिये आने वाले क़बीलों पर इस्लाम प्रस्तुत किया जिसे मदीना वासियों ने स्वीकार कर लिया एवं धीरे धीरे मुसलमान वहाँ हिजरत करके जाने लगे ।

आप ही पर कुर्आन उतारा गया :

अल्लाह ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी सर्वमहान धर्म ग्रन्थ कुर्आन अवतरित किया । मिथ्या न तो उस के सामने से आसकता है न पीछे से ।

आप अन्तिम ईशदूत हैं :

अल्लाह ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अन्तिम ईशदूत बना कर भेजा अब आप के बाद कोई और नबी नहीं आयेगा जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : किन्तु आप अल्लाह के रसूल एवं दूतों के समापक हैं । अल अहज़ाब : 40.

6 आप का इस्लाम का प्रचार प्रसार करना :

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के बाद वहाँ इस्लामी सांस्कृतिक का आधार रखा एवं मुस्लिम समाज के चिन्ह गाड़ दिये, आप ने पारिवारिक तथा वांशिक भेद का अन्त किया, ज्ञान फैलाया एवं न्याय, दृढ़ता, भाइचारह, पारस्परिक सहायता तथा विधान प्रमुखता की जड़ें गहरी की । कुछ क़बीलों ने इस्लाम को मिटाने के उद्देश्य से चढ़ाई की, परिणामस्वरूप चन्द युद्ध हुये एवं कुछ घटनायें घटीं एवं अल्लाह ने अपने धर्म तथा अपने रसूल की सहायता की फिर लोग दल के दल इस्लाम में प्रवेश करने लगे एक दिन आया कि मक्का तथा अरब द्वीप के अधिकांश क़बीले इच्छावश इस महान धर्म की शीतल छाया में आ गये ।

5 आप की हिजरत :

आप ने 622 ईसवी में मदीना हिजरत की उस समय उस का नाम य़ा़रिब था, आप 53 वर्ष के थे । यह सब कुछ इस कारण हुआ कि आप के निमंत्रण विरोध में कुरैश के बड़ों ने आप की हत्या का पणयन्त्र रचा । आप मदीना में दस वर्षों तक लोगों को इस्लाम का निमंत्रण देते रहे, आप ने लोगों को सलात, ज़कात तथा धर्म की शेष बातों का आदेश दिया ।

इस साक्ष्य का अर्थ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं :

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई सूचनाओं की पुष्टि, आप के आदेशों का पालन एवं आप की तरफ से वर्जित कार्यों से बचना । तथा आप ही की बतायी सिखायी विधि अनुसार अल्लाह की उपासना करना ।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर इमान में क्या क्या सम्मिलित है ।

1

समस्त क्षेत्रों से संबन्धित अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई सूचनाओं की पुष्टि एवं विश्वास एवं उन्हीं में निम्नलिखित यह है :

- परोक्ष विषय, अन्तिम दिवस, स्वर्ग आनन्द एवं नर्क दण्ड आदि ।
- प्रलय दिवस की घटनायें, उन के चिन्ह तथा कलयुग में घटित कर्म ।
- भूतपूर्व लोगों का इतिहास एवं सूचनायें तथा नबियों एवं उन के समुदाय के मध्य होने वाला वाद विवाद ।

2

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन तथा वर्जित कार्यों से दूरी । इस में निम्नलिखित वस्तुयें सम्मिलित हैं :

- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन एवं हमारा विश्वास कि आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कहते, अपितु आप का प्रत्येक शब्द अल्लाह का संदेश होता है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : जिस ने रसूल का अनुसरण किया उस ने अल्लाह का अनुसरण किया । अन्निसा : 80
- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अवैध कार्यों से हमें रोका है उन से बचना दुराचार तथा दुष्ट व्यवहार से दूर रहना एवं यह विश्वास रखना कि अल्लाह ने हमें किसी कारणवश तथा हमारे हित में इन अवैध वस्तुओं से दूर रखा है यद्यपि वह कभी कभी हम पर स्पष्ट न हों ।



> मुसलमान के लिये अनिवार्य है कि वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रमाणित सुन्नतों की पुष्टि करे । उन्हें सच्चा माने ।

- हमारा यह विश्वास कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन तथा वर्जित कार्यों से दूरी लोक प्र लोक में हमारे ही लाभ तथा सौभाग्य का कारण है। जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : एवं तुम अल्लाह और रसूल का अनुपालन करो ताकि तुम पर दया किया जाये। आले इमरान : 132
- हमारी यह आस्था है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का विरोध करने वाला कठोर दण्ड के योग्य है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : अतः जो उन के आदेशों का विरोध करते हैं उन्हें डरना चाहिये कहीं उन्हें कोई आपत्ति न आ ले अथवा उन्हें कठोर दण्ड न घेर ले। अननूर : 63

3 हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशानुसार ही अल्लाह की उपासना करें, इस संदर्भ में कुछ बातों पर आग्रह आवश्यक है।

- **नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण :** नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आप का मार्गदर्शन, आप का संपूर्ण जीवन, आप की कथनी करनी सभी हमारे जीवन के समस्त क्षेत्रों के लिये महान आदर्श हैं। दास उसी मात्रा में अपने रव से निकट होगा एवं स्वामी के यहाँ उस का पदस्थान ऊँचा होगा जिस मात्रा में वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज्ञापालन करे तथा आप के मार्गदर्शनानुसार चलेगा, अल्लाह का फ़र्मान है : हे नबी ! आप कह दीजिये : यदि तुम्हें अल्लाह से प्रेम है तो तुम मेरा अनुसरण करो अल्लाह भी तुम से प्रेम करने लगेगा एवं तुम्हारे पापों की क्षमा कर देगा एवं अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला अति कृपालु है। आले इमरान : 31
- **धर्म पूर्ण है :** अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना किसी कमी के धर्म प्रेषण का कार्य पूरा कर दिया है अतः किसी के लिये वैध नहीं कि वह किसी ऐसी उपासना का अविष्कार करे जिस की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अनुमति नहीं दी।

- **अल्लाह का धर्म विधान हर युग तथा हर स्थान के लिये उचित तथा पर्याप्त है :** अल्लाह की किताब तथा नबी की सुन्नत में प्रस्तुत धर्मदिश तथा विधान हर युग, हर समय तथा हर स्थान के लिये उचित एवं पर्याप्त है, इस लिये कि अल्लाह से अधिक मनुष्यों के हितों का ज्ञान किसी को नहीं उसी ने उन्हें जन्म दिया तथा अनस्तित्व से अस्तित्व में लाया।



> एकेश्वरवाद ही में हृदय शुद्धता तथा आत्मशांति का रहस्य छुपा है।

- सुन्नत की सहमति तथा अनुकूलता : उपासना की स्वीकृति के लिये नीय्यत तथा उद्देश्य में निःस्वार्थता के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों की अनुकूलता भी अनिवार्य है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : अतः जिसे अपने रब से भेंट की आशा हो उसे सत्कर्म करना चाहिये तथा अपने रब की उपासना में किसी और को साझीदार नहीं बनाना चाहिये । (अलकहफ़ : 110)

यहाँ (الصلوة) का अर्थई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अनुकूल

- धर्म में अविष्कार अवैध है : अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तथा आप की जीवनशैली से हट कर जिस किसी ने किसी कार्य अथवा उपासना का अविष्कार किया तथा उस के माध्यम से अल्लाह की उपासना करना चाही, उदाहरणस्वरूप किसी ने धार्मिक विधि से हट कर कोई नमाज़ गढ़ ली तो वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश विरोधी है, उस कार्य पर उसे पाप होगा एवं उस का कर्म उसी के गले पड़ जायेगा जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : अतः जो उन के आदेशों का विरोध करते हैं उन्हें डरना चाहिये कहीं उन्हें कोई आपत्ति न आ ले अथवा उन्हें कठोर दण्ड न घेर ले । अननूर : 63 एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : जो हमारे इस धर्म में कोई ऐसा अविष्कार करे जिस का हम ने आदेश नहीं दिया तो वह निरस्त है । अल बुख़ारी 2550, मुस्लिम 1718



इस्लाम जिस समय धर्म में अविष्कार, उपासना में ज़्यादती एवं रूप परिवर्तन को अवैध बताता है वह ऐसा इस कारण करता है ताकि धर्म बिगाड़ एवं परिवर्तन से सुभ रक्षित रहे एवं लोगों की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं का निशाना न बन जाये साथ ही इस्लाम मानव बुद्धि को नई खोज, नई सोच, तथा जीवन के प्रत्येक कोणों से संबन्धित संसार के गुप्त रहस्यों से पर्दा उठाने पर उभारता है जिस से मानवजाति की सेवा हो तथा उन का वर्तमान तथा भविष्य उज्ज्वल एवं उन्नतिशील हो ।

अल्लाह पर ईमान का अर्थ :

अल्लाह की उपस्थिति का दृढ़ विश्वास एवं उस के ईश्वरत्व, प्रतिपालन एवं उस के नामों तथा गुणों की स्वीकृति ।

इन विषयों पर हम आगे इस प्रकार चर्चा करेंगे :

1 अल्लाह के अस्तित्व पर ईमान :

अल्लाह की प्रकृति :

अल्लाह के अस्तित्व की स्वीकृति मनुष्य में एक प्राकृतिक बात है जहाँ व्यर्थ तर्क वितर्क एवं प्रमाण परस्तुति की आवश्यकता नहीं, यही कारण है कि विभिन्न धर्म एवं जाति के अधिकांश लोग अल्लाह के अस्तित्व को जानते मानते हैं ।

हम अपने हृदय के अंतरिम भाग से अनुभूत करते हैं कि वह उपस्थित है, हम कष्ट तथा विपदाओं में उसी का शरण लेते हैं, ऐसा हमारे विश्वस्त प्रकृति तथा धार्मिक विचार के कारण है जिसे अल्लाह ने प्रत्येक मनुष्य में रच दिया है, यद्यपि कुछ लोगों ने इसे कुचलने तथा इस से असावधान होने का परिश्रम किया है ।

हम सुनते तथा देखते हैं कि पुकारने वालों की प्रार्थना स्वीकार होती है, मांगने वालों को मिलता है, संकट में पड़े लोगों की सहायता होती है जो स्पष्ट प्रमाण है कि अल्लाह का अस्तित्व है ।

अल्लाह के अस्तित्व का प्रमाण इस से कहीं अधिक है कि उसे ब्यान किया जाये अथवा गणना की जाये, उन्हीं में कुछ यह है :

- प्रत्येक मनुष्य को इस बात का ज्ञान है कि कोई भी घटनाशील वस्तु किसी न किसी के माध्यम ही से प्रकट होती है, एवं हम यह जो असंख्य सृष्टि को हर समय अपनी आंखों से देखते रहते हैं इन का कोई न कोई रचयिता एवं जन्मदात अवश्य है वही अल्लाह है इस लिये कि असंभव है कि सृष्टि हो एवं स्रष्टा न हो, इसी प्रकार यह संभव नहीं कि यह स्वयं पैदा होगई हों ।



विचार करने वालों के लिये मनुष्य स्वयं अल्लाह की उपस्थिति का परम प्रमाण है, इस लिये कि अल्लाह ने उसे बुद्धि उपहार की है, अनुभव वशक्ति तथा सुन्दर एवं पूर्ण रचना का प्रतीक बनाया है । जैसा कि उस का फ़र्मान है : और धरती में विश्वास करनेवालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं, एवं स्वयं तुम्हारी आत्माओं में, क्या तुम देखते नहीं ।

(अज्ज़ारियात : 20-21)

इस लिये कि कोई वस्तु स्वयं अपनी रचना नहीं कर सकती। जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : क्या उन्हें किसी और माध्यम से बनाया गया है अथवा स्वयं वही जन्म देने वाले हैं। अतूर :35 आयत का अर्थ यह है कि वह बिना जन्मदाता के नहीं पैदा हुये न ही उन्होंने ने स्वयं अपने आप को जन्म दिया है। जिस से निश्चित हुआ कि उन वास्तविक जन्मदाता अल्लाह ही है।

- धर्ती, आकाश, तारों तथा वृक्षों के साथ इस ब्रम्हाण्ड का यह सुदृढ़ एवं सुन्दर प्रबन्ध इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस जगत का रचयिता एकमात्र है एवं वह सर्वमहान अल्लाह है : यह उस अल्लाह की रचना है जिस ने प्रत्येक वस्तु को सुदृढ़ बनाया। (अन्नमल : 88)

यह ग्रह तथा नक्षत्र बिना किसी बाधा के एक संगठित शैली में चक्कर लगा रहे, प्रत्येक ग्रह बिना सीमा पार किये अपनी अपनी ध्रुव में घूम रहा है।

अल्लाह फ़र्माता है : सूर्य के लिये संभव नहीं कि वह चाँद को पाले, न ही दिन रात से पहले आसकता है एवं हरेक अपनी ध्रुव में तैर रहा है (यासीन : 40)

2 अल्लाह के प्रतिपालन पर ईमान :

अल्लाह के प्रतिपालन पर ईमान का अर्थ :

इस बात की स्वीकृति एवं दृढ़ विश्वास कि अल्लाह ही हर वस्तु का स्वामी, जन्मदाता तथा अन्नदाता है, वही मारने जिलाने वाला तथा लाभ हानि पहुंचाने वाला है जिस के अधिकार ही में निर्णय शक्ति है तथा जिस के हाथ हर प्रकार की भलाई है एवं वह हर वस्तु पर प्रभुत्वशाली है, इस में उस का कोई साझी नहीं



अर्थ यह कि अल्लाह के विशेष कार्यों में उसे अकेला मानना तथा यह आस्था रखना :

कि जगत की हर वस्तु को केवल अल्लाह ने जन्म दिया है, उस के अतिरिक्त किसी और में यह शक्ति नहीं, जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : अल्लाह ही हर वस्तु का स्रष्टा है । (अज़्जुमर : 62)

रही बात मनुष्य के रचना की तो मात्र रूपांतर तथा आकार परिवर्तन है अथवा यह कहा जाये कि विभिन्न वस्तुओं का संग्रह एवं मिश्रण है वह वास्तविक जन्म प्रकृया नहीं, न ही अनस्तित्व से अस्तित्व में लाना है, न ही मृत्योपरान्त पुनर्जन्म देना है ।

यह आस्था भी कि वह संपूर्ण सृष्टि को जीविका प्रदान करने वाला है, उस के अतिरिक्त को और अन्नदाता नहीं जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : धर्ती पर जितने जीवधारी हैं सब की जीविका की उपलब्धि अल्लाह पर है । हूद : 6

यह विश्वास भी कि वही हर वस्तु का स्वामी है, वास्तव में उस के अतिरिक्त कोई और स्वामी नहीं जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : धर्ती आकाश तथा उन में जो कुछ है सब की बादशाहत केवल अल्लाह के लिये है । अल मायदह : 120

एवं वही हर वस्तु का उपाय ढूंढता है, उस के अतिरिक्त कोई और प्रबन्धक नहीं जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : वह आकाश से धर्ती पर सारा प्रबन्ध करता है । अस्सजदह : 5

रहा मनुष्य के अपने कर्मों का उपाय एवं जीवन प्रबन्ध तो वह सब उस के अपनों तक तथा शक्ति भर सीमित है, उस की नीतियाँ सफल भी हो सकती हैं तथा असफल भी, किन्तु स्रष्टा का प्रबन्ध सशक्त है उस से कोई अलग नहीं हो सकता, उसे लागू होना है, न उसे कोई रोक सकता है न विरोध कर सकता है जैसा कि अल्लाह फ़र्माता है : सावधान सृष्टि भी उसी की तथा आदेश भी उसी का, वह बड़ी सम्पन्नता वाला सर्वलोक का स्वामी है । अल आराफ : 54



धर्ती पर पाये जाने वाले प्रत्येक जीव की जीविका अल्लाह के पास है । हूद : 6

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युग में अरब के नास्तिक अल्लाह को अपना प्रतिपालक मानते थे :

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युग में अरब के नास्तिकों ने यह स्वीकार किया था कि अल्लाह ही स्रष्टा, स्वामी तथा नीतिज्ञ एवं प्रबन्धक है परन्तु इस स्वीकृति से वह मुसलमान नहीं हुये जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : यदि आप उन से यह प्रश्न करें कि आकाश धर्ती को किस ने जन्म दिया तो वह तुरंत यही कहेंगे कि अल्लाह ने । लुकमान : 25

इस लिये कि जिस ने यह स्वीकार किया कि अल्लाह सर्वलोक का स्वामी अर्थात् उन का जन्मदाता, उन का स्वामी, अपनी कृपा से उन का प्रतिपालक है उस के लिये अनिवार्य है कि वह केवल अल्लाह ही की उपासना करे, मात्र उसी के लिये समस्त उपासना कार्य करे जो अकेला है एवं उस का कोई समकक्ष नहीं ।

यह बात बुद्धि ही में नहीं आती कि मनुष्य यह स्वीकार करे कि अल्लाह ही हर वस्तु का जन्मदाता है, वही संसार को चलाने वाला, मारने जिलाने वाला है फिर उपासना किसी अन्य की करे, यही तो निकृष्टतम अत्याचार तथा महा पाप है । यही कारण है कि हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र को उपदेश देते हुये फर्माया : हे मेरे पुत्र अल्लाह के साथ किसी को साझीदार नहीं बनाना, इस लिये कि शिर्क महा अत्याचार है । (लुकमान : 13)

एवं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया कि अल्लाह के निकट सर्वमहान पाप क्या है ? तो आप ने उत्तर दिया : तुम उस अल्लाह के साथ साझीदार बनाओ जिस ने तुम्हें जन्म दिया । (अल बुखारी 4207, मुस्लिम 86)

अल्लाह के प्रतिपालन पर विश्वास से ह्रिदय को शांति मिलती है :

यदि मनुष्य को दृढ़ विश्वास हो कि सृष्टि में से कोई अल्लाह के अधिकार से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि अल्लाह ही उन का वास्तविक स्वामी है जो अपने ज्ञानानुसार उन्हें जैसा चाहता है प्रयोग में लाता है । वह उन

सब का जन्मदाता है, अल्लाह के अतिरिक्त सभी निर्धन कंगाल, अपने स्रष्टा के आश्रित हैं, सभी अधिकार अल्लाह के हाथ में हैं, उस के अतिरिक्त कोई और स्रष्टा नहीं, वही अकेला इस संसार को चलाने वाला है, उस की अनुमति बिना कण मात्र न हिल सकता है न शांत हो सकता है : इन बातों पर विश्वास से उस के ह्रिदय में मात्र अल्लाह से संबन्ध स्थापित करने की लालसा उत्पन्न होगी, वह उसी का आश्रित होगा, अपने जीवन के समस्त कार्यों में वह उसी पर निर्भर होगा । जीवन के उलटफेर में वह पूर्ण साहस, विश्वास एवं शांति से आगे बढ़ेगा । इस लिये कि जब उस ने अपने जीवन में उद्देश्य प्राप्ति के सारे साधन अपना लिये तथा इस विषय में अल्लाह से खूब प्रार्थना भी की तो उस ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, ऐसे में दूसरों के हाथ की संपत्ति की दिशा उस का दिल नहीं मचलेगा क्योंकि कि उसे पता है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है । वह जिसे चाहता है पैदा करता है एवं जिसे चाहता है चुन लेता है ।



> अल्लाह के प्रतिपालन पर विश्वास से ह्रिदय को शांति मिलती है

3 अल्लाह के ईश्वरत्व पर ईमान

अल्लाह के ईश्वरत्व पर ईमान का अर्थ :

इस बात पर दृढ़ विश्वास कि मात्र अल्लाह ही हर प्रकार की स्पष्ट एवं छुपी उपासनाओं का अधिकार रखता है, अतः समस्त उपासनायें केवल हम अल्लाह ही के लिये करते हैं जैसे कि दुआ प्रार्थना, भय भरोसा, सहायता की मांग, सलात, ज़कात तथा रोज़ा आदि। ज्ञात हुआ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : एवं तुम्हारा उपास्य केवल एक ही उपास्य है उस के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं, वह अति दयालु महान कृपावान है। (अल बक्रह : 163)

यहाँ अल्लाह ने यह सूचना दी है कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं, अतः वैध नहीं कि उस के अतिरिक्त किसी और को उपास्य बनाया जाये तथा उसे छोड़ किसी अन्य की उपासना की जाये।



> अल्लाह को अकेला समझ कर उस की उपासना करना ही ला इलाह इल्लल्लाह के अर्थ की वास्तविकता है।

अल्लाह के ईश्वरत्व पर ईमान का महत्व

अल्लाह के ईश्वरत्व पर ईमान का महत्व विभिन्न दिशाओं में प्रकट होता है :

- 1 यही मानव तथा दानव का जन्मुद्देश्य है, उन्हें मात्र अल्लाह की उपासना ही के लिये जन्म दिया गया है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : हम ने मानव तथा दानव को केवल अपनी उपासना के लिये जन्म दिया है । (अज़्ज़ारियात : 56)
- 2 यही रसूलों के आगमन एवं प्रेषण तथा आकाशीय धर्म ग्रन्थों के अवतरण का कारण भी है । इस का मूल उद्देश्य यह है कि यह विश्वास हो के अल्लाह ही सत्य उपास्य है तथा उसे छोड़ कर जिन की भी उपासना हो रही है सब का इन्कार कर दिया जाये जैसा कि अल्लाह फ़र्माता है : हम ने प्रत्येक समुदाय एक रसूल को उपदेश देकर भेजा कि तुम अल्लाह की उपासना करो एवं अल्लाह के अतिरिक्त अन्य की पूजा से बचो । (अन्नहल : 36)
- 3 यही मनुष्य का प्रथम तथा परम कर्तव्य है जैसा कि यमन भेजते हुये मआज़ बिन जबल को अल्लाह के रसूल ने इसी की वसीयत की थी आप ने फ़र्माया था : तुम किताब वालों के एक समुदाय के पास जा रहे हो अतः तुम्हारा सर्वप्रथम उपदेश ला इलाह इल्लल्लाह का साक्ष्य होना चाहिये । अल बुख़ारी 1389, मुस्लिम 19

अर्थात् उन्हें इस बात का निमंत्रण देना कि वह समस्त प्रकार की उपासना केवल अल्लाह ही के लिये करें ।

- 4 ईश्वरत्व पर विश्वास ला इलाह इल्लल्लाह के अर्थ की वास्तविकता है, यहाँ इलाह उपास्य के अर्थ में, पता चला कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं अतः उसे छोड़ कर हमे किसी भी प्रकार की उपासना किसी और के लिये नहीं करना चाहिये ।
- 5 ईश्वरत्व पर ईमान अल्लाह के जन्मदाता, स्वामी तथा प्रतिपालन होने पर ईमान का तार्किक परिणाम है ।



› उपासना किसे कहते हैं

उपासना एक ऐसी संज्ञा है जो हर उस कथनी तथा करनी को सम्मिलित है जिस से अल्लाह प्रसन्न होता है एवं जिस का अल्लाह ने आदेश दिया है तथा लोगों को उस में रूचि दिलाई है चाहे सलात, ज़कात तथा हज्ज के समान स्पष्ट कार्य हों अथवा अल्लाह एवं रसूल से प्रेम, अल्लाह से भय तथा उस पर भरोसा एवं उस से सहायता मांगने जैसे गुप्त कार्य ।



› अर्चे उद्देश्य से किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उपासना मान्य है जिस पर मनुष्य को पुण्य होगा

जीवन के सभी क्षेत्रों में उपासना संभव :

यदि अल्लाह से निकट होने का संकल्प हो तो उपासना मोमिन के हर कर्म को शामिल है, इस्लाम में उपासना केवल प्रचलित सलात व सियाम ही तक सीमित नहीं है बल्कि अच्छे उद्देश्य एवं सही संकल्प से समस्त कार्य उपासना में परिवर्तित होजाते हैं जिन पर मोमिन को फल मिलता है अतः मोमिन यदि अल्लाह के आज्ञापालन की शक्ति प्राप्त करने के लिये खाता पीता तथा सोता जागता है तो उसे पुण्य होगा, यही कारण है कि मुसलमान पूरा जीवन अल्लाह ही के लिये जीता है । वह अल्लाह के आज्ञापालन की शक्ति पाने के

लिये खाता है, इस उद्देश्य से उस का खाना उपासना है, वह इस कारण विवाह करता है ताकि वह संयमी बन सके तो उस का विवाह भी उपासना है, इसी प्रकार सद् उद्देश्य से उस का व्यापार, उस की नौकरी, धन की कमाई सभी उपासना बन जायेंगी, शिक्षा ग्रहण करना, उस की खोज, उस का अनुसंधान एवं अविष्कार सभी उपासना हैं । महिला का अपने पति तथा संतान एवं घरबार की देखभाल करना उपासना है, इसी प्रकार संपूर्ण जीवन क्षेत्रों से जुड़े लाभप्रद कार्य यदि सद् उद्देश्य एवं सही संकल्प से किये जायें तो सब पर उपासना का फल मिलेगा ।

उपासना ही सृष्टि का जन्मुद्देश्य है :

अल्लाह फर्माता है : हम ने मानव तथा दानव को मात्र अपनी उपासना के लिये जन्म दिया है, मैं उन से जीविका नहीं चाहता न ही यह चाहता हूँ कि वह मुझे खाना खिलायें, निःसंदेह अल्लाह ही जीविका प्रदान करने वाला, सर्वशक्तिमान है । (अज़्ज़ारियात : 56-58)

यहाँ इस आयत में अल्लाह ने यह सूचना दी है कि मानव तथा दानव का जन्मुद्देश्य अल्लाह की उपासना करना है जब कि अल्लाह उन की उपासना से बेनियाज़ (निस्पृह) है बल्कि वही अल्लाह के समक्ष अपनी दरिद्रता के कारण उनकी उपासना के आश्रित हैं ।

एवं जब मनुष्य उस उद्देश्य से असावधान हो कर संसार के आनन्द में खो जाता है एवं उसे यह भी याद नहीं होता कि उस का जन्मुद्देश्य क्या है, तो उस में तथा पृथ्वी के अन्य सृष्टि में कोई अन्तर नहीं रह जाता । पशु भी खाता एवं आनन्द लेता है परन्तु मनुष्य के विपरीत प्रलोक में उस का हिसाब किताब नहीं होगा, अल्लाह का फर्मान है : जिन्होंने ने इन्कार किया वह जानवरों के समान खाते तथा आनन्द लेते हैं जब कि नर्क उन का ठिकाना है । (मुहम्मद : 12) ज्ञात हुआ कि वह उद्देश्य तथा कर्म दोनों ही में पशु समान हैं अन्तर यह है कि बुद्धि के कारण उन्हें दण्डित किया जायेगा जब कि बुद्धि न होने के कारण पशु दण्ड से सुरक्षित होंगे ।

उपासना के आधार :

अल्लाह के आदेशानुसार उपासना के दो महत्वपूर्ण आधार हैं :

प्रथम : अल्लाह से अनन्त भय तथा विनय

द्वितीय : अल्लाह से अथाह प्रेम ।

अतः अल्लाह ने अपने दासों पर जो उपासना निश्चित की है उस में अल्लाह के लिये अनन्त विनय, नम्रता तथा भय होना आवश्यक है साथ ही असीमित एवं अथाह प्रेम, आशा तथा आश्रय भी अति आवश्यक है ।

इस आधार पर जिस प्रेम के संग भय तथा विनय न हो उपासना नहीं कहलायेगी जैसे खाना तथा धन संपत्ति का प्रेम, इसी प्रकार बिना प्रेम भय भी उपासना न होगी जैसे दरिन्दों एवं अत्याचारी हाकिमों का भय । यदि भय तथा प्रेम किसी कार्य में एकत्रित होजायें तो उपासना कहा जाता है, एवं उपासना केवल अल्लाह ही के लिये वैध है ।

उपासना की शर्तें :

उपासना के सही तथा स्वीकृत होने की दो शर्तें हैं :

1

एकमात्र अल्लाह के लिये उपासना में निःस्वार्थता

2

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अनुकूल होना ।

जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : अवश्य जिस ने अपना चेहरा अल्लाह के लिये समर्पित कर दिया एवं वह उपाकारी भी है तो उस का फल अल्लाह के यहाँ सुरक्षित है एवं उन पर न तो कोई भय होगा न ही वह शोकग्रस्त होंगे ।

अल्लाह को अपना चेहरा समर्पित करने का अर्थ यह है कि उस ने एकेश्वरवाद को पा कर निःस्वार्थ होकर केवल अल्लाह की उपासना की ।

उपकारी होने का अर्थ यह है कि वह अल्लाह के विधान तथा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का अनुसरण करने वाला है ।

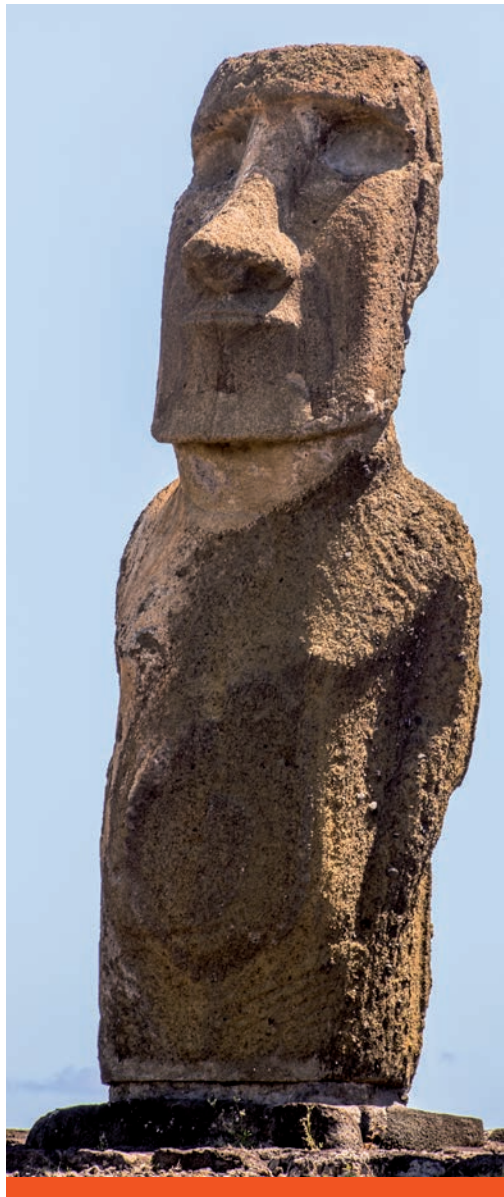
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की अनुकूलता एवं सहमति केवल सलात व सियाम तथा अल्लाह के ज़िक्र जैसी विशिष्ट उपासनाओं के लिये आवश्यक है, इन के अतिरिक्त वह व्यवहार तथा कार्य जो उपासना के साधारण अर्थ में शामिल हैं, जिन्हें पुण्य हेतु अच्छे उद्देश्य से करता है, जैसे कि अल्लाह की उपासना शक्ति प्राप्त करने के लिये वर्जिश करना, अपनी पत्नी तथा संतान पर खर्च करने के लिये व्यापार करना, इस प्रकार की उपासनाओं में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की अनुकूलता अनिवार्य नहीं, इस स्थिति में केवल विरोध तथा अवैध कार्यों से बचना है ।



> उपासना के प्रयाप्त होने के लिये अल्लाह के लिये निःस्वार्थता एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण आवश्यक शर्त है

- अनेकेश्वरवाद अल्लाह के ईश्वरत्व को खण्डित करता है, जहाँ मात्र अल्लाह के ईश्वरत्व पर ईमान एवं केवल उसी की उपासना अराधना महत्वपूर्ण तथा महान कर्तव्य है वहीं अल्लाह के निकट अनेकेश्वरवाद महा पाप है। यही एक मात्र पाप है जिसे अल्लाह बिना तोबा क्षमा नहीं करेगा जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : अल्लाह अनेकेश्वरवाद को कदापि क्षमा नहीं करेगा, इस के अतिरिक्त जिन के लिये चाहे सभी पाप क्षमा कर सकता है। (अन्निसा : 48) एवं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया कि अल्लाह के निकट महा पाप क्या है तो आप ने उत्तर दिया कि यह जानते हुये अल्लाह के साथ किसी को साझी बनाओ कि उसी ने तम्हें जन्म दिया है। (अल बुखारी 4207 मुस्लि 86)
- अनेकेश्वरवाद सद्कार्यों को नष्ट कर देता है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : यदि उन्होंने ने शिर्क किया तो उन के समस्त सद्कार्य नष्ट होजायेंगे। (अल अनआम : 88)

शिर्क करने वाला सदैव के लिये नर्क में झोंक दिया जायेगा। जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : निःसंदेह अल्लाह ने शिर्क करने वाले पर स्वर्ग को हराम कर दिया है एवं उस का निवास नर्क है। (अल मायदह : 72)



शिरक दो प्रकार के हैं : बड़ा शिरक तथा छोटा शिरक

1

बड़ा शिरक यह है कि कोई अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना अराधना करे अतः जिस काम तथा बात से अल्लाह प्रसन्न होता है उसे अल्लाह के लिये करना एकेश्वरवाद तथा ईमान है एवं उसी को किसी और के लिये करना अनेकेश्वरवाद एवं नास्तिकता है।

इस शिरक का उदाहरण : अल्लाह को छोड़ कर किसी और से दुआ प्रार्थना करना तथा रोग से छुटकारा मांगना, जीविका में बढ़ोतरी का प्रश्न करना अथवा अल्लाह के अतिरिक्त किसी और पर भरोसा करना, उसे सिजदह करना।

अल्लाह का फर्मान है : एवं तुम्हारे रब ने कहा कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। (ग़ाफिर : 60)

एवं अल्लाह ने फर्माया : तुम अल्लाह ही पर भरोसा करो यदि तुम मोमिन हो। (अल मायदह : 23)

एवं अल्लाह ने यह भी फर्माया : अल्लाह ही के लिये सिजदह करो एवं उसी की उपासना करो। (अन्नज्म : 62)

अतः इन कार्यों को जिस ने अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के लिये किया वह मुशिरक व काफिर है।

2

छोटा शिरक : वह काम या बात जो बड़े शिरक तक पहुंचाने का साधन एवं उस में गिरने का मार्ग हो।

इस का उदाहरण : थोड़ा भी दिखावा, जैसे कि दिखावे के लिये कोई कभी कभार लम्बी नमाज़ पढ़े अथवा लोगों को सुना के प्रशंसा बटोरने के लिये कभी कभार खेरात अथवा ज़िक्क की आवाज़ ऊँची कर ले, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : मुझे तुम पर सर्वाधिक छोटे शिरक का भय है तो लोगों ने प्रश्न किया कि अल्लाह के रसूल यह छोटा शिरक क्या है तो आप ने उत्तर दिया : दिखावा। (अहमद 23630)

यदि मूल उपासना केवल लोगों को दिखाने के लिये कर रहा है, यदि लोगों को दिखाना न हो तो न तो नमाज़ पढ़े न ही रोज़ा रखे तो वास्तव में यह कपटाचारियों का कार्य है, एवं इसे महान शिरक कहते हैं जिस से मनुष्य इस्लाम के वृत्ति से बाहर हो जाता है।

क्या लोगों से प्रश्न करना तथा उन से मांगना शिरक है ?

इस्लाम मानव बुद्धि को अंधविश्वास तथा पाखण्ड से मुक्ति दिलाने के लिये आया है एवं स्वयं मनुष्य को भी अल्लाह के अतिरिक्त अन्य की दासता से स्वतंत्रता दिलाने के लिये आया है।

अतः किसी मृत्यु, जड़पदार्थ तथा निश्चल से प्रश्न करना एवं उन के समक्ष विनम्रता का प्रदर्शन करना वैध नहीं, ऐसा करना अनर्गल तथा शिरक है।

परन्तु किसी जीवित व्यक्ति से किसी ऐसी वस्तु का प्रश्न जो उस के अधिकार तथा वश में हो जैसे किसी की सहायता, डूबते को बचाना अथवा किसी के लिये अल्लाह से प्रार्थना करना तो यह वैध है।

क्या किसी जड़पदार्थ तथा मृतक से कुछ मांगना शिर्क है ?

हां

नहीं

यह इस्लाम तथा ईमान के विरुद्ध शिर्क है, इस लिये कि जड़पदार्थ तथा मृतक न तो किसी का प्रश्न सुन सकते हैं न ही उत्तर दे सकते हैं। एवं दुआ प्रार्थना एक उपासना है, जिसे अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की दिशा फेरना शिर्क है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन के समय अरब के लोगों का शिर्क यही था कि वह जड़पदार्थों तथा मृतकों को पुकारते थे ।

किसी ऐसे जीवित व्यक्ति से जो आप की बात तथा आप की पुकार सुनता हो दुआ प्रार्थना करते समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि क्या वह आप की सहायता कर सकता है, आप की मांग पूरी कर सकता है, उदाहरणस्वरूप आप उस से उन वस्तुओं में सहायता मांगें जो उस के वश तथा अधिकार में हों ?

हां

नहीं

यह एक वैध प्रश्न है, इस में कोई हानि नहीं यह जन जीवन के पारस्परिक संबंध का एक भाग तथा उन के दैनिक व्यवहार का वैधानिक प्रदर्शन है ।

किसी जीवित व्यक्ति से ऐसी वस्तु मांगना जो उस के वश एवं अधिकार में न हो, जैसे कोई बाँझ, किसी जीवित व्यक्ति से सदाचारी संतान मांगे तो यह इस्लाम के विरुद्ध एक महान शिर्क है, इस लिये कि इस में अल्लाह को छोड़ अन्य को पुकारना है ।

> किसी जीवित व्यक्ति से उस के वश में रहने वाली किसी चीज़ का प्रश्न जन जीवन के पारस्परिक संबंध की एक प्रकृया तथा उन के दैनिक व्यवहार का वैधानिक प्रदर्शन है ।

› अल्लाह के दिव्य नामों तथा विशेष गुणों पर ईमान

अल्लाह ने अपनी पवित्र पुस्तक में या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में अपने लिये जो नाम एवं विशेष गुण सिद्ध एवं प्रमाणित किये हैं उन पर उस प्रकार ईमान लाना जो उस की महानता के योग्य हों।

ज्ञात हुआ कि अल्लाह के अति सुंदर नाम तथा सर्वसंपूर्ण गुण हैं, उस के नामों तथा विशेषताओं में उस का कोई अनुरूप नहीं जैसा कि अल्लाह फ़र्माता है : उस जैसा कोई नहीं एवं वह अति सुनने वाला अत्याधिक देखने वाला है। (अश्शूरा : 11) पता चला कि अल्लाह संपूर्ण नामों तथा विशेषताओं में अपनी सृष्टि में किसी की समानता से पवित्र है।

सर्वमहान अल्लाह के कुछ नाम :

अल्लाह फ़र्माता है : अर्रहमानिर्रहीम । (अलफातिह : 3) अर्थात् अति दयावान एवं महा कृपालू ।

एवं अल्लाह ने फ़र्माया : एवं वह समीअ व बसीर है। (अश्शूरा : 11) अर्थात् अति सुनने वाला अत्याधिक देखने वाला है।

तथा अल्लाह फ़र्माता है : एवं वह अज़ीज़ व हकीम है। अर्थात् सर्वशक्तिमान एवं महा बुद्धिमान है। (लुक़्मान : 9)

तथा अल्लाह ने फ़र्माया : अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं वह जीवित तथा विश्वधर है। (अलवक्करह : 255)

तथा अल्लाह ने फ़र्माया : समस्त प्रकार की प्रशंशा सर्वलोक के स्वामी के लिये है। (अलफातिहा : 2)



अल्लाह के नामों तथा विशेष गुणों पर ईमान का फल :

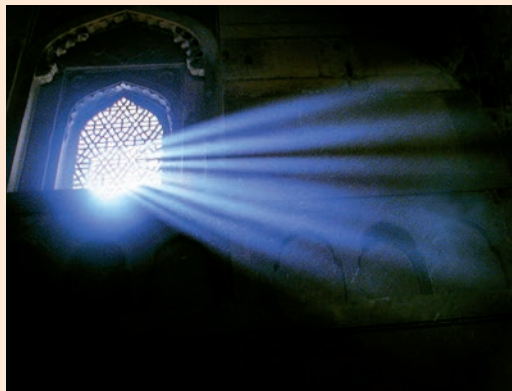
- 1 अल्लाह की परिचय प्राप्ति, अतः जो अल्लाह के नामों तथा विशेष गुणों पर ईमान लाया उसे अल्लाह का अधिक परिचय प्राप्त हुआ एवं अल्लाह पर उस का ईमान उस के विश्वास में वृद्धि एवं एकेश्वरवाद में शक्ति का कारण बना जो अल्लाह के नामों तथा विशेष गुणों से परिचित होगया उस का यह अधिकार बनता है कि उस का हृदय अल्लाह की महानता, उस के प्रेम एवं उस के लिये विनम्रता से भर जाये ।
- 2 अल्लाह के सुन्दर नामों के माध्यम से उस की प्रशंसा, यह अल्लाह को याद करने की सर्वोत्तम विधि है, अल्लाह फ़र्माता है : हे ईमान वालो ! अल्लाह को अधिकाधिक याद करो । : (अल अहज़ाब : 41)
- 3 अल्लाह के नाम एवं उस के विशेष गुणों से उसे पुकारना तथा प्रार्थना करना, जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : अल्लाह के अति सुन्दर नाम है, उन्हीं के माध्यम से तुम उसे पुकारो । अल आराफ़ : 180 उदाहरणस्वरूप यह कहे : हे रज़्ज़ाक़ मुझे जीविका दे, हे तौबा स्वीकार करने वाले मेरी तौबा स्वीकार कर, हे कृपालु मुझ पर दया कर ।

ईमान की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी :

ईमान की कई श्रेणियाँ हैं, मुसलमान जिस मात्रा में असावधान तथा नाफरमान होगा उसी मात्रा में उस की ईमानहानि होगी एवं जिस मात्रा में उस के आज्ञापालन, उपासना एवं ईश्वर में वृद्धि होगी उसी मात्रा में उस का ईमान बढ़ेगा ।

ईमान की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी एहसान है, जिस की परिभाषा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह की है : तुम अल्लाह की उपासना इस प्रकार करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो, यदि तुम उसे नहीं देख रहे हो तो वह तुम्हें देख रहा है । (अल बुख़ारी 50, मुस्लिम 8)

अतः उठते बैठते, सोते जागते, गंभीरता एवं हास्य, सदैव यह बात याद रखिये कि अल्लाह आप से सूचित है तथा आप को देख रहा है अतः यह जानते हुये कि वह आप को देख रहा आप उस की अवज्ञापालन न कीजिये, यह जानते हुये कि वह आप के साथ है आप अपने ऊपर भय तथा निराशा नियुक्त मत कीजिये । जब आप उसे अपनी प्रार्थनाओं तथा विनितियों में पुकारते हैं तो आप उन्माद एवं हताशा के शिकार कैसे हो सकते हैं । आप पाप का साहस कैसे जुटाते हैं जब कि वह आप के गुप्प स्पष्ट सभी भेद जानता है । जब आप का पांव फिसल जाये, आप से गलती हो जाये तो तुरंत आप अपने प्रतिपालक के पास लौट आइये, तौबा कीजिये, उस से अपने पापों से क्षमा मांगिये वह अवश्य आप की तौबा स्वीकार कर लेगा ।





अल्लाह पर ईमान का फल :

- 1 अल्लाह मोमिनों से समस्त आपत्तियों तथा अप्रिय घटनाओं को दूर कर उन्हें कठिनाइयों से मुक्ति दे देता है, उन्हें शत्रुओं के षणयंत्र से सुरक्षित रखता है जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : अल्लाह मोमिनों की सुरक्षा करता है । (अल हज्ज : 38)
- 2 ईमान सुशील जीवन, सौभाग्य तथा आनन्द का कारण है, अल्लाह फर्माता है : स्त्री पुरुष में से जो भी सत्कार्य करेगा एवं वह मोमिन भी होगा तो हम उसे अति स्वच्छ तथा पावन जीवन प्रदान करेंगे । (अन्नहल : 97)
- 3 ईमान आत्मा को अनर्गल तथा अंधविश्वास से पवित्र करता है । अतः जो वास्तविक रूप से अल्लाह पर ईमान लाता है तो वह अपना सब कुछ मात्र अल्लाह से जोड़ लेता है, क्यों कि वही सर्वलोक का स्वामी है एवं वही सत्य उपास्य है उस के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं, अतः वह किसी सृष्टि से भय न खाये न ही किसी से अपना हृदय जोड़े इस प्रकार वह भ्रम, अंधविश्वास तथा अनर्गल से मुक्त हो जायेगा ।
- 4 ईमान के सर्वमहान लक्षण : अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्ति, स्वर्ग प्रवेश, वैकुण्ठ की स्थायी सफलता एवं संपूर्ण कृपा दया ।

➤ पार्षदों पर ईमान

पार्षदों पर ईमान का अर्थ :

पार्षदों के अस्तित्व पर दृढ़ विश्वास तथा इस बात का पक्का यकीन कि वह मानव तथा दानव लोक के अतिरिक्त अदृष्ट लोक हैं, वह अत्याधिक सदाचारी तथा पवित्र सृष्टि हैं, वह अल्लाह की शक्ति एवं सकत भर उपासना करते हैं, वह अल्लाह के आदेशों का पालन करते हैं, वह कदापि उस की अवज्ञापालन नहीं करते।

जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : बल्कि वह सम्मानित दास हैं, वह उस से आगे बात नहीं करते, एवं वह उस के आदेशानुसार कार्य करते हैं। (अल अंबिया : 27-26)

उन पर ईमान, ईमान के 6 आधारों में से एक है, अल्लाह फ़र्माता है : रसूल अपने रब की तरफ से अवतरित आदेशों पर ईमान लाये तथा मोमिन भी, सभी अल्लाह, उस के पार्षदों, उस की पवित्र ग्रन्थों तथा उस के रसूलों पर ईमान लाये। (अल बकरह : 285)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के विषय में फ़र्माया : कि तुम अल्लाह पर, उस के पार्षदों, उस के ग्रन्थों, उस के

रसूलों एवं प्रलय दिवस पर ईमान लाओ तथा भाग्य के अच्छे तथा बुरे पर ईमान लाओ। (मुस्लिम : 8)

पार्षदों पर ईमान में क्या क्या सम्मिलित है ?

1

उन के अस्तित्व पर ईमान : हमारा इस विषय पर ईमान है कि वह अल्लाह की सृष्टि हैं, वास्तव में उन का स्थायी अस्तित्व है, उन्हें अल्लाह ने आलोक से जन्म दिया है एवं उन्हें मात्र अपनी उपासना तथा आज्ञापालन की प्रकृति देकर जन्म दिया है।

2

उन में जिन के नामों का हमें ज्ञान है, उन पर ईमान, तथा जिन के नामों से हम अवज्ञान हैं उन पर भी संक्षिप्त ईमान।

3

हमें उन की जिन विशेषताओं का ज्ञान है, उन पर ईमान, उन में से कुछ निम्नलिखित हैं :

- वह अदृश्य लोक के वासी हैं, जिन्हें अल्लाह की उपासना हेतु जन्म दिया गया है, उन में ईश्वरत्व एवं प्रतिपालन के कोई गुण नहीं बल्कि वह अल्लाह के ऐसे दास हैं जो अल्लाह की आज्ञापालन के लिये समर्पित हैं जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : वह अल्लाह के आदेशों के विपरीत कोई कार्य नहीं करते तथा उन्हें जो आदेश होता है उस का पालन करते हैं। (अत्तहरीम : 6)

- उन्हें आलोक से जन्म दिया गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : पार्षदों को आलोक से जन्म दिया गया है। (मुस्लिम : 2996)

- उन के पंख हैं, अल्लाह ने सूचना देते हुये बताया है कि उस ने पार्षदों के पंख बनाये हैं जिन की संख्या के विषय में उन में परस्पर अन्तर है। अल्लाह फ़र्माता है : समस्त प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिये है जो आकाश धर्ती का निर्माता है, जिस ने पार्षदों को अपना संदेशवाहक बनाया है, उन में कुछ दो पंख वाले, कुछ तीन पंख वाले एवं कुछ चार पंख वाले हैं, अल्लाह इच्छानुसार अपनी सृष्टि में वृद्धि करता है, निःसंदेह अल्लाह हर वस्तु पर प्रभुत्वशाली है। (फातिर : 1)

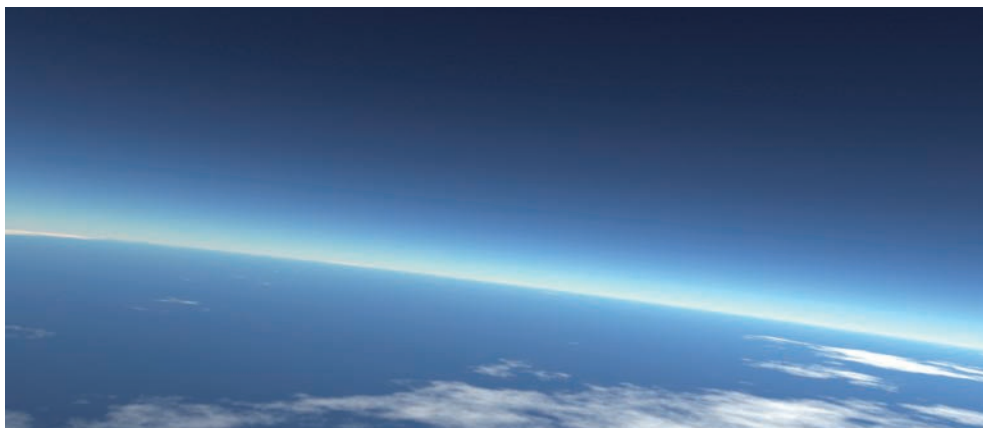
4 हमें उन के जिन कार्यों का ज्ञान है जिसे वह अल्लाह के आदेशानुसार कर्तव्य में लाते हैं उन पर ईमान, उन्हीं में से कुछ यह हैं :

- रसूलों के पास अल्लाह का संदेश पहुंचाने पर नियुक्त, वह जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं ।
- लोगों का प्राण निकालने पर नियुक्त, वह मलकुल मौत (यमदूत) तथा उन के सहयोगी पार्षद हैं ।
- दासों के कर्मों का लेखा जोखा तैय्यार करने वाले चाहे वह सत्कर्म हों अथवा दुष्कर्म, उन्हें किरामुन कातिबून अर्थात् पवित्र लेखकगण कहा जाता है ।

पार्षदों पर ईमान लाने का लाभ :

मोमिन के जीवन में पार्षदों पर ईमान लाने का बड़ा लाभ होता है, निम्न में हम उन में से कुछ का वर्णन कर रहे हैं :

- 1 अल्लाह की महानता, उस की शक्ति, उस के कौशल अधिकार का ज्ञान होता है, इस लिये कि सृष्टि की महानता स्रष्टा की महानता का प्रतीक है, इस से मोमिन में अल्लाह की महिमा तथा महानता के प्रति विश्वास बढ़ जाता है कि अल्लाह ने किस प्रकार अलोक से पंखों वाले पार्षद बनाये ।
- 2 अल्लाह की आज्ञापालन पर जमना, अतः जिसे विश्वास है कि पार्षद सभी कर्मों का लेखजोखा तैय्यार कर रहे हैं तो इस के ह्रिदह में अल्लाह का भय उत्पन्न होना अनिवार्य है तो वह अल्लाह की न तो खुल कर अवज्ञापालन करता है न ही छिप कर ।
- 3 अल्लाह के आज्ञापालन पर धैर्य एवं सहन एवं स्नेह शान्ति का अनुभव, जब मोमिन को यह विश्वास होता है कि इस विशाल जगत में उस के साथ हज़ारों पार्षद अति सुन्दर शैली में अल्लाह की उपासना अराधना में लगे हुये हैं ।
- 4 आदम की सनतान के साथ अल्लाह की अनुकम्पा का आभार कि अल्लाह ने ऐसे पार्षद भी बनाये हैं जो मनुष्य की सुरक्षा तथा सहयोग के लिये नियुक्त हैं ।



> अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सूचना दी है कि आकाश अपने निवासियों के बोझ से दबा हुआ है, वहाँ एक वालिशत भी कोई आकाश का भाग नहीं जहाँ कोई न कोई सीधा खड़ा, रुकू की स्थिति तथा सिजदे की अवस्था में न हो ।

> पवित्र ग्रन्थों पर ईमान

पवित्र ग्रन्थों पर ईमान का अर्थ :

इस बात पर दृढ़ विश्वास कि अल्लाह ने अपने दूतों के माध्यम से अपने दासों के लिये कुछ पवित्र ग्रन्थ अवतरित किये हैं। एवं यह ग्रन्थ ईशवाणी है, इन्हें अपनी महानता अनुसार अल्लाह ने बोला है। इन ग्रन्थों में लोगों के लोक प्रलोक के लिये सत्य, प्रकाश एवं पथदर्शन है।

पवित्र ग्रन्थों पर ईमान, ईमान के आधारों में से एक है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : हे ईमान वालो तुम अल्लाह, उस के रसूलों तथा उस ग्रन्थ पर जिसे अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारा है एवं उस ग्रन्थ पर जो अल्लाह ने इस से पूर्व उतारा है ईमान लाओ। (अन्निसा : 136)

यहाँ अल्लाह ने अपने आप पर, अपने रसूल तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी किताब कुर्आन पर ईमान लाने का आदेश दिया है, इसी प्रकार उस ने कुर्आन से



> दृढ़ता एवं पुष्टि की गंभीर कसौटी अनुसार कुर्आन करीम को लिखा जाता है।

पूर्व अवतरित पवित्र धर्म ग्रन्थों पर ईमान लाने का भी आदेश दिया है।

तथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के विषय में फ़र्माया : ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर, उस के पार्षदों, उस के ग्रन्थों, उस के रसूलों एवं प्रलय दिवस पर ईमान लाओ तथा भाग्य के अच्छे तथा बुरे पर ईमान लाओ। (मुस्लिम : 8)

दिव्य कुर्आन के विशेष गुण :

पवित्र ग्रन्थों पर ईमान में क्या क्या सम्मिलित है ?

- 1 इस बात पर ईमान कि वह वास्तव में अल्लाह के पास से उतरी है।
- 2 इस बात पर ईमान कि वह सत्य में ईशवाणी है।
- 3 अल्लाह ने जिन ग्रन्थों का नाम लिया है उन पर ईमान जैसे कि दिव्य कुर्आन जो हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, इन्जील जो ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी।
- 4 उस की सिद्ध सूचनाओं को सच मानना।

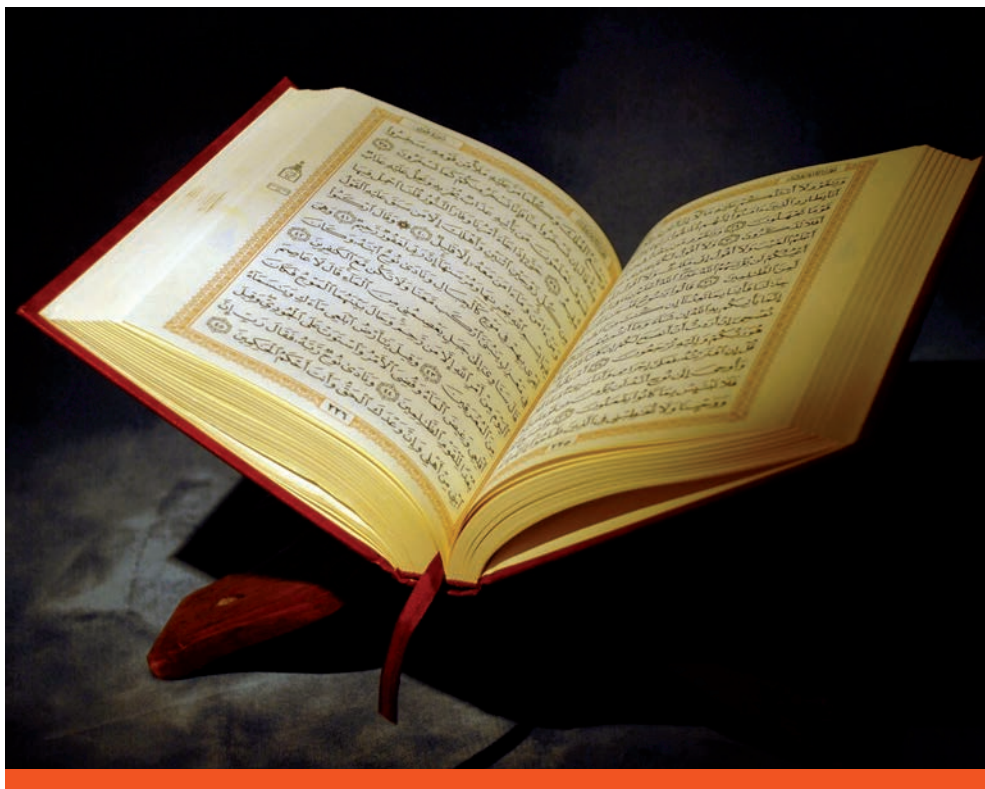
दिव्य कुर्आन ईशवाणी है जो हमारे सम्मानित एवं आदर्श नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है इसी कारण ईमान वाले इस ग्रन्थ का सम्मान करते हैं एवं उस के आदेशों तथा शिक्षाओं से जुड़ने, उसे पढ़ने एवं उस में मनन चिंतन की चेष्टा करते हैं।

हमारे लिये इतना ही प्रयाप्त है कि यह कुर्आन जगत में हमारा मार्गदर्शन तथा प्रलोक में हमारी सफलता का कारण है।

दिव्य कुर्आन के बहुत से गुण एवं अत्याधिक विशेषताएँ हैं जिन के कारण वह अन्य आकाशीय

धर्म ग्रन्थों से अलग है, उन्ही में से कुछ निम्नलिखित हैं :

- 1 दिव्य कुरआन में समस्त ईश्वरीय आदेशों का सारांश है साथ ही भूतपूर्व धर्म ग्रन्थों की इस आदेश की पुष्टि भी करता है कि मात्र अल्लाह ही की उपासना करना चाहिये ।
अल्लाह का फ़र्मान है : हम ने सत्य के साथ आप पर किताब उतारी है जो भूतपूर्व धर्म ग्रन्थों की पुष्टि करता है तथा उन पर अपना प्रभुत्व रखता है । (अल मायदह : 48)
भूतपूर्व धर्म ग्रन्थों की पुष्टि का अर्थ यह है कि कुरआन उन में आई सूचनाओं तथा आस्थाओं से सहमत है । उन पर प्रभुत्व का अर्थ यह है कि कुरआन पूर्व धर्म ग्रन्थों का रक्षक एवं साक्षी है ।
- 2 भाषा जाति से हट कर सभी पर इस से जुड़ना तथा इस की शिक्षा अनुसार कार्य करना अनिवार्य है समय तथा युग कोई भी हो, पूर्व धर्म ग्रन्थों के विपरीत जो सीमित समय तथा विशेष जातियों के लिये अवतरित हुई थीं, अल्लाह फ़र्माता है : एवं मुझ पर यह कुरआन इस लिये उतारा गया है ताकि तुम्हें एवं जिन तक यह पहुंचे उन्हें डराऊँ । (अल अन्आम : 19)
- 3 अल्लाह ने दिव्य कुरआन की रक्षा का दायित्व स्वयं लिया है अतः परिवर्तन करने वाले हाथ न तो उसे स्पर्श कर सके न ही भविष्य में उस तक पहुंच सकते हैं, अल्लाह का फ़र्मान है : हम ही ने कुरआन उतारा है एवं हम ही उस की रक्षा करने वाले हैं । (अल हिज्र : 9) अतः उस की समस्त सूचनायें सत्य हैं एवं उन को सच मानना अनिवार्य है ।



दिव्य कुर्आन की दिशा हमारा क्या कर्तव्य है ?

- हम पर कुर्आन प्रेम, उस का सम्मान आदर अनिवार्य है क्यों कि वह जन्मदाता का कलाम है, वह सर्वसत्य एवं सर्वोत्तम कलाम है ।
- हम पर उस का वाचन पाठ, उस की आयतों तथा सूूरतों में मनन चिंतन अनिवार्य है, हम कुर्आन के उपदेशों, उस की सूचनाओं तथा कथाओं पर विचार करें एवं उस पर अपना जीवन परस्तुत करें ताकि असत्य से सत्य को स्पष्ट कर सकें ।
- हम पर उस के आदेशों का पालन भी अनिवार्य है, उस के आदेशानुसार कर्म करना, उस की शिष्टता एवं जीवन शैली को अपनाना तथा उसे अपना जीवन मार्ग बनाना अनिवार्य है ।

एवं जब हज़रत आइशा रज़िअल्लाहु अन्हा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्यवहार तथा स्वभाव के विषय में प्रश्न किया गया तो आप ने उत्तर देते हुये कहा : आपका आचरण तथा स्वभाव कुर्आन था ।
(अहमद 24601, मुस्लिम 746)

इस हदीस का अर्थ यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने संपूर्ण जीवन तथा अपने समस्त कार्यों में कुर्आन के आदेशों तथा धार्मिक शिक्षाओं के व्यवहारिक आदर्श थे ।

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्आन के मार्गदर्श का भरपूर अनुसरण किया, वही हम में से हर एक के सुन्दर आदर्श हैं जैसा कि अल्लाह फ़र्माता है : तुम्हारे लिये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सर्वोत्तम आदर्श है उन के लिये अल्लाह एवं अन्तिम दिवस की आशा रखते हैं तथा जो अल्लाह को अधिकाधिक याद करते हैं । (अल अहज़ाब : 21)



> मुसलमान की यह आस्था है कि तौरात तथा इन्जील अल्लाह की तरफ से अवतरित हुई हैं किन्तु बाद के युग में इन में बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है जिस के कारण हम इन की उन्हीं बातों को सच मानते हैं जो कुर्आन व हदीस के अनुकूल हैं।

भूतपूर्व आकाशीय धर्म ग्रन्थों के विषय में हमारा दृष्टिकोण ?

मुसलमान की यह आस्था है कि तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अवतरित हुई एवं इन्जील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अवतरित हुई दोनों सत्य हैं, उन में उपदेश धर्मदेश, नसीहतें तथा ऐसे संदेश हैं जिन में लोगों के अर्थव्यवस्था एवं लोक प्रलोक से संबन्धित मार्गदर्शन तथा आलोक का भण्डार है।

परन्तु अल्लाह ने हमें कुर्आन में यह सूचना दी है कि आकाशीय धर्म ग्रन्थ वाले यहूदियों तथा ईसाइयों ने अपने अपने ग्रन्थों में परिवर्तन कर डाला, उस में कतर व्योत किया, कुछ वृद्धि की एवं कुछ कमी की, इस प्रकार वह अपने मूल रूप में बाकी न रही जैसा कि अल्लाह ने उन्हें उतारा था।

अतः इस समय लोगों के पास जो तौरात है, यह वह तौरात नहीं है जिसे मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा गया था, इस लिये कि यहूदियों ने इसे बदल डाला, उस के अधिकांश आदेशों से खिलवाड़ किया, अल्लाह फ़र्माता है : यहूदियों

में से कुछ ऐसे हैं जो वाक्यों को उन के स्थानों से बदल देते हैं। (अन्निसा : 46)

इसी प्रकार उपस्थित इन्जील वह इन्जील नहीं है जिसे ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारा गया, वास्तविकता यह है कि ईसाइयों ने इन्जील में परिवर्तन कर डाला, उस के बहुत सारे आदेशों में हेराफेरी की, अल्लाह तआला ईसाइयों के विषय में फ़र्माता है : उन्हीं में से एक दल ऐसा है जो किताब के माध्यम से अपनी ज़बान को लपेटता है ताकि तुम्हें उस के किताब होने का भ्रम हो जाये जब कि वह किताब का भाग नहीं है एवं वह कहते हैं कि वह अल्लाह के पास से है जब कि वह अल्लाह के पास से नहीं है, एवं वह जानते हुये भी अल्लाह पर झूट बोलते हैं। (आले इमरान : 78)

एवं कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम नसारा हैं, हम ने उन से वचन लिया था, फिर वह प्रवचन का एक बड़ा भाग भूल गये जिस के कारण हम ने प्रलय तक के लिये उन के मध्य शत्रुता तथा घृणा उत्पन्न कर दी एवं शीघ्र ही अल्लाह उन्हें बताये गया जो कुछ वह कर रहे हैं। (अल मायदह : 14)

इसी कारण पवित्र ग्रन्थ नामिक जो किताब आज यहूद व नसारा के पास है एवं तौरात व इन्जील पर आधारित है, उस में अधिकांश दुष्ट आस्थाएँ, निराधार सूचनाएँ तथा मिथ्या कथाएँ हैं एवं इस ग्रन्थ की हम उन्हीं सूचनाओं की पुष्टि कर सकते हैं जिस की पुष्टि स्वयं कुर्आन एवं सहीह हदीसों ने की है। साथ ही हम उसे झूट मानते हैं जिसे कुर्आन तथा सहीह हदीसों ने झूट माना है। शेष बातों पर हम मौन धारण करते हैं न हम उन की पुष्टि करते हैं एवं न हम उन्हें झूट मानते हैं।

इन सारी परिस्थितियों के बावजूद मुसलमान उन सभी आकाशीय धर्म ग्रन्थों का सम्मान करता है, न उन का अपमान करता है न ही उन्हें हीन समझता है, इस लिये कि अति संभव है कि इन में ईशवाणी का कुछ शेष भाग ऐसा हो जो परिवर्तन से सुरक्षित हो।



धर्म ग्रन्थों पर ईमान का फल तथा लाभ :

धर्म ग्रन्थों पर ईमान के बहुत से लाभ हैं निम्न में कुछ का वर्णन किया जा रहा है।

- 1 हमें इस बात का वास्तविक ज्ञान होता है कि अल्लाह अपने दासों पर किस सीमा तक दयावान है एवं उस की कृपा पूर्ण है, इसी कारण उस ने प्रत्येक समुदाय के लिये धर्म ग्रन्थ भेजा, जिस के माध्यम से अल्लाह उन्हें मार्गदर्शित करता है तथा लोक प्रलोक में उन के सौभाग्य की पूर्ति करता है।
- 2 अल्लाह के धर्म विधान की महानता एवं उस की शुद्ध नीति का ज्ञान होता है, इस लिये कि अल्लाह ने हर समुदाय एवं जाति की स्थिति अनुसार धर्म विधान का निर्माण किया है, जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : तुम में से प्रत्येक के लिये हम ने विधान तथा नीतियाँ बनाई हैं। (अल मायदह : 48)
- 3 इन धर्म ग्रन्थों के अवतरण पर अल्लाह का धन्यवाद व्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, इस लिये कि यह ग्रन्थ लोक प्रलोक के लिये पूर्णतः आलोक एवं मार्गदर्शन है जिस के कारण इन महान उपलब्धियों पर अल्लाह का धन्यवाद व्यक्त करना हमारा परम कर्तव्य है।

➤ ईशदूतों पर ईमान

ईशदौत्य की लोगों को आवश्कता :

लोगों के लिये एक ऐसे ईश्वरीय संदेश का होना अति अनिवार्य है जो उन के समक्ष धर्म विधान को स्पष्ट कर सके तथा उन्हें सत्य मार्ग की ओर मार्गदर्शित कर सके, वास्तव में ईशदौत्य लोकात्मा, उस का जीवन तथा उस का आलोक है। अतः संसार सुधार तथा निर्माण की कल्पना भी कैसे की जासकती यदि आत्मा जीवन तथा आलोक ही लुप्त हो जाये ?

यही कारण है कि अल्लाह ने अपने संदेश को आत्मा का नाम दिया है, यदि आत्मा ही न हो तो जीवन असंभव है, अल्लाह फर्माता है : एवं इसी प्रकार हम ने आप की दिशा अपने आदेश से आत्मा को भेजा, आप अनभिज्ञ थे कि किताव क्या है, एवं आप को यह भी पता न था कि ईमान क्या है परन्तु हम ने इसे आलोक बना दिया जिस के माध्यम से हम अपने दासों में से जिसे चाहते हैं मार्ग दिखाते हैं। (अश्शूरा : 52)

ऐसा इस कारण है कि यद्यपि साधारण रूप से बुद्धि को सत्य असत्य, सदाचार दुराचार का ज्ञान होता है किन्तु उस के लिये यह संभव नहीं कि वह उस का विस्तार जान सके, उपासना करना तथा उस की विधि का ज्ञान यह सब केवल धर्म संदेश तथा ईशवाणी के माध्यम ही से संभव है।

अतः लोक प्रलोक की सफलता तथा सौभ ग्य केवल ईशदूतों के हाथों ही प्राप्त हो सकती है, अच्छाई बुराई का विस्तारपूर्वक ज्ञान भी केवल उन्हीं के माध्यम से प्राप्त हो सकता है एवं जो ईशदूतों से अपना मुंह मोड़ ले तो जिस स्तर पर उस का विरोध होगा उसी स्तर पर उसे अशांति, दुख एवं दुर्भाग्य झेलना होगा।

ईमान के आधारों में से एक :

ईशदूतों पर ईमान, ईमान के छ आधारों में से एक है, अल्लाह का फर्मान है : ईशदूत एवं मोमिन प्रतिपालक की ओर से अवतरित वस्तुओं पर ईमान लाये, प्रत्येक अल्लाह पर, उस के पार्षदों पर, उस की पवित्र ग्रन्थों तथा ईशदूतों पर ईमान लाये, उन का कथन है कि हम उस के ईशदूतों के मध्य कोई अन्ते नहीं रखते। (अल बकरह : 285)



यह आयत स्पष्ट प्रमाण है कि बिना किसी अन्तर के समस्त ईशदूतों पर ईमान लाना अनिवार्य है, अतः हम यहूदियों तथा नसरानियों के समान कुछ पर ईमान लाते तथा कुछ का इनकार नहीं करते हैं।

एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान के विषय में यह फर्मान है : कि तुम अल्लाह, उस के पार्षदों, उस की पवित्र ग्रन्थों, उस के रसूलों, अन्तिम दिवस एवं भाग्य के अच्छे तथा बुरे होने पर ईमान लाओ। (श (मुस्लिम : 8)

ईशदूतों पर ईमान का अर्थ :

इस बात पर दृढ़ विश्वास कि अल्लाह ने प्रत्येक जाति एवं समुदाय में उन्हीं में से अपना एक दूत भेजा जो उन्हें केवल एक अल्लाह की उपासना की दिशा बुलाता था। इस बात का भी पक्का विश्वास हो कि समस्त रसूल सच्चाई के पात्र, ईशभय वाले, विश्वासनीय मार्गदर्शक हैं, उन्हीं ने धर्म प्रेषण का दायित्व निभा दिया, अल्लाह ने उन्हीं जो कुछ देकर भेजा था उसे लोगों तक पहुंचा दिया, उन्हीं ने न तो कोई चीज़ छिपाई न कुछ परिवर्तन किया, अपनी तरफ से उस में न एक अक्षर की वृद्धि की न ही कुछ घटाया जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : रसूलों का दायित्व तो केवल स्पष्टतः पहुंचा देना है। (अन्नहल : 35)

ईशदूतों पर ईमान में क्या क्या सम्मिलित हैं ?

1

इस बात पर ईमान कि उन को अल्लाह की तरफ से उन का भेजा जाना सही है एवं समस्त धर्मों ने मात्र एक अल्लाह की उपासना ही की दिशा बुलाया है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : एवं हम ने प्रत्येक समुदाय में एक दूत इस उपदेश के साथ भेजा कि तुम मात्र अल्लाह की उपासना करो तथा तागूत अर्थात् अल्लाह के अतिरिक्त अन्य की उपासना से बचो। (अन्नहल : 36)

वैध अवैध के संबन्ध में परिस्थिति अनुसार नबियों के विभिन्न संविधानों में मतभेद होसकता है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : हम ने तुम में से प्रत्येक के लिये धर्म विधान तथा मार्गों का चयन कर दिया है। (अल मायदह : 48)

2

समस्त नबियों तथा रसूलों पर ईमान : अतः जिन नबियों के नाम अल्लाह ने गिनाये हैं जैसे कि मोहम्मद, इब्राहीम, मूसा, ईसा, नूह अलैहिमुस्सलाम आदि : किन्तु उन में से जिन के नामों का हमें ज्ञान नहीं, उन पर संक्षेप में ईमान लाते हैं। हमारी यह आस्था है कि जो उन में किसी एक का भी इन्कार करे तो गोया उस ने सभी का इन्कार किया।

3

ईशदूतों की जो सूचनायें तथा चमत्कार कुर्आन व सुन्नत से प्रमाणित हैं उन की पुष्टि करना जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिये वीच समुद्र मार्ग बन जाना आदि।

4

जिस ईशदूत को हमारे पास भेजा गया है उस के धर्म विधान अनुसार कार्य करना एवं वह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो सर्वोच्च तथा सर्वोत्तम हैं।



ईशदूतों के गुण एवं उन की विशेषतायें :

- 1 वह सब मनुष्य थे, उन में तथा अन्य लोगों में केवल इतना अन्तर था कि उन के पास अल्लाह का संदेश आता था, उन्हें अल्लाह ने अपनी ईशदौत्य के लिये विशिष्ट कर लिया था। अल्लाह का फ़र्मान है : हम ने आप से पूर्व जितने भी दूत भेजे सभी पुरूष थे, हम उनके पास अपना संदेश भेजते थे। (अल अंबिया : 7)
 ज्ञात हुआ कि उन के पास स्वामित्व एवं ईश्वरत्व की कोई विशेषता तथा कोई गुण नहीं। परन्तु वह ऐसे मनुष्य थे जो मानवता की परम सीमा पर थे साथ ही व्यवहार तथा सदाचार में भी वह चोटी पर थे। उन का वंश सर्वश्रेष्ठ था वह अपनी शुद्ध बुद्धि तथा सुभाषण के कारण आकाशीय संदेश का भार उठाने तथा धर्म निमंत्रण को फैलाने के योग्य हुये।
 अल्लाह ने मनुष्यों में से दूत इस लिये बनाये ताकि वह अपनी जाति के लोगों के लिये आदर्श व्यक्ति हों एवं इस प्रकार दूतों की बातें सुनना तथा उन्हें मानना लोगों के वश तथा शक्ति सीमा के भीतर होगा।
- 2 अल्लाह ने उन्हें ईशदौत्य के लिये विशिष्ट किया है, अल्लाह का संदेश केवल उन्हीं के पास आता है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : हे नबी ! आप कह दीजिये कि मैं तुम्हारे जैसा एक मनुष्य मात्र हूँ, मेरे पास ईश्वर का यह संदेश आता है कि तुम्हारा ईश्वर मात्र एक है। (अल कहफ़ : 110)
 ज्ञात हुआ कि ईशदौत्य तथा नुबुव्वत का पद न तो आत्म शुद्धता से प्राप्त किया जासकता है न ही शुद्ध बुद्धि तथा तौर्किक शक्ति से। यह तो ईश्वरीय चुनाव है, समस्त लोगों में से अल्लाह जिस चाहता है अपनी रिसालत के लिये चुन लेता है जैसा कि स्वयं अल्लाह का फ़र्मान है : अल्लाह ही सर्वाधिक ज्ञान रखता है कि उसे अपनी रिसालत कहाँ रखनी चाहिये। (अल अनआम : 124)
- 3 ईशदूतों की एक विशेषता यह भी है कि वह अल्लाह का संदेश पहुंचाने के संदर्भ में निर्दोष हैं, वह अल्लाह का संदेश पहुंचाने में कोई गलती नहीं करते, अल्लाह उन्हें जो आदेश करता तथा जो संदेश देता है उस के पालन में भी कोई गलती नहीं करते।
- 4 उन की एक विशेषता सच्चाई भी है, समस्त ईशदूत अपने कामों तथा बातों सच्चाई का पात्र होते हैं, अल्लाह फ़र्माता है : यही रहमान का वचन है तथा ईशदूतों ने सच कहा है। यासीन : 52
- 5 धैर्य एवं सब्र भी उन के विशेष गुणों में से है, उन्होंने ने लोगों को अल्लाह के धर्म की दिशा शुभसूचना देते तथा डराते हुये आमंत्रित किया, इस मार्ग में उन्हें नाना प्रकार की आपत्तियां झेलनी पड़ीं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा परन्तु उन्होंने ने सदैव धैर्य से काम लिया तथा अल्लाह के धर्म तथा नाम की उन्नति के लिये सारे दुख सहन किये जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : आप भी उसी प्रकार धैर्य रखिये जिस प्रकार महा संकल्प वाले ईशदूतों ने धैर्य रखा। : 35

ईशदूतों के चिन्ह एवं उन के माध्य से होने वाले ईश्वरीय चमत्कार :

अल्लाह ने अपने दूतों की सच्चाई के लिये विभिन्न प्रमाणों तथा नानाप्रकार के चिन्हों से उन की सहायता की है, इसी संदर्भ में अल्लाह ने उन्हें ऐसे ईश्वरीय चमत्कार प्रदान किये जिन का प्रदर्शन किसी मनुष्य मात्र के वश में नहीं ताकि उन की सच्चाई प्रमाणित की जासके तथा उन की नुबूवत की पुष्टि की जासके ।

ईश्वरीय चमत्कार का अर्थ : सार्वजनिक तौर तरीकों से हट कर ऐसे कार्य जिन्हें अल्लाह अपने दूतों के हाथों पर इस प्रकार प्रकट करता है कि उस जैसा कार्य करने से अन्य लोग असहाय रह जाते हैं ।

उन्ही में से कुछ निम्नलिखित हैं :

- मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का सांप बन जाना
- ईसा अलैहिस्सलाम का अपनी समुदाय को यह बताना कि वह क्या खाते तथा अपने घरों में क्या जमा करते हैं
- हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये चाँद के दो टुकड़े हो जाना ।

ईसा अलैहिस्सलाम के विषय में मुसलमान की आस्था :

① वह महान तथा सर्वसम्मानित रसूलों में से एक हैं जिन्हें महा संकल्प वाले ईशदूत कहा गया है उन के नाम इस प्रकार हैं : मुहम्मद, इब्राहीम, मूसा, ईसा, नूह अलैहिमुस्सलाम । जिन का वर्णन अल्लाह ने अपने इस कथन में किया है : याद करो उस समय को जब हम ने नबियों से प्रतिज्ञा तथा वचन लिया था एवं तुम से तथा नूह से, इब्राही व मूसा तथा ईसा पुत्र मरयम से दृढ़ वचन लिया था । (अल अहज़ाब : 7)

② ईसा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की संतान में से एक मनुष्य थे जिन पर अल्लाह ने अपनी कृपा दया की एवं उन्हें इस्राईल की संतान का रसून बना कर भेजा तथा उन के हाथों पर अपने बहुत से चमत्कार उत्पन्न किये । उन में ईश्वरत्व का अंश मात्र नहीं

जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : वह तो मात्र एक दास हैं जिन पर हम ने कृपा दया की तथा उन्हें इस्राईल की संतान के लिये एक आदर्श बनाया । (अज़ज़ुख़रुफ : 59)

उन्होंने ने अपनी समुदाय को कदापि यह आदेश नहीं दिया था कि वह उन्हें तथा उन की माँ को अल्लाह के अतिरिक्त अपना भगवान बना लें, उन्होंने ने अल्लाह के आदेशानुसार उन से कहा कि : तुम उस अल्लाह की उपासना करो जो मेरा तथा तुम्हारा प्रतिपालक है । (अलमायदह : 117)

③ वह मरयम के पुत्र ईसा हैं, उन की माँ मरयम अत्याधिक सदाचारी, सच्चाई की पात्र, महा भक्त निर्मल कुंवारी महिला थीं अल्लाह की शक्ति से बिना पिता ईसा अलैहिस्सलाम उन के कोख में जन्में एवं वह गर्भवती हुई । जिस प्रकार बिना माता पिता आदम अलैहिस्सलाम का जन्म महान चमत्कार है इसी प्रकार उन का जन्म भी प्रलय तक बाकी रहने वाला ईश्वरीय चमत्कार है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : अल्लाह के यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का उदाहरण ऐसे ही है जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम, उन्हें अल्लाह ने मिट्टी से पैदा करने के बाद कहा कि जीवित हो जाओ तो वह जीवित हो उठे । (आले इमरान : 59)

④ यह आस्था कि ईसा अलैहिस्सलाम तथा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के मध्य कोई अन्य ईशदूत नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम ही ने हमारे नबी की आगमन की शुभ सूचना दी थी जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : याद करो उस समय को जब ईसा पुत्र मरयम ने इस्राईल के बेटों को संबोधित करते हुये कहा कि मैं तुम्हारी दिशा भेजा गया ईशदूत हूँ, अपने से पूर्व अवतरित तौरात की पुष्टि करता हूँ तथा अहमद नामी एक ऐसे ईशदूत के आगमन की सूचना दे रहा हूँ जो मेरे पश्चात आयेगा । अतः जब वह ईशदूत स्पष्ट प्रमाण लेकर आगया तो कहने लगे यह तो खुला जादू है । (अस्सपफ : 6)

5 हम उन ईश्वरीय चमत्कारों पर विश्वास करते हैं जिन्हें अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों पर प्रकट किया जैसा कि सफेद दाग वाले रोगियों एवं अन्धों की चिकित्सा, मृतकों को जीवित करना तथा लोगों को बताना कि वह क्या खाते तथा अपने घरों में क्या जमा करते हैं। आप को यह समस्त अधिकार तथा योग्यतायें अल्लाह की अनुमति से मिली थीं। इन्हें अल्लाह ने आप की ईश्वरीय तथा रिसालत का स्पष्ट प्रमाण तथा चिन्ह बनाया था।

6 किसी का ईमान उस समय तक परिपूर्ण नहीं हो सकता जब तक ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह का दास एवं दूत होने पर उस का विश्वास न हो तथा यह विश्वास न हो कि यहूदियों द्वारा लगाये सारे आरोपों एवं दुराचारों से आप अल्लाह के पवित्र बताने के कारण बरी हैं। इसी प्रकार हम ईसाईयों की आस्था से दूरी की घोषणा करते हैं जो ईसा पुत्र मरयम की वास्तविकता से अवगत न हो सके, क्यों कि उन्होंने ने अतिरिक्त स्वयं ईसा अलैहिस्सलाम तथा उन की माता को उपास्य बना लिया, उन में कुछ ने कहा कि वह अल्लाह के पुत्र हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि त्रीश्वर का एक भाग हैं अल्लाह उन की इस आस्था से पवित्र तथा बहुत ऊँचा है।

7 हमारी यह आस्था है कि ईसा अलैहिस्सलाम की न तो हत्या हुई न ही आप को फांसी दी गई बल्कि जब यहूदियों ने जब आप की हत्या करनी चाही तो अल्लाह ने आप को आकाश पर उठा लिया। तथा एक अनय व्यक्ति का ब्रह्म आप जैसा बना दिया जिसे वास्तव में फांसी दी गई एवं लोगों ने समझा कि ईसा अलैहिस्सलाम को सुली दी गई है। जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : एवं उन का यह कहना कि हम ने अल्लाह के रसूल ईसा पुत्र मरयम अलैहिस्सलाम की हत्या कर दी है जब कि वास्तविकता यह है कि न तो उन्होंने ने उन की हत्या की है न ही उन्हें फांसी पर चढ़ाया है मगर किसी अनय को उन के समान बना कर (समस्या को उन के लिये संदिग्ध बना दिया गया है) एवं जो लोग उन के विषय में मतभेद करते हैं वह अभी तक इस समस्या को लेकर संदेह में हैं। उन के पास अटकल के अतिरिक्त इस का कोई ज्ञान नहीं, विश्वासपूर्ण सत्य यह है कि उन्होंने ने उन की हत्या कदापि नहीं की

बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास उठा लिया अल्लाह बड़ा प्रभुत्वशाली महा बुद्धिमान है। किताब वालों में कोई ऐसा नहीं बचेगा जो की मृत्यु से पूर्व उन पर ईमान न लाये तथा प्रलय के दिन वह उन पर साक्षी होगा। (अन्निसा : 157-159)

अल्लाह ने उन की रक्षा की एवं उन्हें अपने पास आकाश में उठा लिया वह पुनः अन्तिम समय में पृथ्वी पर उतरेंगे तथा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धर्मविधान अनुसार फैसले करेंगे फिर इसी पृथ्वी पर आप की मृत्यु होगी तथा इसी धर्ती में आप को दफन किया जाये गा। फिर प्रलय के दिन वह आदम की शेष संतान के समान धर्ती से निकलेंगे, अल्लाह का फर्मान है : हम ने तुम्हें इसी से जन्म दिया है, एवं इसी में हम तुम्हें पुनः लौटा देंगे तथा इसी से तुम्हें पुनः निकालेंगे। (ताहा : 55)



> मुसलमान की यह आस्था है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के महान रसूलों में से एक थे परन्तु वह स्वयं ईश्वर नहीं थे तथा न उन की हत्या हुई न ही उन्हें फांसी दी गई।

मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी एवं रसूल होने पर ईमान :

● हमारी यह आस्था है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दास एवं उस के दूत हैं, आप पूर्व तथा पश्चात के समस्त लोगों के अगुवा हैं, आप ही अन्तिम ईशदूत हैं, आप के वाद कोई और नबी नहीं आयेगा। आप ने धर्म प्रचार का दायित्व पूर्णतः निभाया, आप ने धर्म धरोहर लोगों तक पहुँचा दिया, आप ने समुदाय की शुभचिन्तन की एवं अल्लाह के मार्ग में जिस प्रकार परिश्रम करना चाहिये उस प्रकार परिश्रम किया।

● आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बातें बताईं हम उन की पुष्टि करते तथा उन्हें सच मानते हैं साथ ही आप के आदेशों का पालन करते हैं एवं जिन वस्तुओं से आप ने हमें रोका तथा दूर रहने का आदेश दिया हम उन से दूर रहते हैं। हमारी यह आस्था है कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अनुसार अल्लाह की उपासना करनी चाहिये तथा केवल आप ही का अनुसरण करना चाहिये। अल्लाह फ़र्माता है : तुम्हारे लिये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उत्तम आदर्श है उन लोगों के लिये जो अल्लाह तथा अन्तिम दिवस की आशा रखते हैं एवं अल्लाह को अधिकाधिक याद करते हैं। (अल अहज़ाब : 21)

● हमारे लिये अनिवार्य है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रेम को पिता संतान तथा सभी के प्रेम से ऊपर रखें, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : तुम में कोई उस समय तक सत्य मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उस के पिता संतान तथा समस्त लोगों से अधिक प्रिय न हो जाऊँ। (अल बुखारी : 15, मुस्लिम : 44) आप से सत्य प्रेम की पूर्ति आप की सुन्नतों तथा आप के आदर्शों एवं आदेशों का पालन करने से ही संभव है। वास्तविक प्रसन्नता एवं संपूर्ण मार्गदर्शन आप के अनुसरण से ही प्राप्त हो सकता है। जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : यदि तुम उन के आदेशों का पालन करोगे तो तुम्हें सत्य मार्ग मिल जायेगा एवं रसूल का कर्तव्य केवल स्पष्टतः पहुँचा देना है : (अन्नूर : 54)

● हमारे लिये आप की लाई हुई हर शिक्षा की स्वीकृति अनिवार्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम आप के दर्शाये मार्ग का अनुसरण करें तथा आप के दिखाये मार्ग को सर्वसम्मानित मानें जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : तो सौगन्ध है तुम्हारे रब की यह उस समय तक सत्यभवादी मोमिन नहीं होसकते जब तक कि वह आप को अपने समस्त मतभेदीय समस्याओं में न्यायपालक न बना लें फिर आप जो निर्णय कर दें उस के संबन्ध में वह अपने दिलों में कोई कड़वाहट न पायें एवं आप के निर्णय के समक्ष पूर्णतः समर्पण कर दें। (अन्निसा : 65)

● हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि हम आप के आदेशों का विरोध करने से डरें, इस कारण कि आप के आदेशों का विरोध महान आपत्ति, पथभ्रष्टता एवं पीड़ा दण्ड का कारण है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : सुनो जो लोग उन के आदेशों का विरोध करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिये कि कहीं उन्हें महान आपत्ति न आले या उन्हें कठोर दण्ड न दिया जाये। (अन्नूर : 63)



मुहम्मदी रिसालत के विशेष गुण :

मुहम्मदी रिसालत में भूतपूर्व धर्मों की तुलना असंख्य अनुपम एवं विशेष गुण हैं जिन में कुछ का वर्णन निम्नलिखित है :

- मुहम्मदी रिसालत भूतपूर्व सभी धर्मों की समाप्ति का नाम है, अल्लाह का फर्मान है : मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के पिता नहीं किन्तु वह अल्लाह के रसूल तथा नबियों की समाप्ति चिन्ह है । (अल अहज़ाब : 40)

- मुहम्मदी रिसालत ने पूर्व समस्त धर्मों को निरस्त कर दिया है । अतः नबी करीम सल्लल्लम लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन के बाद अल्लम लाहु किसी की उपासना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुसरण के बिना स्वीभ



कार नहीं करेगा न ही कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मार्ग अपनाये बिना स्वर्ग में प्रवेश करेगा । ज्ञात हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समस्त दूतों में सर्वसम्मानित ईशदूत हैं तथा आप के अनुयाई ब्रम्हाण्ड के सर्वोच्च लोग हैं एवं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ धर्म सर्वोपरि एवं पूर्ण धर्म है । अल्लाह का फर्मान है : एवं जो इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म की चाहत रखेगा तो यह उस से कदापि स्वीकार न किया जायेगा एवं वह प्रलय के दिन हानि उठाने वालों में से होगा । (आले इमरान : गणठ) तथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : सौगन्ध है उस की जिस के हाथ में मुहम्मद की जान है, इस धर्ती का कोई यहूदी अथवा ईसाई मेरे विषय में सुने एवं मेरी लाये हुये धर्म पर ईमान लाये बिना मर जाये तो नक़ वालों में से होगा । (मुस्लिम : 153, अहमद 8609)

- मुहम्मदी रिसालत मानव दानव दोनों के लिये साधारण स्थान रखता है, अल्लाह तआला दानवों की बात बताते हुये फर्माता है : उन्होंने ने कहा है हमारी समुदाय के लोगो अल्लाह की दिशा बुलाने वाले की पुकार सुनो । अल अहकाफ : 31 एवं अल्लाह ने एक अन्य स्थान पर फर्माया : हम ने आप को संपूर्ण ब्रम्हाण्ड के लिये शुभसूचक तथा डराने वाला बना कर भेजा है । सबा : 28 एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : मुझे छ वस्तुओं के माध्यम से अन्य दूतों पर प्रधानता प्रदान की गई है : मुझे कम शब्दों में अर्थ सागर वहाने की क्षमता दी गई है, शत्रु के दिल में भय डाल कर मेरी सहायता की गई है, मेरे लिये युद्ध में प्राप्त सम्पत्ति को वैध किया गया है, मेरे लिये पूरी धर्ती को पवित्र तथा उपासना ग्रह बनाया है, मुझे समस्त मानवजाति के लिये ईशदूत बनाया गया है एवं मेरे द्वारा समस्त नभि वयों का आगमनक्रम समाप्त हो गया । (बुखारी 2815, मुस्लिम 523)

रसूलों पर ईमान लाने का फल :

रसूलों पर ईमान लाने के असंख्य महान फल हैं उन्हीं में से कुछ निम्नलिखित हैं :

- 1 अल्लाह की कृपा दया तथा दासों से उस के प्रेम एवं संरक्षण का ज्ञान होता है कि अल्लाह ने सत्यमार्ग दिखाने के लिये उन के पास ईशूद भेजे जिन्होंने उन्हें अल्लाह की उपासना का तरीका बताया, इस लिये कि मानव बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं कि वह स्वयं इस का ज्ञान ग्रहण कर सके। महान अल्लाह हमारे ईशूद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विषय में जानकारी देते हुये फर्माता है : हे मुहम्मद हम ने आप को संपूर्ण ब्रम्हाण्ड के लिये दया रूप प देकर भेजा है। (अल अंबिया : 107)
- 2 इस महान वरदान पर अल्लाह की कृतज्ञता व्यक्त करना।
- 3 ईशूदों से प्रेम स्नेह, उन का सम्मान एवं उन की प्रशंसा इस शैली में हो जो उन के पद तथा आदर अनुसार हो। इस लिये कि उन्होंने ने सही ढंग से अल्लाह की उपासना की, उस का संदेश लोगों तक पहुंचाया तथा उस के दासों के शुभचिन्तक बने।
- 4 उस धर्म तथा संदेश का पालन करना जिसे ईशूद अल्लाह के पास से लाये अर्थात् मात्र एक अल्लाह की उपासना करना, उस की उपासना में किसी अन्य को साझीदार न बनाना, उस के अनुसार कर्म करना, इस प्रकार इसी जीवन में मनुष्य को लोक प्रलोक की भलाई, मार्गदर्शन तथा सौभाग्य प्राप्त होगा।
अल्लाह का फर्मान है : अतः जो मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करे न तो वह पथभ्रष्ट होगा न ही दूरभाग्य में पड़ेगा। एवं जो मेरी याद से विमुख होगा उस का जीवन कठिन एवं दुखदायी होगा। (ताहा : 123-124)



> मुसलमानों के निकट मस्जिदे अकसा का बड़ा महत्व एवं स्थान है, मस्जिदे हुराम के बाद धर्ती पर निर्मित दूसरी मस्जिद है उस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवं शेष नबियों ने नमाज़ पढ़ी है।

➤ अन्तिम दिवस पर ईमान

अन्तिम दिवस पर ईमान का अर्थ :

इस बात का दृढ़ विश्वास कि अल्लाह लोगों को उन की क़बरों से उठाये गा फिर उन का हिसाब लेगा एवं उन्हें उन के कर्मों का फल देगा । यहाँ तक कि स्वर्ग वाले स्वर्ग में अपना निवास ग्रहण कर लें एवं नर्क वाले नर्क में पहुंच जायें ।

अन्तिम दिवस पर ईमान, ईमान के आधारों में से एक है अतः इसे स्वीकार किये बिना किसी का ईमान सही एवं सम्पन्न नहीं । अल्लाह का फ़र्मान है : किन्तु वास्तव में नेकी यह है जो अल्लाह पर एवं अन्तिम दिवस पर ईमान रखता हो । (अल बक़रह : 177)

कुर्आन ने अन्तिम दिवस पर ईमान लाने पर ज़ोर क्यों दिया ?

कुर्आन करीम ने अन्तिम दिवस पर ईमान लाने का आग्रह किया है एवं प्रत्येक अवसर पर इस विषय में चेतावनी दी है एवं अरबी भाषा की विभिन्न शैलियों से इस दिन के आगमन की सूचना दी है तथा एक से अधिक स्थानों पर अल्लाह पर ईमान को अन्तिम दिवस पर ईमान से जोड़ा है ।

ऐसा इस कारण है कि अन्तिम दिवस पर ईमान अल्लाह पर ईमान का आवश्यक परिणाम है इसे यूँ भी समझा जासकता है :

अल्लाह न तो अत्याचार को स्वीकार करता है न ही अत्याचारी को बिना दण्ड छोड़ता है, इसी प्रकार पीड़ितों को न्याय दिये बिना नहीं रहता है न ही सदाचारियों को उन के कर्मों का फल दिये बिना छोड़ता है अपितु वह प्रत्येक अधिकार वाले को उस का अधिकार देता है । हम देखते हैं

कि सांसारिक जीवन में बहुत सारे अत्याचारी अत्याचार करते करते ही मर जाते हैं उन्हें कोई दण्ड नहीं मिलता, हम यह भी देखते हैं कि जो पीड़ित तथा दुखी होते हैं, पीड़ित रहते हुये ही मर जाते हैं वह अपना अधिकार नहीं ले पाते हैं, जब अल्लाह अत्याचार को स्वीकार ही नहीं करता तो फिर इस का अर्थ क्या हुआ, इस का अर्थ यही हुआ कि इस जीवन के पश्चात भी कोई जीवन है एवं एक अन्य नियमित समय का होना आवश्यक है जिस में सदाचारी को उस के कर्मों का उचित फल मिल सके एवं दुराचारी को दण्ड दिया जासके इस प्रकार हर एक को उस का अधिकार मिल सके ।



- इस्लाम ने लोगों के साथ भलाई करके हमें नर्क से बचने की शिक्षा दी है यद्यपि आधा खज़ूर दान देकर ही क्यों न हो ।

अन्तिम दिवस पर ईमान किन किन वस्तुओं को सम्मिलित है :

मुसलमान का अन्तिम दिवस पर ईमान निम्नलिखित वस्तुओं को सम्मिलित है :

1 पुनर्जन्म तथा एकत्रित होना : इस का अर्थ यह है कि मुरदों को उन की कब्रों से जीवित उठाया जायेगा, उन के शरीरों में प्राण लौटाये जायेंगे, इस प्रकार समस्त अल्लाह के समक्ष उपस्थित होंगे फिर उन्हें किसी एक स्थान विशेष में नवजात शिशु के समान नंगे पाँव नंगे शरीर एकत्रित किया जायेगा ।

अन्तिम दिवस पर ईमान वह विषय है जिस का प्रामाण पवित्र कूर्आन तथा हदीसों में मिलता है, मानव बुद्धि एवं शुद्ध प्रकृति जिसे स्वीकार करती है । अतः हमारा पक्का ईमान है कि अल्लाह कब्रों से मुरदों को उठायेगा, शरीरों में प्राण लौटाये जायेंगे एवं लोग पुनः जीवित होकर अपने सर्वलोक के स्वामी के समक्ष खड़े होंगे ।

अल्लाह का फ़र्मान है : फिर तुम इस के पश्चात मर जाओगे, फिर क्यामत के दिन तुम्हें पुनः जीवित किया जायेगा । (अल मूमिनून : 15-16)

समस्त अकाशीय धर्म ग्रन्थ इस आस्था पर सहमत हैं एवं यही बुद्धिमानी का मान्य भी है, बुद्धि कहती है कि अल्लाह ने इस जीव के लिये एक समय सीमित किया है जिस में उन्हें ईश्वरों के माध्यम से मिले समस्त कर्तव्यों पर फल देगा, उस का फ़र्मान है : क्या तुम इस भ्रम में हो कि हम ने तुम्हें व्यर्थ में जन्म दिया है एवं तुम हमारे पास नहीं लौटाये जाओगे । (अल मूमिनून : 115)

कुर्आन से पुनः उठाये जाने का प्रमाण :

● हमारी यह आस्था है कि अल्लाह ने मनुष्य को आरंभ में जन्म दिया है एवं जो आरंभ में जन्म देने की शक्ति रखता हो वह उसे पुनः जन्म देने में असमर्थ नहीं हो सकता, अल्लाह का फ़र्मान है : वही है जिस ने आरंभ में जन्म दिया एवं वही उसे पुनः लौटाये गा । (अर्दूम : 27) अल्लाह ने उन लोगों का खण्डन किया है जो कहते हैं कि गली सड़ी हड्डियाँ पुनः कैसे जीवित हो सकती है, अल्लाह फ़र्माता है : हे

ईश्वर आप कह दीजिये : इन को वही पुनः जीवित करेगा जिस ने इन्हें पहली बार जन्म दिया था एवं वह प्रत्येक जीव के विषय में भली भाँति जानता है । (यासीन : 79)

● हमें ज्ञान है कि धर्ती सूखी पड़ी रहती है, उस में कोई हरियाली नहीं होती, कोई वृक्ष नहीं होता फिर उस पर वर्षा उतरती है जिस से वह जीवित होकर हरियाली से लहलहा उठती है एवं भाँति भाँति के वृक्षों से रंगीन होजाती है तो जो सूखी धर्ती को जीवित करने की शक्ति रखता है वह मुरदों को भी पुनः जीवित करने का अधिकार रखता है । अल्लाह का फ़र्मान है : एवं हम आकाश से पवित्र पावन वर्षा बरसाते हैं जिस से हम बाग बगीचा एवं वाटिका एवं फसल उगाते हैं एवं घने खजूरों के वृक्ष जिन में ताजे पके खजूर लगे होते हैं, जो दासों की जीविका एवं आहार है, एवं उसी वर्षा से हम मुरदा धर्ती को जीवित करते हैं इसी प्रकार पुनः मनुष्यों को भी निकाला जायेगा । (काफ़ : 9-11)

● हर बुद्धजीवी को इस बात का ज्ञान है कि जो अति महान कार्यों की शक्ति रखता है उस के लिये उस से अति छोटे कार्य करना कतना सहज एवं सरल है, हम जानते हैं कि अल्लाह ने आरंभ ही में इतनी विशाल धर्ती एवं इतने ऊँचे आकाश तथा वायु मण्डल का निर्माण बिना किसी नमूने ही के किया है तो वह सड़ी गली हड्डियों को पुनः जन्म देने पर तो और अधिक शक्ति रखता होगा, इस में आश्चर्य की कोई बात ही नहीं, अल्लाह का फ़र्मान है : क्या जिस ने आकाश धर्ती को जन्म दिया वह इस बात की शक्ति नहीं रखता कि वह उन जैसा पुनः जन्म देदे, क्यों नहीं, अवश्य एवं वह तो बड़ा ही महान जन्म दाता अति ज्ञान वाला है । (यासीन : 81)

2

हिसाब तथा तराजू पर ईमान : अल्लाह संपूर्ण सृष्टि के जीवन में किये समस्त कर्मों का हिसाब लेगा अतः जो एकेश्वरवादी होगा, अल्लाह एवं उस के रसूल के आदेशों का पालन किया होगा तो उस का अति सरल हिसाब होगा एवं जो अनेकेश्वरवादी एवं नाफरमान होगा उस का हिसाब अति कठिन होगा ।

लोगों के कर्म महान तराजू में तौले जायेंगे, नैकियाँ एक पलड़े में रखी जायेंगी एवं बुराइयाँ दूसरे पलड़े में रखी जायेंगी फिर जिस की नैकियों का पलड़ा भारी होगा वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा एवं जिस की बुराइयों का पलड़ा भारी होगा वह नर्क में फँका जायेगा। एवं आप का स्वामी किसी के संग अत्याचार नहीं करेगा।

अल्लाह का फ़र्मान है : हम क्यामत के दिन न्याय का तराजू रखेंगे फिर किसी प्राण पर रस्ती भर अत्याचार नहीं होगा, यदि राई के दाने के समान भी कर्म होगा तो हम उसे भी परस्तुत कर देंगे, हम अकेले ही हिसाब के लिये काफी हैं। (अल अंबिया : 47)

3

स्वर्ग एवं नर्क : स्वर्ग सदैव सुख शांति का घर है जिसे अल्लाह ने सदाचारी, अल्लाह एवं उस के रसूल के आदेशों का पालन करने वाले मोमिनों के लिये तैय्यार किया है, उस में समस्त प्रकार की मन चाही सुख सामग्रियाँ सदैव रहेंगी, एवं समस्त प्रकार की प्रिय वस्तुओं को देख कर जहाँ लोगों के आँखों को ठण्डक मिलेगी।

अल्लाह ने अपने दासों को पुण्य कार्यों में शीघ्रता दिखाकर उस स्वर्ग में प्रवेश पाने की

लालच दिलाई है जिस की मात्र चौड़ाई आकाश धर्ती की चौड़ाई के समान है, उस का फ़र्मान है : एवं शीघ्रतापूर्वक अपने रब की क्षमायाचना एवं उस स्वर्ग की दिशा दौड़ो जिस की मात्र चौड़ाई आकाश धर्ती के समान है, जिसे भय खाने वाले सदाचारियों के लिये तैय्यार किया गया है। (आले इमरान : 133)

रही बात नर्क की तो सदैव के कष्ट प्रकोप एवं दण्ड का स्थान है जिसे अल्लाह ने उन नास्तिकों के लिये बनाया है जिन्होंने अल्लाह का इंकार किया एवं उस के दूतों की नाफरमानी की। उस में प्राण को कंकपा देने वाले ऐसे ए से दण्ड, प्रकोप, कष्ट एवं विपत्तयें होंगी जिस की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।

अल्लाह काफिरों के लिये तैय्यार किये गये नर्क से अपने दासों को डराते हुये कहता है : उस नर्क से बचो जिस के ईंधन लोग हूँगे एवं पत्थर, काफिरों के लिये तैय्यार की गई है। (अल बकरह : 24)

हे अल्लाह हम तुझ से स्वर्ग तथा स्वर्ग तक लेजाने वाले कर्मों एवं बातों की क्षमता मांगते हैं, एवं नर्क तथा नर्क तक लेजाने वाले कर्मों तथा बातों से तेरी शरण में आते हैं।



4

कब्र का प्रकोप एवं उस की सुख शांति : हमारी आस्था है कि मृत्यु सत्य है, एवं सभी को उस का मज़ह चखना है। अल्लाह का फ़र्मान है : तुम पर नियुक्त यमदूत तुम्हारा प्राण निकालेंगे फिर तुम्हें अपने रब की ओर लौटाया जायेगा। (अस्सजदह : 11)

मृत्यु आँखों से दिखने वाली असंदिग्ध वास्तविकता है, हमारी आस्था है कि मृत्यु पाने वाले लोगों ने अथवा किसी कारण मारे गये हैं अपना समय सीमित पूरा कर लिया, उन की आयु में कुछ कमी नहीं की गई जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : फिर जब उन का समय सीमित आपहुंचे गा तो उन्हें एक छुण के लिये आगे पीछे होने का अवसर नहीं मिलेगा। (अल आराफ : 34)

• जिस की मृत्यु होगई उस का प्रलय शुद्ध होगया एवं वह अपने अन्तिम घर की दिशा चल निकला

• अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अधिकांश हदीसों में कब्र के भीतर नास्तिकों तथा अवज्ञाकारियों के दण्ड प्रकोप का प्रमाण मिलता है साथ ही यह भी बताया गया है कि वही कब्र मोमिनों तथा सदाचारियों के लिये स्वर्ग का एक टुकड़ा है। अतः हम कब्र के प्रकोप तथा सुखशांति पर ईमान रखते हैं किन्तु

उस की कैफियत की खोज में नहीं पड़ते, इस लिये कि कब्र की अंतरिम स्थिति की कैफियत एवं वास्तविकता का ज्ञान बुद्धि तथा विवेक के वश से बाहर है, क्यों स्वर्ग नर्क के समान इस का संबन्ध भी परोक्ष ज्ञान से है, यह आँखों से देख कर निर्णय लेने वाली कोई वस्तु नहीं। मानव बुद्धि उसी समय अनुमान तथा परिणाम परस्तुत करने की स्थिति में होगी जब उसे आँखों से दिखने वाले संसार में किसी समान तथा ज्ञात विधान तक पहुँच प्राप्त होगी।

• इसी प्रकार कब्र की अंतरिम स्थिति का ज्ञान परोक्ष के उस भाग से है जिसे किसी इंद्रि के माध्यम से प्राप्त करना असंभव है, यदि किसी इंद्रि से उस का ज्ञान प्राप्त होना संभव होता तो फिर परोक्ष पर ज्ञान का लाभ ही समाप्त हो जाता एवं लोगों को कर्तव्य से जोड़ने की युक्ति ही फेल होजाती एवं लोग एक दूसरे को दफन ही न करते, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : यदि लोग एक दूसरे को दफन न करते तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम्हें भी उसी प्रकार कब्र के दण्ड प्रकोप को सुना दे जिस प्रकार मैं सुनता हूँ। (मुस्लिम 2868, अन्निसाई : 2058) चूँकि पशु एक दूसरे को दफन नहीं करते इस लिये वह कब्र के प्रकोप को सुनते तथा आभास करते हैं।



अन्तिम दिवस पर ईमान का फल एवं परिणाम :

- 1 अन्तिम दिवस पर ईमान से मनुष्य की शिक्षा दीक्षा उस के सुधार एवं सद्कार्य की पावन्दी पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उस में अल्लाह का भय उत्पन्न होता है एवं अनानियत एवं दिखावे से दूर होता है।

यही कारण है कि एक से अधिक अवसरों पर अन्तिम दिवस पर ईमान तथा सद्कार्यों को एक साथ जोड़ कर ब्यान किया गया है जैसे कि अल्लाह का यह कथन : अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह एवं अन्तिम दिवस पर ईमान रखते हैं। (अत्तौबा : 18)

एवं जो लोग अन्तिम दिवस पर ईमान रखते हैं वह उस पर भी ईमान रखते हैं एवं अपनी नमाज़ों की रक्षा करते हैं। (अल अनआम : 92)

- 2 इस में सांसारिक जीवन में उलझे असावधान लोगों को सावधान किया गया है एवं बताया गया है कि उन्हें अपना बहुमूल्य समय अल्लाह की उपासना में लगाना चाहिये ताकि सद्कार्य करके वह अल्लाह की निकटता प्राप्त कर सकें यही जीवन की वास्तविकता एवं उस अल्प होने के निकट है एवं प्रलोक ही सदैव ठेहरने एवं निवास पाने की जगह है।

अल्लाह ने कुर्आन में जहाँ रसूलों की प्रशंसा की है एवं उन के कर्मों का वर्णन किया है, उस कारण पर उन की प्रशंसा की है जो उन्हें सद्कार्यों तथा महानता पर उभारता था। अल्लाह का फर्मान है : हम ने उन्हें प्रलोक की याद के कारण चुन लिया है। साद :

अर्थात् महान तथा महत्वपूर्ण कर्मों का कारण यह है कि वह अन्य लोगों की तुलना प्रलोक को अधिक याद करते हैं एवं इसी याद ने उन्हें उन सद्कार्यों एवं महत्वपूर्ण कीर्तिमान तक पहुंचाया है

एवं जब कुछ मुसलमान अल्लाह एवं उस के आदेशों के पालन में ढीले पड़ गये तो अल्लाह ने उन्हें चेतावनी देते हुये फर्माया : क्या तुम प्रलोक को छोड़ कर सांसारिक जीवन ही में मगन होगये तो जान लो कि प्रलोक की तुलना सांसारिक जीवन की पूँजी बहुत थोड़ी है। (अत्तौबह : 38)

ज्ञात हुआ कि जब मनुष्य अन्तिम दिवस पर ईमान रखता है तो उसे यह विश्वास हो जाता है कि संसार की समस्त सुख सामग्रियाँ आखिरत की तुलना कुछ भी नहीं दूसरी तरफ संसार के सारे सुख को नर्क की एक डुबकी ही भूला देगी, इसी प्रकार संसार के सभी दुख तकलीफ प्रलोक के प्रकोप की तुलना कुछ भी नहीं एवं स्वर्ग का एक पल संसार की सभी तकलीफों को भूला देगा।

- 3 इस बात की शांति होती है कि मनुष्य को अपना भाग्य मिलने वाला है, अतः संसार की कोई वस्तु यदि मनुष्य को न मिले तो उसे निराश नहीं होना चाहिये न ही दुख से आत्म हत्या करनी चाहिये इस के विपरीत उसे परिश्रम करना चाहिये एवं विश्वास रखना चाहिये कि अल्लाह अच्छे कर्म वालों का बदला अवश्य देता उसे बर्बाद नहीं करता, यदि अत्याचार अथवा धोके से कण मात्र कोई वस्तु उस से छीन ली गई तो प्रलोक में जब उसे अति आवश्यकता होगी वह उसे अवश्य पायेगा। यह जानने के बाद कि हर किसी को उस का भाग्य अति जटिल परिस्थितियों में भी प्राप्त होने वाला है तो वह शोक में क्यों पड़ेगा, जिसे यह ज्ञान है कि उस के तथा उस के शत्रु के मध्य सर्वलोक का स्वामी फैसला करने वाला है उसे ग़म कैसे होगा।

भाग्य पर ईमान का अर्थ :

इस बात का दृढ़ विश्वास कि जो भी अच्छाई बुराई है वह अल्लाह के फैसले एवं अनुमान के अधीन है तथा वह जो चाहता है करता है, संसार में अल्लाह की चाहत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता एवं कोई वस्तु उस की चाहत के बाहर भी नहीं जा सकती। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उस के अनुमान से बाहर हो एवं अल्लाह के निर्णय के बिना कोई वस्तु जन्म नहीं लेती। यह सब होने के बाद भी अल्लाह ने अपने दासों को आदेश भी दिया एवं उन्हें रोका भी एवं उन्हें अपने कार्यों में स्वतंत्र भी बनाया, उन्हें किसी कार्य पर विवश नहीं किया, वह जो कुछ करते हैं उस में उन की चाहत तथा शक्ति का भरपूर योगदान होता है। अल्लाह उन्हें तथा उन की समस्त शक्तियों एवं योग्यताओं का जन्म दाता है वह जिसे चाहता है अपनी कृपा से मार्ग दिखाता है एवं जिसे चाहता है अपनी नीति से पथभ्रष्ट बना देता है, उस से उस के कार्यों के विषय प्रश्न नहीं किया जा सकता जब उन सब से प्रश्न किया जाये गा।

भाग्य पर ईमान में क्या क्या सम्मिलित है :

भाग्य पर ईमान में निम्न चार वस्तुएँ पाई जाती हैं :

- इस बात पर ईमान कि अल्लाह प्रत्येक वस्तु को संक्षेप तथा विस्तार दोनों प्रकार से जानता है एवं जन्म से पूर्व ही समस्त सृष्टि के विषय में उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त था, वह उन की जीविका, उन की आयु उन की कथनी करनी तथा चल अचल सब को जानता था, उन की गुप्त तथा स्पष्ट सभी बातें उस के ज्ञान में थीं, उसे यह भी पता था कि उन में स्वर्ग वाला कौन है एवं नर्क वाला कौन, अल्लाह का फ़र्मान है : वही वह है जिस के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं वह छुपी तथा स्पष्ट सभी बातें जानता है। (अल हशर : 22)



> इस संसार की कोई वस्तु अल्लाह की शक्ति से बाहर नहीं जा सकती।

अल्लाह की तकदीर अर्थात् भाग्य पर ईमान लाना ईमान के आधारों में से एक है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़िबरील अलैहिस्सलाम के प्रश्नों के उत्तर देते हुये फ़र्माया था : ईमान यह कि तुम अल्लाह पर, उस के पार्षदों, उस की किताबों, उस के रसूलों, अन्तिम दिवस एवं भाग्य के अच्छे बुरे पर विश्वास रखो । (मुस्लिम 8)

- इस बात पर ईमान कि अल्लाह ने अपने पूर्व ज्ञान अनुसार सब कुछ सुरक्षित किताब में लिख दिया है, इस का प्रमाण अल्लाह का यह कथन है : धर्ती में किसी को अथवा तुम्हें स्वयं कोई तकलीफ़ तथा बिपता पहुंचती है, हम ने जन्म से पूर्व ही उसे किताब में लिखा होता है । (अल हदीद : 22) एवं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फ़र्मान : अल्लाह ने समस्त सृष्टि का भाग्य आकाश धर्ती की रचना से पचास हज़ार वर्ष पूर्व ही लिख दिया था । (मुस्लिम 2653)

- अल्लाह की चाहत पर ईमान जिसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता, एवं उस की शक्ति पर ईमान जिसे कोई असहाय एवं विवश नहीं कर सकता । संसार की समस्त घटनायें उस की चाहत एवं शक्ति के अधीन हैं, वह जो चाहता है वही होता है, वह जो नहीं चाहता वह कदापि नहीं होता । अल्लाह फ़र्माता है : तुम नहीं चाह सकते मगर जब अल्लाह चाहे । (अत्तकवीर : 29)

- इस बात पर ईमान कि समस्त वस्तुओं का रचयिता एवं जन्मदाता केवल अल्लाह है, वही अकेला जन्म देने वाला है उस के अतिरिक्त सब कुछ उस की सृष्टि है एवं वह हर वस्तु पर प्रभुत्व रखता है । अल्लाह तअला फ़र्माता है : एवं उस ने प्रत्येक वस्तु को जन्म दिया फिर उस का सुन्दर अनुमान लगाया । (अलफ़ुरक़ान : 2)



मनुष्य को स्वतंत्रता, शक्ति एवं चाहत का अधिकार दिया गया है :

भाग्य पर ईमान का यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि दास से उस के अपने कामों की स्वतंत्रता एवं शक्ति छिन जाती है, इस के विपरीत धर्म तथा वास्तविकता दोनों ही दास की चाहत एवं इरादों को प्रमाणित करते हैं ।

रही बात धर्म की तो अल्लाह चाहत के विषय में फ़र्माता है : वह सत्य दिवस अतः जो चाहे अपने स्वामी के यहाँ अपना ठिकाना बना ले । (अन्नबा : 39)

अल्लाह तआला शक्ति के विषय में फ़र्माता है : अल्लाह किसी पर उस की शक्ति से अधिक भार नहीं डालता, उस की कमाई का पुण्य भी उसी के लिये है एवं पाप का भार भी उसी पर है : अल बकरह : 286 यहाँ इस आयत में वूस्अ का अर्थ कुदरत तथा शक्ति के हैं

सत्य यह है कि हर मनुष्य को पता है कि उसे उस के समस्त कार्यों में स्वतंत्रता एवं शक्ति प्राप्त है, वह चाहे तो कोई कार्य करे अथवा उसे छोड़ दे, उसे पता है कि क्या चीज़ उस की चाहत से होती है जैसे चलना एवं क्या उस की चाहत के बिना होती है जैसे अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ना, किन्तु अन्तर केवल इतना है कि दास की चाहत एवं उस की शक्ति अल्लाह की चाहत एवं उस की शक्ति के अधीन है जैसे कि अल्लाह फ़र्माता है : तुम में से उन के लिये है जो सीधा मार्ग अपनाना चाहते हैं ,,, एवं तुम कुछ भी नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह सर्वलोक का स्वामी न चाहें । (अत्तकवीर : 28-29) अल्लाह ने यहाँ मनुष्य की चाहत को प्रमाणित करने के बाद बताया कि उस की यह चाहत अल्लाह के चाहत के अधीन है । चूँकि संपूर्ण संसार अल्लाह की संपत्ति तथा उस के स्वामित्व में है, इस लिये उस के राज्य में उस के ज्ञान तथा चाहत के बिना कुछ भी नहीं होसकता है ।



> हम ने उसे मार्ग दिखा दिया है अब चाहे तो कृतज्ञ बन जाये अथवा नाशुकरा । अल ईसान : 3

भाग्य का बहाना लेना :

मनुष्य की शक्ति एवं स्वतंत्रता ही वह वस्तु है जिस से कर्तव्य एवं आदेश तथा निषेध का संबन्ध है, सदाचारी को सत्य मार्ग अपनी मरज़ी से अपनाने के कारण ही पुण्य मिलेगा एवं दुराचारी को अपनी चाहत से भ्रष्ट मार्ग अपनाने पर दण्ड मिलेगा ।

अल्लाह ने हमें हमारी शक्ति से अधिक कर्तव्य नहीं दिया है अतः भाग्य के बहाने किसी के उपासना छोड़ने को वह कदापि स्वीकार नहीं करेगा ।

फिर पाप से पूर्व मनुष्य को यह पता भी नहीं होता कि अल्लाह के ज्ञान में क्या है तथा उस ने उस के भाग्य में क्या लिखा है ? अल्लाह ने तो उसे कार्य की शक्ति एवं स्वतंत्रता प्रदान की है एवं भलाई बुराई का मार्ग भी उसे बता दिया है फिर भी कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है तो स्वयं वह अपने लिये पुण्य के स्थान पर पाप को चुनता है अतः पाप का दण्ड भी उसी को भुगतना है ।

> यदि कोई व्यक्ति आप पर अत्याचार करे एवं आप का धन लेकर, आप को तकलीफ पहुंचा कर यह कहकर आप से क्षमा चाहे, खेद व्यक्त करे कि ऐसा करना उस के भाग्य में लिखा हुआ था तो आप उस का यह तर्क स्वीकार नहीं करेंगे एवं आप उसे कठोर दण्ड देने एवं उस से अपना अधिकार लेने का प्रयास करेंगे, इस लिये कि उस ने ऐसा अपनी मरज़ी एवं अपनी चाहत से किया है ।



तकदीर पर ईमान का फल :

मनुष्य के जीवन में भाग्य पर ईमान के बड़े अधिक लाभ हैं निम्न में कुछ का वर्णन किया जा रहा है :

- 1 इस जीवन में भाग्य अल्लाह को प्रसन्न करने वाले कार्यों पर उभारने का सब से बड़ा साधन है
अल्लाह पर भरोसे के साथ मोमिनों को साधनों का सहारा लेने का आदेश दिया गया है, एवं यह ईमान रखने का हुक्म दिया गया है कि साधन अल्लाह की अनुमति बिना स्वयं कोई परिणाम नहीं दे सकते, इस लिये कि साधनों का जन्मदाता अल्लाह ही है एवं परिणामों का भी जन्मदाता है ।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : लाभदायक वस्तुओं को अपनाने का प्रयास करो, एवं अल्लाह से सहायता मांगो, एवं विवश मत बनो, फिर भी यदि तुम्हें कुछ हो जाये तो यह मत कहो कि यदि मैं ऐसा करता तो ऐसा होजाता किन्तु यह कहो : अल्लाह का फैसला है एवं उस ने जो चाहा किया, इस लिये कि अगर मगर शैतान का डगर है । (मुस्लिम : 2664)
- 2 मनुष्य को अपनी स्थिति का ज्ञान होना चाहिये अतः न वह बड़बोला हो न ही घमण्डी, इस लिये कि वह भाग्य जानने में असमर्थ है एवं जो कुछ हो रहा है उस के भविष्य से अनभिज्ञ एवं यही से मनुष्य को अपनी शक्तिहीनता अपनी विवशता एवं सदैव अल्लाह की आवश्यकता का आभास होता है ।
अतः मनुष्य को जब कोई भलाई मिलती है तो फूले नहीं समाता एवं धोके में पड़ जाता है तथा जब उसे बुराई या तकलीफ पहुंचती है तो तड़पता एवं दुखी होजाता है, मनुष्य को भलाई मिलने पर फूलने एवं घमण्ड करने से एवं बुराई पहुंचने पर दुख से मात्र भाग्य पर ईमान ही बचा सकता है । जो कुछ हुआ उसे भाग्य का करिश्मा एवं अल्लाह के ज्ञान में पहले से आई बात समझ कर मनुष्य शांत होजाता है ।
- 3 भाग्य पर ईमान ईर्ष्या जैसी घिनाउनी बीमारी का अन्त कर देता है, अतः मोमिन अल्लाह की तरफ से मिलने वाली किसी वस्तु पर लोगों से ईर्ष्या एवं जलन नहीं रखता, इस लिये कि उस की यह आस्था होती है कि अल्लाह ही ने उन्हें यह श्रेष्ठता एवं सम्मान दिया है उसी ने उन के भाग्य में यह लिखा है, उसे ज्ञान होता है कि दूसरों से जलन रखने वाला अल्लाह के फैसले तथा उस के बनाये भाग्य पर एतराज करता है ।
- 4 भाग्य पर ईमान दिलों में कठिनाइयों का सामना करने का साहस उत्पन्न करता है, उमंगों की जोत जगाता तथा संकल्प को सशक्त करता है इस लिये उन्हें पता होता है कि आयु तथा जीविका दोनों ही भाग्य से जुड़ी हुई हैं एवं मनुष्य को वही मिलेगा जो उस के भाग्य में लिखा होगा
- 5 भाग्य पर ईमान मोमिन के दिल में ईमान की विभिन्न वास्तविकताओं के बीज बोता है, इस प्रकार वह सदैव अल्लाह ही से सहायता मांगता है, साधन अपनाने के साथ उसी पर सदैव भरोसा करता है, वह खुद को अल्लाह का भिकारी समझ कर सदैव उसी से ईमान पर डटे रहने की सहायता मांगता है ।
- 6 भाग्य पर ईमान से आत्म शांति मिलती है, मोमिन को पता होता है जो कुछ उसे हुआ है वह चूकने वाला नहीं, एवं जो चूक गया उसे पहुंचने वाला नहीं ।



आप की पवित्रता

2

अल्लाह ने मुसलमान को अपनी अन्नात्मा तथा हृदय को अनेकेश्वरवाद, ईर्ष्या, घमण्ड एवं छल कीना जैसे हार्दिक रोगों से पवित्र करने का आदेश दिया है साथ ही अपने शरीर को गन्दगी तथा मल आदि से पवित्र रखने का भी आदेश दिया है, मुसलमान यदि ऐसा करता है तो उसे ईशप्रेम का अधिकार प्राप्त हो जाता है जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : निःसंदेह अल्लाह पश्चाताप करने वालों एवं पवित्रता ग्रहण करने वालों से प्रेम करता है । (अल बकरह : 222)

अध्याय सूची :

पवित्रता का अर्थ ।

मल एवं गन्दगी से पवित्रता ।

- गन्दगी से पवित्रता प्राप्त करना ।
- शौच जाने के आदाब ।

अपवित्रता :

- छोटी अपवित्रता एवं उस से बचू ।

मैं बचू कैसे कहूँ ? :

- छोटी अपवित्रता दूर करना ।
- बड़ी अपवित्रता एवं श्रान्न ।
- मुसलमान बड़ी अपवित्रता से पवित्रता कैसे प्राप्त करे ?
- मोर्जों पर मसह :
- जो पानी के प्रयोग में असमर्थ हो ।

> पवित्रता का अर्थ

पवित्रता का मूल अर्थ सफाई सुथराई के हैं ।

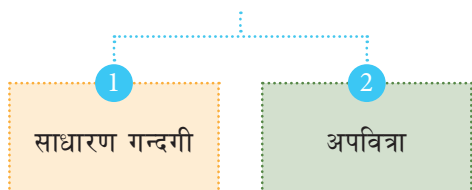
अल्लाह ने मुसलमान को अपने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अर्थात् हृदय एवं शरीर को पवित्र रखने का आदेश दिया है अतः उसे अपने शरीर को प्रत्यक्ष की समस्त अवैध वस्तुओं, मल एवं गन्दगी से दूर रखना चाहिये एवं अपने हृदय को अनेकेश्वरवाद, ईर्ष्या, घमण्ड एवं छल कीना जैसे हार्दिक रोगों से पवित्र रखना चाहिये, मुसलमान यदि ऐसा करता है तो उसे ईशप्रेम का अधिकार प्राप्त हो जाता है जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : निःसंदेह अल्लाह पश्चाताप करने वालों एवं पवित्रता ग्रहण करने वालों से प्रेम करता है । (अल बकरह : 222)

अल्लाह ने सलात के लिये पवित्रता प्राप्त करने का आदेश दिया है इस लिये कि सलात अल्लाह से भेंट एवं गुप्तवार्ता का साधन है, सभी को पता है कि जब मनुष्य किसी राजा महाराजा अथवा कुबेर पति से मिलने जाता है तो कितना अधिक सफाई के साथ सुन्दर से सुन्दर कपड़े पहनता है तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति होनी चाहिये जो बादशाहों के बादशाह अल्लाह से मिलने वाला है ।

सलात के लिये किस प्रकार की पवित्रता की आवश्यकता है :

जब भी मुसलमान को सलात की इच्छा हो, कुर्आन की तिलावत अथवा पवित्र काबा का तवाफ करना चाहे तो उसे विशेष अर्थ में अल्लाह ने धार्मिक पवित्रता प्राप्त करने का आवश्यक आदेश दिया है एवं अधिकांश अवसरों पर इस प्रकार की पवित्रता अपनाने को प्रिय बताया है जैसे कि बिना लुये कुर्आन की तिलावत, दुआ प्रार्थना एवं नींद आदि ।

सलात की इच्छा से पूर्व मुसलमान के लिये दो वस्तुओं से पवित्रता प्राप्त करना अनिवार्य है :



> अल्लाह ने मुसलमान को अपने हृदय को अनेकेश्वरवाद, तथा समस्त हार्दिक रोगों से एवं शरीर को समस्त अवैध वस्तुओं एवं मल तथा गन्दगी से पवित्र रखने का आदेश दिया है ।

➤ साधारण गन्दगी से पवित्रता

- साधारण गन्दगी : अर्थात् महसूस की जाने वाली वह वस्तुयें जिन के गन्दा होने की धर्म ने घोषणा कर दी है एवं उपासना करते समय जिन से पवित्रता प्राप्त करने का हमें आदेश दिया है ।
- समस्त वस्तुओं के संबन्ध में मूल विधान यही है कि वह वैध तथा पवित्र हैं अतः उदाहरणस्वरूप जब हमें किसी कपड़े की पवित्रता के विषय में संदेह होजाये एवं हमें गन्दगी का कोई प्रमाण न मिले तो वास्तव में वह पवित्र है ।
- एवं जब हमें सलात की इच्छा हो हमारे लिये शरीर, कपड़े तथा सलात के स्थान को गन्दगी से पवित्र करना अनिवार्य है ।

गन्दी वस्तुयें :

1	मनुष्य का पेशाब पाखाना
2	रक्त किन्तु मात्रा थोड़ी हो तो क्षमा है ।
3	जिन पशुओं का खाना अवैध है, उन का गोबर तथा पेशाब । (देखिये पृष्ठ : 157)
4	कुत्ता एवं सुअर ।
5	मुरदा पशु : इस में समस्त मुरदा पशु सम्मिलित हैं किन्तु वह पशु जिन्हें धार्मिक तरीके से ज़बह करके खाया जाता हो । (देखिये पृष्ठ : 158) रही मुरदा मनुष्य, मछली तथा कीड़े मकोड़ों की तो यह सब पवित्र है ।

गन्दगी से पवित्रता प्राप्त करना :

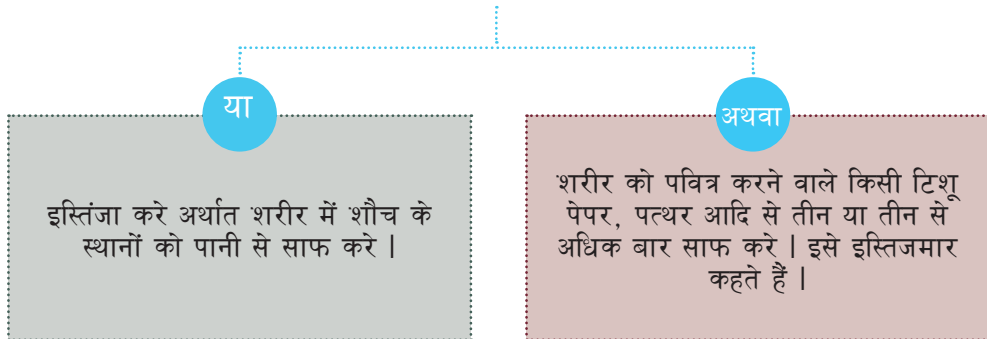
शरीर, कपड़े अथवा किसी स्थान में लगी गन्दगी को दूर करने के लिये केवल इतना ही प्रयाप्त है कि पानी अथवा किसी भी साधन से गन्दगी के स्थान से मूल गन्दगी दूर हो जाये, इस लिये कि इस्लाम न केवल गन्दगी दूर करने का आदेश दिया है, कितनी बार एवं किसी प्रकार धोना है इस की च्ययन नहीं किया हूँ कुत्ता की गन्दगी अर्थात् उस की राल, उस के मूत्र तथा मल को सात बार धोने का आदेश दिया, उन में प्रथम अथवा अन्त में मिट्टी का प्रयोग करने की शिक्षा दी शेष गन्दिगियों की सफाई करते समय केवल मूल गन्दगी का दूर होजाना काफी है, वु अथवा रंग बाकी रह जाने में कोई हानि नहीं, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहवारी का खून धूने का आदेश देते हुये एक महिला से फर्माया : केवल खून धोना ही काफी है उस के दाग से तुम्हें कोई हानि नहीं । (अबू दाऊद : 365)



➤ गन्दगी को साफ करने के लिये केवल इतना ही काफी है किसी भी साधन से वास्तविक गन्दगी दूर होजाये ।

शौच जाने एवं सफाई करने की विधि :

- प्रिय है कि मनुष्य शौच जाते समय अपना बाया पैर आगे बढ़ाये एवं बिस्मिल्लाह कहे, फिर यह हुआ पढ़े : अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबिक मिनल खुबुसि वल खवाइस ।
- एवं जब आवश्यकता पूरी करने के बाद बाहर आये अपना दाहिना पैर बाहर निकाले एवं कहे : गुफ़रानक ।
- शौच के समय लोगों से अपना गुप्तांग छुपाना अनिवार्य है ।
- इसी प्रकार ऐसे स्थानों में शौच करना अवैध है जिस से लोगों को कष्ट पहुंचता हो ।
- यदि कोई खुले मैदान में शौच कर रहा हो तो उस के लिये किसी बिल में शौच करना अवैध है होसकता है कि बिल में उपस्थित किसी जीव को इस से हानि हो अथवा उसे स्वयं ही उस जीव से कोई हानि पहुंच जाये ।
- मुसलमान के लिये अनिवार्य है कि वह खुले मैदान में काबा की दिशा मुंह करके शौच न करे किन्तु घर में बने आधुनिक शौचालयों में यदि ऐसा होजाता है तो कोई हरज नहीं, इस लिये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : शौच के समय क़िवले की दिशा न तो मुंह करो न ही पीठ । (अल बुख़ारी : 386, मुस्लिम : 264)
- मनुष्य के लिये अनिवार्य है कि अपने शरीर तथा कपड़ों को उड़ने वाले गन्दगी के छीटों से बचाये, यदि किसी कारण कुछ छीटे पड़ जायें तो उन्हें धो डाले ।
- आवश्यकता पूरी करने के बाद दो में से एक कार्य करना है :
उचित है कि गन्दगी साफ करते समय बायें हाथ का प्रयोग किया जाये ।



अपवित्रता

- अपवित्रता : एक अदृश्य अर्थ है जो मनुष्य को पवित्रता प्राप्ति से पूर्व सलात से रोकता है, यह साधारण गन्दगी के समान कोई दिखने अथवा महसूस की जाने वाली अपवित्रता नहीं है।
- साफ पानी से वजू अथवा गुस्ल करने से यह अपवित्रता समाप्त होजाती है एवं मनुष्य पवित्र होजाता है, पवित्र पानी : वह पानी है जिस में गन्दगी पड़ने के कारण उस का रंग, बू तथा स्वाद न बदला हो।
- वजू के बाद मनुष्य को व्यापक पवित्रता प्राप्त होगी एवं पुनः अपवित्र होने तक उस के लिये सलात अदा करना संभव होगा।

अपवित्रता दो प्रकार की है :



ऐसी अपवित्रता जिसे दूर करने के लिये केवल वजू पर्याप्त है। इसे छोटी अपवित्रता कहा जाता है।

ऐसी अपवित्रता जिसे दूर करने हेतु मनुष्य के लिये श्नान करना एवं पानी से संपूर्ण शरीर को धोना अनिवार्य है, इसे हम बड़ी अपवित्रता कहते हैं।

छोटी अपवित्रता एवं वजू :

निम्नलिखित वस्तुओं की उपस्थिति में मुसलमान की पवित्रता नष्ट होजाती है एवं सलात के लिये वजू करना अनिवार्य होजाता है :

- 1 पेशाब तथा पाखाना एवं इन के निकलने के स्थानों से बाहर आने वाली अन्य वस्तु जैसे हवा आदि। अल्लाह वजू भंक करने वाली वस्तुओं का वर्णन करते हुये फ़र्माता है : या तुम में से किसी ने शौच किया हो, एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात में अपवित्रता का संदेह करने वाले के विषय में फ़र्माया : वह सलात से न हटे यहाँ तक कि हवा निकलने का स्वर सुने अथवा बू महसूस करे। (बुख़ारी : 175, मुस्लिम : 361)
- 2 नशे की स्थिति में बिना किसी रुकावट के गुप्तांग को छूना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : जो अपना गुप्तांग छुये उसे वजू करना चाहिये। (अबू दाऊद : 181)
- 3 ऊँट का गोश्त खाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया : क्या हम ऊँट के गोश्त के कारण वजू करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया हाँ। (मुस्लिम : 360)
- 4 नींद, पागलपन अथवा नशे के कारण बुद्धि काम न करे।

› मैं कैसे वजू कटूँ ?

वजू एवं पवित्रता महत्वपूर्ण तथा श्रेष्ठ कार्यों में से है, यदि दास अल्लाह से पुण्य की चाहत में अपनी नीयत शुद्ध करले तो इन के माध्यम से अल्लाह पापों को मिटा देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : मुसलमान वजू करते हुये जब अपना चेहरा धोता है तो सारे पाप जिन की दिशा उस ने आँखों से देखा था पानी के संग धुल जाते हैं, फिर जब अपने दोनों हाथ धोता है तो पानी के संग हाथों से होने वाले सारे पाप निकल जाते हैं, फिर जब अपने दोनों पैर धोता है तो फिर पैरों से चल कर जो पाप किये हैं वह सारे पाप पानी के संग उस के पैरों से निकल जाते हैं, अन्त में स्थिति यह होती है कि वह सर्वतः पापों से पवित्र होजाता है । (मुस्लिम : 244)

मैं वजू कैसे करूँ एवं छोटी अपवित्रता कैसे दूर करूँ ?

मुसलमान जब वजू करे तो अनिवार्य है कि उस की नीयत करे, अर्थात हृदय एवं बुद्धि में यह इच्छा हो कि अपने इस कार्य से वह अपवित्रता दूर करने जा रहा है, हृदय की इच्छा ही प्रत्येक कार्य के पर्याप्त होने की महत्वपूर्ण शर्त है । जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : कार्य नीयतों पर निर्भर है । (बुखारी : 1, मुस्लिम : 1907) फिर क्रमशः बिना अन्तराल इस प्रकार वजू आरंभ करे :



1

बिस्मिललाह कहे ।



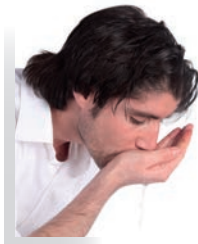
2

पानी से तीन बार दोनों हथेलियाँ धोये, ऐसा करना सुन्नत है ।



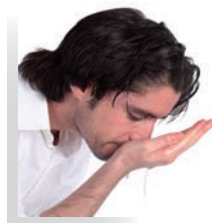
3

पानी से कुल्ली करे, अर्थात मुँह में पानी लेकर उसे अन्दर ही हरकत दे फिर पानी बाहर कुल्ली कर दे । ऐसा तीन बार करना मसनून है एवं एक बार अनिवार्य है ।



4

फिर नाक में पानी डाल कर नाक साफ करे अर्थात नाक के अन्दर ऊपर तक पानी चढ़ाये फिर नाक के रास्ते बाहर आने वाली हवा के प्रभवा से उसे बाहर कर दे, हानि न होने की स्थिति में नाक की सफाई में अतियुक्ति से काम ले सकता है, तीन बार नाक साफ करना सुन्नत है एवं एक बार अनिवार्य है ।



5

अपने चेहरा धोये, बाल निकलने के स्थान से नीचे थोड़ी तक एवं कान से कान तक के भाग को चेहरा कहा जाता है, दोनों कान चेहरे का भाग नहीं हैं, चेहरे को तीन बार धोना सुन्नत एवं एक बार धोना अनिवार्य है।



6

फिर उंगलियों के सिरे से कोहनियों तक दोनों हाथ धोये, पहले दाहिना फिर बायाँ, दोनों कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना है, हाथों को तीन बार धोना सुन्नत तथा एक बार धोना अनिवार्य है।



7

फिर भीगी हथेलियों से पूरे सिर का मसह करे, सिर के अग्रिम भाग से लेकर गुद्दी तक अपनी हथेली फिराये, फिर गुद्दी से सिर के अग्रिम भाग तक अपनी हथेलियाँ वापस लाये, सिर का मसह केवल एक बार ही करना है अन्य अंगों के समान तीन बार मसह करना मसनून नहीं।



8

अपने दोनों कानों का मसह करे, इस प्रकार कि सिर के मसह के बाद दोनों हाथों की शहादत की उंगली को कानों के अन्दर डाले फिर अंगूठों से कान के बाहरी भाग पर मसह करे।



9

अन्त में टखनों समेत दोनों पैर धोये, पहले दाहिना पैर फिर बायाँ, तीन बार धोना सुन्नत है एवं एक बार अनिवार्य। यदि मौज़ा पहने हो तो चन्द शर्तों के साथ मोज़ों पर मसह करना जायज़ है।



बड़ी अपवित्रता एवं श्चनान :

श्चनान के कारण :

यह वह कार्य जिन्हें करने के बाद मुसलमान के लिये सलात अथवा तवाफ से पूर्व श्चनान अनिवार्य होजाता है ।

वह वस्तुयें निम्नलिखित हैं :

- 1 जागने अथवा नींद की स्थिति में किसी भी साधन से स्वाद के साथ वीर्य का उछल कर बाहर आना

वीर्य सफेद रंग का वह गाढ़ा तरल पदार्थ है जो स्वाद तथा नशे की सीमा पर पहुंच कर बाहर आता है ।

- 2 संभोग तथा स्त्रीगमन अर्थात पुरुष के गुप्तांग का स्त्री की योनि में प्रवेश करना चाहे वीर्य निकले या न निकले, श्चनान के लिये केवल पुरुष के गुप्तांग का योनि में प्रवेश करना ही पर्याप्त है, अल्लाह का फर्मान है : यदि तुम जुनुबी अर्थात संभोग कारण अपवित्र रहो तो पवित्रता प्राप्त करो (अल मायदह : 6)

- 3 मासिक धर्म तथा प्रसूति रक्ता आना :

- मासिक धर्म वह प्राकृतिक रक्त है जो प्रत्येक महीने महिला के गुप्तांग से बाहर निकलता है, एवं सात दिन तक जारी रहता है, अवधि में महिलाओं की प्रकृति अनुसार कमी एवं ज्यादाती भी हो सकती है ।
- निफास अर्थात प्रसूति रक्त वह रक्त है जो बच्चा जनने के बाद महिलाओं को कुछ विशेष दिनों तक आता है ।

मासिक धर्म तथा प्रसूति रक्त वाली महिलाओं को रक्त आने के दिनों में सलात तथा सौम की छूट दी गई है, पवित्र होने के बाद केवल छोटे सौम पूरे करेगी परन्तु सलात पूरे करने की आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार इन दिनों में पति उस से संभोग भी नहीं करे गा । संभोग के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों से आनन्द ले सकता है । रक्त रुक जाने के बाद महिला के लिये श्चनान अनिवार्य है ।



> अनिवार्य श्चनान में पूरे शरीर पर पानी बहाना ही काफी है ।

अल्लाह का फर्मान है : तुम माहवारी के दिनों में रक्त आने के स्थान में महिलाओं से अलग हो जाओ एवं पवित्र होने तक उन के निकट न जाओ फिर जब वह पवित्र होजायें तो उन के पास उस प्रकार आओ जिस प्रकार अल्लाह ने उन के पास आने का आदेश दिया है । (अल बकरह : 222) यहाँ पवित्र होने का अर्थ श्चनान करना है ।

बड़ी अपवित्रता एवं पत्नीभोग के बाद मुसलमान कैसे पवित्र हो ?

केवल इतना प्रयाप्त है कि मुसलमान पवित्रता की नीयत करे एवं पानी से पूरे शरीर को धो ले ।

- किन्तु परिपूर्ण तथा उत्तम यह है कि वह जिस प्रकार शौच के बाद पानी से विशेष स्थानों की सफाई करता है उस प्रकार सफाई करे, फिर वजू करने के बाद संपूर्ण शरीर पर पानी बहाये ऐसा करने से उसे अधिक पुण्य मिलेगा क्योंकि ऐसा करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुकूल है ।
- यदि मुसलमान बड़ी अपवित्रता से श्चान कर ले तो यही श्चान उस के वजू के लिये पर्याप्त होगा, उसे श्चान के बाद वजू करना अनिवार्य नहीं होगा किन्तु उत्तम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार पहले वजू करे फिर श्चान करे ।

मोज़ों पर मसह करना :

इस्लाम की हृदय विशालता एवं सरलता है कि वजू करते समय पैरों को धोने के बदले मुसलामन को अनुमति है कि वह अपने भीगे हाथों से अपने मोज़ों अथवा पूरे पैर को ढकने वाले जूतों के ऊपरी भाग पर मसह करले, किन्तु ऐसा करने के लिये यह शर्त है कि उस ने मोज़े अथवा जूते वजू के बाद पहने हों, स्थाई व्यक्ति 24 घण्टों तथा यात्री 72 घण्टों तक ऐसा करने का अधिकार रखता है ।

रही बात बड़ी अपवित्रता से पवित्रता प्राप्त करने की तो इस स्थिति में पैरों को धोना अनिवार्य है ।



जो पानी के प्रयोग में असमर्थ हो :

वजू अथवा श्चान के समय किसी रोग एवं पानी न होने अथवा मात्र पीने भर का होने के कारण जब मुसलमान पानी के प्रयोग में असमर्थ हो तो उस के लिये उस समय तक पाक मिट्टी से तयम्मुम करना जायज़ है जब तक कि उसे पानी न मिल जाये एवं वह पानी के प्रयोग की शक्ति न रखे ।

तयम्मुम की विधि : अपने दोनों हाथ पाक मिट्टी पर एक बार मारे, फिर मिट्टी लगे हाथों से पहले चेहरे फिर दोनों हाथों के ऊपरी भाग पर मसह करे, बायें हाथ की हथेली से दाहिने हाथ पर एवं दाहिने हाथ की हथेली से बायें हाथ पर ।





आप की सलात

3

सलात इस्लाम धर्म का आधार एवं स्वामी तथा उस के दास के मध्य संबन्ध स्थापना का साधन है, इसी कारण इसे समस्त उपासनाओं में महान स्थान प्राप्त है, अल्लाह ने मुसलमानों को जटिल से जटिल परिस्थितियों में भी इस की सुरक्षा का आदेश दिया है, मनुष्य चाहे अपने स्थायी निवास में हो अथवा यात्रा पर, स्वच्छ हो अथवा रोगी उसे सलात अवश्य पढ़नी है।

अध्याय सूची :

सलात का महत्व एवं स्थान ।

सलात का महत्व एवं उसकी श्रेष्ठता ।

पाँचों अनिवार्य सलात एवं उन का समय ।

सलात का स्थान ।

सलात की विधि

मैं सलात कैसे पढ़ूँ ।

सलात के आधार एवं उस की अनिवार्यतायें ।

- सलात को खण्डित तथा भंग करने वाली वस्तुयें
- सलात में अप्रिय कार्य ।

प्रिय सलातें कौन सी हैं ?

सामूहिक सलात ।

अज्ञान ।

सलात में विनम्रता तथा शालीनता ।

जुमा की सलात ।

यात्री की सलात ।

रोगी की सलात ।

मूल रूप से सलात का अर्थ है : दुआ प्रार्थना , यह स्वामी तथा दास के मध्य संबन्ध स्थापित करने का साधन भी है, इस में दासत्व के सभी महान अर्थ तथा अल्लाह के शरण में आने एवं उस से सहायता मांगने जैसी महान उपासनायें पाई जाती हैं। सलात में दास अपने दाता को पुकारता है, उस से गुप्त वार्ता करता है, उसे याद करता है जिस से उस की आत्मा पवित्र तथा शुद्ध हो जाती है, उसे अपनी तथा संसार की वास्तविकता का ज्ञान होजाता है फिर वह अपने स्वामी की महानता एवं उस की कृपा का आभास करने लगता है, उस समय उस की यह सलात उसे अल्लाह के धर्म पर जम जाने का साहस देती है, उसे अत्याचार, दुराचरण तथा नाफरमानी से बचाती है जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : निःसंदेह सलात अप शब्दों तथा दुष्कार्यों से रोक्ती है। (अल अंकबूत : 45)



➤ सलात का स्थान एवं उस का महत्व

सलात शारीरिक उपासनाओं में सर्वमहान उपासना है, यह ऐसी उपासना है जिस में मनुष्य का हृदय, उस की बुद्धि, उस की ज़वान, सभी सम्मिलित होते हैं। सलात का महत्व अधिकांश वस्तुओं से प्रकट होता है, कुछ निम्नलिखित हैं :

सलात को सर्वमहान स्थान प्राप्त है :

- 1 सलात इस्लाम का दूसरा आधार है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : इस्लाम पांच वस्तुओं पर आधारित है : इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं तथा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, एवं सलात स्थापित करना , (बुखारी : 8, मुस्लिम : 16) किसी भवन का आधार ही वह मूल शक्ति है जिस पर पूरे भवन का भार होता है, उस आधार के बिना भवन खड़ा ही नहीं हो सकता।

2 बहुत सारे धार्मिक प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि सलात मुसलमानों तथा काफिरों के मध्य अन्तर चिन्ह है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : मनुष्य तथा शिर्क एवं कुपर के मध्य अन्तर करने वाली वस्तु सलात का त्यागना है । (मुस्लिम : 82), एक अन्य स्थान पर फर्माया : हमारे तथा उन के मध्य जो सीमा है वह सलात है, अतः जिस ने सलात त्याग दिया, उस ने कुपर किया । (अत्तिर्मिज़ी : 2621, अन्नसारि : 463)

3 अल्लाह ने हर हाल में सलात की सुरक्षा का आदेश दिया है चाहे यात्रा हो अथवा उपस्थिति, शांति हो अथवा युद्ध, स्वास्थ्य हो अथवा रोग, शक्ति अनुसार इसे अदा करना है, जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : सलातों की सुरक्षा करो । (अल बकरह : 238) एवं अपने सदाचारी दासों की प्रशंसा करते हुये फर्माया : एवं वह जो अपने सलातों की सुरक्षा करते हैं । (अल मूमिनून : 9)

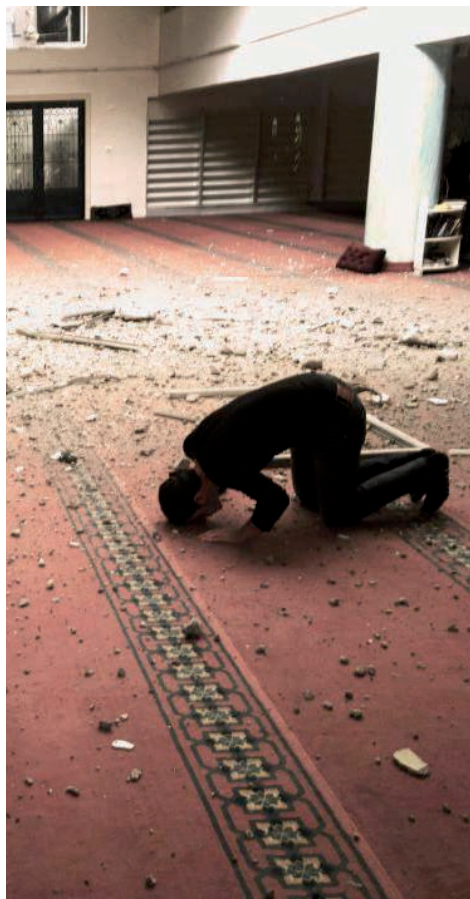
सलात का महत्व एवं श्रेष्ठता :

कुर्आन व हदीस में सलात के महत्व में बहुत से प्रमाण मिलते हैं, उन्ही में कुछ निम्नलिखित हैं :

1 इस से पाप धुलते हैं, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : पांचों समय की सलातें एवं एक जुमा से दूसरे जुमा तक, जब तक महा पाप न हों, बीच में होने वाले पापों का परायिश्चित हैं । (मुस्लिम : 233, अत्तिर्मिज़ी : 214)

2 सलात मुस्लिम के संपूर्ण जीवन के लिये उज्ज्वल ज्योति एवं आलोक है, जो सद् कार्यों में उस का सहायक एवं दुष्टता से उसे दूर रखता है, जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : निःसंदेह सलात अप शब्दों तथा दुष्कार्यों से रोकती है । (अल अंकबूत : 28), एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : सलात आलोक है । (मुस्लिम 223)

3 दास से प्रलोक में सर्वप्रथम सलात के विषय में प्रश्न होगा, यदि सलात सही तथा स्वीकृत हुई तो शेष समस्त कार्य स्वीकृत हो जायेंगे, यदि इसे निरस्त कर दिया गया तो शेष समस्त कार्य निरस्त कर दिये जायेंगे जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : दास से प्रलोक में सर्वप्रथम सलात का हिसाब होगा, यदि सलात सही हुई तो उस के शेष समस्त कार्य सही होजायेंगे एवं यदि वह खराब होगई तो उस के शेष समस्त कार्य खराब होजायेंगे । (अल मोजमुल औसत लिहबरानी : 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)



> अल्लाह ने सभी परिस्थितियों में मनुष्य को सलात की सुरक्षा का आदेश दिया है यहाँ तक कि युद्ध तथा आकाशीय संकटों एवं आपदाओं में भी सलात क्षमा नहीं ।

सलात किन के लिये अनिवार्य है :

मासिक धर्म तथा प्रसूति रक्त वाली महिलाओं को छोड़ कर सलात हर बुद्धिमान व्यस्क मुसलमान पुरुष महिला के लिये अनिवार्य है, केवल मासिक धर्म तथा प्रसूति रक्त वाली महिलायें उस अवधि में सलात नहीं पढ़ेंगी न ही पवित्र होने पर छूटी सलातें पुनः पढ़ेंगी ।



सलात में जब दास अपने स्वामी से गुप्तवार्ता करता है तो यह उस के जीवन के उल्लासपूर्ण स्वादिष्ट क्षण होते हैं ।

जिस से उसे विचित्र ढंग का आनन्द एवं शांति मिलती है वह अल्लाह से प्रेमवद्ध होजाता है ।

यही सलात हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये भी आनन्द व उल्लास का सर्वसाधन थी जैसा कि आप का फर्मान है : सलात मेरे आँखों की ठण्डक बनाई गई है । (अन्नसाई : 3940)

एवं आप सलात के लिये बुलाने वाले अपने मुअज्जिन हज़रत बिलाल रज़िअल्लाहु अन्हु से कहते : हे बिलाल हम सलात के माध्यम से सुख पहुंचाओ । (अबू दाऊद : 4985)

एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी संकट में पड़ते तो आप शीघ्र तः सलात के लिये खड़े होजाते : (अबू दाऊद : 1319)

किसी व्यक्ति के व्यस्क होने का ज्ञान निम्नलिखित चिन्हों से होसकता है :

पन्द्रह वर्ष की आयु का होना

आगे पीछे गुप्त अंगों के निकट खुरदुरे बाल उग आना

सोते जागते वीर्य का निकलना

महिला का मासिक धर्म आना अथवा गर्भवती होना

> सलात के लिये किन शर्तों को होना आवश्यक है

1 गन्दगी तथा अपवित्रता से पवित्रता : इस का विस्तारपूर्वक वर्णन बीत चुका है :

2 गुत्पांगों को छुपाना :

गुप्त अंगों को ऐसे कपड़ों से छुपाना आवश्यक है जिस के पतले तथा छोटा होने के कारण शरीर के अंग स्पष्ट न होते हों ।

गुप्त अंग तीन प्रकार के हैं ।

महिला : सलात में व्यस्क महिला का गुप्तांग हथेली तथा चेहरे को छोड़ कर उस का संपूर्ण शरीर है ।

छोटा बच्चा : इस का गुप्तांग केवल शौच के रास्ते हैं ।

पुरुष : व्यस्क पुरुष का गुप्तांग नाभि से लेकर घुटने तक है ।

अल्लाह का फ़र्मान है : हे आदम के पुत्रो : तुम हर सलात के समय अपनी श्रंगार की वस्तुयें पहन लिया करो । (अल आराफ : 31) गुप्त अंगों को छुपाना श्रंगार की न्यूनतम सीमा है । यहाँ हर मस्जिद का अर्थ हर सलात है ।



> मुसलमान महिला के लिये चेहरे तथा हथेली के अतिरिक्त सलात में अपने संपूर्ण शरीर को ढकना आवश्यक है ।

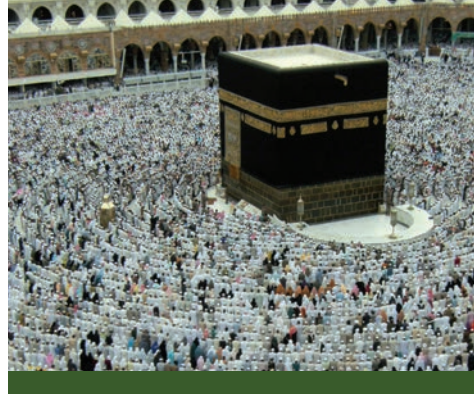
3 काबा की दिशा मुंह करना ।

अल्लाह का फ़र्मान है : तुम जहाँ कहीं भी रहो अपना चेहरा सम्मानित मस्जिद की दिशा कर लिया करो । (अल बकरह : 149)

- मुसलमानों का क़िबला पवित्र काबा है जिसे नबियों के पिता इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था एवं जहाँ आकर समस्त नबियों ने अपना अपना हज्ज किया था, हमें ज्ञान है कि वह पत्थरों से निर्मित मात्र एक घर है जो न तो लाभपहुंछ सकता है न हानि, किन्तु अल्लाह ने हमें सलात में उस की दिशा अपना चेहरा करने का आदेश दिया है ताकि समस्त मुसलमान एक दिशा होकर अल्लाह की उपासना करें एवं ज्ञात हो सके संसार के समस्त मुसलमान एक हैं, इस प्र कार इस दिशा को अपना कर हम अल्लाह की उपासना करते हैं ।
- यदि काबा सामने दिख रहा हो तो मुसलमान के लिये सीधे उस की दिशा मुंह करना आवश्यक है परन्तु जो दूर हो उस के लिये केवल मक्का की दिशा चेहरा करना काफी है, दिशा में थोड़ा परिवर्तन हानिकारक नहीं जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : पूरब तथा पश्चिम के मध्य क़िबला है । (अत्तिर्मिज़ी : 342)



> अल्लाह का फ़र्मान है : निःसंदेह सलात मोमिनों पर समय की पाबन्दी के साथ अनिवार्य की गई है (अन्निसा : 103)



- रोग अथवा किसी अन्य कारण यदि क़िबला की दिशा चेहरा करना संभव न हो तो यह अनिवार्यता समाप्त हो जाती है जैसा कि असमर्थ होने की स्थिति में शेष अनिवार्यतायें समाप्त हो जाती हैं । अल्लाह का फ़र्मान है : शक्ति भर अल्लाह से डरो । (अत्त गाबुन : 16)

4 समय का प्रवेश होना :

समय का प्रवेश होना सलात के सही होने के लिये अनिवार्य, समय से पहले सलात पढ़ना सही नहीं इसी प्रकार उसे समय से विलंब करना भी अवैध है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : निःसंदेह सलात मोमिनों पर समय की पाबन्दी के साथ अनिवार्य की गई है । (अन्निसा : 103)

समय प्रवेश के विषय में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना उचित है :

- उत्तम यह है कि सलात प्रथम समय में अदा की जाये ।
- सलात को समय सीमा ही में अदा करना अनिवार्य है, किसी भी कारणवश उसे विलंब से पढ़ना अवैध है ।
- नींद अथवा भूल जाने के कारण जिस की सलात छूट जाये उसे याद आते ही तुरंत अदा करने में शीघ्रता करनी चाहिये ।

› पांचों अनिवार्य सलातें एवं उन का सीमित समय

अल्लाह ने प्रत्येक मुसलमान पर दिन रात में पाँच सलातें अनिवार्य की हैं जो उस के धर्म का आधार तथा समस्त उपासनाओं में सर्वाधिक महत्व रखती हैं एवं उन की स्पष्ट समय सीमा भी निश्चित की है जो इस प्रकार है :

फजर की सलात : इस की संख्या दो रकअत है, इस का समय प्रातः प्रकाश फैलने से लेकर सूर्योदय तक रहता है ।



जोहर की सलात : इस की संख्या चार रकअत है, समय सूर्य ढलने से लेकर उस समय तक है जब हर वस्तु की छाया उस के समान होजाये ।

अस्र सलात : इस की संख्या भी चार रकअत है, जोहर का समय समाप्त होने से लेकर जब हर वस्तु की छाया उस के दो गुना होजाये । सूर्यास्त के साथ इस का समय समाप्त होजाता है । मुसलमान को अस्र की सलात सूर्य की किरणों के धीमा तथा पीला होने से पूर्व ही अदा कर लेना चाहिये ।



मग़ि़ब की सलात : इस की संख्या तीन रकअत है एवं इस का समय सूर्यास्त से आरंभ होकर सूर्यास्त के उपरांत उत्पन्न होने वाली लाली के लिप्त होने तक रहता है ।

इशा की सलात : इस की संख्या चार रकअत है एवं इस का समय सूर्यास्त के पश्चात प्रकट होने वाली लाली के लिप्त होने से लेकर आधी रात तक रहता है विवशतापूर्वक प्रभात तक पढ़ी जासकती है ।



मुसलमान सलात का समय बताने वाले कैलेन्डरों पर भरोसा कर सकता है उसे स्वयं सलात का समय खोजना आवश्यक नहीं ।

› सलात का स्थान



इस्लाम ने सामूहिक रूप से सलात अदा करने का आदेश दिया है, एवं रुचि दिखाई है कि सलात सामूहिक रूप से मस्जिद में अदा की जाये ताकि मस्जिद मुसलमानों का सभागार एवं एकत्रित होने का केन्द्र बन जाये इस प्रकार परस्पर प्रेम तथा भाइचारी की भावना जन्म लेगी, इस्लाम ने सामूहिक सलात को किसी मनुष्य विशेष की सलात की तुलना कई गुना अधिक प्रधानता प्रदान की है जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : अकेले सलात पढ़ने वाले की तुलना सामूहिक सलात पढ़ने वाले की सलात सत्ताईस गुना अधिक उत्तम है । (बुखारी :619, मुस्लिम :650, अहमद :5921)

किन्तु सलात प्रत्येक स्थान में सही है, यह अल्लाह की हम पर दया कृपा है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : एवं मेरे लिये संपूर्ण धर्ती सजदह की जगह तथा पवित्र बनाई गई, अतः मेरी उम्मत के किसी व्यक्ति को जाहाँ भी सलात का समय मिले उसे सलात अवश्य पढ़ना चाहिये । (अल बुखारी : 328, मुस्लिम 521)

सलात स्थल कैसा हो :

इस्लाम में सलात स्थल के लिये यह शर्त है कि वह पवित्र हो, अल्लाह का फ़र्मान है : हम ने इब्राहीम तथा इस्माईल से यह वचन लिया कि तुम दोनों मेरे घर को तवाफ, एतकाफ, एवं रुकू सजदह करने वालों के लिये पवित्र रखोगे । (अलबक्रह : 125) मूल बात यही है कि धर्ती पवित्र होती है एवं मल तथा गन्दगी उस पर ऊपर से सीमित समय के लिये लग जाती है, अतः जब तक गन्दगी होने का ज्ञान न हो धर्ती को पवित्र ही जानिये, यह आस्था कि कपड़े अथवा जाये नमाज़ के बिना नमाज़ नहीं होती सही नहीं न ही ऐसा करना सुन्नत है ।

सलात स्थल के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है, उदाहरणस्वरूप :

- 1 सलात स्थल में लोगों को कष्ट न पहुंचाये, जैसे कि कोई बीच मार्ग अथवा पथ मार्ग एवं ऐसे स्थानों में सलात पढ़े जहाँ ठेहरना वर्जित है, क्योंकि ऐसा करना लोगों के कोलाहल एवं भीड़ का कारण होगा, एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कष्ट देने तथा हानि पहुंचाने से रोका है, आप का फर्मान है : न अन्जाने में हानि पहुंचाना है, न ही जानबूझ कर । (इब्ने माजह : 2340, अहमद : 2865)
- 2 सलात स्थल में कोई ऐसी वस्तु न हो जिस से सलात पढ़ने वाले का ध्यान बंटता हो, जैसे कि चित्र, ऊँचे स्वर तथा संगीत आदि ।

3 ऐसा स्थान न हो जहाँ उपासना के उपहास का भय हो जैसे कि कोई शराबियों अथवा अनुदावादियों की भीड़ में सलात पढ़े, अल्लाह ने काफिरों के देवी देताओं को बुरा भला कहने से मना किया है ताकि शत्रुता एवं अज्ञानता के कारण वह अल्लाह को गाली न दें । अल्लाह का फर्मान है : अल्ला को छोड़ कर जिन्हें वह पुकारते हैं उन्हें गाली मत दो क्यों कि वह घणा तथा अज्ञानता में अल्लाह को गाली देंगे । (अल अनआम : 108)

4 ऐसा स्थान न हो जिसे मूल रूप से अल्लाह की अवज्ञापालन के लिय तैय्यार किया गया हो जैसे कि नृत्य स्थल एवं नाइट क्लब आदि ऐसे स्थानों में नमाज़ पढ़ना अप्रिय है ।



> सलात स्थल



इस उम्मत की विशेषता एवं अल्लाह की इस पर दया है कि धर्ती के किसी भी भाग में उस की सलात सही है।

क्या आप मस्जिद में समूह के संग सलात पढ़ने की शक्ति रखते हैं ?

नहीं

हां

मुसलमान पुरुष के लिये समूह के संग सलात अनिवार्य है, सामूहिक सलात इस्लाम के महान कार्यों में से है जो अल्लाह को अति प्रिय है, महिलाओं के लिये भी सामूहिक सलात जायज़ है।

यदि आप किसी कारण मस्जिद में सलात न पढ़ पायें तो क्या किसी दूसरी गन्दी जगह ऐसा कर सकते हैं ?

नहीं

हां

गन्दी जगहों पर सलात पढ़ना हराम है एवं अल्लाह ने हमें पवित्र स्थान में सलात पढ़ने का आदेश दिया है।

यदि जगह गन्दी न हो तो लोगों का मार्ग होने के कारण वहाँ सलात पढ़ने से लोगों को कष्ट होगा ?

नहीं

हां

सलात पढ़ कर लोगों को कष्ट देना एवं उन का मार्ग तंग करना हराम है अतः आप को कोई और स्थान खोजना चाहिये।

क्या सलात स्थल में आप का ध्यान बटाने वाली कुछ वस्तुएँ पाई जाती हैं जैसे कि चित्र तथा तीव्र ध्वनि आदि।

नहीं

हां

हर उस वस्तु से दूरी अपनाना अनिवार्य है जो सलात पढ़ने वाले को व्यस्त तथा सलात से असावधान कर दे।

➤ सलात की विधि एवं नियम

1 नीयत (हृदय इच्छा) :

नीयत सलात सही होने की शर्त है, अर्थात् दास सलात के माध्यम से अल्लाह की उपासना की हृदय से इच्छा करे एवं उसे पता हो कि उदाहरणस्वरूप वह मग़िब अथवा इशा की सलात पढ़ रहा है, ज़बान से नीयत करना संवैधानिक नहीं अपितु हृदय इच्छा तथा बौद्धिक ध्यान ही मूल उद्देश्य है, ज़बान से नीयत करना अल्लाह के नबी अथवा आप के साथियों से प्रमाणित न होने के कारण ग़लत है।



2 सलात के लिये खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कहे तथा अपने दोनों हाथों को कन्धों तथा कान की लौ तक उठाये तथा अपनी हथेली के अन्तरिम भाग को काबा की दिशा रखे।

तकवीर के लिये अल्लाहु अकबर के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द का प्रयोग सही नहीं, अल्लाहु अकबर का अर्थ यह है कि अल्लाह सर्वमहान है, अल्लाह अपने अतिरिक्त सुख संपत्ति तथा कामना सामग्रियों समेत संपूर्ण संसार से बड़ा है, अतः सब कुछ त्याग कर सलात में हमें अल्लाह की दिशा अपने हृदय तथा बुद्धि समेत विनम्रतापूर्वक आकर्षित हो जाना चाहिये।

3 घब्रतकवीर के बाद अपना दाहिना हाथ अपने बायें हाथ पर रख कर सीने पर बांध ले एवं क़्याम की स्थिति में निरंतर ऐसा ही करे।

4 टभ फिर सलात आरंभ करने की दुआ पढ़े, ऐसा करना सुन्नत है, दुआ के शब्द यह हैं : (सुबहानक अल्लाहुम्म व बिहमदिक व तबारकस्मुक व तआला जहुक व ला इलाह ग़ैरुक)

5 फिर अऊजु बिल्लाहि मिनशैतानिर्रजीम पढ़े, इसे अरबी भाषा में इस्तिआज़ा कहते हैं जिस का अर्थ है : शैतान की दुष्टता से अल्लाह के शरण में आता हूँ।



6 फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, अरबी भाषा में इसे बसमला कहते हैं जिस का अर्थ है : अल्लाह के नाम की सहायता तथा बर्कत से मैं आरंभ करता हूँ।

7 ढभफिर कुर्आन की प्रथम सूरत सूरये फातिहा पढ़ें, जो कुर्आन की सर्वमहान सूरत है।

क्या करे वह व्यक्ति जिसे न याद हों सूरये फातिहा एवं सलात के अज़कार ?

जो नया नया मुसलमान हुआ हो एवं अभी तक उसे सूरये फातिहा एवं सलात के अज़कार न याद हों वह निम्न तरीका अपनाये :

- उस के लिये अनिवार्य है कि सलात के आवश्यक अज़कार याद करने की चेष्टा करे, इस लिये कि सलात अरबी भाषा के अतिरिक्त किसी और भाषा में मान्य नहीं : सलात के आवश्यक अज़कार निम्नलिखित हैं :

सूरये फातिहा, तकवीर, सुबहान रब्बियलाज़ीम, समिअल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना व लकलहम्द, सुबहान रब्बियलाभ ला, रब्बिग़फिरली, तशहहुद एवं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद एवं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।

- उपरोक्त अज़कार याद होने तक मुसलभ मान अपनी नमाज़ों में सुबहानल्लाह, अलभ हम्दु लिल्लाह, लाइलाह इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर निरंतर पढ़ता रहे या उसे जो भी आयत याद हो क़याम में उसी को दोहराता रहे जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : अल्लाह से उतना डरो जितना तुम्हारी शक्ति में है। (अत्तगावुन : 16)

- उस के लिये उचित है कि इस अवधि में सुनिश्चित जमाअत के साथ सलात अदा करता रहे ताकि उस की सलात समायोजित होजाये एवं इस लिये भी कि इमाम एक सीमा तक पीछ पढ़ने वालों की गलतियों का भार उठा लेता है।

- इस सूरत को उतार कर अल्लाह ने अपने रसूल पर उपकार किया है फ़र्माता है : हम ने तुम्हें बार बार पढ़ी जाने वाली सात आयें तथा महान कुर्आन प्रदान किया है। (अल हिज्र : 87), कुर्आन की सात आयतों वाली सूरत सूरते फातिहा है।

- हर मुसलमान के लिये इस सूरत का सीखना अनिवार्य है इस लिये कि सलात में अकेले तथा जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने वाले समस्त लोगों के लिये इसे पढ़ना सलात का रुकन है।

- 8 फातिहा पढ़ने का बाद सभी के लिये आमीन कहना संवैधानिक है जिस का अर्थ है : अल्लाह स्वीकार कर।

- 9 आरंभ की पहली दो रकअतों में फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत अथवा किसी सूरत की कुछ आयतें पढ़ना मसून है किन्तु तीसरी चौथी रकअतों में केवल सूरते फातिहा पढ़ना ही पर्याप्त है।

- फज़र की सलअत तथा मग़रिब एवं इशा की आरंभिक दो रकअतों में सूरते फातिहा ऊँचे स्वर में पढ़ेंगे किन्तु जोहर अस्त्र में धीमे स्वर में पढ़ेंगे।

- सलात की शेष दुआयें तथा बाक़ी अज़कार धीमे स्वर ही में पढ़ी जायेंगी।



सूरये फातिहा का अर्थ निम्नलिखित है :

[अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन] मैं अल्लाह की समस्त विशेषताओं, कार्यों एवं उस की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नेमतों के साथ प्रशंसा एवं सराहना करता हूँ साथ ही उसी से प्रेम एवं उसी की पूजा भी करता हूँ, रब ही जन्मदाता, स्रष्टा, प्रजापति, निपटारा करने वाला एवं नेमतें निछावर करने वाला है, आलमीन का अर्थ अल्लाह के अतिरिक्त सभी वस्तुयें जो धर्ती, संसार, अकाश, पाताल में हैं चाहे वह मानव हूँ या दानव, पार्षद हूँ अथवा अन्य जीव जन्तु ।

[अर्हमानिर्हीम] बड़ा दयावान एवं अति करुणामयी है । यह अल्लाह के दो महान नाम हैं, अतः रहमान का अर्थ सार्वजनिक दया वाला जिस की कृपा समस्त स्रष्टि को अपने घेरे में लिये हुये है, एवं रहीम का अर्थ ऐसी कृपा वाला जो विशेष रूप से केवल उस के मोमिन बन्दों ही को प्राप्त है ।

[मालिकि यौमिदीन] बदले के दिन अर्थात् पुनर्क्रथान के दिन का स्वामी है, जिस दिन प्रत्येक को अपने किये का बदला मिलने वाला है, इस में मुसलमान को अन्तिम दिवस की याद दिलाई गई है एवं उसे सद्कार्यों पर आग्रहपूर्वक उभारा गया है ।

[इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन] हे अल्लाह ! हम विशेष रूप से केवल तेरी ही उपासना करते हैं एवं किसी भी प्रकार की उपासना में तेरे साथ किसी और को साझीदार नहीं बनाते एवं समस्त कार्यों में केवल तुझी से सहायता मांगते हैं । सब कुछ तेरे हाथ में है, उस में से कण मात्र भी किसी और के अधिकार में नहीं है ।

[इहदिनसिरातल् मुस्तकीम] हमें इस्लाम का सत्य एवं सीधा मार्ग दिखा तथा उस पर जमे रहने की क्षमता प्रदान कर यहाँ तक कि हम तुझ से आ मिलें, सिराते मुस्तकीम स्पष्टतः इस्लाम धर्म है जो अल्लाह की प्रसन्नता एवं उस के स्वर्ग तक पहुँचाने का एकमात्र मार्ग है, एवं यही वह सत्य मार्ग है जिस की दिशा अन्तिम ईशदूत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंगित एवं मार्गदर्शित किया है, एवं मनुष्य के सौभाग्य के लिये इस पर जमे एवं इस से चिमटे रहना अति आवश्यक है ।

[सिरातल्लजीन अनअमत अलैहिम्] उन लोगों (नबियों तथा सदाचारियों) का मार्ग जिन पर तेरा इनेआम व इकराम हुआ, जिन्होंने सत्य को पहचान कर उस का अनुसरण किया ।

[गैरिल् मगजूबि अलैहिम् वलज्जाल्लीन] उन का मार्ग नहीं जिन पर तेरा प्रकोप आया न ही उन का मार्ग जो गुमराह तथा पथभ्रष्ट हुये । अर्थात् हमें उन के मार्ग से दूर रख जिन पर तु क्रोधित हुआ, इस लिये कि सत्य जानने के बाद भी उन्होंने उस का अनुसरण नहीं किया वह यहूदी तथा उन जैसे लोग हैं, इसी प्रकार हमें उन के मार्ग से भी हटा ले जो पथभ्रष्ट होगये, यह वह लोग हैं जो अपनी अज्ञानता के कारण सत्य तक नहीं पहुँच सके यह नसरानी एवं इन के समान लोग हैं

10 फिर दोनों हाथों की हथेलियों को क़िवले की दिशा रखते हुये उन्हें कन्धे अथवा कान की लौ तक उठा कर रुकू के लिये झुके जैसे उस ने पहली तकबीर के समय किया था ।



11 इस प्रकार रुकू करे कि उस की पीठ क़िवले की दिशा झुकी हो एवं पीठ तथा सिर समानतः एक सीध में हों फिर अपनी दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों पर जमा दे एवं तीन अथवा तीन से अधिक बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहे, किन्तु एक बार तसबीह पढ़ना वाजिब है, रुकू अल्लाह के सम्मान एवं महानता का स्थान है ।

- सुबहान रब्बियल अज़ीम का अर्थ है : मैं सर्वमहान अल्लाह की महानता व्यान करता हूँ तथा उसे प्रत्येक अवगुण से पवित्र मानता हूँ मैं अति शालीन, विनम्रतापूर्वक अल्लाह के समक्ष झुकता हूँ ।



12 रुकू से उठ कर बराबर खड़ा होजाये एवं यदि इमाम ही अथवा अकेले सलात अदा कर रहा हो तो (समि अल्लाहु लिमन हमिदह) कहते हुये अपनी दोनों हथेलियों को कन्धों तथा कान की लौ तक इस प्रकार उठाये कि हथेलियों के अन्तरिम भाग काबा की दिशा रहें फिर सभी (रब्बना व लक़लहम्द) पढ़ें । इस से अधिक पढ़ना भी सुन्नत है अतः इस दुआ के बाद इतना और पढ़ें (... हमदन कसीरन तैय्यबन मुबारकन फीह, मिलअस्समाइ व मिलअल अर्ज़ि व मिलअ मा शिअत मिन शैइन वअद)

13 तत्पश्चात् अल्लाहु अकबर कहते हुये धर्ती पर सात अंगों पर सजदह करे, सात अंग नाक समेत पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने एवं दोनों पैर हैं, सुन्नत है कि सजदे में दोनों हाथ पहलुओं से दूर रहें एवं पेट रानों से तथा रान पैरों से अलग रहें, इसी प्रकार अपने दोनों बाजुओं को धर्ती से ऊपर रखे ।



14 सजदे में यह दुआ पढ़े : (सुबहान रब्बियल आला) इसे एक बार पढ़ना वाजिब है एवं तीन बार दोहराना सुन्नत है ।

सजदे दुआ की स्वीकृति के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक हैं, जहाँ मनुष्य विशेष तसबीह के बाद संसार तथा आखिरत की जो दुआ करना चाहे कर सकता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : सदजह में मनुष्य अपने रब के अत्यन्त निकट होता है, अतः तुम अधिकाधिक दुआ करो । (मुस्लिम : 482)

- (सुबहान रब्बियल आला) का अर्थ यह है कि मैं उस सर्वमहान अल्लाह की पवित्रता के गुण गाता हूँ जो अपनी महानता की शीर्ष तथा आकाशों के ऊपर है, जो सभी खामियों तथा दोषों से पवित्र है, इस में धर्ती से चिमटे विनयपूर्वक सजदे में गिरे व्यक्ति के लिये चेतावनी है कि वह अपने तथा अपने जन्मदाता के मध्य अन्तर को अच्छी तरह जान ले फिर अपने स्वामी के अधीन होकर उस की उपासना में विनयपूर्वक लीन होजाये ।

15 फिर अल्लाहु अकबर कह कर दोनों सजदों के बीच बैठ जाये, प्रिय है कि वह अपने बायें पैर पर भार देकर बैठे एवं दाहिना पैर खड़ा रखे, एवं घुटनों से लगे रानों के अग्रिम भाग पर अपने दोनों हाथ रख ले ।

- अन्तिम तशहहुद को छोड़ कर सलात की सभी बैठकों में बैठने की यही शैली अपनाना सुन्नत है, किन्तु तशहहुद में दाहिना पैर खड़ा कर बायें पैर को उस के नीचे से निकाल कर कूल्हों के बल बैठना सुन्नत है ।
- घुटनों में तकलीफ अथवा आदत न होने के कारण पहले तथा अन्तिम तशहहुद में उपरोक्त तरीके से बैठना जिन के लिये संभव न हो, तो इस से निकटतम ऐसी शकल अपना कर बैठे जिस में उसे आराम हो ।



16 दोनों सजदों के मध्य बैठक में यह दुआ पढ़े : (रब्बिग़फ़िरली) इस दुआ को तीन बार दोहराना सुन्नत है ।

17 फिर पहले सजदे के समान दूसरा सजदह करे ।

18 फिर अल्लाह अकबर कहते हुये दूसरे सजदे से उठ कर बराबर खड़ा होजाये

19 एवं पूर्णतः पहली रकअत के समान दूसरी रकअत पढ़े ।

20 दूसरी रकअत के दूसरे सजदे के बाद पहली तशहहूद के लिये बैठे एवं यह दुआ पढ़े : (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिवातु, अस्सालमु अलैक अय्युहन्नवीय्यु वरहमतुल्लाहि व वरकातुहू, अस्सामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्लाइलाह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू)

21 फिर यदि तीन अथवा चार रकवत वाली सलात हो तो शेष सलात के लिये खड़ा हो किन्तु तीसरी एवं चौथी रकअत में केवल सूरये फातिहा पढ़ने पर बस करे ।

- यदि सलात दो रकअत वाली हो जैसे फजर तो इस स्थिति में अन्तिम तशहहूद करे जिस का ब्यान आगे आरहा है ।

22 फिर अन्तिम रकअत में सजदों के बाद अन्तिम तशहहूद के लिये बैठे, इस का तरीका भी पहले तशहहूद के समान है किन्तु उपरोक्त दुआ के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस प्रकार ददुद भेजे : (अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिवं व अला आलि मुहम्मदिन, कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद । व वारिक अला मुहम्मदिवं व अला आलि मुहम्मदिन कमा वारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद ।)

- दरूद के बाद यह दुआ पढ़ना भी प्रिय है : (अऊजूबिल्लाहि मिन अज़ाबि जहन्नम, वमिन अज़ाबिल क़ब्र, वमिन फितनतिलमहया वलममात, वमिन फितनतिल मसीहिदज्जाल) तत्पश्चात जो चाहे दुआ करे ।



23 फिर (अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह) कहते हुये दाहिनी दिशा अपना मुंह मोड़े फिर इसी प्रकार बाई दिशा अपना मुंह मोड़े ।

- सलाम के साथ ही मुसलमान की सलात सम्पन्न हुई जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : अल्लाहु अकबर सलात की तहरीम है, एवं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह उस को हलाल बनाने वाली । (अबु दाऊद 61, अत्तिर्मिज़ी 3) अर्थात अल्लाहु अकबर से सलात में प्रवेश हुआ जाता है एवं सलाम से बाहर निकला जाता है ।

24 फर्ज सलात में सलाम फेरने के बाद मुसलमान के लिये क्रमशः निम्नलिखित दुआयें पढ़ना मसनून है :

1-तीन बार (अस्तग़फ़िरुल्लाह)

2- फिर यह दुआयें पढ़ें : (अललाहुम्मा अन्तस्सलाम व मिनकस्सलाम, तवारकता या ज़लजलालि वल इक्राम), (अल्लाहुम्म ला मानिअ लिमा आतैत, वला मुअतिय लिमा मनअत, वला यनफउ ज़लजदि मिनकल जद्)

3- फिर 33 बार (सुबहानल्लाह), 33 बार (अलहम्दु लिल्लाह), 33 बार (अल्लाहु अकबर) कहे एवं सौ की संख्या पूरी करने के लिये अन्त में यह दुआ पढ़ें (ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू, लहुलमुल्कु वलहुल हम्दु वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर)



➤ मैं सलात कैसे अदा करूँ ? (क़यामभटूकूभसुजूद)

1

सीधा खड़ा होजाये
एवं दोनों हाथों को
कंधे तथा कान की
लौ तक उठाते हुये
अल्लाहु अकबर कहे



2

अपना दाहिना हाथ
अपने बायें हाथ पर रख
कर सीने पर बांध ले
फिर यदि पहली अथवा
दूसरी रकअत में हो तो
सूरये फातिहा के साथ
कुर्आन से जो याद हो
उस की क़िराअत करे ।



3

दोनों हाथों को कंधे अथवा
कान की लौ तक उठाते
हुये अपनी पीठ को क़िबले
की दिशा झुकाये एवं अपने
दोनों हाथों को अपने घुटनों
पर जमा दे तथा तीन बार
(सुवहान रब्बियल अज़ीम)
पढ़े ।





4 रुकू से सिर उठाये एवं कंधे तथा कान की लौ तक दोनों हाथों को उठाते हुये सीधा खड़ा होजाये फिर इमाम अथवा अकेला होने की स्थिति में (समिअल्लाहु लिमन हमिदह) कहे, इस के बाद सभी (रख्बना व लकल हम्द) कहें ।

5 फिर बिना हाथ उठाये अल्लाहु अकबर कहते हुये सजदें में जाये तथा सात अंगों : नाक समेत पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने एवं दोनों पैर पर सजदह करे एवं तीन बार (सुबहान रब्बियल आला) कहे ।

6 दोनों सजदों के मध्य दाहिना पैर खड़ा कर बायें पैर पर भार डाल कर बैठ जाये, अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों रानों के अग्रिम भाग पर रख कर तीन बार (रब्बिग़फिरली) पढ़े फिर पहले सजदे के समान दूसरा सजदह करे ।



➤ मैं कैसे अदा कटूँ (दूसरी रकअत भतशहूद भसलाम)

7

पहली रकअत के दूसरे सजदे से सिर उठाये एवं दूसरी रकअत के लिये सीधा खड़ा होजाये एवं दूसरी रकअत में क़्याम, क़िराअत, रुकू, रुकू के बाद क़्याम तथा सुजूद समेत वह सारे काम करे जो उस ने पहली रकअत में किया था ।



8

दूसरी रकअत के दूसरे सजदे के बाद पहली तशहूद के लिये दो सजदों के मध्य बैठक समान बैठ कर यह दुआ पढ़े : (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिवातु, अस्सालमु अलैक अय्युहन्नबीय्यु वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्लामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्लाइलाह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दहू व रसूलहू)



9

यदि सलात तीन अथवा चार रकअत वाली हो तो तीसरी रकअत के लिये खड़ा होजाये एवं पहली एवं दूसरी रकअत के सारे कार्य यहाँ भी करे किन्तु सूरये फातिहा के बाद कोई और सूरत न पढ़े, एवं शेष कार्य तथा अज़कार उसी समान अदा हूँगे जिस प्रकार पहले अदा किये गये थे ।

10

अन्तिम रकअत में सजदों के बाद बैठ कर पहले पहला तशहहूद पढ़े फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजे जिस के शब्द यह हैं : (अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिवं व अला आलि मुहम्मदिन, कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद । व बारिक अला मुहम्मदिवं व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद)



11

फिर (अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह) कहते हुये दायीं तरफ सलाम फेरे इसी प्रकार (अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह) कहते हुये बायीं तरफ भी सलाम फेरे ।



› सलात के आधार एवं उस की अनिवार्यतायें

सलात के आधार : यह सलात के वह मूल भाग हैं जिन्हें जान बूझ कर अथवा असावधानी में छोड़ देने से सलात मान्य नहीं होती ।

यह निम्नलिखित हैं :

पहली तकबीर जिसे तकबीरे तहरीमा भी कहा जाता है, शक्ति की स्थिति में क़्याम (खड़ा होना) सूरये फातिहा पढ़ना, रुकू करना, रुकू से सिर उठाकर सीधा खड़ा होना, सजदे करना, दोनों सजदों के मध्य बैठना, अन्तिम तशहहुद के लिये बैठना एवं तशहहुद की दुआ पढ़ना, शांति धारण करना एवं अन्त में सलाम फेरना ।

सलात के अनिवार्य कार्य : यह सलात के वह अनिवार्य कार्य हैं जिन्हें जान बूझ कर छोड़ देने से सलात मान्य नहीं होती किन्तु भूल अथवा असावधानी की स्थिति में सजदये सहव से यह कमी पूरी होजाती है, जैसा कि आगे ब्यान होगा ।

सलात के अनिवार्य कार्य निम्नलिखित हैं :

तकबीरे तहरीमा के अतिरिक्त सभी तकबीरें, एक बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना, इमाम तथा अकेले सलात अदा करने वाले का समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहना, सभी का रक्बना व लकल हम्द पढ़ना, सजदे में एक बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ना, दोनों सजदों के मध्य बैठक में एक बार रब्बिगफिर ली पढ़ना एवं पहला तशहहुद, यह सारे अनिवार्य कार्य यदि छूट जायें तो सजदये सहव से इन की पूर्ति होजायेगी ।

सलात की सुन्नतें : प्रत्येक वह कार्य अथवा शब्द जो न सलात के आधार से हैं न ही अनिवार्य हैं उन्हें सलात की सुन्नतें कहा जाता है जो सलात की पूरक हैं अतः इन की पाबन्दी करना चाहिये किन्तु इसे छोड़ने से सलात अमान्य नहीं होगी ।



सुजूदे सहव :

यह दो सजदे हैं जिन्हें अल्लाह ने सलात की कमियों एवं गलतियों के निवारण के लिये निर्धारित किया है ।

सूजूदे सहव कब किये जायेंगे ?

निम्नलिखित परिस्थितियों में सूजूदे सहव किये जायेंगे :

- 1 यदि असावधानी या गलती के कारण मनुष्य सलात में रुकू, सुजूद या क़्याम व कुऊद की वृद्धि कर दे तो उसे सजदये सहव करना चाहिये ।
- 2 यदि सलात के आधारों में से कोई आधार छूट जाये तो पहले उस आधार को पूरा करे फिर सलात के अन्त में सजदये सहव करे ।
- 3 जब भूल कर अथवा असावधानी में सलात के अनिवार्य कार्यों में से कोई कार्य छोड़ दे जैसे पहला तशहहुद तो सजदये सहव करे ।
- 4 जब रकअतों की संख्या में संदेह होजाये तो कमी पर विश्वास करते हुये अन्त में सजदये सहव करे ।

सूजूदे सहव की विधि : दो सजदे करेगा एवं सलात में दो सजदों के बीच बैठक के समान इन दो सजदों के बीच भी बैठेगा ।

सूजूदे सहव का समय : सूजूदे सहव के लिये दो समय निर्धारित हैं आवश्यकता अनुसार इन में से किसी एक समय में सूजूदे सहव कर सकता है ।

- सलाम फेरने से पहले अन्तिम तशहहुद के बाद सहव के दो सजदे करे एवं सलाम फेर दे ।
- सलात से सलाम फेरने के बाद सहव के दो सजदे करे सजदों के बाद फिर पुनः सलाम फेरे ।

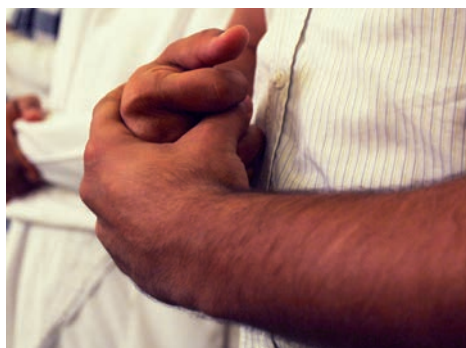


सलात को भंग कर देने वाली वस्तुयें :

- 1 जान बूझ कर या असावधानी में शक्ति रखते हुये कोई आधार अथवा शर्त छूट जाने से सलात बातिल (अमान्य) हो जाती है ।
- 2 जान बूझ कर कोई अनिवार्य कार्य छोड़ देने से सलात बातिल (अमान्य) होजाती है ।
- 3 जान बूझ कर बात करने से सलात बातिल होजाती है ।
- 4 बाछें फाड़ कर तेज स्वर में कहकहा लगाने से सलात बातिल होजाती है ।
- 5 बिना आवश्यकता निरंतर अधिक हरकत करने से सलात बातिल होजाती है ।



> जिस मात्रा में नमाज़ी अल्लाह के लिये विनम्रता व्यक्त करेगा एवं सलात में असावधान कर देने वाली वस्तुओं से दूर रहेगा उसी मात्रा में उस का पद ऊँचा होगा एवं उसे अधिक अजर मिलेगा ।



> सलात के दौरान चेहरे और हाथ से छेड़छाड़ एवं खेल करना अप्रिय है ।

सलात में अप्रिय (मकरूह) कार्य :

यह वह कार्य हैं जिन से सलात के अजर में कमी आजती है एवं सलात की विनम्रता तथा प्रतिष्ठा जाती रहती है, यह अप्रिय कार्य निम्नलिखित हैं :

- 1 सलात में इधर उधर देखना अप्रिय है, इस लिये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलात में इधर उधर देखने के विषय में प्रश्न किया गया तो आप ने उत्तर देते हुये फ़र्माया : यह एक प्रकार का ग़बन अथवा उचक लेना है जिसे शैतान बन्दे की सलात में करता है (अल बुखारी 718)
- 2 व्यर्थ में हाथ और चहेरे से खेलना, इसी प्रकार कमर पर हाथ रखना, उँगिलियों में उँगिलियाँ डाल कर चटखाना सभी अप्रिय हैं ।
- 3 अप्रिय है कि मनुष्य का हृदय किसी और चीज़ में लगा हो और वह सलात आरंभ कर दे जैसे उसे शौच जाने की आवश्यकता हो अथवा ज़ोर की भूक लगी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : खाने की उपस्थिति में सलात नहीं होती, न ही शौच की आवश्यकता को दबाकर । (मुस्लिम 560)

➤ मुस्तहब सलातें कौन सी हैं ?

रात और दिन में मुसलमान पर केवल पांच सलातें अनिवार्य हैं ।

साथ ही शरीअत में यह आग्रह है कि मुसलमान कुछ ऐसी मुस्तहब सलातें भी पढ़े जो दास से अल्लाह के प्रेम का कारण हैं, एवं जिस से अनिवार्य सलातों में होने वाली कमियों की पूर्ति भी होती है ।

मुस्तहब तथा नफली सलातें यूँ तो बहुत सी हैं किन्तु इन में से महत्वपूर्ण यह हैं :

1 रवातिब सुन्नतें : इन्हें यह नाम इस लिये दिया गया क्यों कि यह सदैव अनिवार्य सलातों से ही जुड़ी रहती हैं, एवं इन्हें मुसलमान नहीं छोड़ता है ।

और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : कोई भी मुसलमान जो अल्लाह के लिये हर दिन फर्ज के अतिरिक्त बारह रकअत नफली नमाज़ पढ़ता है अल्लाह उस के लिये स्वर्ग में एक घर बनायेगा । (मुस्लिम 728)

नफली नमाज़ें निम्नलिखित हैं :

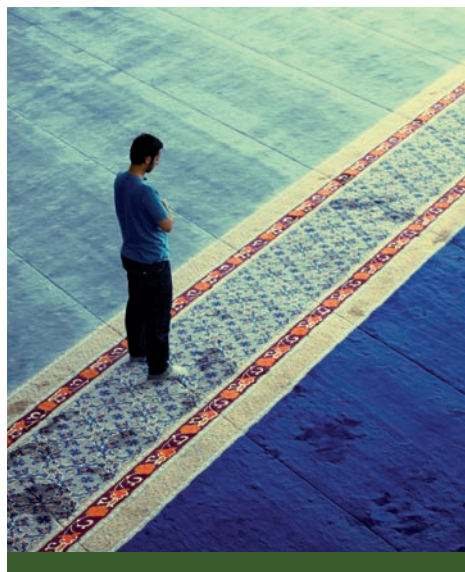
1	फज्र की सलात से पहले दो रकअतें ।
2	ज़ोहर से पहले चार रकअतें हर दो रकअत के बाद सलाम फेरें फिर ज़ोहर के बाद दो रकअतें ।
3	मग़रिब की सलात के बाद दो रकअतें ।
4	इशा की सलात के बाद दो रकअतें ।

2 वितर : इस का नाम वितर इस लिये पड़ा कि इस की रकअतों की संख्या ताक़ होती है, यह सर्वश्रेष्ठ नफली सलात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : हे कुर्आन वालो वितर पढ़ो । (अत्तिर्मिज़ी 453, इब्ने माजह 1170)

इस का उत्तम समय रात का अन्तिम पहर है किन्तु मुसलमान इशा की सलात से लेकर फज्र तक कभी भी वितर पढ़ सकता है ।

इस की कम से कम संख्या एक रकअत है, किन्तु उत्तम यह है कि तीन रकअत से कम न हो एवं जितना अधिक पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वयं ग्यारह रकअत वितर पढ़ते थे ।

नफली सलातों का मूल नियम यह है कि उन्हें दो दो करके पढ़ा जाये, हर दो रकअत के बाद सलाम फेरा जाये, वितर की सलात भी इसी नियम से पढ़ी जाये किन्तु जब सलात समाप्त करने की इच्छा हो तो मात्र एक रकअत अन्त में पढ़ ले, वितर की अन्तिम रकअत में रुकू से उठने एवं सजदे में जाने से पहले नवी करीम से प्रमाणित दुआ करे एवं बाद में हाथ उठा कर अल्लाह से जो चाहे दुआ करे, इसी को दुआये कुनूत कहा जाता है ।



नफ़ली सलातों का वर्जित समय :

वर्जित समय छोड़ कर मनुष्य के लिये हर समय नफ़ली नमाज़ें पढ़ना वैध है, इस लिये कि इस्लाम की शिक्षा के अनुसार सलात के लिये वर्जित समय वास्तव में काफ़िरों की उपासना का विशेष समय है अतः उन में मात्र छूटी फ़र्ज़ सलातों की क़ज़ा की जासकती है या वह नफ़ली नमाज़ें पढ़ी जासकती हैं जिन का कोई विशेष कारण हो जैसे तहिय्यतुल मस्जिद आदि, यह केवल सलात के संबन्ध में है, रही बात अल्लाह के ज़िक्र एवं उस से दुआ करने की तो यह हर समय वैध है ।

सलात के लिये वर्जित समय निम्नलिखित हैं :

1	फ़जर की सलात के बाद सूर्योदय से लेकर सूर्य के आसमान में एक भाले की मात्रा उपर होने तक, साधारण समय वाले देशों में सूर्योदय के बीस मिनट बाद एक भाले की मात्रा सूर्य के ऊपर होने का अनुमान लगाया गया है ।
2	सूर्य के ठीक आकाश के बीच सिर पर होने से लेकर पश्चिम की दिशा झुक जाने तक, यह जोहर से पहले का एक अति सीमित समय है ।
3	अस्र की सलात के बाद से सूर्यास्त तक ।



> अस्र की सलात के बाद से सूर्यास्त तक नफ़ली नमाज़ें पढ़ना हराम है ।

➤ सामूहिक सलात (जमाअत के साथ सलात)

अल्लाह ने पृष्ठों को पांचों समय सामूहिक सलात पढ़ने का आदेश दिया है, एवं इस के महत्व के संदर्भ में महा पुण्य की बात आई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : (अकेले सलात पढ़ने वाले की तुलना समूह के साथ सलात पढ़ना सत्ताईस गुना उत्तम है । (अल बुख़ारी 619, मुस्लिम 650)

सामूहिक सलात की कम से कम संख्या इमाम एवं उस का अनुसरण करने वाला केवल एक व्यक्ति है, जमाअत में जन समूह जितना अधिक होगा अल्लाह के निकट उतना ही प्रिय होगा ।

इमाम की पैरवी का अर्थ :

पीछे सलात अदा करने वाला व्यक्ति अपनी सलात को इमाम की सलात से जोड़ दे एवं रुकू, सुजद तथा सलात के अन्य कार्यों में उस की पैरवी करे, उस की क़िराअत ध्यानपूर्वक सुने, किसी भी काम में उस से आगे न बढ़े बल्कि इमाम के पीछे तुरंत उसे अदा करे ।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : इमाम पैरवी के लिये निर्धारित किया गया है अतः जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो, वह जब तक अल्लाहु अकबर न कहे तुम अल्लाहु अकबर न कहो, जब वह रुकू करे तो तुम भी रुकू करो वह जब तक रुकू न करे तुम रुकू न करो, वह जब समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम : रब्बना वलकल हम्द कहो, जब वह सजदह करे तो तुम भी सजदह करो, वह जब तक सजदह न करे तुम सजदह न करो..... । (अल बुख़ारी 701, मुस्लिम 414, अबूदाऊद 603)

इमामत के लिये कौन आगे बढ़े ?

अल्लाह की किताब कुर्आन को सर्वाधिक याद करने वाला ही इमामत के लिये आगे बढ़े, फिर इस विषय में जो उत्तम हो, फिर उस के बाद जो उत्तम हो जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : उन में कौम की इमामत अल्लाह की किताब



का सब से अधिक पढ़ने वाला करे, यदि सब क़िराअत में समान हूँ तो उन में सुन्नत का सर्वाधिक ज्ञान रखने वाला इमामत कराये । (मुस्लिम 673)

इमाम तथा उस की पैरवी करने वाले कहाँ खड़े हों ?

उचित है कि इमाम आगे खड़ा हो, एवं उस की पैरवी करने वाले पीछे सफ़फ बना कर खड़े हों, कमशः सामने की सफ़ें पूरी करें फिर पीछे की, यदि पैरवी करने वाला एक हो तो वह इमाम के दाहिने खड़ा होगा ।

इमाम के साथ छूटी सलात कैसे पूरी करे ?

सलात का कुछ भाग छूट जाने के बाद जो इमाम के साथ मिला है, उसे अल्लाहु अकबर कहते हुये सलात आरंभ कर देना चाहिये, सलाम तक इमाम का साथ दे फिर शेष भाग स्वयं पूरी कर ले ।

इमाम के साथ उसे सलात का जो भाग मिला है उसे सलात का पहला भाग माने एवं उस के बाद जो पढ़े उसे सलात का अन्तिम भाग माने ।

क्या पाने से रकअत पाना मान्य होगा ?

रकअतों की संख्या के आधार पर हम सलात की गणना करेंगे, जो इमाम के साथ रुकू पाले, उसे एक रकअत पूरी मिल गई, एवं जिस का रुकू छूट जाये वह इमाम के साथ मिल जाये किन्तु इमाम के साथ मिलने वाली उस रकअत के शेष कार्यो तथा शब्दों की गणना रकअत में नहीं होगी ।



> इमाम की पैरवी करने वाले व्यक्ति के लिये अनिवार्य है कि वह इमाम को जिस स्थिति में पाये उसी स्थिति में इमाम के साथ शामिल हो जाये ।

जो फजर की सलात की दूसरी रकअत में इमाम के साथ शामिल हो तो आवश्यक है कि इमाम के सलाम फेरने के बाद उठ कर छूटी रकअत पूरी कर ले एवं जब तक उसे पूरा न कर ले सलाम न फेरे, इस लिये कि फजर की सलात दो रकअत है एवं उसे केवल एक ही रकअत मिली थी ।

इमाम के साथ जिस की सलात का पहला भाग छूट जाये वह छूटे भाग कैसे पूरा करे

जो इमाम को मग़िब की सलात के अन्तिम तशहहद में पाये उस के लिये आवश्यक है कि इमाम के सलाम फेरने के बाद तीनों रकअतें पूरी पढ़े, इस लिये कि वह इमाम के साथ अन्तिम तशहहद में शामिल हुआ है, एवं रकअत पाने की न्यूनतम सीमा इमाम के साथ रुकू पाना है ।

जो इमाम को ज़ोहर की तीसरी रकअत के रुकू में पाये उसे इमाम के साथ दो रकअतें पूरी मिल गई (यह पैरवी करने वाले की ज़ोहर की पहली दो रकअतें होंगी) अतः इमाम के सलाम फेरने के बाद उसे खड़े होकर शेष तीसरी एवं चौथी रकअतें पूरी करना होंगी, इस लिये कि ज़ोहर चार रकअत वाली सलात है ।

> अल्लाह के निकट अज़ान बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है



अल्लाह ने लोगों को सलात की दिशा बुलाने एवं उस के समय की सूचना देने के लिये अज़ान का च्यन किया है, इसी प्रकार सलात आरंभ होने की सूचना देने के लिये इक़ामत का च्यन किया है, आरंभ में मुसलमान एकत्रित होकर सलात का समय निर्धारित करते थे, सलात के लिये कोई पुकार नहीं लगाता था, इस विषय में लोगों ने आपस में बात की, किसी ने कहा : नसरानियों के समान नाकूस बजायें, किसी ने कहा :

यहूदियों के समान संख बजायें, प्रतिक्रिया में उमर ने कहा : किसी व्यक्ति को भेज कर उस से सलात की पुकार क्यों नहीं कराते, अतः अन्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा : हे विलाल उठिये एवं सलात की पुकार लगाइये । (अल बुख़ारी 579, मुस्लिम 377)

अज़ान व इक़ामत की विधि :

- अज़ान व इक़ामत जमाअत के लिये अनिवार्य हैं अकेले के लिये नहीं, यदि जमाअत वाले इसे जान बूझ कर छोड़ दें तो पापी होंगे किन्तु उन की सलात मान्य होगी ।
- अज़ान अच्छे स्वर में ज़ोर से देना चाहिये ताकि लोग सुन कर सलात के लिये उपस्थित हूँ ।
- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ान व इक़ामत की कई विधियाँ प्रमाणित जिन में सर्व सिद्ध विधि निम्नलिखित है :

अज़ान :

- 1 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर , अल्लाहु अकबर , अल्लाहु अकबर ।
- 2 अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह ।
- 3 अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह ।
- 4 हैय्या अलस्साह, हैय्या अलस्सलाह ।
- 5 हैय्या अलल फ़लाह, हैय्या अलल फ़लाह
- 6 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर ।
- 7 ला इलाह इल्लल्लाह ।

इकामत :

- 1 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर ।
- 2 अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह ।
- 3 अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह ।
- 4 हैय्या अलस्साह ।
- 5 हैय्या अलल फ़लाह ।
- 6 क़द कामतिस्सलातु, क़द कामतिस्सलाह ।
- 7 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर ।
- 8 ला इलाह इल्लल्लाह ।

मुअज़्ज़िन के पीछे अज़ान के शब्द दोहराना :

अज़ान सुनने वाले के लिये प्रिय है कि वह मुवज़्ज़िन के पीछे अज़ान के वही शब्द दोहराये, किन्तु जब मुवज़्ज़िन हैय्या अलस्सलाह, हैय्या अललफ़लाह कहे तो बदले में दोहराने वाला यह शब्द कहे : (ला हौल वला कूव्वत इल्ला बिल्लाह)

फिर अज़ान सुन कर उसे दोहराने वाला यह दुआ पढ़े : (अल्लाहुम्म रब्ब हाज़िहिद्वावतित्त्त इम्मति वस्सलातिल काइमति आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीलह ववअसहु मक़ामम्महमूदनिल्लज़ी वअदतह)



> सर्वशक्तिमान अल्लाह मस्जिद जाते हुये मुसलमान को हर क़दम के बदले पुण्य देगा ।

➤ सलात में विनम्रता एवं श्रद्धा

सलात में विनम्रता एवं श्रद्धा सलात की वास्तविकता एवं उस का सार है। इस का अर्थ यह है कि मेरा हृदय विनतीपूर्ण अल्लाह के समक्ष उपस्थित है, मैं जो आयतें, दुआयें एवं अज़कार पढ़ रहा हूँ उस से वह सचेत एवं अवगत है।

विनम्रता एवं शालीनता सर्वमहान उपासना एवं सर्वमहान आज्ञापालन है, यही कारण है कि अल्लाह ने कुर्आन में आग्रहपूर्ण इसे मोमिनों की विशेषता बताई है, जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है निःसंदेह वह मोमिन सफल होगये जो अपनी सलातों में विनम्रता अपनाते हैं। (अल मोमिनुन : 1-2)

जो विनम्रतापूर्वक सलात अदा करता है वास्तव में वही उपासना एवं ईमान का स्वाद पाता है, इसी कारण अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे : (एवं सलात में मेरी आँखों के लिये ठण्डक है) (अन्नसाई 3940) आँखों की ठण्डक का अर्थ चरम सीमा की प्रसन्नता, उल्लास, आनन्द एवं स्वाद।

सलात में विनम्रता प्राप्त करने के सहायक साधन :

सलात में विनम्रता उत्पन्न करने के बहुत से साधन हैं, उन में से कुछ निम्न हैं :

1 सलात के लिये अच्छी तैय्यारी करना :

इस का तरीका यह है कि पूरुष शीघ्र मस्जिद जायें वहाँ पहुँच कर सलात से पहले की सुन्नतें पढ़ें, सलात के लिये अच्छे से अच्छी वस्त्र पहन कर शांतिपूर्वक शालीनता के साथ पैदल चल कर जायें।

2 सलात से असावधान कर देने वाली समस्त वस्तुओं से दूरी बनायें।

अतः सामने असावधान कर देने वाले चित्र अथवा खेल तमाशे वाली चीज़ें रख कर सलात न पढ़ें, या ऐसा स्वर सुनते हुये सलात न पढ़ें जो उसे असावधान कर देने वाले हों, न ही शौच जाने अथवा खाने की उग्र आवश्यकता रखते हुये सलात के लिये खड़ा हो, खाना पानी उपस्थित हो तब भी सलात के लिये न ठेहरे, यह सारे आदेश इस लिये हैं ताकि सलात पढ़ने वाले का विवेक स्वच्छ हो एवं वह पूर्णतः उस महान कर्तव्य के लिये तैय्यार हो जिसे सलात एवं रब से मुनाजात कहा जाता है।



सजदे की स्थिति में दास अपने रब (प्रतिपालक) से सर्वाधिक निकट होता है।

3 सलात में शांति :

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू, सुजूद में इस प्रकार शांति बनाये रखते कि हर स्थान की हड्डी अपनी जगह वापस आजाये, एवं जिसे सही ढंग से सलात पढ़ना नहीं आता था उसे सलात के समस्त कार्यों में शांति बनाये रखने का आदेश दिया, उसे शीघ्रतापूर्वक तीव्र गति से सलात पढ़ने से रोका एवं इस कव्वे के चोंच मारने के समान बताया ।

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : सब से बुरा चोर वह है जो अपनी सलात में चोरी करता है, लोगों ने आश्चर्य से पूछा : हे अल्लाह के रसूल कोई अपनी सलात में कैसे चोरी करता है तो आप ने बताया : कि वह पूर्ण रूप से रुकू व सुजूद नहीं करता है । (अहमद : 22642)

जो अपनी सलात में शांति नहीं अपना सकता उस के लिये विनम्र होना असंभव है, इस लिये कि शीघ्रता से विनम्रता का अन्त होजाता है, एवं कव्वे के ठोंड़ पुण्य को उचक लेते हैं ।

4 उस अस्तित्व की महानता का आभास तथा आह्वान जिस के समक्ष वह खड़ा होने जा रहा है :

अतः वह स्रष्टा की महानता तथा महिमा और अपनी क्षीणता, दुर्बलता तथा पस्ती को याद करे उसे ज्ञान हो कि वह अपने रब के समक्ष खड़े होकर उस से विनती करने जा रहा है, विनयपूर्वक टूटी बिखरी स्थिति में उसे पुकारने जा रहा है, याद करे कि अल्लाह ने पुनरुत्थान के दिन मोमिनों के लिये क्या कुछ तैय्यार कर रखा है, एवं मुश्रिकों नास्तिकों को क्या कुछ कठोर दण्ड देने वाला है, याद करे पुनरुत्थान के दिन अल्लाह के समक्ष खड़े होने को ।

यदि मोमिन सलात में इन सारी बातों का आभास कर ले तो उन के समान होजायेगा जिन की इन शब्दों में अल्लाह ने कुर्आन में प्रशंसा की है : यह वह लोग हैं जो अपने रब से भेंट की आशा रखते हैं, अल्लाह का फर्मान है : एवं यह बड़ा भारी है सिवाये डरने वालों के, जो समझते हैं कि वह अपने रब से भेंट

करने वाले एवं उसी की तरफ पलटने वाले हैं । (अल बक्रह : 45-46)

अतः जब नमाज़ी को पता होता है कि अल्लाह उस की बातें सुन रहा है, एवं उस की प्रार्थना सुन कर उसे प्रदान भी करता है तो जिस मात्रा में यह एहसास होगा उसी मात्रा में उसे विनम्रता प्राप्त होगी ।

5 पढ़ी हुई आयतों तथा सलात के शेष अज़कार में विचार करना एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करना :

कुर्आन विचार चिंतन के लिये उतारा गया है, अल्लाह फर्माता है : हम ने आप पर जो किताब उतारी है वह बड़ी सुवारक है ताकि लोग उस की आयतों पर विचार करें एवं बुद्धि वाले नसीहत अपनायें । पढ़ी आयतों तथा अज़कार का अर्थ जाने बिना उन में विचार करना संभव नहीं, यदि उन के अर्थ का ज्ञान है तो उस समय एक तरफ अपनी दशा स्थिति के विषय में उस के लिये विचार करना संभव होगा तो दूसरी तरफ उन आयतों तथा अज़कार के अर्थ पर विचार करना संभव होगा और यहां पहुंच कर उस में विनम्रता भय, तथा प्रभाव जन्म लेगा, संभव है कि उस की आँखें भी वह पड़ें, उस पर बिना प्रभाव आयतों का गुज़र नहीं होगा जैसे उस ने न कुछ सुना हो न देखा हो, अल्लाह का फर्मान है : एवं उन लोगों को जब अपने रब की आयतों की याद दिलाई जाती है तो उस पर वह बहरे अन्धे बन कर नहीं गिर जाते । (अल फुर्कान : 73)

> जुमा की सलात

अल्लाह ने जुमा के दिन जोहर के समय एक ऐसी सलात फ़र्ज़ की है जो इस्लाम के महान चिन्हों तथा महत्वपूर्ण अनिवार्यताओं में से एक है, जिस के माध्यम से मुसलमानों को सप्ताह में एक बार एकत्रित होने का अवसर मिलता है, वह एकत्रित होकर जुमा को इमाम का उपदेश सुनते हैं, फिर सब मिल कर जुमा की सलात अदा करते हैं।

जुमा के दिन का महत्व :

जुमा सप्ताह के समस्त दिनों में सर्वसम्मानित तथा सर्वश्रेष्ठ दिन है, अल्लाह ने अन्य दिनों की तुलना इसे चुना है एवं असंख्य विशेषतायें देकर इसे अन्य समयों पर उच्चता प्रदान की है, उन्हीं में से कुछ यह हैं :

- अल्लाह ने सारी उम्मतों को छोड़ कर मात्र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इस से सम्मानित किया है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : अल्लाह ने हम से पहले के लोगों को जुमा से गुमराह कर दिया, यहूदियों के लिये सनीचर था, नसरानियों के लिये इतवार था फिर अल्लाह हमें लेकर आया एवं हमे जुमा के दिन की हिदायत दी (मुस्लिम : 856)
- अल्लाह ने इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को जन्म दिया, इसी दिन पुनरुत्थान होगा जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : सर्वश्रेष्ठ दिन जिस पर सूर्य चमका जुमा का दिन है, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, इसी दिन स्वर्ग में प्रवेश किये गये, इसी दिन स्वर्ग से निकाले गये एवं जुमा ही के दिन पुनरुत्थान होगा। (मुस्लिम 854)



> नमाज़ियों पर ध्यानपूर्वक जुमा का ख़ुतबा सुनना एवं उस से असावधान न होना वाजिब है।

जुमा किन पर वाजिब है ?

जुमा निम्नलिखित लोगों पर वाजिब है :

- 1 पूरूष : ज्ञात हुआ कि महिला पर जुमा वाजिब नहीं।
- 2 कर्तव्यप्रायण, बुद्धिमान : ज्ञात हुआ कि पागल तथा अव्यस्क बच्चे पर जुमा वाजिब नहीं।
- 3 स्थाई निवासी : ज्ञात हुआ कि यात्री अथवा गांव तथा नगर से दूर जंगल सहारा में रहने वालों पर जुमा वाजिब नहीं।
- 4 शारीरिक रूप से स्वस्थ : ज्ञात हुआ कि ए से बीमार पर जुमा वाजिब नहीं जिस का जुमा में उपस्थित होना संभव न हो।

जुमा की सलात का नियम एवं उस का हुक्म :

- 1 मुसलमान के लिये जुमा की सलात से पहले नहाना, अच्छा वस्त्र पहनना एवं खुतबा आरंभ होने से पहले शीघ्र मस्जिद जाना सुन्नत है ।
- 2 मुसलमान जामे मस्जिद में एकत्रित हूँगे एवं इमाम आगे बढ़ कर मिनबर पर चढ़ेगा एवं मुसलमानों की दिशा आकर्षित होकर दो खुतबा देगा दोनों खुतबों के मध्य थोड़ी देर के लिये बैठेगा एवं उन्हें उस में अल्लाह से डरने की बातें बतायेगा, सच का संदेश एवं अच्छे कामों का उपदेश देगा ।
- 3 नमाज़ियों पर खुतबा सुनना वाजिव है, खुतबे के दौरान बातें करना अथवा खुतबे से लाभ उठाने के बजाय असावधान होना हराम है चाहे ऐसा चटाई, उंगिलियों, कपड़ों, मिट्टी अथवा कंकरियों से खेल कर ही क्यों न हो ।
- 4 फिर इमाम मिनबर से उतरेगा, इक़ामत होगी और इमाम लोगों को दो रकअत सलात पढ़ायेगा जिस में क़िराअत उँचे स्वर में होगी ।
- 5 जुमा की सलात जमाअत के साथ मशरू है, अकेले व्यक्ति पर जुमा वाजिव नहीं अतः किसी कारणवश यदि किसी की जुमा की सलात छूट जाये, या वह उस से पीछे रह जाये, तो उसे ज़ोहर पढ़ना होगा, उस की जुमा की सलात मान्य नहीं होगी ।
- 6 जो जुमा की सलात से पीछे रह जाये एवं इमाम के साथ एक रकअत से भी कम पाये तो उसे ज़ोहर की सलात पूरी करनी होगी ।
- 7 जिन पर जुमा की सलात वाजिव नहीं जैसे महिला एवं यात्री, यदि यह लोग भी मुसलमानों की जमाअत के साथ जुमा की सलात अदा कर लें तो इन की यह सलात भी मान्य होगी एवं ज़ोहर की सलात अदा करने की इन्हें आवश्यकता न होगी ।

किन लोगों को जुमा में न आने की छूट है ।

जिन पर जुमा की सलात वाजिव है उन को जुमा में आने का इस्लाम ने आग्रहपूर्ण आदेश दिया है, एवं जुमा छोड़ कर सांसारिक कार्यों में लीन होने से सावधान किया है, अल्लाह फ़र्माता है : हे ईमान वालो जुमा के दिन जब सलात के लिये पुकारा जाये, तो अल्लाह की याद की दिशा दौड़ पड़ो एवं व्यापार त्याग दो यही तुम्हारे लिये उत्तम है यदि तुम जानते हो । (अल जुमआ : 9)

एवं बिना किसी उचित कारण जुमा से पीछे रह जाने वालों के दिल पर मोहर लगाने की चेतावनी दी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : जिस ने बिना कारण लापरवाही से निरंतर तीन जुमा छोड़ दिया, अल्लाह उस के दिल पर मोहर लगा देता है । (अबू दाऊद : 1052, अहमद : 15498) अल्लाह उस के दिल पर मोहर लगा देता है, इस वाक्य का अर्थ यह है कि उस पर मोहर लगा कर उसे बन्द कर देता है, मुनाफ़िकों एवं पापियों के दिलों के समान उस में अज्ञानता एवं कठोरता भर देता है ।



जुमा से पीछे रह जाने का उचित कारण : हर वह समस्या जिस से आप को असाधारण कष्ट हो, या जिस से आप को अपने जीवन अथवा स्वास्थ्य को उग्र हानि पहुंचने का भय हो जैसे बीमारी एवं आपातकालीन परिस्थितियाँ ।

क्या डियूटी अथवा नौकरी जुमा से पीछे रह जाने का उचित कारण हैं ?

मूल बात यह है कि सदैव व्यापार अथवा निरंतर लोक निर्माण मुसलमान के लिये जुमा से पीछे रह जाने का उचित कारण नहीं हैं जबकि अल्लाह हमें सभी काम छोड़ कर सलात के लिये पूर्णतः स्वतंत्र होने का आदेश देता है, अल्लाह फ़र्माता है : हे ईमान वाले जुमा के दिन जब सलात के लिये पुकारा जाये, तो अल्लाह की याद की दिशा दौड़ पड़ो एवं व्यापार त्याग दो यही तुम्हारे लिये उत्तम है यदि तुम जानते हो । (अल जुमआ : 9) सुझाव यह है कि मुसलमान ऐसा व्यापार अथवा ऐसी नौकरी का चुनाव करे जहाँ वह अल्लाह की उपासना में सक्षम हो यद्यपि अन्य व्यापारों की तुलना उस में उसे कम आर्थिक लाभ हो ।

एवं अल्लाह फ़र्माता है : एवं जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उस के लिये बाहर आने का मार्ग उत्पन्न कर देता है, एवं उसे ऐसे स्थानों से जीविका प्रदान करता है जहाँ से वह गुमान भी नहीं कर सकता, एवं जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उस के लिये काफी है । (अत्तलाक़ 2-3)



> हे नबी ! आप कह दीजिये कि अल्लाह के पास जो कुछ है वह खेल तमाशे एवं व्यापार से अति उत्तम है । (अल जुमआ : 11)

कब किसी का काम जुमा से पीछे रह जाने का उचित कारण बनेगा ?

जिन पर जुमा वाजिब है उन के लिये निरंतर एवं बार बार मात्र काम, जुमा से पीछे रह जाने का धार्मिक कारण नहीं बन सकता, केवल दो परिस्थितियों में काम जुमा से पीछे रह जाने का उचित कारण बन सकता है :

- 1 काम में कोई ऐसा महान हित हो जो जुमा त्याग कर काम में जुटे रहने से ही प्राप्त हो सकता हो एवं उस के काम छोड़ने से कोई महान हानि होने का भय हो एवं उस काम में उस का कोई प्रतिनिधि भी न हो ।

उदाहरण

- एम्बुलेंस अथवा प्राथमिक चिकित्सा का डाक्टर जो आपात स्थितियों एवं चोटों का इलाज करता हो ।
- गार्ड, सुरक्षा कर्मी एवं सिपाही जो चोरी एवं आपराधिक गतिविधियों से लोगों के धन एवं घरों की सुरक्षा करते हैं ।
- जो बड़े कारखानों में कामों की देखरेख पर नियुक्त हैं एवं जहाँ हर छण देख रेख की आवश्यकता है ।

- 2 जब काम ही आदमी की जीविका का एकमात्र साधन हो, एवं मालिक उसे जुमा की सलात का अवसर न दे, एवं उस के पास उस काम के अतिरिक्त अपने तथा परिवार के खाने पीने की मूल आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त धन अथवा कोई अन्य साधन भी न हो तो इस स्थिति में दूसरा काम या खाने पीने एवं मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त धन मिलने तक जुमा छोड़ कर उसी काम में लगे रहना उस के लिये वैध है ।

> बीमार की सलात

जब तक बुद्धि सुरक्षित एवं होश बाकी है, सलात हर हाल में मुसलमान पर वाजिब है, किन्तु इस्लाम ने विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न लोगों की आवश्यकताओं का खास ख्याल रखा है, उन्हीं में से बीमार भी है :

इस की स्पष्टीकरण के लिये कहा जा सकता है :

- जो बीमार खड़ा होने की शक्ति न रखता हो या खड़ा होना उस के लिये कठिन हो या स्वस्थ होने में देर होसकती हो तो उस से सलात में खड़े होने की ज़िम्मेदारी समाप्त होगई, अब वह बैठ कर सलात अदा करेगा, यदि बैठ कर सलात न पढ़ सकता हो तो लेट कर पढ़ेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : खड़े होकर सलात पढ़ो, यदि खड़ा होने की शक्ति न हो तो बैठ कर पढ़ो, यदि बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते तो पहलू के बल लेट कर पढ़ो । (अल बुखारी : 1066)
- जो रुकू सुजूद न कर सकता हो वह संभवतः संकेत से रुकू सुजूद करे ।
- जिस के लिये धर्ती पर बैठना कठिन हो वह कुर्सी का प्रयोग कर सकता है ।
- बीमारी के कारण जिस के लिये हर सलात के समय पवित्रता प्राप्ति कठिन हो वह किसी एक समय में जोहर अन्न एक साथ एवं मग़ि़ब व इशा एक साथ पढ़ सकता है ।
- बीमारी के कारण जिस के लिये पानी का प्रयोग कठिन हो वह सलात अदा करने के लिये तयम्मुम करसकता है ।

› यात्री की सलात

- यात्री के लिये यात्रा के दौरान अथवा चार दिन से कम समय के अस्थायी प्रवास में चार रकअत वाली सलातों को क़स्र करके दो रकअत पढ़ना मसनून है, अतः वह जोहर, अस्त्र एवं इशा में चार रकअतों की जगह दो ही रकअत अदा करेगा, किन्तु जब किसी स्थायी निवासी इमाम के पीछे सलात अदा करेगा तो उसे पूरी सलात अदा करनी होगी ।
- फज्र की सुन्नत एवं वितर के अतिरिक्त उस के लिये सभी रातिबा सुन्नतें न पढ़ना मसनून है ।
- यात्री के लिये किसी एक समय में जोहर अस्त्र एक साथ एवं मग़रिब व इशा एक साथ पढ़ना जायज़ है । इसे जमा बैनस्सलातैन कहते हैं । विशेष रूप से इस में उन लोगों के लिये सरलता, आराम एवं दया है जो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिये यात्रा में हों ।





आप के सियाम, रोज

4

अल्लाह ने मुसलमानों पर एक महीने के सियाम फर्ज किये हैं, एवं वह रमज़ान का पवित्र महीना है, अल्लाह ने इसे इस्लाम का चौथा आधार बताया है, अल्लाह का फ़र्मान है : हे ईमान वाले तुम पर सियाम फर्ज किये गये हैं जिस प्रकार तुम से पूर्व के लोगों पर फर्ज किये गये थे ताकि तुम सदाचारी बन जाओ । (अल बक्रह : 183)

अध्याय सूची :

सियाम का अर्थ

रमज़ान महीने का महत्व

सियाम फर्ज होने का उद्देश्य

सियाम का महत्व

सियाम नष्ट करने वाले वस्तुयें

किन्हीं सियाम न रखने की छूट है

- रोगी
- असमर्थ व्यक्ति
- यात्री
- मासिक धर्म एवं प्रसूति रक्त वाली महिलायें
- गर्भवती एवं दूध पिलानी वाली महिलायें

नफ़ली सियाम

मुबारक ईदुल फ़ित्र

- ईद के दिन क्या करना संवैधानिक है

रमज़ान के सियाम

सियाम का अर्थ :

इस्लाम में सियाम का अर्थ : प्रभात (फ़ज़र की अज़ान का समय) से लेकर सूर्यास्त (मग़ि़ब की अज़ान का समय) तक खाने पीने, संभोग करने तथा शेष सियाम नष्ट करने वाली वस्तुओं से दूर रह कर अल्लाह की उपासना करना ।

रमज़ान महीने का महत्व एवं श्रेष्ठता

रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का नवाँ महीना है, जो वर्ष के समस्त महीनों में सर्वोत्तम है, अल्लाह ने अन्य महीनों की तुलना इस महीने को अधिकांश विशेषतायें प्रदान की हैं, उन्हीं में से कुछ निम्नलिखित हैं :

1

यह वह महीना है जिसे अल्लाह ने सर्वमानित दिव्य आकाशीय पवित्र ग्रन्थ कुर्आन के अवतरण के लिये विशेष रूप से चुना है, अल्लाह का फ़र्मान है : रमज़ान ही वह पवित्र महीना है जिस में कुर्आन को लोगों के लिये मार्गदर्शन तथा मार्गदर्शन को स्पष्टतः परस्तुत करने वाली, सत्य असत्य में अन्तर करने वाली किताब बना कर उतारा गया । अतः जो इस महीने को पाये उसे अवश्य सौम रखना चाहिये । (अल बक्रह : 185)

2

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : जब रमज़ान का महीना प्रवेश करता है तो स्वर्ग द्वार खोल दिये जाते हैं एवं नर्क द्वार बन्द कर दिये जाते हैं एवं शैतानों को ज़न्जीरों में जकड़ कर बन्द कर दिया जाता है । (अल बुख़ारी 3103, मुस्लिम 1079) इस प्रकार अल्लाह अपने बन्दों के लिये सदकार्यों तथा पुण्य कार्यों की दिशा आकर्षित होने एवं दुष्कार्यों से दूर रहने का वातावरण बना देता है ।

3

जिस ने रमज़ान के दिन में रोज़े रखे एवं रातों को क़्याम किया उस के पिछले सारे पाप छमा कर दिये जाते हैं । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : जिस ने ईमान की

स्थिति तथा पुण्य की आशा में रमज़ान के रोज़े रखे उस के पिछले सारे पाप छमा कर दिये जाते हैं । (अल बुख़ारी : 1910, मुस्लिम 760) एक स्थान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : जिस ने ईमान की स्थिति तथा पुण्य की आशा में रमज़ान में क़्याम किया अर्थात् रात की सलात पढ़ी उस के पिछले सारे पाप छमा कर दिये जाते हैं । (अल बुख़ारी : 1905, मुस्लिम 759)

4

इसी महीने में वर्ष की सर्वमहान रात पड़ती है जिसे सम्मान वाली रात कहा जाता है, एवं जिस के विषय में अल्लाह ने अपनी किताब में यह सूचना दी है कि उस एक रात का सदकार्य दीर्घ काल तक नेकी करने से उत्तम है, फ़र्माता है : सम्मान वाली रात हजार महीनों से उत्तम है । (अल क़द्र : 3) एवं जिस ने ईमान की स्थिति तथा पुण्य की आशा में इस रात क़्याम किया अर्थात् सलात पढ़ी उस के पिछले सारे पाप छमा कर दिये जाते हैं, यह रमज़ान के अन्तिम दहे की ताक़ रातों में से कोई एक रात होती है जिस का निश्चित ज्ञान अल्लाह के अतिरिक्त किसी को नहीं है ।

> सियाम फर्ज होने का उद्देश्य

अल्लाह ने असंख्य उद्देश्यों तथा लोक प्रलोक के असंख्य लाभों के लिये सियाम फर्ज किये हैं, उन्हीं में से कुछ निम्नलिखित हैं :

1 अल्लाह का भय प्राप्त होना :

ऐसा इस कारण है कि दास सियाम में अल्लाह के आदेश पर अपनी प्रिय वस्तुयें त्याग कर इस उपासना के माध्यम से अपने रब की निकटता प्राप्त करता है, अपनी काम इच्छाओं को मारदेता है तो अल्लाह के भय तथा हर समय एवं हर स्थान पर प्रतयक्ष अप्रतयक्ष उस की निगरानी के कारण दास का मन विधानबद्ध होजाता है, यही कारण है कि अल्लाह फर्माता है : हे ईमान वालो तुम पर सियाम फर्ज किये गये हैं जिस प्रकार तुम से पूर्व के लोगों पर फर्ज किये गये थे ताकि तुम सदाचारी बन जाओ । (अल बकरह : 183)

2 पापों से मुक्ति पाने का प्रशिक्षण है ।

जब रोज़ा रखने वाला अल्लाह के आदेशानुसार वैध वस्तुओं से दूरी बना लेता है तो पाप इच्छाओं को लगाम देने एवं अल्लाह की सीमाओं से परे रहने, मिथ्या असत्य में लीन न होने पर वह अधिक शक्ति रखे गा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : जो झूट बोलना एवं उस के अनुसार कार्य करना न छोड़े तो अल्लाह को आवश्यकता नहीं कि वह अपना खाना पीना त्याग दे । (अल बुखारी : 1804) अर्थात जो कथनी करनी में झूट न छोड़े वह सियाम के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता ।

3 वंचित तथा निर्धन लोगों की याद आती है एवं उन से सहानुभूति होती है ।

इस लिये कि सियाम में भूक निर्धनता एवं अभाव का अनुभव होता है, सदैव अभाव का पीड़ा झेलने वालों की याद आती है, फिर दास अपने वंचित पीड़ित नर्धन एवं असहाय भाईयों को याद कर उन के भूक प्यास का अनुभव करता है फिर वह उन की सहायता करने का संभवतः प्रयास करता है ।



> रोज़ेदारों को दो प्रसन्नता प्राप्त होती है : एक रोज़ा इफ्तार के समय, दूसरी उस समय जब वह अपने रब से भेंट करेगा ।

➤ सियाम का महत्व

इस्लाम में सियाम की असंख्य विशेषतायें आई हैं जिन में से कुछ का वर्णन निम्नलिखित है :

- 1 जो ईमान की स्थिति में अल्लाह के आदेशों का पालन करते तथा सियाम के विषय में आई सूचनाओं की पुष्टि करते हुये अल्लाह के पास पुण्य की आशा में रमज़ान के रोज़े रखता है उस के पिछले सारे पाप क्षमा कर दिये जाते हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : जिस ने ईमान की स्थिति तथा पुण्य की आशा में रमज़ान के रोज़े रखे उस के पिछले सारे पाप छमा कर दिये जाते हैं । (अल बुख़ारी : 1910, मुस्लिम 760)
- 2 रोज़ादार प्रलोक में जब अल्लाह से मिलेगा तो अपने सियाम के कारण पुण्य तथा सुख शांति पाकर अति प्रसन्न होगा, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : रोज़ेदारों को दो प्रसन्नता प्राप्त होती है : एक रोज़ा इफ़तार के समय, दूसरी उस समय जब वह अपने रब से भेंट करेगा । (अल बुख़ारी 1805, मुस्लिम : 1151)
- 3 स्वर्ग में रैय्यान नामी एक ऐसा द्वार है जिस से केवल रोज़ेदार ही प्रवेश करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : स्वर्ग में रैय्यान नामी एक ऐसा द्वार है जिस से क्यामत के दिन केवल रोज़ेदार ही प्रवेश करेंगे, उन के अतिरिक्त कोई और उस द्वार से प्रवेश नहीं करेगा, जब सब प्रवेश कर जायेंगे तो फिर उस द्वार को बन्द कर दिया जायेगा फिर उस से कोई और प्रवेश नहीं करेगा । (अल बुख़ारी 1797, मुस्लिम 1152)
- 4 अल्लाह ने सियाम के पुण्य तथा बदले को अपने साथ जोड़ लिया है, अब जिसे पुण्य पुरस्कार एवं बदला सर्वमहान स्वामी की तरफ से मिले तो उसे अल्लाह की तैय्यार की हुई सुख सामग्रियों से प्रसन्न ही होना चाहिये जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है, आदम की संताम का प्रत्येक कर्म उस के लिये है अतिरिक्त सियाम के इस लिये कि वह मेरे लिये है तथा मैं ही उस का बदला दूंगा । (अल बुख़ारी 1805, मुस्लिम 1151)



➤ रमज़ान इस्लामी कैलेन्डर में चन्द्र मास का नवाँ महीना है ।

› सियाम नष्ट करने वाली वस्तुयें

यह वह वस्तुयें हैं जिन से रोज़ेदार का वचना अनिवार्य है क्यों कि यह सियाम को नष्ट कर देती हैं। वह निम्नलिखित हैं :

1 जान बूझ कर खाना पीना : अल्लाह का फ़र्मान है : एवं तुम खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिये प्रभात का सफ़ेद धागा काले धागे से अलग होजाये फिर रात तक अपने सियाम की पूर्ति करो। (अल बकरह : 187)

एवं जो भूल कर खा पी ले तो उस का सौम सही है एवं उसे कोई पाप नहीं जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया है : जिस ने सौम की स्थिति में भूल कर कुछ खा पी लिया तो उसे अपना सौम पूरा कर लेना चाहिये इस लिये अल्लाह ने (अपनी कृपा से) उसे खिला पिला दिया है। (अल बुख़ारी 1831, मुस्लिम 1155)

2 जो खाने पीने के अर्थ में हो उदाहरणस्वरूप :

- ऐसे टानिक्स, ग्लोकोज़ सलाइन एवं शक्ति के इंजेक्शनस जो शरीर में पहुँच कर प्रोटीन एवं खाने की आवश्यकता पूरी कर दें, चूँकि यह वस्तुयें खाने पीने का काम करती हैं अतः इन का हुक्म खाने पीने ही का होगा।
- रोगी को खून ट्रांसप्लान्ट करना इस लिये कि खाने पीने का मूल उद्देश्य रक्त रचना है।
- धूम्रपान के समस्त रूप सियाम नाशक हैं, इस लिये कि धूम्रपान धुर्य के माध्यम से विषाक्त पदार्थ शरीर में प्रवेश कर देता है।

3 पुरुष के गुप्तांग की सुपारी स्त्री की यौनि में प्रवेश कर जाये, चाहे वीर्य पतन हो अथवा न हो

4 इच्छावश इंद्रिय भोग, हस्थमैथन अथवा किसी अन्य साधन से वीर्य पतन करना। स्वपनदोष से सियाम नष्ट नहीं होता।

यदि कोई अपने आप पर संयम की शक्ति रखता हो एवं उसे सियाम नष्ट होने का भय न हो तो वह अपनी पत्नी को चुम्बन ले सकता है।

5 जान बूझ कर उलटी करना, परन्तु बिना इच्छा किसी को उलटी आजाये तो कोई हानि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : जिसे सियाम की स्थिति में उलटी आजाये उस पर सियाम की पुनः पूर्ति नहीं है किन्तु जो स्वयं उलटी कर दे उस के लिये सियाम की पुनः पूर्ति अनिवार्य है। (अत्तिर्मिज़ी : 720, अबू दाऊद : 2380)

6 महिला को मासिक धर्म अथवा प्रसूति रक्त आना, जब भी मासिक धर्म अथवा प्रसूति रक्त दिखे चाहे सूर्यास्त से थोड़ी देर पूर्व ही क्यों न हो महिला का सौम नष्ट होजाये गा। या मासिक धर्म वाली महिला दिन के अन्तिम भाग में पवित्र हो तब भी वह सौम नहीं रखेगी या प्रभात होने के बाद पवित्र हुई है इस स्थिति में भी उस का सौम मान्य नहीं होगा, एवं वह उस दिन सौम नहीं रखेगी, इस लिये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : क्या ऐसा नहीं है कि जब महिला मासिक धर्म से होती है तो न तो सौम रखती है न सलात पढ़ती है। (अल बुख़ारी : 1850)

किन्तु किसी रोग के कारण महिला को यदि खून आता है एवं उस की माहवारी के साधारण दिन नहीं हैं न ही प्रसूति रक्त है तो वह सौम रखने में अवरोधक नहीं।

› किन लोगों को अल्लाह ने सियाम की छूट दी है

अल्लाह ने सरलता दया के अंतर्गत कुछ विशेष लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़े न रखने की छूट दी है वह निम्नलिखित हैं :

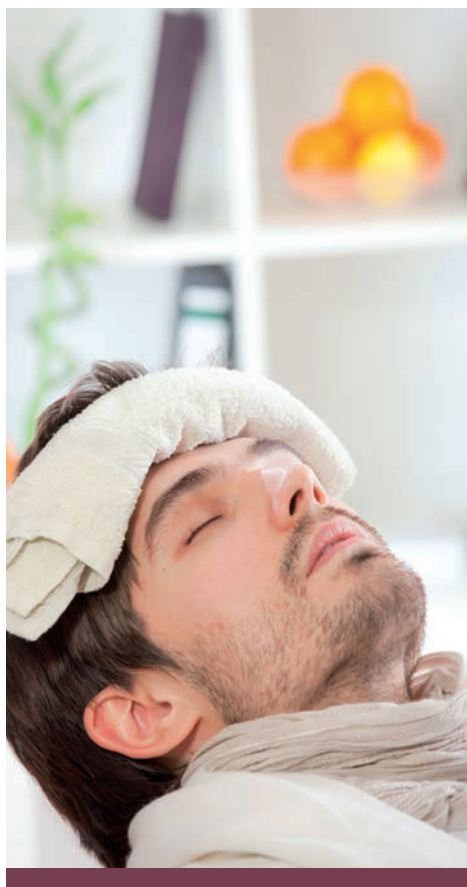
1 ऐसा रोगी जिसे सियाम रखने से हानि पहुंचे, तो ऐसे व्यक्ति के लिये रोज़ा छोड़ना वैध है, रमज़ान के बाद छूटे सियाम पुनः रख लेगा ।

2 दीर्घ आयु होने अथवा सदैव बीमारी के कारण जिस में रोज़ा रखने की शक्ति ही न हो, ऐसे व्यक्ति के लिये रोज़ा न रखना वैध है परन्तु वह हर दिन के बदले एक निर्धन को खाना खिलायेगा जिस की मात्रा नगर की साधार आहार का डेढ़ किलो है ।

3 यात्रा के समय अथवा चार दिन से कम समय के लिये कहीं निवास ग्रहण करने वाले यात्री के लिये रोज़ा न रखना वैध है एवं वह छूटे रोज़े रमज़ान के बाद पूरे कर लेगा, अल्लाह फ़र्माता है : एवं जो बीमार हो अथवा यात्रा पर हो तो अन्य दिनों में यह संख्या पूरी कर ले, अल्लाह तुम्हारे लिये सरलता चाहता है वह तुम्हें कष्ट में नहीं डालना चाहता । (अल वक़रह : 185)

4 मासिक धर्म तथा प्रसूति रक्त वाली महिलायें : इन के लिये रोज़ा रखना हaram है एवं यदि रख भी लें तो मान्य नहीं, रमज़ान के बाद वह छूटे रोज़े पूरे कर लेंगी । (देखिये पृष्ठ 76)

5 गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलायें जब उन्हें अपनी जान अथवा शिशु की जान का भय हो तो रोज़ा न रख कर बाद में उन्हें पूरा कर लेंगी ।



जिस ने रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा उस का क्या हुक्म है ?

जिस ने बिना किसी कारण रमज़ान में रोज़ा तोड़ दिया तो महा पाप होने एवं अल्लाह के आदेश का विरोध करने के कारण उसे तुरंत अल्लाह से तौबा करना चाहिये, उस के लिये केवल उस दिन का रोज़ा रखना अनिवार्य है, किन्तु जो पत्नी से संभोग करके रोज़ा तोड़ ले वह उस दिन का रोज़ा पूरा करेगा एवं उसे इस पाप का कफ़ारह भी देना होगा अर्थात् उसे एक मुस्लिम दास खरीद कर स्वतंत्र करना होगा, इस्लाम ने इस प्रकार के सभी अवसरों पर दासत्व से लोगों को मुक्ति दिलाने का आग्रह किया है, परन्तु वर्तमान स्थिति में दास न मिलने के कारण यदि ऐसा करना संभव न हो तो लगातार दो महीने के रोज़े रखे, यदि इस की भी शक्ति न हो तो साठ निर्धनों को भोजन कराये ।

➤ नफली सियाम

अल्लाह ने साल में एक मीने के सियाम अनिवार्य किये हैं किन्तु शक्ति होने पर अधिक पुण्य के लिये अन्य दिनों में भी सियाम रखने की रूचि दर्शाई है, उन्ही दिनों में से कुछ निम्न हैं :

① आशूरा का दिन एवं उस से एक दिन पहले तथा एक दिन बाद का रोज़ा, आशूरा इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की दस तारीख को पड़ता है, यह वह दिन है जिस में अल्लाह के नबी मुसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरऔन से मुक्ति दी थी एवं फिरऔन तथा उस की सेना को समुद्र में डुबो कर उन का सर्वनाश कर दिया था, मुसा अलैहिस्सलाम की मुक्ति पर धन्यवाद एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हुये तथा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करते हुये मुसलमान इस दिन का रोज़ा रखते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं रोज़ा रखा एवं रोज़ा रखने का आदेश देते हुये फ़र्माया : उस से एक दिन पहले अथवा एक दिन बाद रोज़ा रखो (अहमद : 2154) जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दिन के सियाम के विषय में प्रश्न किया गया तो आप ने फ़र्माया : बीते एक वर्ष के पापों का प्रायश्चित्त है (मुस्लिम 1162)

② अरफ़ह का रोज़ा : इस्लामी कैलेंडर के जुलहिज्जह नामी बारहवें महीने की नौ तारीख को अरफ़ह कहा जाता है, इस दिन हज्ज के लिये अल्लाह के घर आने वाले हाजी साहबान अरफ़ह के मैदान में एकत्रित होते हैं एवं विनतीपूर्वक अल्लाह से प्रार्थना एवं उस की



अराधना करते हैं, यह साल के समस्त दिनों में सर्वश्रेष्ठ है, ग़ैर हाजियों के लिये इस दिन का रोज़ा रखना सुन्नत है एवं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफ़ह के सौम के विषय में पूछा गया तो आप ने उत्तर दिया : बीते एवं आगामी एक वर्ष के पापों का प्रायश्चित्त करता है । (मुस्लिम : 1162)

③ शव्वाल के छ दिन के रोज़े : शव्वाल इस्लामी कैलेंडर का दसवाँ महीना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : (जिस ने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे फिर शौव्वाल के छ रोज़े रखे तो गोया उस ने पूरे वर्ष के रोज़े रखे । (मुस्लिम : 1164)

➤ पवित्र ईदुल फितर

त्योहार धर्म के स्पष्ट चिन्हों में से एक हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आये एवं अन्सार नामी मदीना के मुसलमानों को वर्ष के दो दिनों में खेलते कूदते तथा आनन्द लेते हुये पाया तो आप ने प्रश्न किया : यह दोनों दिन क्या हैं ? लोगों ने उत्तर दिया : अज्ञान काल में हम इन दिनों में खेल कूद किया करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रतिउत्तर में फर्माया : अल्लाह ने तुम्हें इन के बदले इन से अति उत्तम दो दिन प्रदान किये हैं वह ईदुल अज़हा तथा ईदुल फितर हैं । (अव्दाऊद : 1134) अल्लाह के रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह स्पष्ट करते हुये कि त्योहार धर्म चिन्ह हैं फर्माया : हर समुदाय का एक त्योहार होता है एवं यह हमारा त्योहार है (अल बुखारी 909, मुस्लिम 892)

इस्लाम में त्योहार :

इस्लाम में त्योहार वह दिन है जिस में लोग उपासना पूर्ति पर खुशी मनाते एवं अल्लाह की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें उपासना की शक्ति दी । इस दिन सुन्दर वस्त्र पहन कर, निर्धनों के संग उपकार करके लोगों में आनन्द का वातावरण उत्पन्न करना वैध है जितने भी वैध साधन हैं, आनन्द लेने के लिये सभी का प्रयोग वैध है जैसे उत्सव आयोजित करना, ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना जिस से लोगों को आनन्द तथा प्रसन्नता प्राप्त हो एवं लोग अल्लाह की नेमतों को याद कर सकें ।

मुसलमानों के त्योहार :

वर्ष में मुसलमानों के दो त्योहार हैं जिन में मुसलमान आनन्द लेता तथा खुशियाँ मनाता है, इन दो दिनों के अतिरिक्त वर्ष के किसी अन्य दिन को किसी प्रकार के उत्सव समारोह अथवा त्योहार के लिये विशेष करना इस्लाम में वैध नहीं यह : ईदुल फितर जो शव्वाल की पहली तारीख को पड़ता है एवं दूसरा ईदुल अज़हा है जो जुल हिज्जह की दस तारीख को पड़ता है ।



ईदुल फितर :

यह दसवें महीने शव्वाल का प्रथम दिन है जो रमजान की अन्तिम रात्रि के गुज़र जाने के बाद आता है, इसी कारण इसे ईदुल फितर कहा जाता है। कारण यह है कि जिस प्रकार लोगों ने रमजान में रोज़ा रख कर अल्लाह की उपासना की थी इसी प्रकार वह इस दिन रोज़ा न रख कर अल्लाह की उपासना करते हैं, वह इस दिन अल्लाह की कृपा पूर्ति एवं उस के उपकार पर खुशियाँ मनाते हैं कि अल्लाह ने रमजान के रोज़े की पूर्ति में उन के लिये सरलता पैदा की, अल्लाह का फ़र्मान है : एवं ताकि तुम संख्या पूरी कर लो एवं अल्लाह की दिशा से मार्गदर्शन मिलने पर उस की महानता का लाप करो एवं ताकि कृतज्ञ बन जाओ। (अल बकरह : 185)

ईद के दिन क्या क्या करना संवैधानिक है ?

1

ईद की सलात : इस्लाम में इस सलात का आग्रह किया गया है एवं औरतों बच्चों के संग लोगों को ईदगाह जाने का आदेश दिया गया है जिस का समय सूर्योदय के तुरंत बाद है जब सूर्य एक बरछे की ऊँचाई पर पहुँ जाये, एवं सूर्य ढलने तक बाकी रहता है अर्थात् सूर्योदय के बाद एक बरछे निकट एक मीटर की ऊँचाई पर सूर्य दिखने लगे।

इस की विधि : ईद की सलात दो रकअत है जिस में इमाम ऊँचे स्वर में क़िराअत करेगा एवं सलात के बाद दो ख़ुतबे देगा, इसी प्रकार ईद की सलात की हर रकअत के आरंभ में अधिक तकवीरें पुकारना मसनून है अतः पहली रकअत के आरंभ में तकवीरें तहरीमा के अतिरिक्त छ अन्य तकवीरें तथा दूसरी रकअत के आरंभ में सजदे से उठने वाली तकभ वीर के अतिरिक्त पांच और तकवीरें पढ़ी जायेंगी।



2

ज़काते फ़ित्र : ईद के दिन की आवश्यकता से अधिक जिस के पास खाना हो उस पर अल्लाह ने ज़काते फ़ित्र अनिवार्य किया है जो नगर की साधारण आहार चावल, गेहूँ एवं खजूर से एक साअ अर्थात् 3 किलो ग्राम तक निकालेगा, जो मुसलमान निर्धनों का अधिकार होगा, ऐसा इस कारण है ताकि मुसलमानों की प्रसन्नता के दिन कोई भूका भिकारी न रहे, आहार के स्थान पर पैसा निकालना भी वैध है यदि ऐसा करना निर्धन के हित में हो।

ज़काते फ़ित्र निकालने का समय रमज़ान के अन्तिम दिन की मग़रब से ईद की सलात तक रहता है एवं ईद से एक दो दिन पूर्व भी निकालना वैध है।

इस की मात्रा नगर के साधार आहार चावल गेहूँ तथा खजूर आदि का एक साअ है एवं साअ एक मापयंत्र है किन्तु भार के आधुनिक साधनों से इस का अनुमान अति सरल है, एक साअ निकट तीन किलो ग्राम के बराबर होता है।

प्रत्येक व्यक्ति ज़काते फ़ित्र अपनी, एवं जिन के खाने खर्चे का भार उस पर है जैसे पत्नी संतान आदि उन सभी की तरफ से अदा करे गा, गर्भ में पल रहे शिशु की तरफ से भी ज़काते फ़ित्र देना प्रिय है, प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से नगर के साधारण आहार से एक साअ अर्थात् निकट तीन किलो ग्राम अदा करना है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दो कारण से अनिवार्य बताया है एक रोज़ादार से हुई छोटी मोटी गलतियों को धो देता है दूसरे यह निर्धनों का खाना है अतः जिस ने इसे ईद की सलात से पूर्व अदा कर दिया उस की यह ज़कात स्वीकार हो गई एवं जिस ने ईद की सलात के बाद अदा किया तो यह साधारण दान है। (अबू दाऊद : 1609)



3

प्रत्येक वैध साधन का प्रयोग करते हुये घर के छोटे बड़ों, पुट्टष महिला में आनन्द का वातावरण बनाना प्रिय है, उपलब्ध सुन्दर से सुन्दर वस्त्र पहनना एवं उस दिन खा पीकर अल्लाह की उपासना करना सुन्नत है यही कारण है कि ईद के दिन रोज़ा रखना अवैध है ।

4

ईद की रात एवं सलात के लिये जाते हुये अल्लाह की बड़ाई में तकवीर पुकारना मसनून है, ईद की सलात के साथ ही तकवीर का समय समाप्त होजायेगा । इस में रमज़ान के सियाम की पूर्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करना एवं सियाम की हिदायत पाने पर अल्लाह की कृतज्ञता प्रकट करना मूल उद्देश्य है, अल्लाह का फ़र्मान है : एवं ताकि तुम संख्या पूरी कर लो एवं अल्लाह की दिशा से मार्गदर्शन मिलने पर उस की महानता का लाप करो एवं ताकि कृतज्ञ बन जाओ । (अल बक़रह : 185)

तकवीर की विधि एवं बोल : अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लाइलाह इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ।

उपरोक्त तकवीर के साथ यह तकवीर भी पढ़ सकता है : अल्लाहु अकबर कबीरह, वल हम्दु लिल्लाहि कसीरा, व सुबहानल्लहि बुकरतवं व असीला ।

मार्ग भर पुरुषों का ऊँचे स्वर में तकवीर पुकारना मसनून है किन्तु स्वर इतना ऊँचा न हो जिस से लोगों को कष्ट हो, महिलायें भी तकवीर पुकारेंगी किन्तु धीमे स्वर में ।





आप की ज़कात (दान)

5

अल्लाह ने ज़कात अनिवार्य किया है एवं इसे इस्लाम का तीसरा आधार बताया है एवं ज़कात न देने वालों को कठोर दण्ड की धमकी दी है तथा मुसलमानों के साथ भाईचारे को तौबा करने, सलात कायम करने एवं ज़कात देने से जोड़ दिया है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : यदि वह तौबा कर लें, सलात कायम करने लगे एवं ज़कात अदाक रें तो तुम्हारे धार्मिक भाई हैं । (अत्तौबह : 11)

एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : धर्म का आधार पाँच वस्तुओं पर है ,,,, एवं सलात कायम करना तथा ज़कात देना । (अल बुख़ारी 8, मुस्लिम 16)

अध्याय सूची :

ज़कात के उद्देश्य

वह वस्तुयें जिन में ज़कात अनिवार्य है :

- सोना चाँदी
- धन संपत्ति
- व्यापार सामग्री
- कृषि उत्पाद
- पशु धन ।

ज़कात किन को दी जाये ।

ज़कात

ज़कात धन की एक छोटी मात्रा है जिसे अल्लाह ने मुसलमानों पर अनिवार्य किया है, जिसे धनवान एवं पूँजीपति निर्धनों की आवश्यकता पूर्ति, हानिनिवारण एवं कुछ अन्य उद्देश्य से निभ कालता है।

ज़कात के उद्देश्य :

अल्लाह ने मुसलमानों पर ज़कात कुछ महान उद्देश्यों के लिये अनिवार्य किया है, निम्न में मैं हम उन में से कुछ का वर्णन कर रहे हैं :

1

माया प्रेम मनुष्य की अंतरिम भावना है जो उसे धन की सुरक्षा तथा उस से बंधे रहने पर उभारती है। अतः इस्लाम ने ज़कात को अनिवार्य किया ताकि मनुष्य धन मोह, माया प्रेम, कंजूसी एवं लालच से पवित्र एवं मुक्त होजाये, उस के हृदय से संसार प्रेम तथा उस की चमक दमक से चिमटने की भावना का अन्त होजाये, अल्लाह फर्माता है : आप उन के धन से दान लीजिये जिस से आप उन्हें पवित्र पावन कर सकें। (अत्तौबह : 103)

2

ज़कात देने से परस्पर प्रेम तथा संबन्ध स्थापित होता है, इस लिये कि मानव प्रकृति में उपकार करने वालों से सादर प्रेम की भावना उत्पन्न होती है एवं इस से मुस्लिम समाज के लोग दीवार के समान एक दूसरे को शक्ति देते हुये दृढ़ संबन्ध एवं परस्पर प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, जहाँ चोरी चकारी, लूट मार एवं अपहरण की घटनायें न होने के बराबर होती हैं

3

ज़कात देने से उपासना अर्थ की पूर्ति होती है दास के पूर्णतः अल्लाह के समक्ष अपने आप को समर्पित कर देने का ज्ञान होता है। जब धनवान अपनी संपत्ति में से ज़कात निकालता है तो वह अल्लाह के धर्म आदेश का पालन कर रहा होता है एवं ज़कात निकालने में धन संपत्ति पर अल्लाह के शुक्र का इज़हार भी होता है। अल्लाह का फर्मान है : यदि तुम शुक्र करोगे तो मैं और दुंगा। (इब्राहीम : 7)

4

ज़कात देने से सामाजिक सुरक्षा का अर्थ व्यापक होता है एवं समाज के विभिन्न धड़ों के बीच संतुलन बनता है, अधिकार धारकों को ज़कात देने से धन संपत्ति समाज के कुछ विशेष लोगों ही तक सीमित नहीं रहती, अल्लाह का फर्मान है : ताकि संपत्ति तुम में धनवानों के मध्य ही चक्कर न लगाती रहे। (अल हशर : 7)



> माया प्रेम एवं धन मोह मानव प्रकृति का भाग है एवं इस्लाम ने हमें अपनी आत्मा को धन मोह से पवित्र करने एवं धन लगाव से दूर रखने का आदेश दिया है।

किन किन संपत्तियों में ज़कात अनिवार्य है ?

जिस धन को मनुष्य ने व्यक्तिगत लाभ के लिये एकत्र किया हो उस में ज़कात नहीं है जैसे रहने का घर चाहे वह कितना ही बहुमूल्य क्यों न हो इसी प्रकार प्रयोग में रहने वाली वाहन चाहे वह कितना ही साज सज्जा वाली हो इसी प्रकार खाने पीने एवं पहनने की वस्तुयें ।

अल्लाह ने विभिन्न प्रकार की उन संपत्तियों में ज़कात अनिवार्य की है जो व्यक्तिगत प्रयोग के लिये न हों एवं प्राकृतिक रूप से वह अधिक होने वाली तथा बढ़ने वाली वस्तुयें हों जो निम्नलिखित हैं :

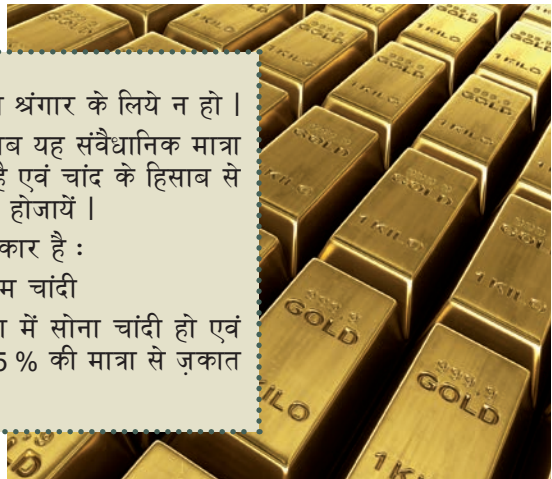
1 सोना चांदी जिस का प्रयोग वस्त्र तथा श्रृंगार के लिये न हो ।

इन में ज़कात उसी समय अनिवार्य है जब यह संवैधानिक मात्रा तक पहुंच जायें जिसे निसाब कहा जाता है एवं चांद के हिसाब से उस पर एक वर्ष अर्थात् 354 दिन भी पूरे होजायें ।

सोने चांदी में ज़कात का निसाब इस प्रकार है :

निकटतम 85 ग्राम सोना तथा 595 ग्राम चांदी

जब किसी मुसलमान के पास इस मात्रा में सोना चांदी हो एवं उस पर एक वर्ष बीत जाये तो उस में 2.5 % की मात्रा से ज़कात निकाले गा ।



2 धन राशि एवं विभिन्न प्रकार की मुद्रायें चाहे वह हाथ में हूँ अथवा बैंक खातों में ।

ऐसे माल की ज़कात निकालना : धन राशि तथा मुद्राओं के निसाब का अनुमान इसी की तुलना सोने से लगाया जायेगा, यदि ज़कात अनिवार्य होते समय धन राशि अथवा मुद्रायें सोने के निसाब के समान अथवा उस से अधिक हैं एवं उस पर एक वर्ष बीत गया है तो उस में 2.5% ज़कात निकाली जायेगी ।

उदाहरण : सोने का भाव परिवर्तित होता रहता है यदि हम ज़कात के समय एक ग्राम सोने की कीमत 25 डालर मान लें तो माल का निसाब इस प्रकार बनेगा :

परिवर्तित भाव वाले एक ग्राम सोने की कीमत 25 डालर
*85 ग्राम स्थिर = 2125 डालर, यह माल का निसाब बना

3 व्यापार सामग्री :

इस का अर्थ : हर वह धन जिसे मूल रूप से व्यापार के लिये तैय्यार किया गया हो जैसे ज़मीन जायदाद, बिल्डिंगें, भवन आदि अथवा प्रयोग वस्तुएँ एवं खाने पीने का सामान आदि

इन की ज़कात अदायगी का तरीका : जो कुछ मनुष्य ने व्यापार के लिये जोड़ा है एक वर्ष बीतने के बाद उन सब का मूल्यांकन करे, मूल्यांकन ज़कात निकालने वाले दिन के बाज़ार भाव से हो यदि मूल्यांकन के बाद उस का माल निसाब तक पहुंच जाता है तो कुल धन का 2.5 % ज़कात में निकाले गा ।



4 कृषि उत्पाद अर्थात धर्ती से उगने वाले अनाज एवं फल :

अल्लाह का फ़र्मान है : हे ईमान वालो अपनी कमाई के अच्छे भाग में से खर्च करो एवं तुम्हारे लिये धर्ती से जो निकाला है उस में से भी । (अल बकरह : 267)

विशिष्ट उत्पादों ही में ज़कात अनिवार्य है जब वह धर्म की बताई सीमित मात्रा तक पहुंच जायें ।

आकाश वर्षा अथवा नहर के पानी से सींची जाने वाली फसल एवं अपने खर्च से सींची जाने वाली फसल के मध्य ज़कात की मात्रा में अन्तर किया जायेगा ताकि लोगों की परिस्थितियों पर ध्यान दिया जासके ।



5 गाय ऊंट एवं बकरियों के रूप में पशु धन : मात्र उस समय इन में ज़कात है जब यह पशु मैदानों में स्वयं चरते हों एवं मालिक को चारे पानी का बोझ न उठाना पड़ता हो ।

यदि पूरे वर्ष अथवा वर्ष के अधिक भाग में मालिक चारह पानी उपलब्ध कराता है तो ऐसे पशुओं में ज़कात नहीं है ।

पशुओं में ज़कात के निसाब एवं ज़कात की मात्रा के विषय में विस्तृत जानकारी के लिये फ़िक़ह की किताबों की तरफ लौटा जासकता है ।



ज़कात किसे दिया जाये ?

इस्लाम ने ज़कात मदों का चयन कर दिया है, मुसलमान के लिये जायज़ है कि वह अपनी पूरी ज़कात किसी एक ही मद में दे दे अथवा एक से अधिक मदों में खर्च कर दे, या ऐसे दान केन्द्रों एवं संस्थाओं को दे दे जो योगी मुसलमानों तक उसे पहुंचाने का कार्य करती हों, उत्तम है कि उसे स्वदेश ही में बाँटा जाये।

ज़कात पाने वालों की विभिन्न किस्में निम्नलिखित हैं :

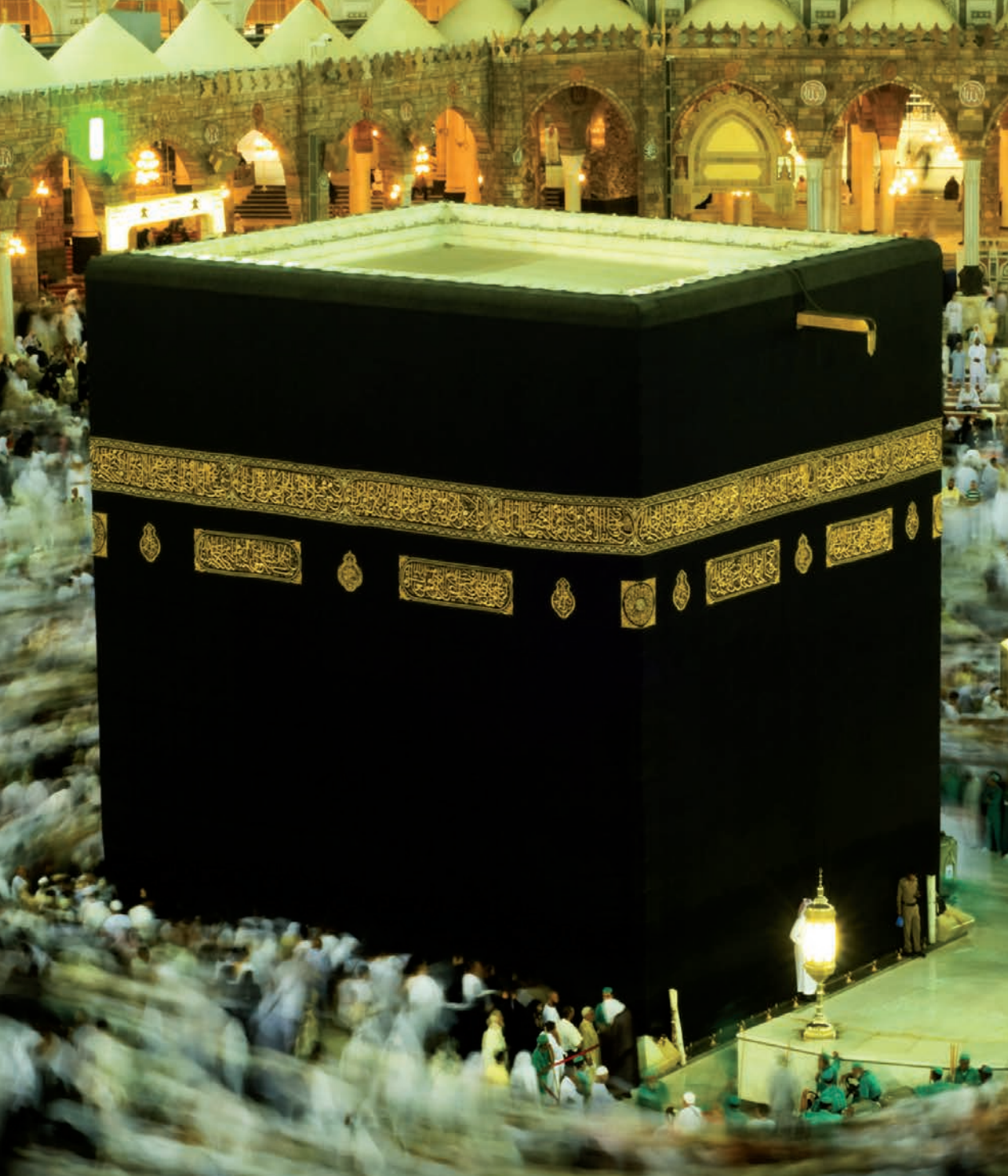
- 1 निर्धन तथा कम पूँजी वाले लोग जिन्हें अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये व्यापक धन न मिले।
- 2 जो ज़कात वसूलने एवं बाँटने पर नियुक्त हों।
- 3 दास जिस ने अपने स्वामी से स्वयं को खरीद लिया हो, स्वतंत्र होने के लिये ए से व्यक्ति की ज़कात से सहायता की जायेगी
- 4 जिस ने किसी कर्ज का भार अपने सिर ले लिया हो किन्तु उसे अदा करने में असमर्थ हो, कर्ज चाहे सार्वजनिक लाभ एवं लोगों की भलाई के लिये हो अथवा व्यक्तिगत लाभ के लिये।
- 5 अल्लाह के मार्ग में जिहाद करने वाले : यह वह लोग हैं जो अपने धर्म एवं देश की रक्षा के लिये युद्ध करते हैं, इस अर्थ में हर वह कार्य जिहाद है जिस से इस्लाम का प्रचार प्रसार एवं अल्लाह के धर्म को दृढ़ता एवं शक्ति प्रदान हो।
- 6 जिन की हृदय सहानुभूति करनी हो : यह वह लोग हैं जो अभी अभी मुसलमान हुये हैं, या भविष्य में जिन के इस्लाम की आशा है, ऐसे लोगों को ज़कात व्यक्तिगत नहीं दिया जासकता बल्कि इस का निर्णय मुसलमानों का हाकिम अथवा ऐसी दान संस्थाएँ लेंगी जो इस विषय में लाभ हानि का मूल्यांकन कर सकती हैं।

7 अपरिचित यात्री जिस के पास घर तक पहुंचने का साधन छिन गया हो एवं उसे धन की आवश्यकता हो यद्यपि वह अपने नगर का धनवान व्यक्ति ही क्यों न हो।

अल्लाह तआला ज़कात के अनिवार्य मदों का वर्णन करते हुये फ़र्माता है : निःसंदेह ज़कात निर्धनों, मिस्कीनों, ज़कात वसूल करने वाले कर्मचारियों, जिन की हृदय सहानुभूति करनी हो, गरदन की आज़ादी, कर्ज का भार उठाने वालों, अल्लाह के मार्ग में जिहाद करने वालों एवं यात्रियों के लिये है। (अत्तौबह : 60)



> निर्धन वह लोग हैं जिन्हें अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये व्यापक धन न मिलता हो।



आप का हज्ज



6

मक्कह जाकर हज्ज करना इस्लाम का पाचवाँ आधार है, यह एक ऐसी उपासना है जिस में समस्त प्रकार की शारीरिक, हार्दिक एवं आर्थिक उपासनयें एकत्रित हो जाती हैं। शारीरिक तथा आर्थिक शक्ति रखने पर जीवन में एक बार हज्ज अनिवार्य है।

अल्लाह फ़र्माता है : अल्लाह के लिये उन लोगों पर घर का हज्ज अनिवार्य है जो वहाँ तक पहुँचने का मार्ग पाते हों एवं जो इनकार कर दे तो अल्लाह सर्वलोक से निरपेक्ष है।

अध्याय सूची :

मक्कह एवं मस्जिदे हराम का महत्व :

हज्ज का अर्थ

मुसलमान के हज्ज शक्ति की स्थिति।

महिला के हज्ज के लिये महरम की शर्त।

हज्ज का महत्व एवं श्रेष्ठता।

हज्ज के उद्देश्य।

उमरह।

पवित्र ईदुल अज़हा।

- ईद के दिन क्या करना संवैधानिक है।
- ज़बह किये जाने वाले पशु की शर्तें।
- कुर्बानी के जानवर का क्या किया जाये ?

मदीना मुनव्वरह का दर्शन।

मक्कह एवं मस्जिदे हराम का महत्व :

मस्जिदे हराम अरब द्वीप के पश्चिम में स्थित मक्कह नामी नगर में पड़ता है, जिसे इस्लाम में बड़ा महत्व प्राप्त है, जिन में से कुछ निम्नलिखित हैं

1

यही पर पवित्र काबा है । काबा एक चौकोर भवन है जो मक्कह में स्थित मस्जिदे हराम के बिलकुल बीच में निर्मित है ।

यही मुसलमानों का क़िबला है जिस की दिशा मुंह करके सारे संसार के मुसलमान सलात एवं अल्लाह के आदेशानुसार अन्य उपासनाये अंजाम देते हैं ।

अल्लाह के आदेश से इसे इब्राहीम अलखलील एवं उन के पुत्र इस्माईल अलैहिमस्सलाम ने मिल कर बनाया था, फिर बाद में कई बार इस का पुनर्निर्माण किया गया ।

अल्लाह फ़र्माता है : याद करो उस समय को जब इब्राहीम व इस्माईल अलैहिमस्सलाम मिल कर घर के स्तंभ उठाते हुये कह रहे थे, हे हमारे प्र तिपालक तू हम से इस कार्य को स्वीकार कर ले, निःसंदेह तू अति सुनने वाला सर्वज्ञाता है ।

एवं पुनर्निर्माण के समय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कह के विभिन्न कुटुंबों के साथ मिल कर काले पत्थर को उस के स्थान पर रखा था ।

2

यह धर्ती पर निर्मित प्रथम मस्जिद है जब महान सहाबी अबू ज़र रज़िअल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया : धर्ती पर सर्वप्रथम किस मस्जिद का निर्माण हुआ तो आप का उत्तर था : मस्जिदे हराम, फिर पूछा इस के बाद कौन ? तो आप ने उत्तर दिया (मस्जिदे अकसा) वे कहते हैं मैं ने पूछा : उन दोनों के निर्माण के मध्य कितने समय का अन्तर



> काबा के द्वार पर कुछ क़ुर्आनी आयतें लिखी हुई हैं ।

है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया : चालीस वर्ष, फिर आप ने फ़र्माया : जहाँ कहीं सलात का समय होजाये वहीं सलात अदा कर लो क्यों कि यही उत्तम है । (बुख़ारी : 3186, मुस्लिम : 520)

3

इस में सलात पढ़ने का अजर कई गुना अधिक है :

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : मेरी इस मस्जिद मतलब मस्जिदुल मदीना में एक सलात मस्जिदे हराम के अतिरिक्त अन्य मस्जिदों की एक हज़ार सलात से उत्तम है, एवं मस्जिदे हराम की एक सलात अन्य मस्जिदों की एक लाख सलात से उत्तम है । (इब्ने माजह 1406, अहमद 14694)

4

वह अल्लाह एवं उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम है ।

अल्लाह का फ़र्मान है : मुझे इस नगर के रब की उपासना का आदेश दिया गया है जिस ने इसे हरम बनाया है, उसी के लिये प्रत्येक वस्तु है एवं मुझे मुसलमानों में से होने का आदेश दिया गया है । (अन्नमल : 91)

मक्कह को अल्लाह ने अपनी सृष्टि पर अवैध कर दिया है कि कोई उस में रक्तंरंजन करे, अथवा उस में किसी पर अत्याचार हो, या उस के पशुओं का शिकार किया जाये या उस में उगे वृक्षों एवं घास फूस को काटा जाये ।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : मक्कह को अल्लाह ने हरम बनाया है इसे लोगों ने हरम नहीं बनाया है, अतः अल्लाह पर तथा अन्तिम दिवस पर ईमान रखने वाले किसी व्यक्ति के लिये वैध नहीं कि इस में खून बहाये न ही इस के वृक्ष काटे । (अल बुख़ारी 104, मुस्लिम 1354)

5

अल्लाह एवं उस के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकट संसार का सर्वप्रिय स्थान है

एक सहाबी कहते हैं : मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने स्वारी पर हज़ूरह में खड़े देखा, वह मक्का के आप कह रहे थे : अल्लाह की सौगन्ध तू अल्लाह की धर्ती का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, अल्लाह के निकट धर्ती की सर्वप्रिय स्थान है, यदि मुझे तुझ से न निकाला गया होता तो मैं कदापि न निकलता । (तिर्मिज़ी 3925, सुनन कुबरा, नसाई : 4252)

6

अल्लाह ने अपने सम्मानित घर के हज्ज को हर उस व्यक्ति पर अनिवार्य किया जो वहाँ तक पहुंचने की शक्ति रखता हो ।

इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों में हज्ज की घोषणा की एवं पुकार लगाया अतः संसार के कोने कोने से लोग हज्ज के लिये दल के दल वहाँ पहुँचे, नवियों ने भी वहाँ पहुँच कर हज्ज किया जैसा

कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल ने इस की सूचना दी एवं अल्लाह अपने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के विषय में सूचना देते हुये फ़र्माता है : हे इब्राहीम आप लोगों में हज्ज की घोषणा करें, लोग पैदल तथा दुबली पतली सवारियों पर स्वार होकर संसार के चप्पे चप्पे से, क्रीण तथा विशाल मार्गों से उपस्थित होंगे ।





> सम्मानित घर काबा के गिरद सात फेरे लगाना हज्ज व उमरह का एक महत्वपूर्ण भाग है ।

> हज्ज का अर्थ

हज्ज संबन्धी विभिन्न प्रकार की उपासना के लिये अल्लाह के सम्मनित घर की यात्रा करने को हज्ज कहा जाता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रमाणित अतिरेक कार्यों तथा बातों पर आधारित होता है जैसे कि ऐरहाम बांधना, काबा के सात फेरे लगाना, सफा व मर्वा के मध्य सात बार सई करना, अरफा मैदान में ठेहरना, मिना में जमरात को पत्थर मारना आदि ।

इस में श्रद्धालुओं के लिये बड़े लाभ हैं, जहाँ पर ऐकेश्वरवाद की घोषणा होती है, हाजियों को महान क्षमा याचना मिलती है, मुसलमा परस्पर एक दूसरे से परिचित होते हैं, धर्म ज्ञान ग्रहण करने का अवसर मिलता है, इस के अतिरिक्त भी विभिन्न लाभ हैं ।

हज्ज का समय : हज्ज कार्य ज़िलहिज्जह की आठ तारीख से आरंभ होकर तेरह तारीख को समाप्त होजाते हैं, ज़िलहिज्जह इस्लामी कैलैण्डर में चन्द्र महीनों का बारहवाँ महीना है ।

हज्ज किन लोगों के लिये अनिवार्य है ।

हज्ज के अनिवार्य होने के लिये यह शर्त है कि मुसलमान व्यस्क, बुद्धिमान एवं आर्थिक शक्ति वाला हो ।

शक्ति रखने का अर्थ :

संवैधानिक तथा उचित तरीके से सम्मानित घर तक पहुंचान संभव हो, हज्ज कार्य करते हुये यात्रा के साधारण कष्ट के अतिरिक्त कोई अन्य बड़ा भार न सहन करना पड़े साथ ही धन प्राण की रक्षा का विश्वास भी हो, हज्ज के लिये जिस धन की आवश्यकता है वह मनुष्य के अपने तथा घर वालों के मूल खर्च से अधिक हो ।

➤ एक मुसलमान के हज्ज की शक्ति रखने की स्थितिया

1 वह स्वयं हज्ज की शक्ति रखता हो अर्थात् साधारण कष्ट से अधिक कष्ट सहन किये बिना वह स्वयं सम्मानित घर तक पहुंचने की शक्ति रखता हो एवं इस के लिये उस के पास पर्याप्त धन भी हो, इस स्थिति में उस पर हज्ज अनिवार्य है।

2 वह किसी अन्य की सहायता लेकर हज्ज की शक्ति पाये, यह ऐसा व्यक्ति है जो किसी रोग अथवा दीर्घायु के कारण स्वयं हज्ज की शक्ति न रखता हो किन्तु उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाये जो उस के बदले हज्ज कर ले, एवं वह उस के हज्ज खर्च का भार उठा ले, इस स्थिति में आवश्यक है कि जिस के बदले हज्ज किया जा रहा है वही हज्ज करने वाले के समस्त खर्च का भार उठाये।

3 जो न स्वयं हज्ज कर सकता हो न किसी से हज्ज करा सकता हो तो ऐसे व्यक्ति पर शक्ति न होने के कारण हज्ज अनिवार्य नहीं।

उदाहरणस्वरूप ऐसा व्यक्ति जिस के पास अपने व्यक्तिगत खर्च से अधिक इतना धन न हो जो हज्ज के लिये पर्याप्त हो।

हज्ज की शक्ति पाने के लिये धन जोड़ना भी आवश्यक नहीं, किन्तु जब भी शक्ति होजाये हज्ज अनिवार्य होगा।

क्या आप के पास पर्याप्त धन तथा हज्ज की शारीरिक शक्ति है ?

नहीं

हाँ

आप के लिये स्वयं हज्ज करना अनिवार्य है।

क्या आप के पास पर्याप्त धन है किन्तु किसी शिफा न मिलने वाले रोग के कारण आप में हज्ज की शारीरिक शक्ति नहीं है या दीर्घायु के कारण ?

नहीं

हाँ

आप के लिये अनिवार्य है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का हज्ज खर्च सहन करें जो आप के बदले आप का हज्ज करे।

यदि आप की अपनी एवं अपने घर वालों के आवश्यकताओं से अधिक धन नहीं है तो आप के लिये न तो हज्ज अनिवार्य है न ही हज्ज के लिये धन एकत्रित करना।

➤ महिला के हज्ज के लिये महरम का होना शर्त है

महिला पर हज्ज अनिवार्य होने के लिये महरम का होना शर्त है, उस समय तक महिला पर हज्ज अनिवार्य नहीं जब तक कि हज्ज यात्रा में उस का साथ देने के लिये कोई महरम न हो। महरम निम्नलिखित लोग बन सकते हैं : पति अथवा ऐसा व्यक्ति जिस से उस महिला का विवाह न होसकता हो जैसे पिता, दादा, बेटा, बेटे का बेटा, भाई तथा भाई के बेटे, चचा एवं मामू आदि। (देखिये पृष्ठ : 173)

यदि कोई महिला बिना महरम सुरक्षित तरीके से हज्ज कर ले तो उस का हज्ज सही होगा, एवं कर्तव्य पूरा हो जायेगा।

➤ हज्ज का महत्व एवं श्रेष्ठता

हज्ज के विषय में असंख्य महत्व एवं श्रेष्ठता का वर्णन हुआ है जिन में से कुछ निम्नलिखित हैं :

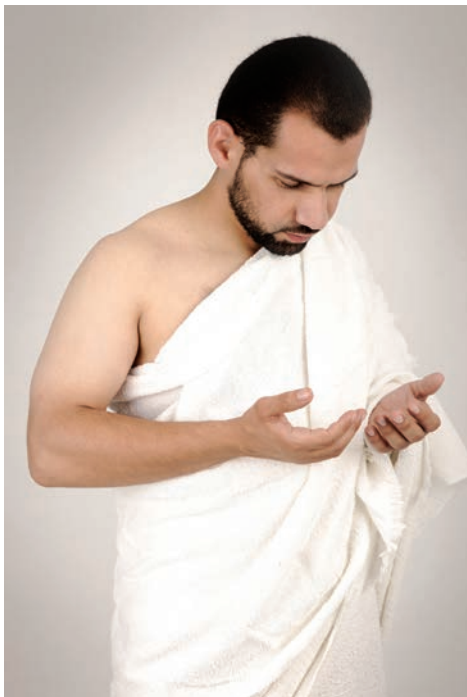
- 1 यह सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया : सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है ? तो आप ने उत्तर दिया : अल्लाह एवं उस के रसूल पर ईमान लाना फिर आप से पूछा गया : इस के बाद फिर कौन सा कार्य ? आप ने उत्तर दिया : अल्लाह के मार्ग में जिहाद करना। आप से पूछ गया : फिर क्या ? आप ने उत्तर दिया स्वीकृत हज्ज। (अल बुखारी 1447, मुस्लिम 83)
- 2 यह क्षमा याचना का महान मौसम एवं उत्तम अवसर है : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : जिस ने हज्ज करते हुये न पत्नीभोग किया, न ही कोई पाप किया वह इस प्रकार हज्ज से लौटता है जैसे अभी उस ने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है। (अल बुखारी 1449, मुस्लिम 1350) अर्थात् पापों से ऐसे पवित्र होकर लौटता है जैसे अभी उस ने जन्म लिया हो।
- 3 यह नर्क से मुक्ति पाने का महान अवसर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : अल्लाह तआला सर्वाधिक अरफह के दिन लोगों को नर्क से मुक्ति देता है, इस दिन से अधिक मुक्ति किसी अन्य दिन नहीं देता। (मुस्लिम 1348)
- 4 इस का बदला स्वर्ग है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : स्वीकृत हज्ज का बदला स्वर्ग के अतिरिक्त कुछ और नहीं। (बुखारी 1683, मुस्लिम 1349)

यह महत्व एवं यह श्रेष्ठतायें मात्र उन्हीं को प्राप्त हैं जिन का उद्देश्य सही एवं जिन की नीयत सच्ची है, जिन की आत्मा शुद्ध एवं जिन का कार्य अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्शों के अनुकूल है।

➤ हज्ज के उद्देश्य

हज्ज के असंख्य व्यक्तिगत तथा सामाजिक लाभ, एवं महान उद्देश्य हैं, इसी कारण अल्लाह ने हाजी पर अनिवार्य कुर्वानी का जिक्र करने के बाद फर्माया, जिसे वह जिलहिज्जह की दस तारीख को अल्लाह की निकटता प्राप्त करने के लिये ज़बह करता है : अल्लाह को न तो उस का गोشت पहुंचता है न ही उस का खून किन्तु उसे तुम्हारा ईश्वर्य पहुंचता है । (अह हज्ज : 37) अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : अल्लाह के घर के फेरे, सफा मर्वा के बीच की सड़ तथा जमरात को कंकरी मारने का उद्देश्य अल्लाह की याद स्थापित करना है । (अबू दाऊद 1888)

इन्ही उद्देश्यों में से कुछ निम्नलिखित हैं :



➤ हज्ज उमरह करने वाले के लिये हज्ज उमरह संबन्धी धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है ।

1 अल्लाह के लिये विनय एवं नम्रता प्रकट करना :

इस लिये कि हाजी सुख सामग्रियों के समस्त साधनों को ठुकरा देता है, वह मात्र एहराम के वस्त्र में अल्लाह के समक्ष अपनी निर्धनता एवं असमर्थता का प्रदर्शन करता है, वह संसार तथा संसार के समस्त झंझटों से मुक्त होजाता है बदले में उसे अल्लाह की क्षमा दया प्राप्त होती है, फिर अरफह के मैदान में विनतीपूर्वक अपने रब के समक्ष खड़े होकर उस की कृपा दया पर उस के गुन गाता उस का शुक्र अदा करता है साथ ही अपने पापों, अपनी कमियों की क्षमा भी मांगता है ।

2 कृपा दान पर शुक्र :

हज्ज अदा करते समय दो प्रकार से शुक्र का प्रदर्शन होता है : धन संपत्ति पर अल्लाह का शुक्र, तथा शरीर सुरक्षा पर उस का शुक्र, यह दोनों संसार में अल्लाह का सर्वमहान वर्दान हैं एवं हज्ज में इन दोनों ही महान वर्दानों का शुक्र अदा होता है जहाँ मनुष्य स्वयं भी प्रयासरत होता है एवं अपने रब के अनुसरण तथा उस की निकटता की खोज में अपना माल भी खर्च करता है, इस में कोई संदेह नहीं कि नेमत पर शुक्र अनिवार्य है जिसे बुद्धि भी प्रमाणित करती है एवं धर्म भी अनिवार्य बताता है ।

3 मुसलमानों का संगठन एवं उन का जैनसमारोह :

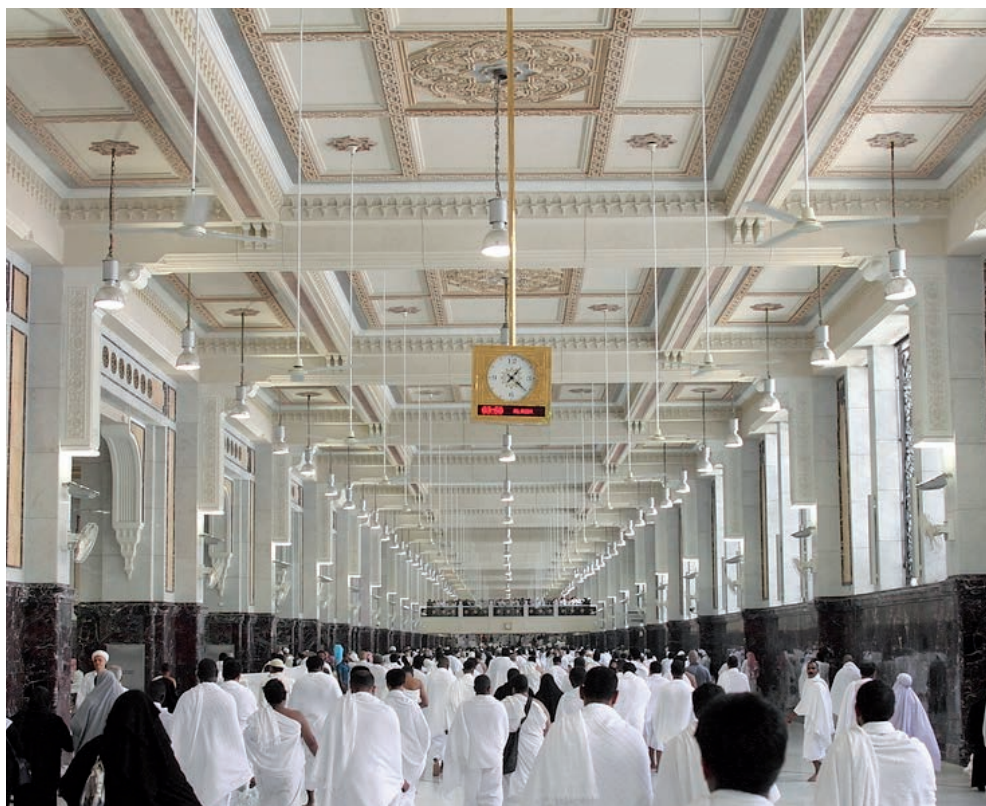
हज्ज में संसार के कोने कोने से लोग एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं, इस प्रकार लोगों का पारस्परिक मतभेद मिट जाता है, धन निर्धनता, जाति रंग, भाषा भेद सभी का अन्त हो जाता है, संसार के सर्वमहान मानव समारोह में मुसलमान एक होजाते हैं, जहाँ सब एक होकर पुण्य तथा ईश्वर्य, सत्य एवं धैर्य का एक दूसरे को आदेश देते नज़र आते हैं जिस समारोह का एकमात्र महान उद्देश्य जीवन साधनों को आकाश साधनों से जोड़ देना है ।

4 अन्तिम दिवस की याद :

हज्ज मुसलमानों को अन्तिम दिवस की याद दिलाता है, जब हाजी संसार के रंग विरंगे वस्त्र निकाल कर केवल दो सफेद चादरों में तलबिया पुकरता है, अरफात की पवित्र धर्ती पर ठेहरता है एवं ठाठें मारते जनसमू को देखता है जहाँ सब के वस्त्र कफन समान एक जैसे होते हैं तो यहाँ उस के हृदय में उस दिन का दृश्य प्रकट होता है जिस का सामना मृत्योपरान्त मुसलमान को करना है, उस में उस दिन की तैय्यारी की प्रेरणा उत्पन्न होती है एवं अल्लाह से भेंट से पूर्व उस के लिये कुछ पूंजी संजोने की जिज्ञासा जन्म लेती है ।

5 एकेश्वरवाद एवं कथनी करनी के माध्यम से संपन्न उपासना में अल्लाह की एकता का प्रदर्शन होता है :

हाजियों की पहचान एवं उन का नारा तलबिया है जिस के शब्द यह हैं (लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्नेमत लक वल मुलक, ला शरीक लक) यही कारण है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक महान सहावी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलबिया के विषय में फर्माया : आप ने एकेश्वरवाद की पुकार पुकारी । (मुस्लिम 1218) हज्ज के समस्त चिन्हों, कार्यों तथा बातों में एकेश्वरवाद अति स्पष्ट है ।



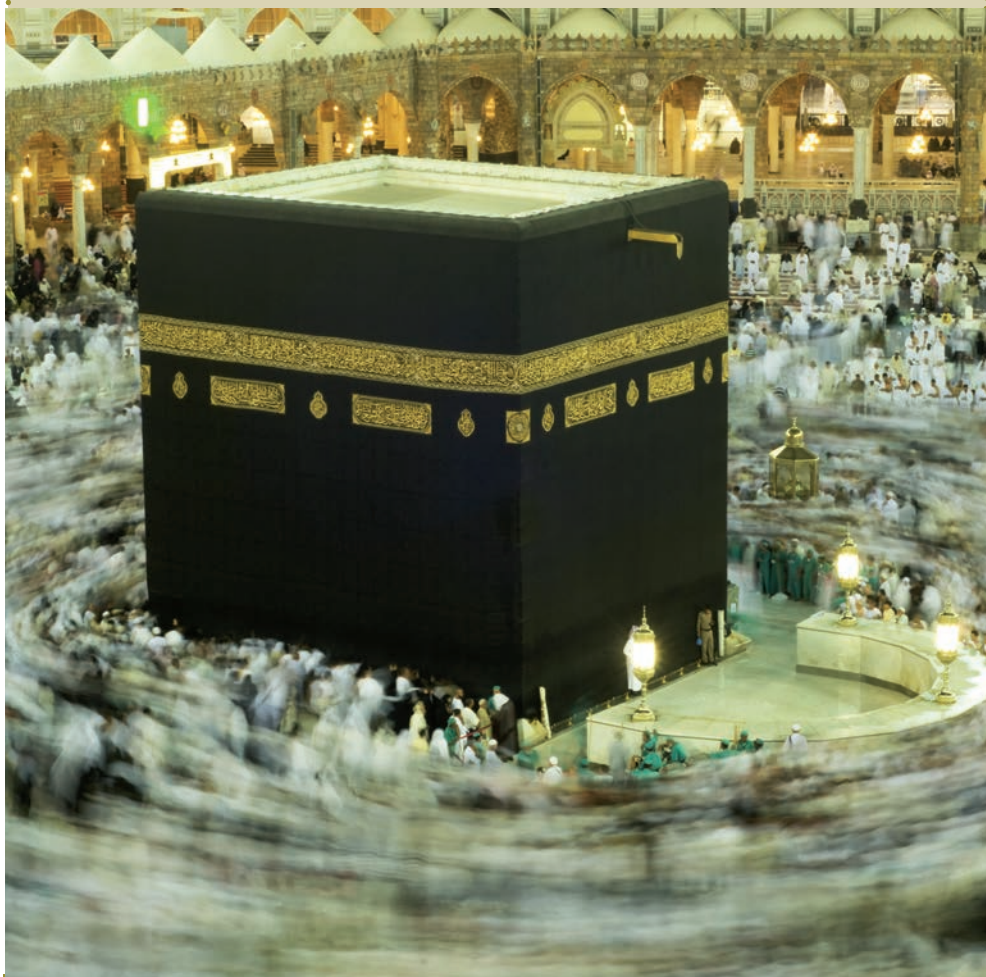
> हज्ज तथा उमरह करने वाले पर सफा तथा मर्वा के मध्य दौड़ना अनिवार्य है ।

> उमरह

एहरमा, काबा के सात फेरों तथा सफा मर्वा क बीच सात चक्कों के माध्यम से अल्लाह की उपासना करना एवं अन्त में सिर मुंडा लेने अथवा बाल छोटे करा लेने का नाम उमरह है ।

धार्मिक आदेश : शक्ति रखने वालों पर जीवन में एक बार अनिवार्य एवं बार बार करना सुन्नत है ।

इस का समय : वर्ष के बारह महीनों में इसे कभी भी किया जासकता है, किन्तु रमज़ान में उमरह करने का पुण्य कई गुना अधिक है जैसा कि अल्लाह के रसूल का फ़र्मान है : रमज़ान में उमरह करना हज्ज के समान है । (अल बुखारी 1764, मुस्लिम 1256)



> शक्ति वाले पर जीवन में एक बार उमरह करना अनिवार्य है ।

पवित्र ईदुल अज़हा



> भारत के मुसलमान ईदुल अज़हा की सलात अदा करते हुये ।

यह मुसलमानों का दूसरा त्योहार है जो ज़िलहिज्जह की दसवीं तारीख़ को प्रति वर्ष पड़ता है जिस का इस्लाम में बड़ा महत्व है, उन में से कुछ निम्नलिखित हैं :

1 यह वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिन है : वर्ष के सर्वश्रेष्ठ दिन ज़िलहिज्जह के आरंभिक दस दिन हैं जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : इन दस दिनों से बढ़ कर किसी और दिन के सद्कार्य अल्लाह को प्रिय नहीं, लोगों ने कहा अल्लाह के मार्ग में जिहाद भी नहीं आप ने उत्तर दिया जिहाद भी नहीं अतिरिक्त उस व्यक्ति के जो अपनी जान माल के साथ निकला हो एवं उन में से कुछ वापस न आया हो । (अल बुख़ारी 926, अति र्मिज़ी 757)

2 यह हज्जे अकबर का दिन है जिस में हज्ज के अधिक श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होते हैं जैसे काबा का तवाफ़, कुर्बानी, बड़े जमरे की रमी ।

ईदुल अज़हा के दिन क्या क्या करना सैवैनिक है ?

हाजियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिये ज़काते फ़ित्र छोड़ कर वह समस्त कार्य करना प्रिय है जो पवित्र ईदुल फ़ित्र में किये जाते हैं, ज़काते फ़ित्र केवल ईदुल फ़ित्र के साथ विशिष्ट है ।

अल्लाह की निकटता प्राप्त करने के लिये कुर्बानी करना ईदुल अज़हा के विशेष कार्यों में से है ।

उज़हियह : यह वह ऊँट गाँयें भेड़ एवं बकरियाँ हैं जिन्हें अल्लाह की निकटता हेतु ईदुल अज़हा के दिन ईद की सलात से लेकर ज़िलहिज्जह की तेरहवीं तारीख़ तक ज़बह किया जाता है । अल्लाह का फ़र्मान है : आप अपने रब के लिये सलात पढ़िये एवं कुर्बानी कीजिये । (अल कौसर : 2) इस आयत की व्याख्या ईद की सलात तथा उज़हिया किया गया है

इस का हुक्म : शक्ति रखने वाले के लिये कुर्बानी करना आग्रहित सुन्नत है, एक मुसलमान अपनी एवं अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी कर सकता है ।

कुर्बानी करने वाले के लिये ज़िलहिज्जह की पहली तारीख़ से पशु ज़बह करने तक यह आदेश है कि वह न तो अपने बाल काटे न ही नाखुन, न शरीर के किसी भाग के बालों को छेड़े ।

कुर्बानी के पशुओं में पाई जाने वाली शर्तें :

1 आवश्यक है कि कुर्बानी के पशु केवल ऊँट, गाय भेड़ तथा बकरियाँ हों, इस के अतिरिक्त किसी अन्य पशु अथवा पंक्षी की कुर्बानी वैध नहीं ।

एक बकरी एक व्यक्ति तथा उस के परिवार की तरफ से काफी है । इसी प्रकार एक गाय अथवा एक ऊँट में सात लोग भागीदार हो सकते हैं ।

2 कुर्बानी का पशु निश्चित आयु तक पहुंच गया हो, कुर्बानी के लिये भेड़ की निश्चित आयु 6 महीने, बकरी की एक वर्ष, गाय की दो वर्ष एवं ऊँट की पांच वर्ष है ।

3 पशु प्रत्यक्ष में स्पष्ट दोषों से सुरक्षित हों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : चार प्रकार के पशु कुर्बानी के लिये उचित नहीं : ऐसे काने पशु जिन का कानापन स्पष्ट हो, ऐसे रोगी पशु जिन का रोग स्पष्ट हो, ऐसे लंगड़े पशु जिन का लंगड़ापन स्पष्ट हो, इतने दुर्बल एवं दुबले पशु जिन की हड्डियों में गूदा ही न हो । अन्नसाई 4371, अत्तिर्मिजी 1497)

कुर्बानी का क्या किया जाये ?

- कुर्बानी का कोई भी अंश बेचना अवैध है ।
- कुर्बानी के गोشت को तीन भागों में बांटना प्रिय है, एक भाग खाले, एक तिहाई संबन्धियों में भेंट कर दे, शेष एक तिहाई निर्धनों में बांट दे
- मनुष्य के लिये कुर्बानी में किसी को अपना प्रतिनिधि बनाना वैध है, इसी प्रकार वह भरोसे के दान केन्द्रों को भी पैसे देकर कुर्बानी करा सकता है जो उस की तरफ से कुर्बानी करके उस का गोشت निर्धनों में बांट दें ।



इस्लाम ने यह शर्त लगाई है कि कुर्बानी के पशु शारीरिक दोषों से सुरक्षित हों ।

दूत नगरी मदीनह का दर्शन

जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकों की तरफ से निरंतर कष्ट दिये जाने के कारण मक्का से निकलना पड़ा तो मदीनह ही वह पवित्र नगर है जिस की दिशा आप ने हिजरत की

आप ने वहाँ पहुँच कर सर्वप्रथम मस्जिदे नववी के निर्माण का कार्य किया जो बाद में ज़ान, धर्म निर्माण तथा लोगों में भलाई फैलाने का महत्वपूर्ण केन्द्र बना।

मस्जिदे नववी के दर्शन का आग्रहपूर्ण आदेश है चाहे हज्ज का मौसम हो अथवा कोई अन्य समय।

मस्जिदे नववी के दर्शन का हज्ज से कोई संबन्ध नहीं न ही उस के दर्शन का कोई समय विशेष है।

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : पुण्य के उद्देश्य से केवल तीन मस्जिदों की दिशा ही यात्रा की जा सकती है : मस्जिदे हराम, एवं मेरी यह मस्जिद तथा मस्जिदे अक़सा। (अल बुख़ारी 1139, मुस्लिम 1397, अबूदाऊद 2033)

एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फ़र्माया : मेरी मस्जिद में एक सलात मस्जिद हराम के अतिरिक्त अन्य मस्जिदों की एक हज़ार सलात से उत्तम है। (अल बुख़ारी 1133, मुस्लिम 1394)

मदीना में किन स्थानों का दर्शन संवै.निक है ?

उचित है कि मुसलमान के मदीना जाने का उद्देश्य रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का दर्शन एवं उस में सलात अदा करने की इच्छा हो, मदीना आने के बाद निम्नलिखित इन स्थानों का दर्शन भी वैध है :

1

पवित्र रोज़ह में सलात : यह मस्जिदे नववी के अग्रिम भाग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तथा आप के मिनार के बीच का एक सीमित क्षेत्र है यहाँ सलात पढ़ने का बड़ा महत्व है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है (मेरे घर एवं मेरे मिनार के बीच का क्षेत्र स्वर्ग की क्यारियों में से एक क्यारी है। (अल बुख़ारी 1137, मुस्लिम 1390)



2

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम पढ़ना : दर्शनाभिलाषी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़बर के सामने जाकर सुशीलतापूर्वक इस प्रकार खड़ा हो कि क़बर सामने हो तथा क़िबला पीछे फिर अति शालीन स्वर में यह शब्द कहे : अस्सलामु अलैक या रसूलल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अश्हदु अन्नक क़द बल्लग़तरिसालह व अदतल अमानह व नसहतल उम्मह व जाहदत फिल्लाहि हक्क जिहादिह फ़जज़ाकल्लाहु अन उम्मतिक अफ़ज़ल मा जज़ा नबीय्यन अन उम्मतिह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : मुझ पर जब भी कोई सलाम पढ़ता है तो अल्लाह मेरी आत्मा लौटा देता है यहाँ तक कि मैं उस के सलाम का उत्तर दे दूँ। (अबू दाऊद 2041)

फिर दाहिनी दिशा बढ़ कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विश्वासपात्र तथा सर्वश्रेष्ठ साथी एवं आप के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर रज़िअल्लाहु अन्हु को सलाम करे ।

फिर दाहिनी दिशा थोड़ा और हट कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफह एवं अबू बकर के बाद सर्वश्रेष्ठ सहाबी उमर रज़िअल्लाहु अन्हु को सलाम करे ।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानव जाति में उच्चतम पद पर विराजमान रहते हुये भी किसी की हानि लाभ का अधिकार नहीं रखते अतः उन से कुछ मांगना अथवा उन्हें सहायता के लिये पुकारना अवैध है, दुआ प्रार्थना तथा समस्त प्रकार की उपासनायें केवल अल्लाह ही के लिये वैध हैं जो अकेला है एवं जिस का कोई साझी नहीं ।

3

मस्जिदे कुबा का दर्शन : यह मस्जिदे नववी के निर्माण से पूर्व इस्लाम में निर्मित सर्वप्रथम मस्जिद है एवं मदीनह में रहने वालों अथवा दर्शन के लिये आने वालों के लिये मस्जिदे कुबा का दर्शन भी प्रिय है । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वयं मस्जिदे कुबा का दर्शन किया करते थे एवं आप ने फर्माया भी है : जो अपने घर से वजू करके मस्जिदे कुबा के दर्शन को आयें एवं यहाँ आकर सलात अदा करे तो उसे उमरे का अजर मिलता है । (इब्ने माजह : 1412)



मस्जिदे कुबा इस्लाम में निर्मित सर्वप्रथम मस्जिद है ।



आप के आर्थिक तथा वित्तीय व्यवहार
(लेन देन)

7

इस्लाम ने उन सभी प्रावधानों एवं नियमों की रचना की है जिन से स्वयं मनुष्य एवं उस के आर्थिक तथा व्यवसायिक अधिकारों की रक्षा हो चाहे वह धनवान हो अथवा निर्धन, एवं जो जीवन के समस्त क्षेत्रों में समाज की दृढ़ता, उस की प्रगति, उन्नति एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे।

अध्याय सूची :

आर्थिक लेन देन का मूल नियम वैध होना है
जो स्वयं अवैध हैं

जो कमाई के कारण अवैध हैं

व्याज :

- ऋण व्याज
- व्याज का धार्मिक आदेश
- व्याज का दण्ड
- व्यक्ति तथा समाज पर व्याज का भयानक एवं गंभीर प्रभाव

अस्पष्टता एवं अज्ञानता

अत्याचार तथा गलत तरीकों से लोगों का धन हड़प लेना

जुआ

- व्यक्ति तथा समाज पर जुआ के नुकसानात

वित्तीय लेने देन में इस्लाम द्वारा परबल परिचित कराई गई नैतिकता

- अमानतदारी
- सच्चाई
- पूर्णता

आप के आर्थिक व्यवहार एवं लेन देन

अल्लाह ने जीविका कमाने के लिये धर्ती पर परिश्रम करने का आदेश दिया है एवं इस की बख्शि एवं चाहत दिलाई है, ऐसा निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है :

- काम की शक्ति रखते हुये अल्लाह ने किसी को दूसरों के सामने हाथ फैलाने से मना किया है, एवं स्वयं परिश्रम करके धन कमाने का आदेश दिया है, उस की यह सूचना एवं शिक्षा है कि जो काम करने तथा कमाने की शक्ति रखते हुये लोगों से भीक मांगे वह अल्लाह के यहाँ एवं लोगों के यहाँ अपना सम्मान खो देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : तुम में कोई निरंतर लोगों से भीक मांगता रहता है यहाँ तक कि वह अल्लाह से इस स्थिति में भेंट करेगा कि उस के चेहरे पर मास का एक टुकड़ा भी नहीं होगा । (अल बुख़ारी 1405, मुस्लिम 1040)

एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : जो अकिंचनता का शिकार हो एवं उसे लोगों के माध्यम से दूर करना चाहे तो उस की अकिंचनता का समाधान कदापि न हो परन्तु जो अल्लाह के माध्यम से इसे दूर करना चाहे तो आशा है कि अल्लाह उसे निकट भविष्य में शीघ्र ही धनवान बना दे । (अहमद 3869, अबू दाऊद 1645)

- सभी औद्योगिक एवं सेवा व्यवसाय तथा निवेश व्यापार सम्मानित कार्य है, जब तक यह अनुमेय के दायरे में है इन में कोई दोष नहीं । इस्लाम में यह बात बताई गई है कि ईशूद अपनी समुदाय के अनुमेय व्यवसायों से जुड़े हुये थे जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : (अल्लाह ने जितने ईशूद भेजे सभी ने बकरियाँ चराई) (अल बुख़ारी 2143) एवं ज़करिया अलैहिस्सलाम बढ़ई थे । (मुस्लिम 2379) इसी प्रकार शेष ईशूद भी इन्हीं जैसे अन्य व्यवसायों से जुड़े हुये थे ।

- अपने कार्य में जिस की नीयत अच्छी हो, जो अपने तथा अपने परिवार पर खर्च करना चाहता हो, उन्हें लोगों का मुहताज बनने से रोकना चाहता हो, ज़रूरतमंदों को लाभ



> सभी वैध कार्य सम्मानित हैं उन में कोई दोष नहीं ।

पहुंचाना चाहता हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मा तथा परिश्रमों का फल अवश्य मिलेगा ।

व्यवहार तथा लेन देन का मूल नियम :

विक्री खरीद एवं किराये के सभी वित्तीय लेन देन जो आज प्रचलित हैं एवं लोगों को जिन की आवश्यकता है इन सभी का मूल नियम यह है कि यह सब वैध हैं सिवाय उन वस्तुओं के जिन्हें अवैध घोषित कर दिया गया हो अथवा कमाई के अवैध साधनों को देखते हुये जिन्हें अवैध बताया गया हो ।

जो वस्तु स्वयं हराम हो :

यह वह वर्जित वस्तुयें हैं जिन के मूल ही से अल्लाह ने रोका है अतः न इन का व्यापार वैध है न ही इन की विक्री खरीद एवं किराया आदि, न ही इन का उत्पादन एवं लोगों के बीच प्रचार वैध है ।

अल्लाह ने जिन के मूल ही को हaram किया ए
सी वस्तुओं का उदाहरण :

- कुत्ता तथा सूँवर ।
- पूरे मृत्यु पशु अथवा उन के शरीर का कोई भाग ।
- मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थ ।
- डरगस एवं स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली सभी वस्तुयें ।
- लोगों के बीच अनैतिकता तथा अश्लीलता का प्रसार करने वाले उपकरण जैसे अश्लील कैसिटें, पत्रिकायें एवं इन्टरनेट वेबसाइट्स ।
- मूर्तियाँ तथा अल्लाह के अतिरिक्त पूजी जाने वाली सभी वस्तुयें ।

जो कमाई के साधन कारण हaram हैं :

यह वह धन है जो मूल रूप से वैध है किन्तु कमाई के ऐसे अवैध साधनों के कारण हaram हुआ है जो व्यक्ति तथा समाज के लिये हानिकारक हैं । लेन देन को अवैध बनाने वाले साधन निम्नलिखित हैं :

व्याज, धोका अस्पष्टता एवं अज्ञानता, अत्याचार, जुआ आदि ।

उपरोक्त वस्तुओं का स्पष्टीकरण हम इस प्र कार करेंगे :

> व्याज

धार्मिक तौर पर वर्जित वृद्धि को व्याज कहा जाता है, इस लिये कि इस में अत्याचार तथा हानि दोनों ही पायी जाती हैं ।

व्याज कई प्रकार के हैं जिन में सर्वप्रसिद्ध तथा सर्ववर्जित ऋण व्याज है जो बिना विक्री अथवा दो पार्टियों के बीच सामान परस्तुत किये ही मूल धन पर बढ़ा लिया जाये । यह दो प्रकार के हैं :



> हर कर्ज अथवा ऋण जो कर्ज देने वाले के लिये लाभ का कारण हो वह व्याज है ।

■ ऋण व्याज

ऋण चुकाने का समय आजाने पर ऋण न चुका पाने की स्थिति में यह वृद्धि की जाती है ।

उदाहरण : सईद ने खालिद को एक महीना वाद लौटा देने की नीयत से एक हजार डालर कर्ज लिया, जब एक महीना पूरा होगया एवं कर्ज चुकाने का समय आगया तो सईद कर्ज नहीं चुका सका, इस पर खालिद ने यह शर्त रखी कि यदि अभी लौटाता है तो कोई बात नहीं वरना एक महीना वाद उसे 1100 डालर देना पड़ेगा, यदि उस समय भी नहीं देसका तो दो महीने वाद 1200 डालर देना पड़ेगा एवं समय गुज़रने के साथ व्याज में वृद्धि होती रहेगी ।

■ ऋण व्याज (2)

इस का अर्थ यह है कि कोई किसी व्यक्ति अथवा बैंक से कुछ धन इस शर्त पर उधार ले कि पारस्परिक सहमति से मूल धन पर वार्षिक कुछ प्रतिशत लाभ के साथ उसे लौटा देगा चाहे 5 % हो अथवा कम या ज्यादा ।

उदाहरण : कोई एक लाख का घर खरीदना चाहे किन्तु उस के पास पर्याप्त धन न हो अतः वह बैंक से एक लाख इस शर्त पर कर्ज ले कि वह बैंक को पाँच वर्षों की अवधि में किस्तवार एक लाख पचास हजार वापस करेगा ।

व्याज हaram तथा महा पापों में से है, कर्ज यदि लाभ के उद्देश्य से दिया जाये तो यही व्याज है कर्ज चाहे किसी व्यापार अथवा उद्योग में निवेश के लिये हो अथवा किसी मूल वस्तु की खरीद के लिये जैसे घर, ज़मीन आदि या फिर सुख विलास संबन्धी सामग्री की खपत का विषय हो ।

किन्तु नक़द मूल्य से अधिक देकर किस्त पर सामान खरीदना व्याज नहीं है।

ऊदाहरणस्वरूप कोई एक हज़ार डालर नक़द में कोई उपकरण खरीदे अथवा एक सौ डालर के मासिक दर से एक वर्ष की किस्त पर वही यंत्र 1200 डालर में खरीद ले।

व्याज की संवैधानिक स्थिति :

कुर्आन तथा हदीस की स्पष्ट प्रमाणों के दृश्य से व्याज महा पाप एवं कठोर वर्जित है, अल्लाह ने सूद खाने तथा सूद की लेन देन करने वालों के अतिरिक्त किसी और पापी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की, व्याज न लेने का आदेश केवल इस्लाम ही में नहीं अपितु पूर्व सभी आकाशीय धर्मों की यह शिक्षा है कि व्याज अवैध है। किन्तु बाद में अन्य बातों के समान इस शिक्षा में भी परिवर्तन कर दिया गया। अल्लाह किताब वालों के कई समुदायों से अपने क्रोध एवं दण्ड का कारण स्पष्ट करते हुये फ़र्माता है : एवं उन के व्याज लेने के कारण जिस से उन्हें रोका गया था। (अन्निहा : 161)

व्याज का दण्ड :

1 सूदी लेन देन करने वाला अल्लाह एवं उस के रसूल से युद्ध का आरोपी ठेहरता है, इस प्रकार वह अल्लाह एवं उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शत्रु बन जाता है, अल्लाह का फ़र्मान है : यदि तुम ऐसा नहीं करते तो फिर अल्लाह एवं उस के रसूल से युद्ध करने के लिये तैय्यार हो जाओ, एवं यदि तुम तौबा कर लो तो तुम्हें तुम्हारा मूल धन मिल जायेगा, न तुम अत्याचार करोगे न तुम्हारे साथ अत्याचार किया जायेगा। (अल बक़रह : 279) यह ऐसी युद्ध है निश्चित रूप से जिस के मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक प्रभाव पड़ते हैं। आज लोगों पर चिंतन, दुख, अशांति अवसाद एवं उदासी की जो छाया है वह प्रत्येक उस व्यक्ति के लिये इसी घोषित युद्ध का परिणाम है जो अल्लाह के आदेशों का विरोध करे एवं सूदी लेन

देन करे, या इस विषय में किसी प्रकार की सहायता करे, यह तो संसार की बात है, अन्तिम दिवस इस युद्ध का क्या प्रभाव एवं परिणाम होगा, यह विचार योग्य है।

2 व्याज खाने वाला, सूदी लेन देन करने वाला शापित एवं अल्लाह की दया से निष्कासित है, इसी प्रकार वह भी जो सूदखोर की किसी प्रकार की सहायता करे, हज़रत जाब्रि रज़िअल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, इसे लिखने एवं इस की गवाही देने वाले सभी पर लानत भेजी है एवं आप ने फ़र्माया है कि पाप में सभी समान हैं। (मुस्लिम 1598)

3 सूद खाने वाला पुनरुत्थान के दिन बड़ी विचित्र दशा एवं अति जघन्य छवि में उठाया जायेगा, जैसे वह मिर्गी अथवा पागलपन के कारण डगमगा रहा हो। जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : जो लोग सूद व्याज खाते हैं वह सीधे ठेहर नहीं पायेंगे किन्तु उस व्यक्ति के समान जिसे शैतान के छू लेने से पागलपन का दौरा पड़ गया हो। (अल बक़रह : 275)

4 सूद का धन कितना ही अधिक क्यों न हो उस में बर्कत नहीं होती, न सूद खाने वाले को उस में सुख, खुशी एवं संतुष्टि ही मिलती है जैसा कि अल्लाह फ़र्माता है : अल्लाह सूद को नष्ट कर देता है एवं दान पुण्य में वृद्धि लाता है। (अल बक़रह : 276)

व्यक्ति तथा समाज पर व्याज का भयानक एवं गंभीर प्रभाव :

व्यक्ति तथा समाज पर व्याज के भयानक एवं गंभीर प्रभाव को देखते हुये इस्लाम ने सूद व्याज के विषय में बड़ी सख्ती की है, इसी सख्ती के दृश्य निम्नलिखित हैं :

1 धन वितरण में असंतुलन उत्पन्न होगा एवं धनवान तथा निर्धन के मध्य असमानता की महान दीवार खड़ी होजायेगी ।

सूद धन को एक ही समाज के चन्द पूंजीपतियों के हाथों तक सीमित करे देता है, एवं बड़ी संख्या में लोग इस से वंचित रह जाते हैं, यह धन वितरण में असंतुलन का परिणाम है जिस से समाज के सुट्टी भर लोग अत्याधिक धनवान होजाते हैं एवं शेष श्रमजीवि, निर्धन अथवा भूमिहीन । एवं यही समाज में घृणा एवं अपराध के फलने फूलने उपजाऊ वातावरण प्रदान करता है ।

2 अपव्यय का अभ्यस्त होना एवं बचत न करना :

लाभ समेत ऋण की सरलता ने लोगों को अपव्यय का अभ्यस्त बना दिया एवं उन्होंने बचत की आदत ही छोड़ दी, इस लिये कि उन्हें पता है जि जब भी उन्हें आवश्यकता पड़ेगी कोई न कोई सूद पर कर्ज तो दे ही देगा, इस प्रकार उन्हें अपने वर्तमान एवं भविष्य की चिंता नहीं रह जाती एवं सुख विलास के चक्कर में असाधारण खर्च के कारण उन पर कर्ज का बड़ा भार आ पड़ता है एवं जीवन उन के लिये तंग होजाती है । जीवन भर वह उन्हीं कर्जों के बोझ तले दबे रहते हैं ।

3 व्याज धनवानों को देश के लिये लाभ दायक निवेश से रोकने एवं उस में रूचि न लेने का कारण है ।

सूदी अर्थ व्यवस्था में धन वाले को अपने माल में निश्चित प्रतिशत से लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलता है जिस के कारण वह औद्योगिक, कृषि एवं वाणिज्यिक संबन्धी निवेश परियोजनाओं में अपना पैसा नहीं लगाता चाहे यह परियोजनायें समाज के लिये कितना ही लाभकारी क्यों न हों, इस लिये कि इस में एक प्रकार का जोखिम है एवं किसी सीमा तक इस में परिश्रम करने की भी आवश्यकता है ।

4 सूद व्याज धन की बरकत मिटाने एवं आर्थिक पतन लाने का कारण है ।

व्यक्ति तथा संस्थाओं के सभी आर्थिक पतनों तथा दिवालियेपन एक मात्र कारण उन का निरंतर सूद में लीन रहना है, यह बर्कत न होने के प्रभावों में एक प्रभाव है जिस की अल्लाह ने सूचना दी है, इस के विपरीत लोगों में दान एहसान से धन में वृद्धि होती है जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : अल्लाह सूद को मिटाता एवं दान पुण्य को बढ़ाता है । (अल बक्रह : 276)



> व्याज धन को मिटाने एवं आर्थिक पतन का मूल कारण है ।

यदि कोई मुसलमान होजाये एवं वह किसी व्याज आधारित समझौते का पाबन्द हो तो ऐसे व्यक्ति का क्या हुक्म है ?

यदि कोई मुसलमान होजाये एवं वह किसी व्याज आधारित समझौते का पाबन्द हो तो उस की दो स्थिति होगी :

1- स्वयं वही सूदी लेन देन करने वाला हो, लाभ वही लेता हो तो वह अपना मूल धन ले लेगा, इस्लाम लाते ही वह सारे सूदी लाभ से अलग होजाये एवं उस में से कुछ भी नहीं लेगा जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : एवं यदि तुम तौबा कर लो तो तुम्हें तुम्हारा मूल धन मिल जायेगा, न तुम अत्याचार करोगे न तुम्हारे साथ अत्याचार किया जायेगा । (अल बकरह : 279)

2- यदि सूद वही देता हो यहाँ भी उस की दो स्थिति होगी :

- यदि समझौता भंग कर बिना किसी बड़े हानि के वह इस से बाहर आसभ कता हो तो ऐसा करना उस के लिये अनिवार्य है
- यदि बिना किसी बड़े हानि के समझौता भंग करना उस के वश में न हो तो पुनः ऐसा कार्य न करने की शर्त पर वह समझौता पूरा कर सकता है जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : अतः अब जिस के पास उस के रब के पास से नसीहत आगई एवं वह रुक गया तो उस के लिये वह है जो गुज़र गया एवं उस का मामला अललाह के हवाले है एवं जो लौट आये तो यही लोग नर्क वाले है वह उस में सदैव के लिये रहेंगे । (अल बकरह : 275)

क्या आप कर्ज़ देकर उस पर सूद खाने वाले हैं ?

नही

हा

आप पर बिना किसी वृद्धि के अपना मूल धन लेना अनिवार्य है ।

यदि आप ही सूद की वृद्धि भर रहे हैं तो क्या बिना किसी बड़ी हानि के आप समझौता भंग कर सकते हैं ?

नही

हा

यदि आप शक्ति रखते हैं एवं आप को कोई हानि भी नहीं तो सूदी समझौता भंग करना आप के लिये अनिवार्य है ।

यदि आप समझौता भंग नहीं कर सकते या समझौता भंग करने से आप को बड़ी हानि होसभ कती है तो भविष्य में पुनः ऐसा न करने की शर्त पर आप समझौता पूरा कर सकते हैं ।



अर्थ यह कि हर वह आर्थिक समझौता जो अस्पष्टता तथा अज्ञानता पर आधारित होने के कारण भविष्य में दोनों पार्टियों के मध्य झगड़े अथवा एक दूसरे के साथ अत्याचार एवं अन्याय का कारण बन जाये।

झगड़े, अत्याचार एवं धोकाधड़ी के साधनों ही को बन्द करने के लिये इस्लाम ने ऐसे आर्थिक समझौतों को हराम कर दिया है, ज्ञात हुआ कि यदि लोग पारस्परिक प्रसन्नता से भी ऐसा कर लें तो भी यह हराम है, इस लिये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोके के व्यापार से मना किया है। (मुस्लिम 1513)

धोके अस्पष्टता एवं अज्ञानता पर आधारित व्यापार के कुछ उदाहरण :

- 1 वैधता से पूर्व ही फल बेच देना, एवं उसी समय उसे तोड़ लेना, इस लिये कि पकने से पूर्व ही खराब होजाने के भय से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस से रोका है।
- 2 कोई एक ऐसा वाक्स खरीदने के लिये पैसा दे जिस के विषय में उसे पता ही नहीं कि उस के भीतर क्या है, हो सकता है वह कोई बहुमूल्य वस्तु हो अथवा कोई बेकार की चीज़, इसी प्रकार एसी वस्तु की बिक्री जो बेचने वाले की न हो अथवा जिस के प्रत्यर्पण की उस में शक्ति न हो।

अज्ञानता कब प्रभावी होगी ?

धोका अस्पष्टता एवं अज्ञानता समझौता के अवैधता के लिये उस समय प्रभावी होगी जब वह अधिक हो तथा मूल एग्रीमेन्ट में हो एग्रीमेन्ट से अलग वस्तु में न हो।

अतः मुसलमान के लिये ऐसा घर खरीदना वैध है जिस की निर्माण सामग्री एवं पेंटिंग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का उसे ज्ञान न हो, इस लिये कि यह बड़ी सीमित अज्ञानता है फिर यह मूल एग्रीमेन्ट में नहीं अपितु एग्रीमेन्ट से अलग बाहरी वस्तु में है

> अत्याचार तथा गलत तरीकों से लोगों का धन हड़पना

अत्याचार सब से जघन्य कार्य है जिस से इस्लाम ने सावधान किया एवं चेतावनी दी है, एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : अत्याचार पुनरुत्थान के दिन अंधकार का कारण होगा । (अल बुख़ारी 2315, मुस्लिम 2579)

बिना अधिकार लोगों का माल ले लेना चाहे वह कम हो या ज़्यादा महा पाप है एवं ऐसा करने वालों को पुनरुत्थान के दिन कठोर दण्ड की धमकी दी गई है जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : जिस ने अत्याचार से किसी की एक इंच ज़मीन भी कब्ज़े में कर ली उसे पुनरुत्थान के दिन सात ज़मीनों का तौक पहनाया जायेगा । (अल बुख़ारी : 2321, मुस्लिम 1610)



> अत्याचार से लोगों का माल ले लेना चाहे वह कम हो या ज़्यादा महा पाप एवं महा अपराध है ।

लेन देन में अत्याचार के कुछ उदाहरण :

1 विवश करना : किसी भी रूप में लेन देन के लिये लोगों को विवश एवं उत्पीड़ित करना वैध नहीं एवं आर्थिक अनुबंध आपसी सहमति से ही मान्य हैं जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : बिक्री खरीद आपसी सहमति ही से हो सकता है (इब्ने माजह 2185)

2 धोकाधड़ी एवं लोगों को मूर्ख बनाना : गलत तरीकों से लोगों का माल खाने के लिये उन्हें धोका देना यह भी महा पापों में से है जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : जो हमें धोका दे वह हम में से नहीं है (मुस्लिम 101) इस हदीस का कारण यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाज़ार गये, आप ने बाज़ार में अनाज का ढेर देखा, उस के भीतर आप ने अपना हाथ डाला तो अन्दर से आप को अनाज गीला लगा, आप ने व्यापारी से प्रश्न किया : अनाज वाले यह क्या है ? उस ने उत्तर दिया : वर्षा के पानी से भीग गया है ऐ अल्लाह के रसूल, आप ने फ़रमाया : तुम ने इसे अनाज के ऊपर क्यों नहीं कर दिया ताकि लोग देख लेते ? फिर आप ने फ़र्माया : जिस ने हमें धोका दिया वह हम में से नहीं है । (अत्तिर्मिज़ी : 1315)

3 बिना अधिकार अन्याय करके लोगों का माल हड़पने के लिये क़ानून में हेरफेर करना : ऐसा हो सकता है कि किसी मनुष्य के पास इतनी अधिक बुद्धि हो जिस का दुरुपयोग कर क़ानूनी हेरफेर तथा अदालतों द्वारा किसी और का माल हड़प ले, किन्तु किसी न्यायाधीश का फैसला झूट को सच नहीं बना सकता जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : मैं तो तुम्हारे समान एक मनुष्य हूँ, तुम मेरे

पास फैसले के लिये आते हो, संभव है कि तुम में से कोई अन्य की तुलना अपनी दलीलें अति उत्तम ढंग से परस्तुत कर लेजाये एवं मैं सुनी दलीलों के अनुसार उसी के हक में फैसला दे दूँ, तो यदि मैं किसी को उस के भाई के अधिकार से कुछ दे रहा हूँ तो वह न ले इस लिये कि मैं उसे नर्क का एक टुकड़ा काट कर दे रहा हूँ। (अल बुखारी 6748, मुस्लिम 1713)

4

रिश्वत : नाहक किसी का अधिकार हथियाने के लिये कोई किसी को पैसे अथवा सेवा का भुगतान करे यह अन्याय एवं अतयाचार का सब से जघन्य रूप तथा महा पाप है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद देने वाले एवं सूद लेने वाले दोनों ही पर लानत भेजी एवं शाप दी है। (अति मर्जि 1337)

जिस समाज में रिश्वत फैली एवं आम हुई वहाँ की कानून व्यवस्था भ्रष्टाचारग्रस्त हुई एवं बिखर गई, वहाँ की प्रगति, विकास एवं समृद्धि पर बन्ध लग गया।

ऐसा व्यक्ति मुसलमान होजाये जिस ने अपने कुपर के जमाने में नाहक माल कमाया हो, ऐसे व्यक्ति का क्या हुक्म है।

जो मुसलमान होजाये एवं उस के पास पहले से कमाई हुई अवैध संपत्ति हो जिसे उस ने लोगों के साथ अन्याय करके उन का शोषण करके प्राप्त किया हो, चोरी की हो अथवा छीना हो, तो उचित है कि लोगों का माल लौटा दे यदि उन्हें जानता हो एवं बिना किसी हानि के माल लौटाने में सक्षम हो।

इस लिये कि यद्यपि यह सब कुछ इस्लाम से पूर्व हुआ है किन्तु अन्याय तथा अत्याचार द्वारा प्राप्त किया हुआ धन अब भी उस के हाथ में है अतः यदि शक्ति हो तो धन लौटा देना ही उचित है, इस लिये कि अल्लाह का फर्मान है : अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि अमानतों को उन के मालिकों तक पहुंचा दो। (अन्निसा : 85)

यदि अति प्रयास के बाद भी धन का मालिक न मिले तो पुण्य कार्यों में खर्च करके उस से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिये।



> अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले एवं लेने वाले दोनों ही को शाप दी है।

> जुआ

जुआ क्या है ?

जुआ दौड़ प्रतियोगिताओं तथा उन खेलों में होती है जिस में खेलने वाले अथवा दौड़ने वाले यह शर्त रखें कि जीतने वाला हारने वाले से निश्चित मात्रा में माल कमायेगा, इस प्रकार हर सहभागी जीत कर या तो दूसरे से माल कमाये गा अथवा हारे गा एवं दूसरे उस से कमायेंगे ।

इस का हुकम :

जुआ अवैध है, एवं इस की अवैधता के विषय में कुरान व सुन्नत में सख्त आदेश आये हैं, उन्ही में से कुछ निम्न हैं :

1 अल्लाह ने जुआ की हानि उस के लाभ से अधिक बताया है जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : लोग आप से मदिरा एवं जुआ के विषय में प्रश्न करते हैं, आप बता दीजिये कि इन दोनों में बहुत हानि एवं बड़ा पाप है तथा लोगों के लिये कुछ लाभ है किन्तु इन दोनों का पाप इन के लाभ की तुलना कहीं अधिक एवं बड़ा है । (अल बकरह : 219)

2 व्यक्ति तथा समाज पर जुआ के दुभ विनापूर्ण प्रभाव को देखते हुये अल्लाह ने इसे नैतिक अशुद्धता कह कर इस से बचने का आदेश दिया एवं इसे फूट एवं घृणा का कारण बताया है, अल्लाह कहता है : हे ईमान वालो निःसंदेह शराब, जुआ, थान एवं शगुन वाले तीर अपवित्र शैतानी कार्य हैं अतः तुम इन से बचो ताकि तुम सफल होजाओ, शैतान शराब एवं जुये द्वारा तुम्हारे मध्य शत्रुता फूट एवं घृणा डालना चाहता है एवं तुम्हें अल्लाह की याद एवं सलात से रोकना चाहता है तो क्या तुम अब रुक रहे हो । (अलमायदह : 90-91)



> जुये की लत जुआरी को प्रभावित करती है

व्यक्ति तथा समाज पर जुये का प्रभाव एवं उस की हानि :

व्यक्ति तथा समाज के लिये जुआ अति विनाशकारी है, निम्न में कुछ को परस्तुत किया जा रहा है :

1 जुआ लोगों में शत्रुता एवं घृणा उत्पन्न करता है, जुआ खेलने वाले देखने में मित्र एवं साथी लगते हैं किन्तु जब उन में से कोई जीत कर औरों का माल ले लेता है तो इस में संदेह नहीं कि वह उस से घृणा तथा ईर्ष्या करने लगते हैं, अपने दिल में उस के लिये नफरत एवं ईर्ष्या की भावना लिये फिरते हैं, वह निरंतर अपनी हानि का बदला लेने के लिये उसे हानि पहुंचाने की ताक में रहते हैं , इस के लिये वह नानाप्र कार के जतन करते हैं, यही वास्तविक दृश्य है जिसे सभी जानते हैं, एवं यही अल्लाह के इस फर्मान का मिस्दाक है : शैतान शराब एवं जुये द्वारा तुम्हारे मध्य शत्रुता फूट एवं घृणा डालना चाहता है । फिर वह लोगों को अनिवार्य कार्यो,

सलातों एवं अल्लाह की याद से असावधान कर देता है जैसा कि अल्लाह ने जुआ को सुन्दर बनाने के पीछे शैतान का उद्देश्य बताते हुये फर्माया है : एवं तुम्हें अल्लाह की याद एवं सलात से रोकना चाहता है ।

2

जुआ धन का सर्वनाश कर देता, संपत्ति को नष्ट कर देता है एवं जुआरियों को बड़ा भारी हानि पहुंचाता है ।

3

जुआरी जुये की लत में फंस जाता है, उस से बाहर आना उस के लिये बड़ा कठिन होता है, वह जब जीतता है तो जुये में उस की लालच एवं रूचि और बढ़ जाती है एवं हराम माल की कमाई में आगे ही आगे भागता रहता है, यदि हारता है तो भी गंवाये हुये धन को पुनः प्राप्त करने के चक्कर में जुये ही का सहारा लेता है, दोनों ही स्थितियाँ परिश्रम की राह का रोड़ा एवं समाज के सर्वनाश तक पहुंचाने का कारण हैं ।

जुआ के प्रकार :

भूतकाल एवं वर्तमान काल में जुये की विभिन्न शकलें प्रचलित थी, जुये की कुछ वर्तमान शकलें निम्नलिखित हैं :

1

हर खेल जिस में जीतने वाला हारने वाले से कुछ माल लेने की शर्त रखे उदाहरणस्वरूप कुछ लोग ताश खेलें एवं हर एक कुछ न कुछ माल रखे, एवं उन में जो जीते सारा माल उसी का होजाये ।

2

किसी टीम अथवा खिलाड़ी की सफलता पर शर्त लगाई जाये, शर्त रखने वाले माल लगायें, उन में से हर एक अपनी टीम अथवा अपने खिलाड़ी पर पैसा लगाये, यदि उस की टीम जीत गई तो उस ने माल कमा लिया, यदि उस की टीम हार गई तो उस का लगाया हुआ माल गया ।

3

लाट्री तथा भाग्य का खेल : उदाहरण : कोई एक डालर का टिकट खरीदे ताकि संभवतः एक हजार की लाटरी निकल उस के नाम निकल आये ।

4

जुआ के सभी गतिविधियां, बिजली तथा इलेक्ट्रानिक खेल या इन्टरनेट द्वारा संचालित खेल जिन में खेलने वाला या तो माल कमाता है या खोता है ।



> जुआ के सभी गतिविधियां, बिजली तथा इलेक्ट्रानिक खेल अथवा किसी भी रूप के खेल अवैध तथा महा पाप है ।

वित्तीय लेने देन में इस्लाम द्वारा परबल तथा आग्रहपूर्ण परिचित कराई गई नैतिकता

जिस प्रकार इस्लाम ने आर्थिक लेन देन की स्पष्ट नीति बनाई है, इसी प्रकार लेन देन करने वालों से कुछ महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धान्तों के पालन का आग्रह भी किया है, उन्हीं में कुछ यह हैं :



अमानतदारी :

दूसरों के साथ वयापारिक लेन देन में अमानतदारी बरतना चाहे वह मुसलमान हूँ अथवा काफिर यह अल्लाह के धर्म का पालन करने वाले मुसलमान के सदाचार का एक महत्वपूर्ण भाग है, इस पर आग्रह का ज्ञान निम्नलिखित वस्तुओं में होता है :

■ अल्लाह तआला फ़र्माता है : अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि अमानतों को उन के मालिकों तक पहुँचा दो । (अन्निसा : 85)

■ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत की हानि एवं उस में ख्यानत को निफाक के चिन्हों में से एक बताया है : आप ने फ़र्माया : मुनाफ़िक के तीन चिन्ह हैं, जब वह बात करे तो झूट बोले, जब वचन दे तो तोड़ दे एवं उसे जब अमानत सौंपी जाये तो उस में ख्यानत करे । (अल बुख़ारी 33, मुस्लिम 59)

■ अमानत मोमिनों की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से है जैसा कि अल्लाह फ़र्माता है : वास्तव में मोमिन सफल होगये, फिर मोमिनों के गुण बताते हुये अन्त में अल्लाह ने फ़र्माया : एवं वह जो अपनी अमानतों तथा वचनों की रक्षा करते हैं । (अलममिनुन : 1-8) यही कारण है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस व्यक्ति के ईमान ही को नकार दिया है जो अमानत में ख्यानत करता हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : उस के पास ईमान नहीं जिस के पास अमानतदारी न हो (अहमद 12567)

■ एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाये जाने से पूर्व मक्का में अमीन के उपनाम से प्रसिद्ध थे, इस लिये आप अपने संबन्धों, व्यवहारों तथा लेन देन में अमानत का प्रतीक थे ।



सच्चाई :

सच्चाई एवं स्पष्टता दो ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं जिन पर इस्लाम ने बल दिया एवं आग्रह किया है ।

■ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेचने एवं खरीदने वाले के विषय में फर्माया : यदि वह सच बोलते हैं एवं स्पष्ट करते हैं तो उन के व्यापार में उन के लिये बर्कत दी जाती है एवं यदि वह छुपाते एवं झूट बोलते हैं तो उन के व्यापार से बर्कत उठ जाती है । (अल बुखारी : 1973, मुस्लिम 1532)

■ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : तुम सदैव सच्चाई से चिमटे रहो, इस लिये कि सच्चाई नेकी का मार्ग दिखाती है, एवं नेकी स्वर्ग तक ले जाती है, एवं मनुष्य निरंतर सच बोलता एवं सच दृढ़ता रहता है यहाँ तक कि उसे अल्लाह के यहाँ सिद्दीक़ लिख दिया जाता है । (मुस्लिम 2607)

■ अपने सामान की प्रशंसा में झूटी कसमें खाकर सामान बेचने वाले को अल्लाह ने महा पापी बताया है जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : तीन लोग ऐसे हैं जिन से अल्लाह पुनरुत्थान के दिन न तो बात करेगा न ही उन की दिशा दया दृष्टि करेगा न ही उन्हें पवित्र करेगा एवं उन के लिये दुखदाई दण्ड है, आप ने बताया उन्हीं में से : वह व्यक्ति जो झूटी कस्मों द्वारा अपना सामान बेचता हो । (मुस्लिम 106)



काम में पूर्णता, दृढ़ता एवं सुन्दरता :

अतः प्रत्येक मुसलमान निर्माता एवं श्रमजीवी के लिये आवश्यक है वह अपना काम अति उत्तम शैली में पूर्णता पूर्वक पूरा करे, यह मुसलमान का वह सिद्धांत एवं उस की वह विशेषता है जिस से वह कदापि समझौता नहीं कर सकता न ही इस से नीचे आसकता है ।

■ इसी कारण अल्लाह ने प्रत्येक वस्तु के लिये निपुणता एवं दृढ़ता को आवश्यक बताया है, एवं जीवन के समस्त क्षेत्रों में इसे लागू करने का आदेश दिया है, यहाँ तक कि उन वस्तुओं में भी जो सहसा प्रकट हुई हों एवं जिन में पूर्णता अपनाना कठिन हो जैसे शिकार एवं उसे ज़बह की समस्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : अल्लाह ने हर वस्तु पर पूर्णता को अनिवार्य बताया है, अतः जब तुम जान लो तो अच्छी तरह लो एवं जब ज़बह करो तो अच्छी तरह ज़बह करो, तुम में से एक को चाहिये कि वह अपनी छुरी तेज़ कर ले एवं अपने ज़बह किये जीव को आराम पहुंचाये ।

■ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के जजनाज़े में उपस्थित हुये तो आप वहाँ भी सहाबा किराम को कबर सीधी रखने एवं अच्छी तरह दफन करने का आदेश देते नज़र आये, आप लोगों की तरफ आकर्षित हुये एवं फर्माया : सावधान इस से मृत्यु को न तो लाभ होगा न हानि किन्तु अल्लाह चाहता है कि जब कोई, कोई कार्य करे तो उसे अच्छी तरह करे । (इमाम बैहकी, शोबुल ईमान 5315) एक हदीस के शब्द यह हैं : अल्लाह चाहता है कि तुम में से जब कोई काम करे तो उसे पूर्णता पूर्वक करे । (अबू याला 4386, शोबुल ईमान 5312) (शेष नैतिक सिद्धांतों के लिये पृष्ठ 185 देखिये)



आप का भोजन पानी

8

इस्लाम में वैध खाने का बड़ा महत्व है, वैध खाना प्रार्थना स्वीकृति एवं धन संतान में वृद्धि का कारण है।
वैध खाना वह खाना है जो हलाल हो एवं हलाल तरीके तथा हलाल धन ही से कमाया गया हो, दूसरों के अधिकारों को दबाये एवं अत्याचार किये बिना जिसे प्राप्त किया गया हो।

अध्याय सूची :

खाने पीने का मूल नियम :

फल एवं फसलें

शराब एवं मादक पदार्थ

नशीले डरगस

समुद्री खाने (Sea Food)

भूमि पशु

- ज़बह करने की धार्मिक विधि

- काफिरों के रेस्तरानों एवं दुकानों में मौजूद मांस की धार्मिक स्थिति

वैध शिकार

खाने पीने के नियम

आप का खाना पानी

खाने पीने का मूल नियम :

खाने पीने की समस्त वस्तुओं के विषय में मूल शिक्षा यह है कि वह सभी वैध एवं हलाल हैं, केवल वही वस्तुएँ हराम हैं जो मनुष्य की स्वास्थ्य, नैतिकता एवं धर्म के लिये हानिकारक हैं। मानवजाति पर अल्लाह का यह महान उपकार है कि उस ने उन्हीं के लाभ के लिये धर्ती की सभी वस्तुओं की रचना की है, किन्तु हराम वस्तुओं से रोका है, उस का फर्मान है : वही है जिस ने तुम्हारे लिये धर्ती की समस्त वस्तुओं की रचना की है। (अलबक्रह : 29)

फल एवं फसलें

सभी पौधों की खेती या जिसे लोग थल, जंगल, घास एवं मुशट्टम आदि समस्त प्रकार के वृक्षों से प्राप्त करते हैं, यह सभी किस्में वैध तथा हलाल हैं, केवल वही वस्तुएँ हराम हैं जो शरीर अथवा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हों या मत मार देने वाली तथा बुद्धि को हानि पहुंचाने वाली हों जैसे शराब, नशीले डरगस एवं हर प्रकार के मादक पदार्थ, यह सभी हानि तथा बुद्धि का अन्त करने के कारण हराम हैं।



> शराब एवं मादक पदार्थ

यह हर वह वस्तु है जिस से मत मारी जाये अथवा बुद्धि पर पर्दा पड़ जाये या जो बुद्धि को प्रभावित करे, उसे ढाँक ले, उस पर कब्ज़ा कर ले जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : हर मादक पदार्थ शराब है, एवं हर प्रकार की शराब हाराम है । (मुस्लिम 2003) चाहे वह अंगूर, खजूर, जैतून एवं किशमिश आदि फलों से निर्मित हो अथवा गेहूँ, जौ, मकई एवं चावल आदि अनाजों से तैयार की गई हो या मधु आदि किसी मीठे पदार्थ से प्राप्त की गई हो, ज्ञात हुआ कि जिस से भी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाये वह शराब है उस का नाम कुछ भी एवं रूप कैसा भी हो, चाहे उसे किसी फल के रस या किसी मिठाई चाकलेट आदि में मिलाया ही क्यों न गया हो ।

बुद्धि रक्षा :

यह महान धर्म लोगों के धार्मिक तथा सांसारिक लाभ की रक्षा के लिये आया है, इन में सर्वप्रथम इस्लाम ने पाँच मूल आवश्यकताओं (धर्म, प्राण, बुद्धि, धन एवं वैश) की रक्षा की है ।



> इस्लाम ने हर दुख एवं हानि पहुँचाने वाली वस्तु से बुद्धि की रक्षा की है ।

बुद्धि ही कर्तव्य भार डाले जाने की जगह है, इसी से लोगों को मान सम्मान एवं ईश्वरीय चुनाव का श्रेय मिलता है अतः इस्लाम ने इस की रक्षा की एवं हर हानि पहुँचाने अथवा कमज़ोर कर देने वाली वस्तु से इसे बचाया ।

शराब का हुक्म :

शराब एक प्रमुख पाप है, कुर्आन व हदीस में शराब की अवैधता सिद्ध की गई है एवं इस विषय में सख्ती दर्शायी गई है, शराब के विषय में कुर्आन व हदीस के कुछ प्रमाण निम्नलिखित हैं :

- अल्लाह फ़र्माता है : हे ईमान वाले ! निःसंदेह शराब जुआ थान एवं तीरों द्वारा शगुन लेना अपवित्र शैतानी काम है अतः इस से बचो ताकि तुम सफलता पाओ । (अलमायदह : 90) यहाँ अल्लाह ने इन कार्यों को गन्दा शैतानी काम बताया है और हमें मुक्ति एवं सफलता पाने के लिये इन से बचने का आदेश दिया है ।
- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : हर मादक पदार्थ शराब है, एवं हर प्रकार की शराब हाराम है, एवं जो दुनिया में शराब पीता है तथा उस का रसिया बन कर मरता है वह पुनरुत्थान के दिन कदापि इसे पीने को नहीं पायेगा । (मुस्लिम : 2003)
- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के लिये शराब के अति हानिकारक होने की सूचना देते हुये फ़र्माया : मनुष्य शराब पीते समय मोमिन नहीं होता है । (अलबुख़ारी : 5256, मुस्लिम 57)
- इस्लाम में शराब दण्डनीय अपराध है, शराबी के लिये इस्लाम में कठोर दण्ड है, उस की गरिमा को क्षति पहुँची है एवं समाज में उस की निष्पक्षता प्रभावित होती है एवं सम्मान समाप्त होजाता है ।

- ऐसे व्यक्ति को कठोर दण्ड की धमकी दी गई है जो शराब की लत में डूब कर अथवा किसी अन्य नशे का शिकार होकर तौबा किये बिना मर जाये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्माते हैं : अल्लाह ने नशा करने वालों के विषय में यह वचन लिया है कि उन्हें जहन्नमियों के शरीर का निचुड़ा हुआ रक्त पस एवं मल पिला कर रहेगा। (मुस्लि : 2002)
- निकट दूर जो भी शराब पीने में सम्मिलित होगा या शराब पीने में सहायता करेगा सभी धमकी में शामिल हैं, अतः अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के संदर्भ में दस प्रकार के लोगों को शाप दी है : उसे निचोड़ने वाले, निचोड़ने की मांग करने वाले, पीने वाले, उसे उठाने वाले, जिस के पास उठाकर लेजाई गई है, उसे पिलाने वाले, उस का व्यापार करने वाले, उस की कमाई खाने वाले, उस को खरीदने एवं जिस के लिये खरीदी गई है सभी को शाप दी है। अत्तिर्मिज़ी : 1295)

➤ नशीले डरगस

नशीली दवायें लेना चाहे वह किसी पौधे से प्राप्त की गई हूँ अथवा किसी केमिकल द्वारा निर्मित हूँ, चाहें उन्हें नाक के माध्यम से लिया जाये अथवा इंजेक्शन या मुंह द्वारा, सभी महा पाप हैं, यह जहाँ बुद्धि पर पर्दा डालती हैं वहीं मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को नष्ट व बर्बाद कर देती हैं एवं नशीली दवाओं का सेवन करने वाला व्यक्ति विभिन्न प्रकार की तंत्रिका एवं मनोरोग का शिकार होजाता है, ऐसा भी होता है कि नशे के आदी इस प्रकार के लोग मृत्यु के मुंह में भी चले जाते हैं, अल्लाह जो अपने बन्दों के लिये महा कृपावान है फर्माता है : तुम आत्महत्या न करो अल्लाह तुम पर बड़ा दयावान करुणामयी है। (अन्निसा : 29)

➤ समुद्री खाने (Sea Food)

समुद्री खाने का अर्थ वह समुद्री जीव हैं जो केवल पानी ही में जीवित रह सकते हैं, भूमि पर जिन का जीना अपवाद है

समुद्र का अर्थ अधिक पानी वाले स्थान अतः इस में नदियाँ झील तालाब एवं वह सभी स्थान आगये जहाँ अधिक पानी हो।

एवं इस प्रकार के सभी समुद्री भोजन चाहे वह समुद्री जीवों पर आधारित हूँ अथवा समुद्री सब्जियों पर, चाहे उन का शिकार किया गया हो या वह मुरदह मिली हूँ सब का खाना वैध है जब तक कि वह स्वास्थ्य के लिये हानिभ कारक न हों।

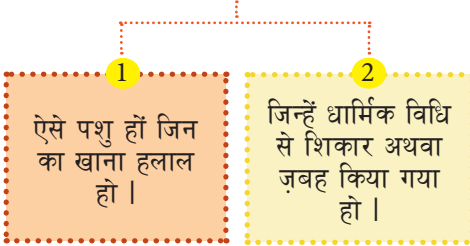
अल्लाह का फर्मान है : तुम्हारे लिये समुद्र का शिकार एवं उस का भोजन हलाल है। (अल मायदह : 96)

शिकार का अर्थ जिसे जीवित पकड़ा गया हो एवं भोजन का अर्थ जिसे समुद्र ने मरने के बाद लाफेंका हो।



> भूमि पशु

भूमि पशुओं को खाने के लिये दो शर्तें अनिवार्य हैं :



कौन से पशु हलाल हैं ?

मूल शिक्षा यही है कि कुर्आन व हदीस में वर्जित पशुओं के अतिरिक्त सभी पशु हलाल हैं ।

हराम पशु निम्नलिखित हैं :

1 सुवर : यह एक अपवित्र हराम पशु है, इस के शरीर का हर अंग एवं हर भाग हराम है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : तुम पर मुर्दार, खून और सुवर का गोश्त हराम है । (अल मायदह : 3) एवं अल्लाह ने एक अन्य स्थान पर फ़र्माया : अथवा सुवर का गोश्त, निःसंदेह वह गन्दा अपवित्र है । अल अनआम : 145)

2 नुकीले दाँतों वाले जंगली जानवर : यहाँ चीड़ फाड़ कर गोश्त खाने वाले सभी छोटे बड़े जानवर मुराद हैं जैसे शेर, चीता, कुत्ता बिल्ली आदि ।

3 चंगुल की सहायता से शिकार करने वाले पक्षी : यहाँ गोश्त खाने वाले सभी पक्षी मुराद हैं जैसे बाज़, चील कव्चे, गिद्ध एवं उल्लू आदि ।

4 पतंगे एवं कीड़े मकोड़े : भूमि के सभी पतंगों एवं कीड़े मकोड़ों का खाना हराम है, इस लिये कि इन्हें ज़बह करना संभव नहीं, इस हुक्म से टिड्डी अलग है, इस लिये कि टिड्डी खाना हलाल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : हमारे लिये दो मुर्दार हलाल हैं : मछली तथा टिड्डी । (इब्ने माजह 3218)

5 छोटे बड़े साँप, अज़्दहे एवं चूहे : सभी प्रकार के साँपों एवं चूहों का खाना हराम है, एवं उन्हें मारने का आदेश दिया गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : पाँच दुष्ट जीव ऐसे हैं जिन्हें हिल्ल व हरम हर दो स्थान में मारा जायेगा : साँप, काला कौवा, चूहिया, काटने वाला कुत्ता एवं चील । (अल बुख़ारी 3136, मुस्लिम 1198)

6 गधा : वह गधा जिसे गाँव दीहात में सवारी या बोझ ढोने के लिये प्रयोग किया जाता है ।



> सभी पशुओं को ज़बह करके खाया जा सकता है किन्तु कुर्आन व सुन्नत में जिन पशुओं को खाने से रोका गया है उन का खाना हराम है ।

हलाल पशुओं के प्रकार :

अल्लाह ने जिन पशुओं को हलाल किया है वह दो प्रकार के हैं :

- ऐसे पशु जो जंगल में रहते एवं इन्सानों से दूर भागते हैं, जिन्हें पकड़ कर ज़बह करना संभव नहीं ऐसे पशुओं को धार्मिक विधि से शिकार करके खाया जा सकता है ।

- ऐसे पशु जो इन्सानों से मानूस हैं एवं जिन्हें पकड़ना संभव है, ऐसे पशुओं को धार्मिक विधि से ज़बह किये बिना खाना जायज़ नहीं ।

ज़बह करने की धार्मिक विधि :

ज़बह करने की वह विधि जिस में समस्त धार्मिक शर्तों पर ध्यान दिया गया हो ।

धार्मिक ज़बीहे की शर्तें :

- 1 ज़बह करने वाला ज़बह करने के योग्य हो, हर मुसलामन या यहूदी ईसाई जो अच्छे बुरे में अन्तर की आयु को पहुंच चुके हों वह नीय्यत के साथ ज़बह करने के योग्य हैं ।
- 2 जिस यंत्र से ज़बह किया जाये वह छुरी के समान ज़बह करने, खून बहाने, एवं धार से काटने की क्षमता रखता हो, ऐसे यंत्रों का प्रयोग हाराम है जो अपने भार अथवा पशु के सिर को टक्कर मार कर हत्या कर देते हों, या इलेक्ट्रिक शाक के समान जला कर मार देते हों ।
- 3 आरंभ में ज़बह के लिये छुरी फेरते समय बिस्मिल्लाह कहे ।
- 4 वह भाग कट जाये जिसे ज़बह के समय काटना आवश्यक है, वह भाग सांस की नली, गले एवं गर्दन की दोनों मोटी रंगें हैं, इन सब का या इन में से तीन का कटना अनिवार्य है ।



> अल्लाह ने हमारे लिये किताब वालों (यहूद व नसारा) का ज़बीहा हलाल किया है शर्त यह है कि उसे धार्मिक विधि से ज़बह किया गया हो ।

ज़बह के समय यदि यह शर्तें पाई गईं तो पशु हलाल होगा, यदि इन में से कोई शर्त नहीं पाई गई तो पशु हलाल नहीं होगा ।

गोشت के प्रकार रेस्तरानों एवं दुकानों में :

1

जिसे किसी गैर मुस्लिम ने ज़बह किया हो जैसे बुद्धिष्ट, हिन्दू अथवा अधर्म, तो ऐसा गोश्त हाराम है, इस में सभी प्रकार के गोश्त दाखिल हैं जो गैर मुस्लिमों की बहुसंख्य जनसंख्या वाले देशों के रेस्तरानों एवं दुकानों में परस्तुत किये जाते हैं, यह सब गोश्त उस समय तक हाराम है जब तक कि इस के विपरीत न प्रमाणित होजाये ।

2

जिसे किसी मुसलमान अथवा यहूदी ईसाई ने धार्मिक विधि से ज़बह किया हो तो सब की सहमति से ऐसा पशु हलाल है ।

3

जिसे किसी मुसलमान अथवा यहूदी ईसाई ने अधार्मिक विधि से ज़बह किया हो जैसे एलेक्ट्रिक शाक देकर या डुबो हत्या कर दी हो तो अनिवार्यतः ऐसा पशु हाराम है ।

4

जिसे किसी यहूदी ईसाई ने ज़बह किया हो एवं ज़बह की सही स्थिति का ज्ञान न हो इसी प्रकार उन के रेस्तरानों एवं दुकानों में जो कुछ पाया जाता है, तो इस विषय में मूल शिक्षा यही है कि वह उन्हीं का ज़बोहा है एवं उच्च बात यही है कि उन का खाना हलाल है किन्तु खाने से पूर्व बिस्मिल्लाह अवश्य करना चाहिये जब कि उत्तम यह है कि स्पष्ट हलाल गोشت की खोज की जाये ।

> धार्मिक विधि से प्राप्त किया गया शिकार

ऐसे हलाल पशुओं एवं पक्षियों का शिकार जायज़ है जिन पर ज़बह के लिये काबू पाना असंभव हो, जैसे साहिली एवं जंगली क्षेत्रों के गोश्त न खाने वाले पक्षी, इसी प्रकार हिरन एवं खरगोश आदि ।

शिकार में निम्नलिखित शर्तों का पाया जाना अनिवार्य है :

- 1 शिकारी मुसलमान या यहूदी ईसाई हो, बुद्धि के साथ उस ने शिकार की नीयत भी की हो । किसी अधर्म, मूर्ति पूजक या पागल व्यक्ति का शिकार हलाल नहीं ।
- 2 ऐसा पशु हो जिस के बिदकने भागने के कारण ज़बह के लिये उस पर काबू पाना असंभव हो, किन्तु यदि ज़बह करना संभव हो जैसे मुर्गी, बकरी एवं गाय तो ऐसे पशुओं का शिकार हलाल नहीं ।
- 3 शिकार का यंत्र ऐसा हो जिस के धार से पशु घायल होकर मरे जैसे तीर अथवा बन्दूक की गोली आदि, किन्तु जिस के भार अथवा चोट से पशु की हत्या हुई हो तो उसे खाना जायज़ नहीं, यदि मरने से पूर्व उसे ज़बह कर लिया जाये तो फिर उसे भी खाना जायज़ है ।
- 4 यंत्र छोड़ने अथवा फायर करने से पूर्व बिस्मिल्लाह कर लिया जाये ।
- 5 शिकार के बाद यदि पशु या पक्षी जीवित मिलें तो उन्हें ज़बह करना अनिवार्य है ।
- 6 खाने के अतिरिक्त किसी और उद्देश्य से पशुओं का शिकार हलाल नहीं जैसे कोई मनोरंजन के लिये जानवरों का शिकार करे फिर शिकार करने के बाद उसे यूँ ही फेंक दे ।



➤ भोजन पानी के नियम

अल्लाह ने भोजन पानी के कुछ पवित्र नियमों का चयन किया है जिन से असंख्य ईश्वरीय उद्देश्यों की पूर्ति होती है जैसे मनुष्य पर अल्लाह की कृपा दया की याद दहानी, रोगों से बचाव एवं रोभ कथाम, अपव्यय एवं घमण्ड से दूरी आदि ।



इन्ही नियमों में से कुछ निम्नलिखित है :

- 1 सोने तथा चांदी से निर्मित अथवा इन से रंगे वर्तनों में खाने पीने की मनाही, इस लिये कि इस में अपव्यय भी है एवं सीमोल्लंघन भी, इस से निर्धनों का दिल भी टूटता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लह लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : तुम सोने चांदी के वर्तनों में न पियो न उन से निर्मित प्लेटों में खाओ, इस लिये कि यह दुनिया में उन के लिये है एवं पुनरुत्थान के दिन हमारे लिये । (अल बुखारी 5110, मुस्लिम 2067)
- 2 खाने से पूर्व तथा पश्चात दोनों हाथ धोना, यदि हाथों में गन्दगी या बचा खाना लगा हो तो हाथ धोना और भी आवश्यक है ।
- 3 भोजन पानी से पूर्व बिस्मिल्लाह पढ़ना जिस का अर्थ है : मैं अल्लाह के नाम से वर्कत प्राप्त करता एवं सहायता मांगता हूँ । यदि आरंभ में कोई बिस्मिल्लाह भूल जाये एवं खाने के बीच याद आये तो (बिस्मिल्लाह अव्वलहू व अखिरहू) पढ़े ।

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को खाने के नियमों का सही पालन न करते देख कर फर्माया : हे शिशु, बिस्मिल्लाह कह कर अपने दाहिने हाथ से अपने सामने से खाओ । (अल बुखारी 5061, मुस्लिम 2022)

- 4 दाहिने हाथ से भोजन पानी करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : बायें हाथ से मत खाओ पियो इस लिये कि शैतान बायें हाथ से खाता पीता है । (मुस्लिम : 2019)
- 5 प्रिय है कि खड़े होकर न खाये पिये ।
- 6 अपने निकट खाने से खाये एवं दूसरों के सामने से न खाये, इस लिये कि दूसरों के सामने से खाना अप व्यवहार एवं वै अदबी है जब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे से कहा : अपने सामने से खाओ ।

- 7 यदि लुक़्मा छुट कर गिर जाये तो जहाँ तक संभव हो गन्दगी साफ करके उसे पुनः खा लेना चाहिये, इस में अल्लाह की नेमत तथा खाने की रक्षा है
- 8 खाने में ऐब न निकाले न उस की बुराई करे, या तो खाने की प्रशंसा करे या उसे छोड़ कर उठ जाये एवं मौन रहे, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदापि खाने में ऐब नहीं निकाला, इच्छा हुई तो खा लिया वरना छोड़ दिया। (अल बुखारी 5093, मुस्लिम 2064)
- 9 तृप्तिपूर्ण बहुत अधिक ना खाये कि यही रोग एवं आलस्य का पथ है, बीच की स्थिति सर्वश्रेष्ठ है जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : मनुष्य ने पेट से अधिक खराब कोई और बर्तन नहीं भरा, मनुष्य को कमर सीधी करने के लिये चन्द लुक़्मे ही पर्याप्त हैं, यदि इतने से बात न बने तो एक तिहाई भाग खाने के लिये, एक तिहाई पानी के लिये एवं एक तिहाई सांस के लिये खाली रखे। (अत्तिर्मिज़ी 2380, इब्ने माजह 3349)
- 10 जब खाना समाप्त कर ले तो (अलहम्दुलिल्लाह) कहे एवं अल्लाह ने उसे खाने पीने की जो नेमतें प्रदान की हैं एवं बहुतों को जिन से वंचित रखा है उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, वह यह पूर्ण दुआ भी पढ़ सकता है : (अलहम्दु लिल्लहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़कनीहे मिन ग़ैरि हौलिम मिन्नी वला कुव्वह)



> अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : अल्लाह की प्रिय है कि जब उस का बन्दह कोई लुक़्मा उठाये तो उस पर उस की प्रशंसा करे एवं पानी का जब कोई घूंट ले तो उस पर भी उस की प्रशंसा करे। (मुस्लिम 2734)



आप का वस्त्र

9

वस्त्र लोगों पर अल्लाह की महान कृपा है, जैसा कि अल्लाह फ़र्माता है : हे आदम पुत्रो ! हम ने तुम पर वह वस्त्र उतारा है जो तुम्हारे गुप्तांगों को ढांकता है एवं जो तुम्हारे श्रंगार का साधन भी है एवं ईश्वर का वस्त्र सर्वोत्तम है, यह अल्लाह के चिन्हों में से है ताकि वह नसीहत पायें । (अल आराफ : 26)

अध्याय सूची :

इस्लाम में वस्त्र

हराम वस्त्र

- जिन से गुप्तांग खुल जाये ।
- जिस में स्त्री पुरुष के मध्य समानता हो
- जिस में काफिरों की समानता हो ।
- जिसे अहंकार व अभिमान के साथ पहना जाये
- जिस में रेशम अथवा सोने की मिलावट हो ।
- जिस में अपव्यय तथा अनर्थ खर्च हो ।

इस्लाम में वस्त्र

मोमिन का वस्त्र सुन्दर तथा साफ सुथरा होना चाहिये विशेष रूप से जब वह लोगों के साथ हो अथवा सलात की अदायगी के लिये बाहर निकल रहा हो, जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : हे आदम पुत्रो ! तुम हर सलात के समय अपने श्रंगार वस्त्र अवश्य पहन लिया करो । (अल आराफ : 31)

अल्लाह ने मनुष्य के लिये यह धर्म विधान बनाया है कि वह अपने वस्त्र एवं रख रखाओ में सुन्दरता लाये, क्यों कि इस से अल्लाह की कृपा दया की चर्चा होगी, अल्लाह का फ़र्मान है : आप कह दीजिये कि कौन है जिस ने दासों के लिये निकाली गई अल्लाह की श्रंगार वस्तुओं एवं पवित्र जीविका को हराम कर दिया है, आप कह दीजिये कि यह वस्तुयें जो सांसारिक जीवन में मोमिनों के लिये भी हैं वही पुनरुत्थान के दिन केवल मोमिनों के लिये विशेष होंगी, हम इसी प्रकार समस्त चिन्हों को समझदारों के लिये स्पष्टतः ब्यान करते हैं । (अल आराफ : 32)

वस्त्र से निम्नलिखित कई आवश्यकतायें पूरी होती हैं :

1 प्राकृतिक लज्जा के अंतर्गत वस्त्र द्वारा लोगों की दृष्टि से मानव शरीर के विशेष अंग छुपाये जाते हैं जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : हे आदम पुत्रो ! हम ने तुम पर वह वस्त्र उतारा है जो तुम्हारे गुप्तांगों को ढांकता है । (अल आराफ : 26)

2 वस्त्र सर्दी गर्मी एवं हानि से मानव शरीर की रक्षा करता है, सर्दी गर्मी वातावरण परिवर्तन का परिणाम होता है एवं प्रहार तथा हमले आदि से मानव शरीर को हानि पहुंचती है, अल्लाह वस्त्र का लाभ बताते हुये फ़र्माता है : एवं उसी ने तुम्हारे लिये कुर्ते बनाये हैं जो तुम्हें गरमी से बचायें एवं ऐसे कुर्ते भी जो युद्ध के समय तुम्हारे काम आयें, वह इसी प्रकार पूर्णतः तुम पर अपनी कृपा दया की वर्षा कर रहा है ताकि तुम आज्ञाकारी बन जाओ । (अन्नहल : 81)



> वस्त्र से मनुष्य को कई लाभ प्राप्त होते हैं ।

> वस्त्र के मूल नियम

> इस्लाम ने किसी विशेष वस्त्र का च्यन नहीं किया है परन्तु उत्तम है कि देशवासियों के समान ही वैध वस्त्र पहना जाये। वस्त्र में उन का विरोध न किया जाये।



इस्लाम प्राकृतिक धर्म है, एवं उस ने लोगों की जीवन चर्या के लिये वही विधान बनाये हैं जो शुद्ध प्रकृति, स्पष्ट बुद्धि, सामान्य ज्ञान एवं सादर भावना के अनुकूल हों।

मुसलमानों के वस्त्र एवं श्रंगार के विषय में मूल शिक्षा यही है कि सभी वैध एवं हलाल हैं।

इस्लाम ने लोगों के लिये किसी विशेष वस्त्र का च्यन नहीं किया है, इस के विपरीत इस्लाम में हर वह वस्त्र मान्य है जिस से बिना सीमोल्लंघन वस्त्र की मूल आवश्यकता पूरी होती हो।

एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने युग के वस्त्र पहने एवं किसी विशिष्ट वस्त्र का आदेश नहीं दिया या किसी वस्त्र विशेष से नहीं रोका। इस्लाम ने केवल वस्त्र में कुछ विशिष्ट गुणों से रोका है। वस्त्र समेत समस्त व्यवहारों में मूल शिक्षा यही है कि सब हलाल हैं, उपासना के विपरीत व्यवहारों में हराम के लिये प्रमाण चाहिये, जबकि उपासना के विषय में मूल शिक्षा यह है कि जब तक प्रमाण न मिले सभी प्रकार की उपासनायें अवैध हैं।

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : खाओ पियो एवं दान करो एवं बिना अपव्यय तथा अहंकार वस्त्र पहनो।

(अन्नसाई 2559)

अवैध वस्त्र (हराम पोशाक) :

1 जिस से गुप्तांग दृष्टगोचर हो : मुसलमान पर वस्त्र द्वारा अपने गुप्तांग छुपाना वाजिव है जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : हम ने तुम पर वह वस्त्र उतारा है जो तुम्हारे गुप्तांगों को ढांकता है। (अल आराफ : 26)

इस्लाम ने स्त्री पुरुषों के गुप्तांग छुपाने की सीमा निरधारित की है, पुरुष का गुप्तांग उस की नाफ से लेकर उस के घुटनों तक है, अपरिचित गैर मर्दा के समक्ष महिलाओं का गुप्तांग हथेली एवं चेहरा छोड़ कर उस का पूरा शरीर है।

शरीर से चिमटे तंग वस्त्रों से शरीर छुपाना वैध नहीं न ही ऐसे झीने एवं पतले कपड़ों से शरीर ढकना वैध है जिन के नीचे से शरीर झलकता हो, यही कारण है कि अल्लाह ने ऐसे पतले कपड़े पहनने वालों को कठोर दण्ड की धमकी दी है जिन से शरीर झलकता हो अतः अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : दो प्रकार के लोग नर्क में जायेंगे, फिर आप ने बताया : ऐसी महिलायें जो वस्त्र पहन कर भी नंगी लगती है।

2) ऐसा वस्त्र जिस में स्त्री पुरुष के मध्य समानता हो अर्थात् पुरुष महिलाओं का विशिष्ट वस्त्र पहने अथवा महिलायें पुरुषों जैसा वस्त्र पहनें तो ऐसा करना हराम एवं महा पाप है, इसी में बात चीत, चलने फिरने एवं हरकत करने में समानता भी दाखिल है, अतः अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पुट्ट को शाप दी है जो महिलाओं का वस्त्र पहनते हो एवं महिलाओं को शाप दी है जो पुरुषों का वस्त्र पहनती हों। (अबूदाऊद 4098) इसी प्रकार आप ने महिलाओं का चाल चलन अपनाने वाले पुरुषों एवं पुरुषों जैसा व्यवहार अपनाने वाली महिलाओं को शाप दी है। (अल बुखारी 5546) (शाप देने का अर्थ अल्लाह की कृपा द्वार से किसी को धुतकार दिया जाना) इस्लाम की इच्छा है कि पुरुष की प्रकृति उस का रख रखाओ अलग एवं महिला का अलग हो, यही शुद्ध प्रकृति एवं सादर तर्क की चाहत भी है।

3) जिस में काफिरों के विशिष्ट धार्मिक वस्त्र की समानता हो जैसे पादरियों संतों का वस्त्र, इसी प्रकार कास अथवा किसी धर्म का विशिष्ट चिन्ह पहनना, ऐसे सारे वस्त्र एवं चिन्ह पहनना हराम है जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : जो जिस समुदाय की समानता अपनायेगा वह उन्ही में से होगा। (अबू दाऊद 4031) समानता में वह वस्त्र भी आते हैं जिन में किसी विशिष्ट धर्म अथवा पथभ्रष्ट समुदायों का कोई धार्मिक चिन्ह बना हो। यह समानता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मनुष्य का अपने धर्म से विश्वास उठ गया है या वह अपने पास उपस्थित सत्य से संतुष्ट नहीं है।

समानता यह नहीं है कि कोई मुसलमान अपने देश में प्रचलित कोई वस्त्र पहनता हो, अगरचे उसे पहनने वाले अधिकांश लोग काफिर हों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के मुशिरकों के समान वस्त्र पहना करते थे, ज्ञात हुआ कि वही वस्त्र नहीं पहनना है जिस से मना किया गया है।

4) जिसे अहंकार व अभिमान के साथ पहना जाय, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्माते हैं : जिस के ह्रिद्ह में कण मात्र भी अहंकार होगा वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। (मुस्लिम 91)

इसी कारण इस्लाम ने मर्दों को कपड़े घसीटने एवं टखनों से नीचे रखने से मना किया है, जब इस में अहंकार एवं अभिमान शामिल हो जाये तो यह और भी बड़ा अपराध है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : जिस ने अहंकार में अपने कपड़े भूमि पर घसीटे अल्लाह पुनरुत्थान के दिन उस पर दया दृष्टि नहीं करेगा। (अल बुखारी 3465, मुस्लिम 2085)

इसी प्रकार प्रसिद्धि के वस्त्र से भी मना किया गया है, यह वह वस्त्र है जिसे पहनने के बाद लोग पहनने वाले को आश्चर्य से देखें एवं उस के विषय में परस्पर चर्चा करें जिस से वह प्रसिद्ध होजाये, ऐसा उस के आश्चर्यपूर्ण होने, उस के विचलित आकार तथा रंग विसंगति के कारण लोगों के घृणित होने, या पहनने वाले के अहंकार एवं अभिमान के कारण होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : जिस ने संसार में प्रसिद्धि का वस्त्र पहना अल्लाह उसे पुनरुत्थान के दिन अपमान का परिधान पहनायेगा। (अहमद 5664, इब्ने माजह 3607)



> ऐसा वस्त्र पहनना हराम है जिस में काफिरों की समानता हो अथवा उस में इस्लाम के अतिरिक्त अन्य धर्मों के धार्मिक चिन्ह बने हों।

- 5 जब वस्त्र में सोने की मिलावट हो अथवा प्राकृतिक रेशम का कपड़ा हो तो ऐसा वस्त्र विशिष्ट रूप से पुट्टों के लिये अवैध है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने एवं रेशम के विषय में दो टोक फर्माया : यह दोनों वस्तुयें मेरी उम्मत के मर्दाँ पर हराम एवं महिलाओं के लिये हलाल हैं । (अबू दाऊद 4057, इब्ने माजह 3595)

मर्दाँ पर हराम रेशम का अर्थ वह प्राकृतिक रेशम है जो रेशम के कीटाणुओं से प्राप्त किया जाता है ।

- 6 जिस में अपव्यय एवं अनर्थ खर्च हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : खाओ पियो एवं दान करो तथा बिना अपव्यय एवं अहंकार वस्त्र पहनो । (अन्नसाई 2559)

परिस्थितियों के अनुसार इस में परिवर्तन होता रहता है अतः जो धनवान हो वह ऐसा वस्त्र खरीदे जिसे उस के धन, वेतन एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुये निर्धन के लिये खरीदना उचित न हो, अतः संभव है कि इस प्रकार का मात्र एक वस्त्र निर्धन के लिये अपव्यय हो किन्तु धनवान के लिये न हो ।



> इस्लाम में वस्त्र में अपव्यय हराम है, यह व्यक्ति की आय एवं अधिकारों के अनुसार बदलता रहता है ।



आप का परिवार

10

इस्लाम ने सुनिश्चित परिवार स्थापना, एवं उस की संरचना को हानि पहुंचाने वाली वस्तुओं से उस के संरक्षण में बड़ी उत्सुकता दिखाई है, इस लिये कि साधारण रूप से परिवार के सुधार एवं एकजुटता ही से व्यक्ति तथा समाज की भलाई की आपूर्ति हो सकती है ।

अध्याय सूची :

इस्लाम में परिवार का स्थान

इस्लाम में महिला का स्थान

- ऐसी महिलायें जिन की देखरेख एवं रक्षा का इस्लाम ने आग्रह किया है ।
- दो लिंगों के बीच संघर्ष के लिये कोई जगह नहीं ।
- पुरुषों के लिये महिला वर्ग ।
- पुरुष एवं अपरिचित महिला के मध्य संबन्ध स्थापना के नियम ।
- हिजाब (पर्दे) की सीमायें

इस्लाम में विवाह

पति पत्नी के अधिकार

बहुविवाह

तलाक़

माता पिता के अधिकार

संतान के अधिकार

> इस्लाम में परिवार का स्थान

इस्लाम द्वारा परिवार की देखभाल निम्नलिखित वस्तुओं से प्रकट होती है :

1 इस्लाम ने विवाह कर गृहस्त जीवन अपनाने का आग्रह किया है, एवं विवाह को महान कार्य तथा नवियों का तरीका बताया है जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : किन्तु मैं सौम रखता भी हूँ, सौम छोड़ता भी हूँ, सलात भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ एवं महिलाओं से विवाह भी करता हूँ, अतः जो मेरी सुन्नत से दूरी बनाये वह मुझ से नहीं । (अल बुखारी 4776, मुस्लिम 1401)

- क़र्आन ने अल्लाह द्वारा जन्मित वस्तुओं में पति पत्नी के मध्य निर्वाण, प्रेम, दया एवं अंतरंगता को महान चिन्ह एवं बड़ा उपकार गिनाया है । अल्लाह फर्माता है : एवं उस के चिन्हों में से यह भी है कि उस ने तुम्हीं में से तुम्हारे लिये पत्नियाँ बनायीं ताकि तुम उन के पास निर्वाण प्राप्त करो एवं उस ने तुम्हारे मध्य प्रेम स्नेह एवं दया उत्पन्न की । (अरदुम : 21)

- इस्लाम ने विवाह को सरल बनाने एवं आत्मशुद्धता हेतु विवाह के इच्छुक व्यक्ति की सहायता का आदेश दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : (तीन लोग ऐसे हैं जिन की सहायता अल्लाह पर वाजिब है, आप ने उन्हीं में से आत्मशुद्धता तथा पवित्रता के लिये विवाह करने वाले का भी वर्णन किया । (अत्तिर्मिजी 1655)

- इस्लाम ने युवा पीढ़ी को जोश एवं शक्ति से भरपूर चढ़ती जवानी ही में विवाह का आदेश दिया है, इस लिये कि इसी में उन के लिये आत्म शांति एवं आश्वासन है, इसी में उन की कामवासना का संवैधानिक समाधान है ।



> क़र्आन ने पति पत्नी के मध्य निर्वाण, प्रेम, दया एवं अंतरंगता को महान वर्दान बताया है ।

2 इस्लाम ने परिवार के हर सदस्य को पूर्ण सम्मान दिया है चाहे वह स्त्री हो या पुरुष ।

अतः इस्लाम ने माता पिता को संतान की परवरिश की महान ज़िम्मेदारी सौंपी है । अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िअल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्हीं ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फर्माते हुये सुना : तुम में से हर कोई एक चरवाहे समान अपने रेवड़ का ज़िम्मेदार है, अतः राजा चरवाहा है एवं अपनी प्रजा का ज़िम्मेदार, एवं आदमी अपने परिवार का रखवाला है एवं उस से उन के विषय में पूछा जायेगा, पत्नी अपने पति के घर की रक्षक है एवं उस से इस के विषय में प्रश्न होगा, एवं दास अपने मालिक के माल का संरक्षक है एवं उस से उस की ज़िम्मेदारी के विषय में पूछा जायेगा । (अल बुखारी 853, मुस्लिम 1829)

3

इस्लाम ने माता पिता के सम्मान सिद्धान्त को लोगों के हृदय में जमा देने में उत्सुकता दिखाई है, उस की शिक्षा है कि मृत्यु तक माता पिता की देखरेख एवं आज्ञापालन की जाये।

बेट बेटियाँ कितने ही दीर्घायु के क्यों न होजायें परन्तु उन पर अपने माता पिता की आज्ञापालन एवं उन के संग सद्व्यवहार अनिवार्य है, अल्लाह ने माता पिता के साथ सद्व्यवहार को अपने उपासना के साथ जोड़ा है एवं कथनी करनी में उन के साथ अत्याचार से रोका है, चाहे ऐसा कठोर शब्द अथवा असभ्य अवाज़ निकाल ही कर क्यों न हो, अल्लाह फ़र्मान है : एवं तुम्हारे रब का यह फैसला है कि तुम केवल उसी की उपासना करो एवं माता पिता के साथ सद्व्यवहार, चाहे उन में से एक अथवा दोनों तुम्हारे पास दीर्घ आयु को पहुंच जायें तुम उन्हें उपफ तक न कहो, न ही उन्हें झिड़को डांटो एवं उन से बड़े उदार शब्द बोलो। (अल इसा : 23)

4

इस्लाम ने बेटे बेटियों के अधिकारों की सुरक्षा का आदेश दिया है एवं उन के मध्य भत्ते एवं प्रकट वस्तुओं में न्याय करने पर बल दिया है।

5

इस्लाम ने रिश्ता जोड़ने को मुसलमानों के लिये अनिवार्य बताया है, इस का अर्थ यह है कि : मनुष्य अपने दधियाली ननिहाली रिश्तेदारों से निरंतर संबन्ध बनाये रखे।

जैसे उस के भाई, उस की बहनें, उस के चचा उस की फूफियाँ एवं उन की संतान, उस के मामू, उस की खालायें एवं उन की संतान आदि, इस्लाम ने इसे महान उपासनाओं एवं अच्छे कार्यों में गिना है, इस्लाम ने उन से रिश्ता तोड़ने या उन के साथ दुरव्यवहार करने पर चेतावनी दी है एवं इसे महा पाप बताया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : रिश्ता तोड़ने वाला स्वर्ग में नहीं जायेगा। (अल बुख़ारी 5638, मुस्लिम 2556)



> इस्लाम ने माता पिता के सम्मान सिद्धान्त को लोगों के हृदय में जमा दिया है।

> इस्लाम में महिला का स्थान

इस्लाम ने महिला को बड़ा सम्मान दिया है एवं उसे पुरुषों की दासता से मुक्ति दिलाई है, इसी प्रकार उसे इस बात से भी मुक्ति दिलाई है कि वह बाज़ार का बिकाउ माल बने जहाँ न उस की कोई मान हो न मर्यादा। महिला सम्मान से संबन्धित कुछ आदेश निम्नलिखित हैं :

- इस्लाम ने महिला को पिता की मीरास में साझीदार बनाकर उसे न्यायपूर्व भाग दिया है जहाँ कहीं तो महिला को पुरुष के बराबर माना गया है एवं कहीं रिश्तेदारी एवं उस से जुड़े भत्ते को देखते हुये पुरुष से उस का हिस्सा विभिन्न रखा गया है।
- जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इस्लाम ने महिला को पुरुष के बराबर माना है, उन्हीं में से सभी प्रकार के वित्तीय तथा आर्थिक लेनदेन हैं यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : महिलायें पुरुषों की अर्धअंगिनियाँ हैं। (अबू दाऊद 236)
- इस्लाम ने महिला को पति चुनने की स्वतंत्रता दी है, एवं संतान की परवरिश, शिक्षा दीक्षा का बड़ा भार भी उसी पर डाला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : एवं पत्नी अपने पति के घर की संरक्षक है एवं उस से उस की संरक्षण में दी गई वस्तु के विषय में प्रश्न होगा (अल बुख़ारी 1829, मुस्लिम 852)

- इस्लाम ने उस के नाम एवं पिता से उस की संबद्धता का सम्मान बाकी रखा है, अतः विवाह के बाद भी उस की संबद्धता में परिवर्तन नहीं होता, इस के विपरीत वह अपने पिता परिवार ही से संबद्ध होती है।
- इस्लाम ने बिना उपकार मर्दों को महिलाओं की रक्षा एवं उन पर खर्च का कर्तव्य सौंपा है विशेषरूप से जब वह पत्नी, माँ एवं बेटी हों जिन के खर्च की ज़िम्मेदारी मर्द पर वाजिब है।
- इस्लाम ने उस कमज़ोर महिला की सेवा संस्कार का प्रबल आग्रह किया है जिस की देखरेख करने वाला कोई न हो यद्यपि वह कोई संबन्धी न हो, इस्लाम ने उस की सेवा में उत्सुकता दिखाई है एवं इसे अल्लाह के निकट श्रेष्ठ कार्य बताया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : राण्ड बेवाओं तथा निर्धनों की देखरेख करने वाला अल्लाह के मार्ग में जिहाद करने वाले एवं बिना थके निरंतर सलात पढ़ने वाले तथा निरंतर सौम रखने वाले जैसा है। (अल बुख़ारी 5661, मुस्लिम 2982)

महिलायें जिन की रक्षा एवं देखरेख का इस्लाम ने आग्रह किया है :

माँ : हज़रत अबू हुरैरह रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि : एक व्यक्ति अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया एवं पूछा : मेरे सद्व्यवहार एवं सुसंगत का सर्वाधिक अधिकार किसे है ? आप ने उत्तर दिया : तेरी माँ को, उस ने पूछा : फिर कौन, आप ने उत्तर दिया : फिर तेरी माँ, उस ने पूछा : फिर कौन : आप ने उत्तर दिया : फिर तेरी माँ, उस ने पूछा : फिर कौन ? आप ने उत्तर दिया : फिर तेरा बाप। (अल बुख़ारी 5626, मुस्लिम 2548)

बेटी : उकबह बिन आमिर रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैं ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुये सुना : जिस की तीन बेटियाँ हूँ, वह उन पर सब्र करे, उन्हें अपनी कमाई तथा श्रम धन से खिलाये पिलाये एवं पहनाये तो वह क्यामत के दिन उस के लिये नर्क से पर्दा एवं रुकावट बन जायेंगी।

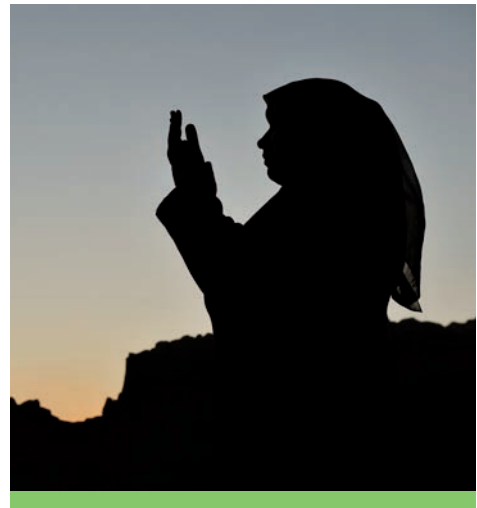
पत्नी : हज़रत आइशा रज़िअल्लाहु अन्हा से रिवायत है, कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : तुम में सर्वश्रेष्ठ वह है जो अपनी पत्नी के लिये सर्वश्रेष्ठ हो एवं मैं तुम में अपनी पत्नी के लिये सर्वश्रेष्ठ हूँ। (अत्तिर्मिज़ी 3895)

इस्लाम में पुरुष महिला के मध्य संबन्ध एक पूरक संबन्ध है, जहाँ मुस्लिम समाज निर्माण के संदर्भ में हर कोई दूसरे की कमी को पूरा करता दिखाई देता है।

दो लिंगों के मध्य संघर्ष का कोई स्थान नहीं :

अज्ञानता के कुछ समुदायों में महिला पर पुरुष के प्रभुत्व के कारण पुट्ट महिला के बीच संघर्ष की सोच ही का अन्त होजाता है, या फिर अल्लाह के धर्म से दूर कुछ अन्य समुदायों में महिला के विद्रोह एवं अपनी प्रतिभा एवं प्रकृति से बाहर होने के कारण इस सोच का अन्त होता है।

यदि लोग अल्लाह के धर्म विधान से दूर न हुये होते तो यह स्थिति कदापि उत्पन्न न हुई होती, जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : तुम उस वस्तु की कामना न करो जिस के कारण अल्लाह ने तुम में से कुछ को कुछ पर प्रधानता



प्रदान की है, पुरुषों का अपनी कमाई में हिस्सा है एवं महिलाओं का अपनी कमाई में, एवं अल्लाह से उस की कृपा मांगो । (अन्निसा : 32)

इस्लामी दृष्टिकोण से दो लिंगों के मध्य संघर्ष एवं लड़ाई के लिये कोई स्थान नहीं, न ही सांसारिक लक्ष्यों के पीछे भागने एवं दौलत जमा करने के लिये प्रतिस्पर्धा की भावना की कोई गुंजाइश है, न ही एक दूसरे के विरुद्ध परस्पर पुरुष महिला के मध्य अभ्यान छोड़ने एक दूसरे पर हावी होने, कमी निकालने एवं दोष ढूँढने का कोई स्वाद ही है ।

एक तरफ जहाँ यह सब व्यर्थ, बेतुका एवं इस्लाम को सही तरह से न समझने का परिणाम है तो दूसरी तरफ दोनों लिंगों के कर्तव्य एवं दायित्व की वास्तविकता से अज्ञानता का परिणाम । अतः सभी को अल्लाह से उस की कृपा दया की भीक मांगनी चाहिये ।

पुरुषों के लिये महिला वर्ग :

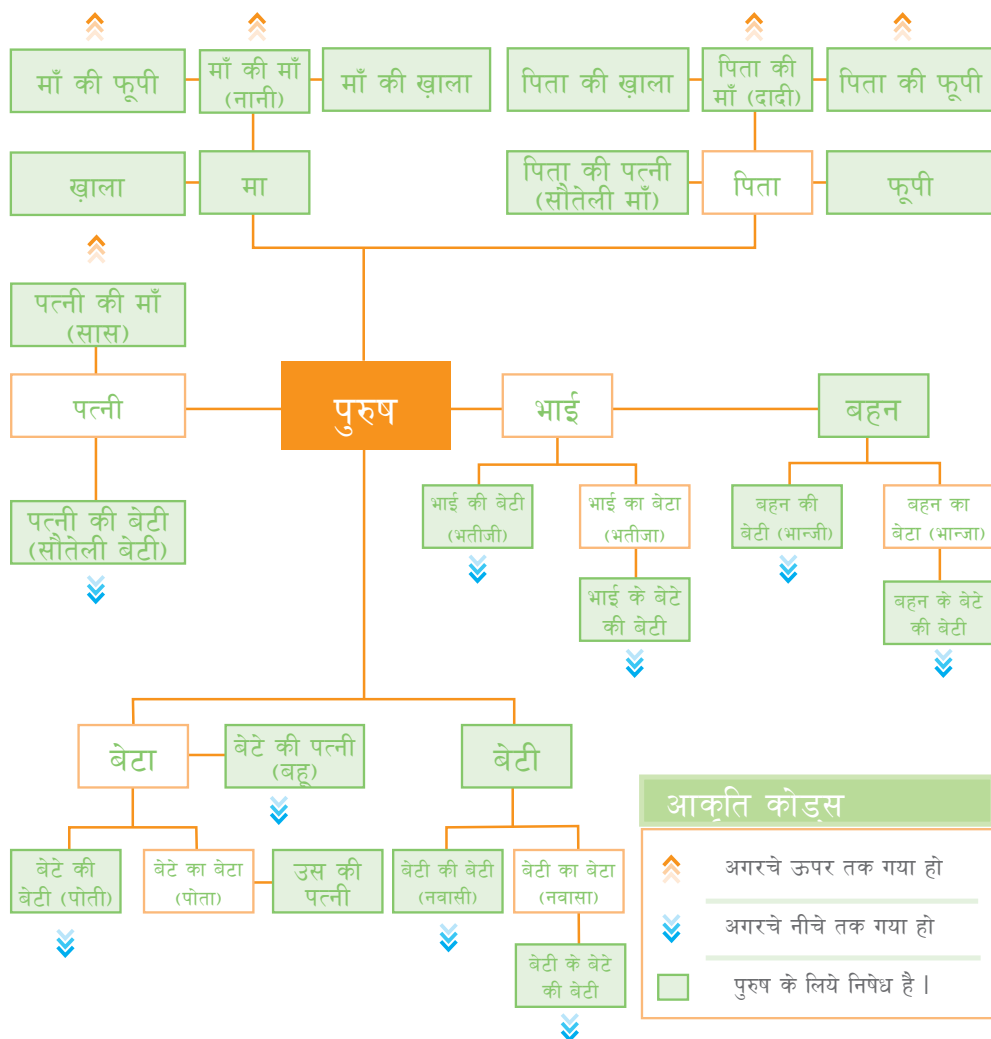
पुरुषों को देखते हुये महिलाओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है :

1 महिला उस की पत्नी हो :
पुरुष के लिये अपनी पत्नी को देखना एवं इच्छानुसार उस से आनंद लेना वैध है, इसी प्रकार पत्नी अपने पति के साथ भी ऐसा कर सकती है । अल्लाह ने पति पत्नी को एक दूसरे का वस्त्र कहा है जिस से उन दोनों के मध्य एक अद्भुत मानसिक, भावनात्मक तथा शारीरिक संबन्ध का दृश्य उभरता है । अल्लाह फर्माता है : वह तुम्हारा वस्त्र है एवं तुम उन का वस्त्र हो । (अल बकरह : 187)



2 वह उस की ऐसी रिश्तेदार हो जिस से उस का विवाह हराम है :
इस का अर्थ वह महिलायें हैं जिन से पुरुष कदापि विवाह नहीं कर सकता, जिन का विवरण निम्नलिखित है :

1	माँ, दादी, नानी एवं ऊपर तक जाने वाली इस प्रकार की सभी महिलायें ।
2	बेटी, पोती, निवासी एवं नीची तक जाने वाली इस प्रकार की सभी महिलायें ।
3	सगी एवं सौतेली बहनें ।
4	सगी एवं सौतेली फूफियाँ, इस में माता पिता की फूफियाँ भी शामिल हैं ।
5	सगी एवं सौतेली खालायें, इस में माता पिता की खालायें भी शामिल हैं ।
6	सगी एवं सौतेली भतीजियाँ चाहे नीचे तक यह रिश्ता चला जाये जैसे भतीजे की बेटियाँ ।
7	सगी एवं सौतेली भाजियाँ चाहे नीचे तक यह रिश्ता चला जाये जैसे भांजी की बेटियाँ ।
8	सास चाहे पत्नी साथ हो या तलाक़ दे दी हो, पत्नी की माँ अर्थात सास सदैव महरम है इसी प्रकार सास की माँ भी ।
9	पत्नी के बेटी जो उस के वंश से न हो
10	बहुवें चाहे नीचे तक यह रिश्ता चला जाय जैसे पोते की पत्नी ।
11	पिता की पत्नी चाहे यह रिश्ता ऊपर तक गया हो जैसे दादा की पत्नी ।
12	दूध पिलाने वाली माँ : अर्थात वह माँ जिस ने किसी को जन्म के प्राथमिक दो वर्षों में पाँच वार पेट भर कर दूध पिलाया हो, इस्लाम ने दूध पिलाने के बदले माँ को यह सम्मान व अधिकार दिया है ।
13	दूध शरीक बहन : उस महिला की बेटी जिस ने अल्पायु में उसे दूध पिलाया था, इसी प्रकार दूध के सारे रिश्ते वंश के सारे रिश्तों के समान हराम होंगे, जैसे दूध संबन्धी फूफियाँ, खालाये, भतीजियाँ एवं भाजियाँ ।



इन संबंधियों के सामने महिला साधारण वस्त्र पहन कर आ सकती है, बाजू, गर्दन एवं बाल खुले हों तो भी कोई हानि नहीं, इस सीमा से न कम करने की गुन्जाइश है न ज्यादा ।

3 महिला अपरिचित हो :

इस का अर्थ हर वह महिला जो पुरुष के महारिम (निषिद्ध संबंधियों) में से न हो चाहे वह उस की निकट संबंधी ही क्यों न हो जैसे चचा फूफी, मामू खाला की बेटी अथवा परिवार की निकट संबंधी आदि, या वह पूर्ण अपरिचित हो, किसी प्रकार से उस की रिश्तेदार न हो, उन के बीच न रक्त वंश का कोई संबंध हो न वह परिवार आत्मीयता से जुड़े हों।

इस्लाम ने ऐसे दृढ़ नियम क़ानून बनाये हैं जो अपरिचित महिला से मुसलामन के संबंध को संवैधानिक एवं सुदृढ़ दिशा देते हैं ताकि मान मर्यादा की रक्षा हो एवं मनुष्य पर खुलने वाले दानव द्वार को बन्द किया जासके, अतः जिस ने मनुष्य की रचना की है वह उस की भलाई के विषय में अधिक जानता है। अल्लाह का फ़र्मान है : क्या वही नहीं जानता जिस ने जन्म दिया जबकि वह सूक्ष्मदर्शी सर्वज्ञाता भी है। (अल मुल्क : 14)

निरंतर रिपोर्टें एवं गणनाओं से प्रति दिन होने वाली बलात्कार घटनाओं एवं अवैध संबंधों का पता चलता है जिस ने अल्लाह के क़ानून के आवेदन से दूर रहने वाले परिवारों तथा समुदायों को बरबाद करके रख दिया है।



> इस्लाम ने ऐसे नियम क़ानून बनाये हैं जिन से पुरुष महिला के मध्य संबंध दृढ़ होते हैं।

पुरुष एवं अपरिचित महिला के बीच संबंध नियम :

1 निगाहें नीची रखना :

अतः मुसलमान पर वाजिब है कि वह न तो गुप्तांगों की तरफ दृष्ट उठाये न ही कामवासना को भड़काने वाली वस्तुओं को देखे, न बिना आवश्यकता किसी महिला को अधिक समय तक देखे।

अल्लाह ने दोनों ही लिंगों को निगाहें झुकाये रखने का आदेश दिया है कि यही शुद्धता, कौमार्य एवं मान रक्षा का साधन है, इस के विपरीत निगाहों को असीमित स्वतंत्रता देना पाप तथा अनैतिकता का द्वार है, अल्लाह फ़र्माता है : आप मोमिनों से कह दें कि वह अपनी निगाहें नीची रखें एवं अपने गुप्तांगों की रक्षा करें यह उन के लिये पवित्रता का साधन है, अल्लाह लोगों के सभी कर्मों से भली भांति अवगत है। एवं मुसलमान महिलाओं से कह दें कि वह भी अपनी निगाहें नीची रखें एवं अपनी गुप्तांगों की सुरक्षा करें। (अन्नूर : 30-31)

यदि सहसा किसी महिला पर निगाह पड़ जाये तो तुरंत अपनी निगाहें फेर ले तथा अपनी निगाहें झुका ले, निगाहें झुकाना सभी दूरदर्शनों, संचार साधनों तथा इन्टरनेट को शामिल है, अतः यहाँ भी कामवासना को भड़काने वाले दृश्य देखना अवैध है।



> अल्लाह की निषिद्ध वस्तुयें से निगाहें नीची करलेना शुद्धता एवं मान रक्षा का साधन है।

2 सद्‌व्यवहार एवं नैतिकता का पर्दर्शन :

अतः पुरुष किसी अपरिचित महिला से बड़ी उदार एवं शालीन बातें करे, उस के साथ नैतिकता से पेश आये एवं सभी प्रकार की काम उत्तेजक वस्तुओं से दूर रहे, इसी कारण :

- अल्लाह ने महिलाओं को अपरिचित पुरुषों के साथ बातों में लचक पैदा करने एवं लुभाने वाले अन्दाज़ अपनाने से मना किया है एवं उन्हें आवश्यकता पड़ने पर दो टोक बात करने का आदेश दिया है, अल्लाह का फ़र्मान है : तो तुम नर्म शैली में बात न करो कि जिस के हृदय में रोग है वह कोई बुरा विचार सजा बैठे एवं नियमानुसार सीधी बात करो । (अल अहज़ाब : 32)
- अल्लाह ने चाल ढाल में लचक एवं उत्तरेजनापूर्ण शैली अपनाने तथा सजावट श्रंगार को दिखाने से मना किया है, अल्लाह का फ़र्मान है : एवं वह इस प्रकार से ज़ोर ज़ोर से पैर मार कर न चले जिस से उन के गुप्त श्रंगार का ज्ञान होजाये । (अन्नूर : 31)

3 उन के साथ एकांत में होना हराम है ।

एकांत में होने का अर्थ यह है कि पुरुष अपरिचित महिला के साथ किसी ऐसे स्थान में तनहा हो जहाँ उन पर किसी और की दृष्टि न पड़े, इस्लाम ने इस एकांत को हराम बताया है, इस लिये कि यही शैतान द्वारा बनाया गया व्यभिचार का सरल मार्ग है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : सावधान ! जब भी कोई पुरुष किसी अपरिचित महिला के साथ एकांत में होता है तो उन में तीसरा शैतान होता है । (अत्तिर्मिज़ी : 2165)

4 हिजाब (पर्दा) :

अल्लाह ने पुरुष छोड़ महिलाओं के लिये हिजाब को अनिवार्य किया है, इस लिये कि वही सौंदर्य अभिव्यक्ति एवं प्रलोभन साधनों से पूर्ण होती है जिन के कारण जितना पुरुष महिला के लिये फितना नहीं बनता उस से कहीं अधिक वह पुरुषों के लिये प्रलोभन तथा परीक्षण बन जाती है ।



अल्लाह ने कई उद्देश्यों के लिये हिजाब (पर्दा) का नियम बनाया है जो निम्न हैं :

- ताकि महिला जीवन एवं समाज में, वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक क्षेत्रों में अपना कर्तव्य सही तरीके से निभा सके एवं अपना मिशन पूरा कर सके, साथ ही अपने आत्मसम्मान एवं मान मर्यादा की रक्षा भी कर सके ।
- एक ओर समाज शुद्धता को सुनिश्चित बनाने के लिये लालच एवं उत्तेजना की संभावना में कमी करना तथा उसे न्यूनतम सीमा तक लाना तो दूसरी ओर महिलाओं की गरिमा एवं उन की प्रतिभा की रक्षा ।
- महिलाओं की दिशा भूकी निगाहों से घूरने वाले पुरुषों की शुद्धता एवं अनुशासन पर सहायता ताकि वह उस के साथ इस प्रकार व्यवहार करें जिस प्रकार एक सभ्य सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक छवि वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं ।

हिजाब (पर्दा) की सीमायें :

अल्लाह ने अपरिचित पुरुषों के सामने महिला को हथेली एवं चेहरे के अतिरिक्त संपूर्ण शरीर को ढकने का आदेश दिया है, जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : एवं वह अपने श्रंगार प्रकट न करें अतिरिक्त उस के जो स्वयं स्पष्ट है । जो स्वयं स्पष्ट है का अर्थ चेहरा एवं दोनों हथेलियाँ हैं, किन्तु जब चेहरा एवं हथेलियाँ खोलने से भ्रष्टाचार फैलने का खतरा हो तो इन्हें भी ढकना अनिवार्य है ।

घूँघट पर्दे के नियम :

निम्नलिखित शर्तों के अधीन महिला हिजाब में जिस आकार अथवा जिस रंग का वस्त्र पहनना चाहे पहन सकती है ^

- 1 हिजाब से छुपाने के अनिवार्य भाग छुपे हुये हों ।
- 2 हिजाब (पर्दे) का वस्त्र संभवतः विशाल हो, इतना तंग न हो जिस से शरीर के आकार दृष्टगोचर हों ।
- 3 इतना चिकना एवं झीना न हो जिस से शरीर के अंग झलकते हूँ ।



> हिजाब ने महिलाओं की सुरक्षा की है एवं उन्हें समाज में मानव इतिहास की सब से पवित्र शैली में अपने कर्तव्य निर्वाह में सक्षम बनाया है ।

> इस्लाम में विवाह



> विवाह उन महान संबन्धों में से एक है जिस की स्थापना का इस्लाम ने आग्रहपूर्ण आदेश दिया है ।

विवाह उन महान पारस्परिक संबन्धों में से एक है जिस का इस्लाम ने आग्रह किया है एवं उस में रूचि तथा उत्सुकता दिखाई है एवं इसे रसूलों की सुन्नत बताया है ।

इस्लाम ने विस्तारपूर्वक विवाह के नियम कानून ब्यान किये हैं, पति पत्नी के अधिकारों की भी विस्तृत जानकारी दी है ताकि इस संबन्ध की निरंतरता एवं स्थिरता की सुरक्षा हो एवं एक सफल परिवार की स्थापना में सहायता मिल सके जिस में नई पीढ़ी पूरी आत्म शांति, स्थिरता के साथ धर्म पर कार्यबद्ध होकर जीवन के सभी क्षेत्रों में गतिशील हो सके ।

उन्हीं नियमों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

इस्लाम ने निकाह मान्य होने के लिये पति पत्नी दोनों ही के वास्ते कुछ अनिवार्य शरतें रखी हैं जो निम्नलिखित हैं :

पत्नी में पाई जाने वाली इस्लाम की शरतें :

1 महिला मुसलमान अथवा यहूदी एवं ईसाई हो, किन्तु इस्लाम ने हमें धार्मिक मुसलमान महिला का चुनाव करने पर उभारा है, इस लिये कि वह आप की होने वाली संतान की माँ एवं सद् कार्यों में आप की सहायक होगी, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : धार्मिक महिला अपनाकर सफलता पाओ अन्यथा तुम्हारे हाथ में मात्र मिट्टी आयेगी । (अल बुखारी 1466, मुस्लिम 4802)

2 महिला पवित्र पावन हो, बदचलन एवं व्यभिचारिणी महिलाओं से विवाह हराम है, जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : एवं पवित्र पावन मुसलमान महिलायें तथा तुम से पूर्व जिन्हें ग्रन्थ दिया गया उन की पवित्र महिलायें (तुम्हारे लिये हलाल हैं) । (अल मायदह : 5)

3 महिला पुरुष की ऐसी संबन्धी न हो जिस से सदैव निकाह हराम है जैसा कि पहले ब्यान हो चुका, इसी प्रकार वह एक साथ दो सगी बहनों से निकाह न करे न ही पत्नी एवं उस की फुफी अथवा उस की खाला को एक साथ अपने दाम्पत्य में रखे ।

पति में पाई जाने वाली इस्लाम की शरतें :

शर्त है कि पति मुसलमान हो, किसी काफिर के साथ किसी मुसलमान महिला का निकाह हराम है चाहे उस का धर्म अकाशीय ग्रन्थ वाला हो या न हो, यदि किसी में निम्नलिखित दो विशेषतायें हों तो इस्लाम ने उसे पति के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया है :

- धर्मबद्धता ।
- शिष्टचार एवं अच्छे संस्कार ।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति विवाह का संदेश भेजे जिस का धर्म एवं आचरण तुम्हें पसन्द हो तो उस से अवश्य विवाह कर दो । (अत्तिर्मिज़ी 1084, इब्ने माजह 1967)



> पति पत्नी के अधिकार

अल्लाह ने पति पत्नी दोनों के कुछ अधिकार निर्धारित किये हैं तथा हर उस कार्य में उन की उत्सुकता बढ़ाई है जिस से दाम्पत्य संबंध को उन्नति एवं शक्ति मिले एवं जिस से इस संबंध का संरक्षण हो, ज्ञात हुआ कि दायित्व का भार दोनों दिशा है एवं पति पत्नी दोनों ही को एकदूसरे से ऐसी वस्तुओं का परश्न नहीं करना चाहिये जो उन के अधिकार से बाहर हो जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : उन के लिये भी उसी प्रकार अधिकार है जिस प्रकार उन के ऊपर पुरुषों के हैं अच्छाई के साथ । (अल बक्रह : 228) अतः सहिष्णुता, त्याग एवं दान की अति आवश्यकता है ताकि जीवन चक्र चलता रहे एवं एक सम्मानित परिवार की स्थापना हो ।

पत्नी के अधिकार

1 खर्च तथा आवास :

- अतः पति के लिये अनिवार्य है कि वह अपनी पत्नी के खाने खर्च, वस्त्र एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व ले, उस के लिये उचित आवास का प्रबन्ध करे अगरचे पत्नी मालदार ही क्यों न हो ।
- खाना खर्च की मात्रा : पति की आय अनुसार बिना अपव्यय अथवा कृपणता कंजूसी के अच्छाई के साथ खाने खर्च का चयन होगा जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : समाई (सामर्थ्य) वाले को अपनी समाई के अनुसार खर्च करना चाहिये और जिसे उस की रोजी नपी तुली मिले उसे चाहिये कि अल्लाह ने उसे जो कुछ दिया हो उसी में से खर्च करे । (अत्लाक : 7)
- उचित है कि खाने खर्च पर कोई उपकार अथवा अपमान न हो, बल्कि अल्लाह के कथनानुसार अच्छाई के साथ हो, इस लिये कि खाना खर्च कोई उपकार नहीं बल्कि पति पर पत्नी का अधिकार है जिसे उसे अच्छाई के साथ देना चाहिये ।
- पत्नी संतान पर खर्च करने का इस्लाम में बड़ा अजर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : यदि पुण्य की आशा में कोई अपने परिवार पर खर्च करता है तो यह उस के लिये सदाका है । (अल बुखारी 5036, मुस्लिम 1002) एक अन्य हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : अल्लाह की प्रसन्नता के लिये तुम जो भी खर्च करते हो, उस पर तुम्हें पुण्य मिलता है यहाँ तक कि अपनी पत्नी के मुंह में जो लुकमा डालते हो (इस का



> पुरुष पर अच्छाई के साथ अपनी पत्नी संतान का खाना खर्च अनिवार्य है ।

भी अजर मिलेगा) । (अल बुखारी 56, मुस्लिम 1628) जो क्षमता के बाद भी अपने परिवार को गुजारा भत्ता न दे, उस ने महा पाप किया, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : आदमी के पाप के लिये इतना ही पर्याप्त है कि वह अपने परिवार की उपेक्षा करे । (अबू दाऊद 1692)

2 उत्तम वैवाहिक सहवास :

उत्तम सहवास का अर्थ : सदाचार, शिष्टाचार, नमी, कोमल भाषा, एवं त्रुटियों एवं भूल चूक को सहन करने की क्षमता, जिस से कोई भी सुरक्षित नहीं, अल्लाह फर्माता है : एवं उन के साथ उत्तम सहवास एवं सद् व्यवहार करते रहो, फिर यदि किसी कारण तुम उन्हें नापसन्द करो, तो संभव है कि तुम किसी वस्तु को अप्रिय समझो एवं अल्लाह उसी में बहुत सारी भलाई पैदा कर दे । (अन्निसा : 19)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : तुम में सर्वाधिक ईमान वाला वह है जिस के शिष्टाचार सर्वोत्तम हों, एवं तुम में सर्वश्रेष्ठ वह है जो शिष्टाचार में अपनी पत्नियों के लिये श्रेष्ठ हो। (अतिर्मिज़ी 1162)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : तुम में सर्वाधिक ईमान वाला वह है जिस के शिष्टाचार सर्वोत्तम हों एवं जो अपनी पत्नी के लिये सर्वाधिक दयालु एवं कोमल आचरण का हो। (अतिर्मिज़ी 2612, अहमद 24677)

एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : तुम में सर्वश्रेष्ठ वह है जो अपनी पत्नी के लिये सर्वश्रेष्ठ हो एवं मैं तुम में अपनी पत्नी के लिये सर्वश्रेष्ठ हूँ। (अतिर्मिज़ी 3895)

किसी सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया : हे अल्लाह के रसूल ! हम में से किसी की पत्नी का उस पर क्या अधिकार है, आप ने उत्तर दिया : जब खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब वस्त्र पहनो तो उसे भी पहनाओ, उसे मुंह पर न मारो न ही उसे कुरूप होने का ताना दो एवं घर के अतिरिक्त कहीं और उस से जुदाई न अपनाओ। (अबू दाऊद 2142)

3 सुशीलता एवं सहनशक्ति।

अतः महिला की प्रकृति पर ध्यान देना आवश्यक है इस लिये कि वह पुरुष से बहुत कुछ विभिन्न है, एवं जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करने का प्रयास करना चाहिये, इस लिये कि कोई भी गलतिओं से सुरक्षित नहीं, अतः हमें धैर्य से काम लेना चाहिये एवं हर समस्या को सकारात्मक ढंग से लेना चाहिये, अल्लाह स्वयं पति पत्नी को सकारात्मक ढंग से सोचने की चेतावनी देता है, फर्माता है : तुम पारस्परिक श्रेष्ठता को मत भूलो। (अल बक़रह : 237) एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्माते हैं : कोई मोमिन पुरुष किसी मोमिनह महिला से घृणा न करे, यदि उस की कोई आदत उसे अप्रिय होगी तो उस की किसी दूसरी अदा से वह प्रसन्न होजायेगा। (मुस्लिम 1469)

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं की देखरेख एवं उन के साथ सहवास एवं सद्व्यवहार का आग्रह किया है साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि महिलाओं की मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक प्रकृति पुरुषों से अलग है एवं इसी विभिन्नता में परिवार की पूर्णता का रहस्य है अतः उचित नहीं कि यह विभिन्नता जुदाई एवं तलाक़ का कारण बने जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : महिलाओं के विषय में तुम्हें भलाई की वसीयत है, महिला पिसली से पैदा की गई है जो तुम्हारी इच्छानुसार कभी सीधी नहीं होगी अतः यदि तुम उस से लाभ उठाना चाहो तो लाभ उठाओ उस में टेढ़ापन रहेगा एवं यदि तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो उसे टोड़ दोगे, एवं उस का तोड़ना उसे तलाक़ देना है। (अल बुख़ारी 3153, मुस्लिम 1468)

4 रात बिताना :

पुरुष के लिये उचित है कि वह अपनी पत्नी के पास ही रात बिताये, हर चार दिन में कम से कम एक दिन पत्नी के पास रहना वाजिब है, इसी प्रकार एक से अधिक पत्नी होने की स्थिति में पत्नियों के बीच न्यायपूर्वक रातों का बंटवारा भी आवश्यक है।



> अनुबंध में लिखित पत्नी की शर्तों की पाबन्दी पति पर अनिवार्य है।

5 उस की रक्षा करना, इस लिये कि वह आप का मान सम्मान है।

जब पुरुष किसी महिला से विवाह रचा ले तो वह उस की मान सम्मान बन जाती है जिस की रक्षा करना अति आवश्यक है चाहे इस में उस की जान ही क्यों न चली जाये, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : जो अपनी पत्नी की इज्जत बचाते हुये मार दिया जाये वह शहीद है। (अत्तिर्मिज़ी 1421, अबूदाऊद 4772)

6 दाम्पत्य जीवन के रहस्य न खोले :

पुरुष के लिये किसी अज्ञात के सामने अपनी पत्नी की विशेषताओं का वर्णन वैध नहीं, इसी प्रकार पति पत्नी के मध्य होने वाले विशेष संबन्ध का रहस्य खोलना भी जायज़ नहीं जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : पुनरुत्थान के दिन अल्लाह के निकट सब से बुरे स्थान वाला वह व्यक्ति होगा जिस ने अपनी पत्नी से विशेष संबन्ध स्थापित करने के बाद उस का रहस्य खोल दिया होगा। (मुस्लिम 1437)

7 महिला के साथ अत्याचार वैध नहीं :

इस्लाम ने पति पत्नी की समस्याओं के समाधान के लिये निम्नलिखित नियम बनाये हैं :

- बुराइयों, गलतियों की सुधार के लिये बातचीत, सलाह मश्वरे एवं उपदेशों की सहायता ली जाये।
- अधिक से अधिक तीन दिन तक बातचीत न की जाये, इसी प्रकार घर से निकले बिना विस्तर अलग कर लिया जाये।
- हज़रत आइशा रज़िअल्लाहु अन्हा फ़र्माती हैं : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के मार्ग में जिहाद के अतिरिक्त कदापि किसी महिला अथवा दास पर हाथ नहीं उठाया।

8 उस की शिक्षा दीक्षा एवं उस के साथ खैरख्वाही

पुरुष के लिये अनिवार्य है कि वह अपने घर वालों को अच्छे कामों का आदेश दे एवं बुरे कामों से रोके, उन्हें स्वर्ग तक लेजाने एवं नर्क से मुक्ति दिलाने वाले कार्यों पर उभारने में रुचि एवं उत्सुकता दिखाये, सद्कार्यों में उन की सयाहता करे, उन्हें बुराईयों से रोके तथा उन से घृणा दिलाये, इसी प्रकार महिला का भी दायित्व है कि वह अपने पति की भलाई चाहे, उसे सद्कार्यों के लिये उत्सुक करे, भलाई की दिशा उसे मार्गदर्शित करे एवं संतान की सही शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दे, अल्लाह फ़र्माता है : हे ईमान वालो ! तुम स्वयं तथा अपने घर वालों को नर्क से बचाओ। (अत्तहरीम : 6) एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : एवं आदमी अपने परिवार का रखवाला है एवं उस से उन के विषय में पूछा जायेगा। (अल बुख़ारी 2416, मुस्लिम 1829)

9 पत्नी की शरतों की पाबन्दी :

विवाह के समय यदि पत्नी अपने लिये कोई उचित एवं जायज़ शर्त रख ले जैसे अलग घर एवं खर्च की शर्त एवं पति स्वीकार कर ले तो उस के लिये यह शर्त पूरा करना अनिवार्य है, वचन निर्वाह के संदर्भ में यह एक आग्रहित शर्त है जिस की पाबन्दी आवश्यक है, इस लिये कि विवाह अनुबंध सर्वमहान वाचा है जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : तुम पर जिन शर्तों की पूर्ति का सर्वाधिक अधिकार है वह वह शर्तें हैं जिन से तुम गुप्तांगों को हलाल बनाते हो। (अल बुख़ारी : 4856, मुस्लिम 1418)

पति के अधिकार :

- 1 अच्छाई के साथ आज्ञापालन अनिवार्य है ।

अल्लाह ने पुरुष को महिला पर प्रभुत्व प्रदान किया है अर्थात् अल्लाह की तरफ से मिलने वाली विशेषताओं, सुविधाओं एवं आर्थिक कर्तव्यों के कारण वह उस की सभी समस्याओं, उस के मार्गदर्शन तथा संरक्षण का ठीक उसी प्रकार उत्तरदाई है जिस प्रकार राजा अपने प्रजा की देखरेख करता है । अल्लाह का फर्मान है : पुरुषों को महिलाओं पर प्रभुत्व प्राप्त है इस लिये कि अल्लाह ने उन में से कुछ को कुछ पर श्रेष्ठता प्रदान की है एवं इस कारण भी कि पुरुषों ने अपना धन खर्च किया है । (अन्निसा : 34)

- 2 पति को आनन्द का अवसर देना एवं उसे सक्षम बनाना ।

पति का अपनी पत्नी पर यह अधिकार है कि वह उस से आनन्द ले तथा संभोग करे, एवं पत्नी के लिये प्रिय है कि वह अपने पति के लिये बनाव श्रंगार करे, यदि पत्नी पति की संभोग इच्छा का उत्तर न दे तो महा पापी होगी, यदि उस के पास ऐसा करने का उचित कारण हो जैसे मासिक धर्म आरंभ हो अथवा फर्ज रोज़े से हो या बीमार हो तो कोई दोष नहीं ।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : यदि पति अपनी पत्नी को संभोग के लिये आमंत्रित करे एवं पत्नी इन्कार कर दे एवं पति उस से क्रोधित होकर सो जाये तो प्रभात होने तक फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं । (अल बुख़ारी 3065, मुस्लिम 1436)

- 3 पति जिसे पसन्द नहीं करता उसे घर में प्रवेश होने की अनुमति न देना :

पति का पत्नी पर यह अधिकार है कि वह पति के घर में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश न होने दे जिसे पति पसन्द नहीं करता ।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : पति के घर में होते हुये किसी पत्नी के वैध नहीं कि बिना अनुमति वह (नफ़ली) रोज़ा रखे एवं उस की अनुमति के बिना किसी को उस के घर में आने दे । (अल बुख़ारी 4899)

- 4 पति की अनुमति बिना घर से बाहर न जाना :

पत्नी पर पति का यह अधिकार है कि वह उस की अनुमति बिना घर से बाहर न जाये चाहे किसी विशेष कार्य के लिये बाहर निकलने की विशेष अनुमति हो अथवा नौकरी के लिये बाहर जाने की साधारण अनुमति हो ।

- 5 पति की सेवा :

पत्नी पर अच्छाई के साथ पति की सेवा अनिवार्य है, खाना बनाने से लेकर घर के अन्य छोटे बड़े काम तक सभी कुछ पत्नी के कर्तव्य में शामिल है ।

➤ बहुविवाह

इस्लाम की मूल शिक्षा यही है कि पुरुष एक महिला से विवाह रचा कर अपने गृहस्थ जीवन का आरंभ करे जहाँ प्रेम हो, एक दूसरे का मान सम्मान हो, किन्तु इस्लाम ने अन्य आकाशीय धर्मों के समान व्यक्ति तथा समाज की भलाई के लिये बहुविवाह को भी वैध किया है, हालांकि बिना नियंत्रण एवं प्रतिबंध इसे भी नहीं छोड़ा बल्कि ऐसे नियमों तथा शर्तों का निर्माण किया जिन से महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय एवं उत्पीड़न को रोका जा सके एवं उन के अधिकारों की रक्षा की जा सके, उन्हीं में कुछ निम्नलिखित हैं :

1 न्याय :

प्रत्यक्ष में आर्थिक मआमलों में महिलाओं के मध्य न्याय अनिवार्य है जैसे रात बिताना एवं खाना खर्च देना, जो पत्नियों के मध्य न्याय करने में असमर्थ हो उस के लिये बहुविवाह अवैध है, इस लिये कि अल्लाह का फर्मान है : यदि तुम्हें है कि न्याय नहीं कर पाओगे तो फिर मात्र एक ही से विवाह करो । (अन्निसा : 3) पत्नियों के मध्य न्याय न करना सब से खराब एवं कुख्यात पाप है जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : जिस की दो पत्नियाँ हों एवं उन में से किसी एक की तरफ अधिक आकर्षित हो तो पुनरुत्थान के दिन वह इस स्थिति में आयेगा कि उस के शरीर का एक भाग एक दिशा झुका होगा । (अबू दाऊद : 2133)

रही बात हार्दिक प्रेम में न्याय की तो यह अनिवार्य नहीं है इस लिये कि यह उस के वश में नहीं है एवं यही अल्लाह के इस उपदेश का अर्थ है : चाहत के बावजूद भी तुम अपनी पत्नियों के मध्य (हार्दिक प्रेम में) न्याय नहीं कर सकते । (अन्निसा : 129)

2 सभी पत्नियों के खाने खर्च का भार उठाने की शक्ति :

बहुविवाह की स्थिति में पति पर सभी पत्नियों के खाने खर्च का भार उठाना आवश्यक है, इस लिये कि जब खाने खर्च की शक्ति रखना पहली शादी के लिये शर्त है तो ऐसा करना दूसरी शादी के लिये और भी अनिवार्य होगा ।



इस्लाम ने बहुविवाह के बड़े उचित नियम कानून निर्मित किये हैं ।

3

बहुविवाह में एक साथ चार से अधिक पत्नियाँ न हों :

यही इस्लाम में बहुविवाह की अन्तिम सीमा है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : तो अन्य महिलाओं में से जो तुम्हें अच्छी लगें तुम उन से विवाह कर लो, दो दो, तीन तीन, चार चार से किन्तु यदि तुम्हें न्याय न कर पाने का भय हो तो फिर केवल एक ही काफी है। (अन्निसा : 3) एवं जो मुसलमान होजाये एवं उस ने पहले ही चार से अधिक विवाह कर रखा हो तो उस के लिये अनिवार्य है कि उन में से किन्ही चार को चुन ले एवं शेष को अलग कर दे।

4

कुछ महिलाओं से एक साथ विवाह करना मना है ताकि निकट संबन्धियों से संपर्क खराब न हो वह निम्न हैं :

- दो सगी बहनों से एक साथ विवाह करना हराम है।
- महिला एवं उस की खाला को एक साथ निकाह में रखना हराम है।
- महिला एवं उस की बुआ को एक साथ निकाह में रखना हराम है।

> तलाक़

> इस्लाम ने वैवाहिक संबन्धों को जारी रखने का आग्रह किया है एवं इस पर काफी ज़ोर भी दिया है साथ ही इस्लाम ने ऐसे प्रावधान एवं नियम कानून बनाये हैं कि आवश्यकता पड़ने पर जिन से तलाक़ की प्रकृया को संहिताबद्ध किया जासके।



इस्लाम का आग्रह है कि विवाह अनुबंध सदैव के लिये हो एवं वैवाहिक युगल के बीच संबन्ध जारी रहे, मृत्यु ही उन्हें एक दूसरे से अलग करे, यही कारण है कि अल्लाह ने विवाह को एक पवित्र एवं दृढ़ वाचा कहा है, इस्लाम में विवाह के समय ही संबन्ध विच्छेद करने की समय सीमा निर्धारित करना वैध नहीं।

किन्तु इस्लाम ने पति पत्नी को निरंतर संबन्ध बनाये रखने पर उभारने के साथ ही धर्ती पर बसने वाले मनुष्यों की विशेषताओं एवं मानव प्रकृतियों का भी ख्याल रखा है अतः एक साथ जीना दूभर होने एवं सुधार के सभी साधनों के विफल होने की स्थिति में वैवाहिक अनुबंध से छुटकारे का मार्ग भी बताया है, इस प्रकार इस्लाम ने स्त्री पुरुष दोनों ही के साथ न्याय किया है, इस लिये कि अक्सर पति पत्नी के बीच ऐसी समस्याएँ, घृणा के कारण एवं कठिनाइयाँ जन्म ले लेती हैं जहाँ तलाक़ संकट से बाहर आने एवं भलाई प्राप्त करने का एकमात्र साधन तथा समाधान होता है जिस

से पति पत्नी दोनों ही को पारिवारिक तथा सामाजिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है, इस लिये कि विवाह का जो परम उद्देश्य था वह अब तक पूरा नहीं हुआ अतः अब पति पत्नी का अलग होना ही दोनों के लिये कम हानि का कारण है।

इसी कारण इस्लाम ने इस संकट से बाहर निकलने के लिये तलाक़ का नियम बनाया है एवं पति पत्नी को अलग होकर पुनः किसी और से विवाह करने की अनुमति दी है, हो सकता है कि इस प्रकार उसे दूसरे विवाह से वह कुछ प्राप्त होजाये जो उसे पहले विवाह से प्राप्त नहीं हुआ था और इस प्रकार अल्लाह के इस फ़र्मान का अर्थ पूरा होजाये : एवं यदि वह (पति पत्नी) अलग होजाये तो अल्लाह उन

में से हर एक को अपनी विशाल दया दान देकर उन्हें बेनियाज़ करदेगा, अल्लाह बड़ी विशालता वाला, बड़ी हिकमत वाला है। (अन्निसा : 130)

किन्तु इस्लाम ने तलाक़ को संहिताबद्ध करने के लिये बहुत सारे प्रावधान एवं नियम क़ानून बनाये हैं, उन में से कुछ निम्नलिखित हैं :

- मूल नियम यही है कि तलाक़ का अधिकार पुरुष के हाथ में है न कि महिला के।
- महिला जब अपने पति के साथ गुज़ारा न कर सके एवं पति उसे तलाक़ देने से सहमत न हो तो महिला काज़ी से तलाक़ मांग सकती है एवं महिला की दलीलों से संतुष्ट होने पर काज़ी उसे अलग होने की अनुमति देसकता है।
- दो बार तलाक़ के बाद औरत को लौटाना जायज़ है, किन्तु तीसरी तलाक़ देने के बाद पति के लिये उसे रखना जायज़ नहीं यहाँ तक कि वह किसी और से पूर्ण धार्मिक निकाह कर ले फिर वह किसी कारण उसे तलाक़ दे दे

धार्मिक तलाक़ यह है कि पति अपनी पत्नी को पवित्रता की उस अवधि में तलाक़ दे जिस में उस ने उस से संभोग नहीं किया है।

➤ माता पिता के अधिकार

माता पिता के साथ सदाचार एवं सद्व्यवहार अल्लाह के निकट सर्वमानित एवं महान पुण्य कार्य है जिसे अल्लाह ने अपनी उपासना एवं ऐकेश्वरवाद से जोड़ा है।

एवं उन के साथ सद्व्यवहार तथा सदाचार को स्वर्ग में जाने का महान कारण बताया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : पिता स्वर्ग द्वारों में से बीच का द्वार है अतः यदि चाहो तो उसे गंवा दो या उस की सुरक्षा करो। (अत्तिर्मिज़ी 1900)



● माता पिता की नाफरमानी एवं उन के साथ दुरव्यवहार खतरनाक है :

सभी धर्म जिस महा पाप से डराने एवं दूर रहने के आदेश पर सहमत हैं वह माता पिता के साथ दुरव्यवहार है जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से फर्मान हैं : क्या मैं तुम्हें सर्वमहान पाप की सूचना न दे दूँ, लोगो ने कहा अवश्य अल्लाह के रसूल, आप ने फर्माया : अल्लाह के साथ शिर्क करना एवं माता पिता की नाफरमानी । (अल बुखारी 5918)

● अल्लाह की नाफरमानी के अतिरिक्त हर विषय में उन की आज्ञापालन ।

अल्लाह की नाफरमानी के आदेश को छोड़ माता पिता के समस्त आदेशों का पालन अनिवार्य है, उन की तरफ से अल्लाह की नाफरमानी के आदेशों का पालन नहीं किया जायेगा इस लिये कि स्रष्टा की नाफरमानी में सृष्टि की आज्ञापालन नहीं होगी, अल्लाह फर्माता है : हम ने मनुष्य को माता पिता के साथ सद्व्यवहार की वसीयत की है एवं यदि वह तुम्हें मेरे साथ किसी ऐसी वस्तु को साझीदार बनाने के लिये विवश करें जिस का तुम्हें ज्ञान नहीं तो तुम उन की आज्ञापालन न करो । (अल अंकबूत : 8)

● उन के साथ सद्व्यवहार करना विशेष कर जब वह बूढ़े होजायें :

अल्लाह फर्माता है : एवं तेरा रव साफ साफ आदेश देचुका है कि तुम उस के अतिरिक्त किसी और की उपासना न करो एवं माता पिता के साथ सद्व्यवहार करो, यदि तेरी उपस्थिति में उन में से एक अथवा दोनों ही बुढ़ापे को पहुंच जायें तो उन के आगे उपफ तक न करना, न उन्हें झिड़कना एवं डांट डपट करना बल्कि उन से बड़ी शालीन कोमल वार्तालाप करना । (अल इस्रा : 23)

अल्लाह ने यहाँ यह सूचना दी है कि माता पिता की सेवा एवं उन के साथ सद्व्यवहार अनिवार्य है, मनुष्य पर उन की आज्ञापालन वाजिव है, उन्से झिड़कना, डांट डपट करना विशेष कर बुढ़ापे एवं कमजोरी में चाहे बिना बात उपफ ही क्यों न हो हराम है ।

● काफिर माता पिता :

मुसलमान पर अपने काफिर माता पिता के साथ भी नेकी एवं सद्व्यवहार करना, उन की आज्ञापालन करना वाजिव है, अल्लाह फर्माता है : एवं यदि वह दोनों तुझ पर इस बात का दबाव डालें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक करे जिस का तुझे ज्ञान नहीं तो उन का कहना न मानना, हाँ संसार में उन के साथ अच्छी तरह जीवन व्यतीत करना । (लुक़्मान : 15) उन के साथ सब से बड़ा पुण्य यह है कि उन्हें बुद्धिमानी के साथ इस्लाम की तरफ बुलाया जाये, उन्हें इस्लाम की प्रेरणा दी जाये ।



› संतान के अधिकार

● अच्छी पत्नी का चुनाव ताकि वह अच्छी माँ बन सके, यही एक पिता की तरफ से अपनी संतान के लिये महान उपहार होगा ।

● उन के अच्छे सुन्दर नाम रखना, इस लिये कि नाम संताने का अनिवार्य चिन्ह होगा ।

● उन की उत्तम शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध करना एवं उन्हें धर्म की मूल बातें सिखाना, उन में धर्म प्रेम जगाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : तुम में से हर कोई एक चरवाहे समान अपने रेवड़ का जिम्मेदार है, अतः राजा चरवाहा है एवं अपनी प्रजा का जिम्मेदार, एवं आदमी अपने परिवार का रखवाला है एवं उस से उन के विषय में पूछा जायेगा, पत्नी अपने पति के घर संतान की रक्षक है एवं उस से इस के विषय में प्रश्न होगा, सावधान ! तुम में हर कोई चरवाहा है एवं तुम में से हर किसी से उस के रेवड़ के विषय में पूछा जायेगा । (अल बुखारी 2416, मुस्लिम 1829) अतः माता पिता अपनी संतान की शिक्षा का आरंभ क्रमशः महत्वपूर्ण बातों से करें, पहले उन्हें शिर्क व विदअत से खाली साफ सुथरे अक़ीदे की शिक्षा दें, फिर उपासना विशेष रूप से सलात की शिक्षा दें, फिर इस्लामी शिष्टाचार एवं सुन्दर नैतिक सिद्धांत एवं अच्छे संस्कार दें, उन्हें हर भली बात बतायें, यह अल्लाह के निकट महान वह कार्य हैं जिन्हें अल्लाह प्रिय रखता है ।

● खाना खर्च : पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी संतान पर खर्च करे, इस संदर्भ में किसी प्रकार की कमी कोताही वैध नहीं, बल्कि शक्ति भर खाने खर्च का कर्तव्य भरपूर अन्दाज में अदा करना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : मनुष्य के पापी होने के लिये इतना ही पर्याप्त है कि जिन की जीविका का दायित्व उस के सर है उन्हें गुम कर दे । (अबूदाऊद 1692) एवं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की देखरेख एवं उन पर खर्च के विषय में फर्माया : जिसे इन बेटियों में कोई मिले एवं वह उन के साथ सद्व्यवहार करे तो पुनरुत्थान के दिन यही उस के लिये नर्क से आड़ बन जायेगी ।

● संतान के मध्य न्याय चाहे वह बेटे हों या बेटियाँ : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : अल्लाह से डरो एवं अपनी संतान के मध्य न्याय करो । (अल बुखारी 2447, मुस्लिम 1623) ज्ञात हुआ कि न तो लड़कों को लड़कियों पर कोई श्रेष्ठता दी जासकती है न ही लड़कियों को लड़कों पर, इस लिये कि ऐसा करने से कितना कुछ बिगाड़ पैदा होगा इस का ज्ञान केवल अल्लाह ही को है ।





इस्लाम में आप का आचरण
एवं शिष्टचार

11

इस्लाम में शिष्टाचार किसी मनोरंजन तथा लग्जरी का नाम नहीं बल्कि यह जीवन का वह दृढ़ भाग है जो हर कोण से धर्म से जुड़ा हुआ है। इस्लाम में शिष्टाचार का बड़ा महत्व एवं महा स्थान है, यह इस्लाम के सभी आदेशों तथा नियम कानूनों से प्रकट है, वास्तविकता यह है कि हमारे प्रिय नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिखर सभ्यता एवं उच्च शिष्टाचार की पूर्ति के लिये भेजा गया था।

अध्याय सूची :

इस्लाम में शिष्टाचार का स्थान :

- यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है।
- शिष्टाचार ईमान एवं आस्था का अटूट खण्ड है।
- शिष्टाचार प्रत्येक प्रकार की उपासना से जुड़ा हुआ है।
- शिष्टाचार की श्रेष्ठता एवं अल्लाह की तरफ से तैय्यार किया गया महा पुण्य।

इस्लाम में शिष्टाचार की विशेषता :

- उच्च शिष्टाचार विशेष प्रकार के लोगों के साथ विशिष्ट नहीं है।
- उच्च शिष्टाचार किसी व्यक्ति विशेष से संबन्धित नहीं है।
- उच्च शिष्टाचार का संबन्ध जीवन के सभी क्षेत्रों से है।
- उच्च शिष्टाचार सभी परिस्थितियों में।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की एक झलक।

- विनम्रता
- दया
- न्यान
- उपकार एवं सखावत

इस्लाम में शिष्टाचार का महत्व

1 शिष्टाचार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है :

अल्लाह फर्माता है : वही है जिस ने अनपढ़ लोगों में एक ऐसा रसूल भेजा जो उन पर अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है एवं उन की शुद्धीकरण करता है । (अल जुमआ : 2) इस आयत में अल्लाह मोमिनों पर अपना उपकार जताते हुये कहता है कि उस ने उन्हें कुआन सिखाने एवं उन की शुद्धीकरण के लिये अपना रसूल भेजा, यहाँ शुद्धीकरण का अर्थ : हृदय को अनेकेश्वरवाद, छल कपट, ईर्ष्या जैसे दुरव्यवहारों से पवित्र करना इसी प्रकार कथनी करनी को दुराचार एवं दुरव्यवहार से पवित्र बनाना । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्पष्ट फर्मान है : मुझे शिखर सभ्यता एवं उच्च शिष्टाचार की पूर्ति के लिये भेजा गया है । (अल वैहकी 21301) ज्ञात हुआ कि अल्लाह के नबी की आगमन का एक उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज के आचार व्यवहार की उन्नति भी थी ।

2 शिष्टाचार ईमान व आस्था का अखण्ड भाग : एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया : मोमिनों में सर्वश्रेष्ठ ईमान वाला कौन है ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया : जिस के आचार व्यवहार सर्वश्रेष्ठ हों । (अत्तिर्मिजी 1162, अबूदाऊद 4682)

अल्लाह ने ईमान को पुण्य का नाम दिया है, अल्लाह का फर्मान है : समस्त नेकी पूर्व तथा पश्चिम की दिशा मुंह करने ही में नहीं बल्कि वास्तव में अच्छा वह है जो अल्लाह पर, पुनरुत्थान के दिन पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की किताब एवं नबियों पर ईमान रखने वाला हो । (अल बक्रह : 177) विर्र एक पूर्ण शब्द है जिस में आचार व्यवहार, कामों तथा बातों जैसी सभी नेकियाँ शामिल हैं, यही कारण है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया है : विर्र (नेकी) सदाचार का नाम है । (मुस्लिम 2553)



> शिष्टाचार की स्थापना एवं नैतिकता का समापन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के मुख्य उद्देश्यों में था ।

यह बात अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से और भी स्पष्ट होजाती है जिस में आप ने फर्माया : ईमान की तिस्रठ से भी अधिक शाखायें हैं, उन में सर्वश्रेष्ठ लाइलाह इल्लल्लाह कहना है एवं सब से नीचे मार्ग से दुखदायक वस्तुओं को हटाना है, एवं लज्जा भी ईमान की एक शाखा है । (मुस्लिम 35)

3 शिष्टाचार हर प्रकार की उपासना से संबन्ध रखता है :

अतः आप देखेंगे कि अल्लाह जहाँ भी किसी उपासना का आदेश देता है वहीं उस का व्यवहारिक उद्देश्य भी बताता है एवं व्यक्ति तथा समाज पर उस के प्रभाव को भी स्पष्ट करता है, इस के असंख्य उदाहरण हैं जिन में कुछ निम्न हैं :

सलात : एवं आप सलात कायम कीजिये, निःसंदेह सलात निर्लज्जा एवं पाप से रोकती है । (अल अंकबूत : 45)

जकात : आप उन के धन में से जकात लीजिये जिस के द्वारा आप उन्हें पवित्र तथा शुद्ध बना दें । (अतौबा : 103) ज्ञात हुआ कि जकात जहाँ लोगों पर उपकार एवं उन का

दुख दर्द बांटना है वहीं इस से आत्म शुद्धता का काम होता है एवं दुराचार से आत्मा पवित्र भी होती है ।

सियाम : तुम पर सियाम अनिवार्य किये गये हैं जिस प्रकार तुम से पूर्व की समुदायों पर सियाम अनिवार्य किये गये थे ताकि तुम ईशभय वाले बन जाओ । (अल वकरह : 183) ज्ञात हुआ कि अल्लाह के आदेशों का पालन करके एवं उस की निषिद्ध वस्तुओं से दूर रह कर ईशभय प्राप्त करना ही समस्त उपासनाओं का मूल उद्देश्य है, यही कारण है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : जो झूट बोलना तथा झूट के अनुसार कार्य करना न छोड़े तो अल्लाह को आवश्यकता नहीं कि वह अपना खाना पानी छोड़ दे । (अल बुखारी : 1804) अतः जिस के सियाम का प्रभाव उस की आत्मा एवं लोगों के संग व्यवहार पर न पड़े, उस के सौम का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ ।

4 अल्लाह की ओर से तैय्यार किये गये शिष्टाचार के महान गुण, महान पुण्य एवं पुरस्कार :
कुर्आन व सुन्नत से इस के असंख्य प्रमाण परस्तुत किये जासकते हैं, उन्हीं में कुछ निम्न हैं :

■ पुनरुत्थान के दिन मीजान में शिष्टाचार सद् कार्यों में सब से अधिक भार वाला कर्म होगा ।

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : पुनरुत्थान के दिन मीजान में शिष्टाचार से अधिक भार वाला कोई कर्म नहीं रखा जायेगा, सदाचार एवं शिष्टाचार द्वारा एक सदाचारी व्यक्ति सौम व सलात वाले व्यक्ति का पद प्राप्त कर लेगा । (अत्तिर्मिजी : 2003)

■ शिष्टाचार स्वर्ग में प्रवेश करने सर्वमहान कारण है :

अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : ईशभय एवं शिष्टाचार सर्वाधिक लोगों को स्वर्ग में दाखिल करने का कारण होंगे । (अत्तिर्मिजी 2004, इब्ने माजह 4246)

■ पुनरुत्थान के दिन सदाचारी एवं शिष्टाचारी लोगों की तुलना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर्वाधिक निकट होंगे :

जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : पुनरुत्थान के दिन मेरे निकट तुम में सर्वाप्रिय एवं बैठक में मुझ से सर्वाधिक निकट वह होगा जिस के आचरण सब से अच्छे हों । (अत्तिर्मिजी : 2018)

■ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनिश्चिति एवं पुष्टि से उस का स्थान स्वर्ग के शीर्ष पर होगा :

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : मैं उस व्यक्ति के लिये स्वर्ग के निचले भाग में एक घर का दायित्व लेता हूँ जो सत्य पर होते हुये भी तर्क वितर्क करना छोड़ दे, एवं स्वर्ग के मध्य में एक घर का दायित्व लेता हूँ उस व्यक्ति के लिये जो ठट्टे मज़ाक के लिये भी झूट न बोले, एवं स्वर्ग के शिखर पर एक घर का दायित्व लेता हूँ उस व्यक्ति के लिये जिस के आचरण व्यवहार सर्वश्रेष्ठ हों (अबू दाऊद : 4800)



> शिष्टाचार एवं सद् व्यवहार अल्लाह के निकट महान सद् कार्य हैं जो मनुष्य को सुख तथा आनन्द प्रदान करते हैं ।

इस्लाम में नैतिकता एवं शिष्टाचार की विशेषतायें

इस्लाम में नैतिकता तथा शिष्टाचार को कुछ ऐसी दुर्लभ विशेषतायें प्राप्त हैं जो मात्र इसी महान धर्म का दर्पण हैं, उन्हीं में से कुछ निम्नलिखित हैं :

1. उच्च व्यवहार एवं सदाचार का संबन्ध लोगों के किसी वर्ग विशेष से नहीं है ।

अल्लाह ने मानवजाति को विभिन्न आकार, रंग एवं भाषाओं के साथ जन्म दिया है एवं उन्हें अल्लाह के संतुलन में समान बनाया है, उन में किसी को किसी पर कोई प्रधानता प्राप्त नहीं, मनुष्य अपने ईमान, ईश्वरभय एवं सद्कार्य के आधार पर ही दूसरों पर प्रधानता प्राप्त कर सकता है जैसा कि अल्लाह फर्माता है : लोगो ! हम ने तुम्हें एक पुरुष एवं एक ही महिला से जन्म दिया है एवं हम ने ही तुम्हें कुटुंबों तथा जातियों में बांट दिया है ताकि तुम एक दूसरे से परिचित हो सको, निःसंदेह अल्लाह के निकट तुम में सर्वसम्मानित वही है जो तुम में सर्वाधिक ईश्वरभय रखने वाला हो । (अह हजुरात :13)

नैतिकता एवं शिष्टाचार लोगों के साथ एक मुसलमान के संबन्ध को विशेष बना देते हैं जहाँ धनवान तथा निर्धन, छोटे बड़े, काले गोरे एवं अरबी अजमी के मध्य कोई अन्तर नहीं होता ।

गैर मुस्लिमों के साथ नैतिकता :

अल्लाह हमें हर एक के साथ सद्व्यवहार का आदेश देता है, न्याय, सदाचार एवं दया मुसलमान के वह विशेष गुण हैं जो मुसलमान काफिर हर एक के साथ उस के व्यवहार एवं बातों से झलकते हैं, एक मुसलमान यह प्रयास करता है कि उस की यही नैतिकता तथा सदाचार गैरमुस्लिमों को इस्लाम की तरफ बुलाने का सशक्त साधन हो ।

अल्लाह का फर्मान है : जो लोग तुम से तुम्हारे दीन के विषय में नहीं लड़े भिड़े, न तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, उन के साथ उपकार करने एवं न्याय का व्यवहार करने से अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता, निःसंदेह अल्लाह न्याय करने वालों को प्रिय रखता है । (अल मुस्तहिना : 8)

अल्लाह ने हम पर काफिरों की वफादारी, उन की नास्तिक्ता तथा अनेकेश्वरवाद से प्रेम को निषेध किया है, अल्लाह का फर्मान है : अल्लाह तो बस उन लोगों से मित्रता रखने से मना करता है जिन्होंने ने दीन के विषय में तुम से युद्ध किया एवं तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला तथा तुम्हें घरों से बाहर निकालने में औरों की सहायता की एवं जो ऐसे लोगों से मित्रता रखते हैं वास्तव में वही अत्याचारी हैं । (अल मुस्तहिना : 9)



> एक मुसलमान सभी जाति धर्म के लोगों के साथ सद्व्यवहार एवं शिष्टाचार से पेश आता है ।

2. नैतिकता एवं शिष्टाचार मनुष्य ही के साथ विशिष्ट नहीं :

पशुओं के साथ शिष्टाचार एवं सद् व्यवहार :

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसी महिला के विषय में सूचना दी जो एक बिल्ली को बांध कर भूका मार डालने के कारण नर्क में दाखिल हुई, इसी प्रकार आप ने हमें यह भी बताया कि प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने के कारण अल्लाह ने एक व्यक्ति के पाप क्षमा कर दिये, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : एक महिला एक बिल्ली के विषय में नर्क में डाल दी गई जिस ने उसे बांध कर रखा, न तो उसे कुछ खिलाया न ही उसे छोड़ा ताकि वह स्वयं धर्ती के कीड़े मकोड़े खाले। (अल बुखारी 3140, मुस्लिम 2619)

एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : एक मनुष्य को रास्ता चलते उग्र प्यास लगी, उसे एक कुवा मिला जिस में उतर कर उस ने पानी पिया, जब बाहर निकला तो सहसा क्या देखता है कि एक कुत्ता उग्र प्यास में अपनी ज़बान निकाल कर धर्ती की नमी चाट रहा है, उस मनुष्य ने कहा : लगता है इस कुत्ते को भी उतनी ही उग्र प्यास लगी है जिस प्रकार मुझे लगी थी अतः वह पुनः कुंयें में उतरा, अपने चमड़े के मौज़ों में पानी भरा एवं उसे अपने मुंह से पकड़ कर बाहर आया एवं कुत्ते को पानी पिलाया, कुत्ते ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया अतः अल्लाह ने उस मनुष्य को क्षमा कर दिया। लोगों ने आश्चर्य से पूछा : अल्लाह के रसूल क्या हमें पशुओं के विषय में भी पुण्य मिलता है ? आप ने उत्तर दिया : हर गीले जिगर में पुण्य है। (अल बुखारी : 5663, मुस्लिम 2244)

पर्यावरण को बनाये रखने की नीतिशास्त्र :

इस्लाम हमें पृथ्वी निर्माण का आदेश देता है, अर्थात् इस्लाम का आग्रह है कि धर्ती निर्माण कार्य प्रगति पर हो, विकास, उत्पादन एवं संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण हो साथ ही इस महान आशीर्वाद का संरक्षण भी हो, इस्लाम धर्ती में उपद्रव मचाने एवं भ्रष्टाचार फैलाने तथा इस के संसाधनों के व्यर्थ प्रयोग एवं शोषण से रोकता है चाहे भ्रष्टाचार का संबंध किसी मनुष्य से हो अथवा किसी पशु एवं वनस्पति से, भ्रष्टाचार ऐसा कर्म है जिसे इस्लाम निरस्त करता तथा इस से घृणा रखता है, स्वयं अल्लाह भी जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को पसन्द नहीं करता जैसा कि फर्मान है : एवं अल्लाह भ्रष्टाचार को प्रिय नहीं रखता। (अल बक़रह : 205)

इस विषय पर इस सीमा तक ध्यान दिया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को भलाई करने एवं जटिल से जटिल परिस्थितियों एवं कठिन से कठिन समय में भी कृषि कार्य करने की वसीयत की है, आप का फर्मान है : यदि पुनरुत्थान होने वाला हो एवं किसी के हाथ में एक पौधा हो तो यदि पुनरुत्था से पूर्व वह, वह पौधा लगा सके तो उसे ऐसा अवश्य करना चाहिये (अहमद : 12981)



> इस्लाम पर्यावरण की रक्षा पर उभारता है।

3. नैतिकता तथा शिष्टाचार जीवन के सभी क्षेत्रों में :

परिवार :

इस्लाम पारिवारिक क्षेत्र में भी परिवार के सभी सदस्यों के मध्य नैतिकता के महत्व पर जोर देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लहू लाहू अलैहि वसल्लम का फर्मान है : तुम में सर्वश्रेष्ठ वह है जो अपने परिवार के लिये सर्वश्रेष्ठ हो एवं मैं अपने परिवार के लिये सर्वश्रेष्ठ हूँ। (अत्तिर्मिज़ी 3895)

- एवं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तथा मानवता के शिखर पर होते हुये भी अपने घर का काम करते, हर छोटी बड़ी बात में अपने परिवार की सहायता करते थे जैसा कि आप की पत्नी पवित्र आइशा रज़िअल्लाहु अन्हा का ब्यान है, कहती हैं : आप निरंतर अपने घर वालों की सेवा में लगे रहते थे। (अल बुख़ारी 5048) अर्थात उन की सहायता करते एवं उन के काम में हाथ बटाते थे।



- आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परिवार से मज़ाक़ करते, उन के साथ खेल कूद में भाग लेते, आप की पत्नी हज़रत आइशा रज़िअल्लाहु अन्हा ब्यान करते हुये कहती हैं : मैं अल्लाह के रसूल के साथ किसी यात्रा पर निकली, मैं अभी हलके फुलके शरीर वाली एक युवती ही थी, अभी मुझ पर गोश्त नहीं चढ़ा था, मैं मोटी नहीं हुई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आगे बढ़ जाने का आदेश दिया, लोग आगे बढ़ गये, फिर आप ने मुझ से कहा आओ दोनो दौड़ का मुकाबला करते हैं, मैं आप के साथ दौड़ी और आप से आगे बढ़ गई, आप ने इस विषय पर मौन धारण किये रखा यहाँ तक कि मुझ पर गोश्त चढ़ गया, मैं मोटी होगई और यह बात भी भूल गई, और किसी यात्रा में मैं फिर आप के साथ निकली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आगे बढ़ जाने का आदेश दिया, लोग आगे बढ़ गये, फिर आप ने मुझ से कहा आओ दोनो दौड़ का मुकाबला करते हैं, मैं आप के साथ दौड़ी, आप मुझ से आगे बढ़ गये और यह कहते हुये हंसने लगे : यह उस हार का बदला है। (अहमद 26277)

व्यापार :

बहुत संभव है कि माया प्रेम मनुष्य पर हावी हो जाये एवं वह सारी सीमायें पार कर अवैध कार्यों में उलझ जाये, अतः यहाँ इस्लाम नैतिकता एवं शिष्टाचार द्वारा उसे नियमबद्ध कर देता है, इन्हीं आग्रहपूर्ण नैतिक आदेशों में कुछ निम्न है :

- इस्लाम नाप तौल में अन्याय एवं अत्याचार से रोकता है एवं नाप तौल में कमी बेशी करने वालों को कठोर दण्ड की धमकी देता है, अल्लाह का फर्मान है : नाप तौल में कमी करने वालों के लिये नर्क़ का गडुढा है, जो लोगों से लेते समय तो पूरा पूरा लेते हैं एवं जब उन्हें नाप या तौल कर देते हैं तो कम करके देते हैं। (अल मुत्तफ़िफ़िनि : 1-3)
- इस्लाम व्यापार एवं खरीद बेच में सहिष्णुता एवं नम्रता का आग्रह करता है जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : अल्लाह की कृपा दया हो उस व्यक्ति पर जो बेचने, खरीदने एवं कर्ज का तकाज़ा करने में नमी दिखाये। (अल बुख़ारी 1970)

उद्योग :

इस्लाम ने निर्माताओं के लिये बड़ी संख्या में नैतिक सिद्धांतों एवं मानकों पर जोर दिया है जिन में से कुछ यह हैं :

- महारत के साथ सर्वसुन्दर रूप में किसी काम को प्रस्तुत करना जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : अल्लाह को यह बात पसन्द है कि तुम में जब कोई काम करे तो उसे महारत के साथ अन्जाम दे । (अबू यअला 4386, बैहकी की शुअबुल ईमान 5313)
- लोगों को दिये गये समय एवं वचन की पाबन्दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : पाखंडियों के तीन चिन्ह हैं, उन्हीं में से आप ने यह भी बताया : जब वचन दे तो वचनभंग कर दे । (अल बुखारी 33)

4. सभी परिस्थितियों में नैतिकता

नैतिकता के संदर्भ में इस्लाम में कोई अपवाद नहीं है, एक मुसलमान को आदेश है कि हर स्थिति में अल्लाह के धर्मविधान को लागू करे तथा युद्ध एवं जटिल परिस्थितियों में भी नैतिकता एवं शिष्टाचार का प्रदर्शन करे । ज्ञात हुआ कि लक्ष्य तथा उद्देश्य कितना ही महान क्यों न हो उस तक पहुंचने के लिये अपनाये गये गलत तरीके स्वीकार नहीं किये जा सकते न ही लक्ष्य एवं उद्देश्य की महानता किसी पाप तथा भ्रष्टाचार का औचित्य बन सकती है ।

इसी कारण इस्लाम ने ऐसे दृढ़ नियम कानून निर्मित किये हैं जो हर हाल में मुसलमानों के सभी कार्यों को अपने नियंत्रण में रखते हैं यहाँ तक कि युद्ध एवं शत्रुता के समय भी । ऐसा इस कारण है ताकि कोई भी बात क्रोध प्रवृत्ति एवं असहिष्णुता की भावना में दब न जाये तथा क्रूरता, घृणा एवं स्वार्थ की भेंट न चढ़ जाये ।

युद्ध समय इस्लाम के कुछ नैतिक सिद्धांत :

1- शत्रुओं के साथ भी न्याय का आदेश एवं उन के उत्पीड़न तथा उन पर अत्याचार की मनाही :

अल्लाह का फर्मान है : तुम्हें किसी समुदाय की शत्रुता इस जुर्म में न फँसवा दे कि तुम अन्याय कर बैठो, तुम (हर हाल) में न्याय करो कि यही ईश्वर के अति निकट है । (अल मायदह : 8) अर्थात् शत्रुओं से तुम्हारी घृणा तुम से सीमोल्लंघन एवं अत्याचार न कराये बल्कि तुम अपनी बातों तथा कार्यों में सदैव न्यायप्रिय रहो ।

2- शत्रुओं के साथ कपट एवं विद्रोह की मनाही :

इस्लाम में शत्रुओं तक के साथ कपट एवं विद्रोह निषिद्ध है जैसा कि अल्लाह फर्माता है : अल्लाह कपट करने वालों को प्रिय नहीं रखता । (अल अन्फाल : 85)

3- मृत्यु शरीर को यातना देने तथा अंगभंग करने की मनाही ।

इस्लाम में मुरदों को अंगभंग करना हARAM है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है : एवं तुम मुरदों को अंगभंग न करो (मुस्लिम 1731)

4- जिन नागरिकों ने युद्ध में भाग नहीं लिया उन्हें मारना, धर्ती में भ्रष्टाचार फैलाना तथा पर्यावरण को बिगाड़ना निषिद्ध है ।

अबू बकर रज़िअल्लाहु अन्हु सर्वश्रेष्ठ सहावी एवं मुसलमानों के पहले खलीफा उसामा बिन जैद रज़िअल्लाहु अन्हु को सेनापति बनाकर शाम की दिशा भेजते हुये यह उपदेश देते हैं : किसी बच्चे की हत्या न करना, किसी बूढ़े को न मारना, किसी महिला का वध न करना, न किसी खजूर के बाग़ को काटना जलाना, किसी फलदार वृक्ष को न काटना, न किसी गाय बकरी तथा ऊँट को व्यर्थ में ज़बह करना किन्तु खाने के उद्देश्य से, निकट ही तुम्हारा गुज़र ऐसी समुदायों से होगा जिन्होंने अपने आप को उपासनाग्रहों तक सीमित कर रखा है, उन्हें उन की उपासना के साथ छोड़ देना । (इब्ने असाकर 2150)

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन तथा शिष्टाचार की एक झलक

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वोच्च मानव नैतिकता के शिखर आदर्श थे यही कारण है कि कुआन ने आप को शिष्टाचार के उच्चतम पद पर रखा है, हज़रत आइशा रज़िअल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नैतिकता की अभिव्यक्ति में इस से अधिक सटीक वाक्य नहीं पाया, आप कहती हैं : नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नैतिकता पूर्ण कुआन थी, अर्थात् आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुआन करीम की समस्त शिक्षाओं तथा नैतिकताओं का जीवित आदर्श थे ।



> अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वमहान नैतिकता वाले थे ।

विनम्रता :

- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदापि यह पसन्द नहीं था कि कोई आप के सम्मान में खड़ा हो, इस के विपरीत आप अपने साथियों को ऐसा करने से रोकते थे, यहाँ तक कि सहावये किराम रज़िअल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने पूर्ण प्रेम के बावजूद भी आप को आता देखकर आप के स्वागत में खड़े नहीं होते थे, वह ऐसा इस कारण करते थे कि उन्हें ज्ञान था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अप्रिय है । (अहमद 12345, अल बज़्ज़ार 6637)
- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अदी विन हातिम रज़िअल्लाहु अन्हु इस्लाम लाने से पूर्व उपस्थित हुये, आप अरबों के गणमान्य व्यक्तियों में से थे, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धर्मनिमंत्रण की वास्तविकता जानना चाहते थे, अदी का ब्यान है : मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ, क्या देखता हूँ कि आप के पास एक महिला एवं दो बच्चे या एक बच्चा है, अदी ने नबी करीम से उन की निकटता देख कर यह विश्लेषण किया कि आप किसरा व कैसर के समान राजा महाराजा नहीं हैं (अहमद 19381) ज्ञात हुआ कि विनम्रता सभी नबियों की नैतिकता का महत्वपूर्ण भाग था ।
- आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ ऐसे बैठते जैसे आप उन्हीं में से एक हूँ, आप किसी ऐसी जगह नहीं बैठते थे जो आप को आस पास के लोगों से विशेष बना दे, यहाँ तक कि जो आप को नहीं पहचानता था वह जब आप की सभा में प्रवेश करता तो वह आप तथा आप के साथियों के मध्य अन्तर नहीं कर पाता था अतः प्रश्न करता : मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं ? । (अल बुख़ारी 63)
- अनस विन मालिक रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं : मदीना वालों की दासियों में से कोई आप का हाथ पकड़ती एवं जहाँ चाहती आप को साथ लेकर चल पड़ती । (अल बुख़ारी 5724) हाथ पकड़ने का अर्थ छोटे तथा कमज़ोर के साथ नम्रता एवं उस की इच्छा का पालन है, अनस विन मालिक रज़िअल्लाहु अन्हु के इस ब्यान में नबी करीम की शील शांति एवं विनम्रता की अन्तिम सीमा का ज़िक्र है, इस लिये कि यहाँ पुरुष को छोड़ महिला का एवं स्वतंत्र छोड़ दासी का ज़िक्र है कि वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये आप का हाथ पकड़ कर जहाँ चाहती चल पड़ती ।

- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : जिस के हृदय में कण मात्र अहंकार होगा वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा । (मुस्लिम 91)

दया कृपा :

- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : दया करने वालों पर रहमान दया करेगा, धर्ती वालों पर दया करों आकाश वाला तुम पर दया करेगा । (अब्दु र्मिज़ी 1924, अबू दाऊद 4941)

अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कृपा दया कई पहलुओं तथा क्षेत्रों में पाई जाती है, उन्हीं में से कुछ निम्न है :

■ बच्चों पर आप की दया :

- अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दीहाती आया और पूछा : क्या आप लोग अपने बच्चों को चूमते हैं ? हम तो ऐसा नहीं करते, यह सुन कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शब्दों में उसे उत्तर दिया : जब अल्लाह ने तुम्हारे दिल से दया ही छीन ली है तो मैं क्या करूँ ? (अल बुख़ारी 5652, मुस्लिम 2317) एक अन्य दीहाती ने आप को हसन बिन अली रज़िअल्लाहु अन्हुमा को चूमते हुये देखा तो कहा : मेरे दस बच्चे हैं किन्तु मैं ने उन में से किसी को भी बोसा नहीं दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : जो दया नहीं करता वह भी दया के योग्य नहीं । (मुस्लिम 2318)
- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपनी नवासी उमामह बन्ते ज़ैनब को गोद लेकर सलात पढ़ाई, अतः जब आप सजदे में जाते तो उन्हें नीचे बिठा देते एवं जब खड़े होते तो पुनः गोद में उठा लेते । (अल बुख़ारी 494, मुस्लिम 543)

- जब आप सलात में होते एवं किसी बच्चे के रोने का स्वर सुनते तो सलात अदा करने में शीघ्रता करते तथा सलात हलकी कर देते, हज़रत क़तादा रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : मैं सलात लम्बी करने के उद्देश्य से खड़ा होता हूँ, फिर मैं किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन कर अपनी नमाज़ छोटी कर देता हूँ इस भय से कि कहीं उस की माँ के लिये यह बात कष्ट का कारण न बन जाये । (अल बुख़ारी 675, मुस्लिम 470)





■ महिलाओं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दया :

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों की देखरेख, उन की शिक्षा दीक्षा एवं उन के संग सद्व्यवहार पर उभारा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे : जिसे इन बच्चियों में से कोई मिले एवं वह उन के साथ सद्व्यवहार करे तो वह नर्क से उस के लिये पर्दा बन जायेंगी । (बुखारी 5649, मुस्लिम 2629)

बलिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्नी के अधिकार, उस की देखरेख एवं उस की परिस्थितियों को ध्यान में रखने की वसीयत पर बल दिया है, एवं इस संदर्भ में परस्पर मुसलमानों को एक दूसरे को वसीयत करने का भी आदेश दिया है, आप ने फर्माया है : महिलाओं के विषय में भलाई की वसीयत स्वीकार करो (महिलाओं के विषय में एक दूसरे को भलाई की वसीयत करो) (अल बुखारी 4890)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों के साथ सौम्य, सहनशीलता, शालीनता एवं नम्रता के बड़े उच्च उदाहरण परस्तुत किये हैं, यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट के पास बैठ कर अपना घुटना आगे कर देते जिस पर अपने पैर रख कर हज़रत सफीय्यह रज़िअल्लाहु अन्हा ऊँट पर सवार हुआ करती थीं । (अल बुखारी 2120) एवं जब आप की बेटी हज़रत फातिमा आप के दर्शन के लिये आती तो आप उन का हाथ पकड़ कर उस पर बोसा देते एवं अपनी विशेष बैठक में आप को बिठाते थे । (अबू दाऊद 5217)

■ कमज़ोरों पर आप की दया :

● इसी कारण अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाथों की देखरेख करने एवं उन की ज़िम्मेदानी निभाने पर उभारा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे मैं तथा यतीम की क़िफ़ालत करने वाले इस प्र कार निकट होंगे, फिर आप ने शहादत तथा बीच वाली उंगलियों से संकेत किया एवं उन के बीच थोड़ा स्थान बनाया । (अल बुख़ारी 4998)

● आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विधवाओं तथा निर्धनों का सहयोग करने वालों को अल्लाह के मार्ग में ज़िहाद करने वालों तथा दिन रात सौम व सलात करने वालों के समान बताया है । (अल बुख़ारी 5661, मुस्लिम 2982)

● कमज़ोरों पर दया करने एवं उन्हें उन का अधिकार देने को जीविका में वृद्धि तथा शत्रुओं पर विजय पाने का कारण बताया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : तुम मेरे लिये अपने कमज़ोरों को बुलाओ, इस लिये कि कमज़ोरों ही कारण तुम्हें जीविका तथा विजय प्राप्त होती है । (अबूदाऊद 2954)



> जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चूज़े की खोज में जिसे किसी सहाबी ने पकड़ लिया था एक पंक्षी की तड़प और हर्कत देखी तो आप ने फ़र्माया : किस ने इस बेचारी के बच्चे को छीन कर इस का हृदय तोड़ दिया है, इस का बच्चा इस लौटा दो ।



> अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विधवा एवं निर्धनों के साथ सद्व्यवहार करने वालों को अल्लाह के मार्ग में ज़िहाद करने वालों के समान बताया है ।

■ पशुओं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दया :

● आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पशुओं पर दया करने एवं उन के साथ नमी बरतने का आदेश देते थे, उन की शक्ति से अधिक उन पर बोझ लादने तथा उन्हें तकलीफ़ देने से मना करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : अल्लाह ने हर वस्तु पर सद्व्यवहार एवं पूर्णता को अनिवार्य बताया है, अतः जब तुम किसी की जान लो तो अच्छी तरह लो एवं जब ज़बह करो तो अच्छी तरह ज़बह करो, तुम में से हर एक को चाहिये कि वह अपनी छुरी तेज़ कर ले एवं अपने ज़बह किये जीव को आराम पहुंचाये । (मुस्लिम 1955)

● किसी सहाबी ने कहा : आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने च्युटियों की एक बस्ती देखी जिसे हम ने जला दिया था, आप ने प्रश्न किया : इसे किस ने जलाया हम ने उत्तर दिया : हम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : अग्न के रव के अतिरिक्त किसी के लिये वैध नहीं कि वह किसी को अग्नि दण्ड दे । (अबू दाऊद : 2675)

न्याय :

- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े न्याय प्रिय थे, आप अल्लाह के निम्न आदेश के अनुपालन में अपने निकटतम लोगों पर भी अल्लाह का कानून लागू करते थे, अल्लाह का फ़र्मान है : हे ईमान वाले : दृढ़तापूर्वक न्याय पर जमे रहो एवं अल्लाह के लिये गवाही दो, अगरचे यह गवाही स्वयं तुम्हारे, तुम्हारे माता पिता एवं निकट संबन्धियों ही के विरुद्ध क्यों न हो। (अन्निसा : 135)
- जब कुछ सहावये किराम रज़िअल्लाहु अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर एक बड़े घराने की महिला का दण्ड क्षमा करने की सिफारिश की जिस ने चोरी किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : सौगन्ध है उस की जिस के हाथ में मुहम्मद की जान है, यदि मुहम्मद की पुत्री फातिमा भी चोरी करती तो मैं उन के भी हाथ काट देता (अल बुख़ारी 4053, मुस्लिम 1688)
- जब लोगों पर व्याज को आप ने अवैध किया तो सर्वप्रथम अपने निकट संबन्धी चचा अब्बास को इस से रोका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : सर्वप्रथम हम अपने व्याज, अब्बास बिन अबदुल मुत्तलिव के व्याज का अन्त कर रहे हैं, उन के संपूर्ण व्याज का समापन किया जा रहा है। (मुस्लिम 1218)
- आप ने समुदायों की सभ्यता एवं उन्नति का मापदण्ड यह निश्चित किया कि कमज़ोर शक्तिमान से अपना अधिकार बिना किसी भय एवं हिचक के प्राप्त कर ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : उस राष्ट्र में कोई पवित्रता एवं भलाई नहीं जहाँ असहाय तथा कमज़ोर बिना किसी कष्ट के अपना अधिकार न पाले। (इब्ने माजह 2426)



> अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी के साथ सर्वाधिक न्याय करने वाले थे चाहे वह आप के निकट संबन्धी हों अथवा आप के शत्रु।

परोपकार, दया एवं उदारता :

- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सर्वाधिक दयालु एवं उदार थे एवं रमज़ान में जब जिवरील अलैहिस्सलाम से आप की भेंट होती तो आप की उदारता और बढ़ जाती, रमज़ान के अन्त तक पूरे रमज़ान हर रात जिवरील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम से भेंट करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिवरील अलैहिस्सलाम के सामने कुर्आन का दौर करते, अतः जब भी जिवरील अलैहिस्सलाम की आप से भेंट होती आप तीव्र आंधी से भी अधिक उदार हो जाते थे। (अल बुख़ारी 1803, मुस्लिम 2308)
- आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जब कुछ मांगा गया, आप ने उसे अवश्य दिया, एक बार एक व्यक्ति आया आप ने उसे दो पहाड़ों के मध्य जितनी बकरियाँ थी सब दे दी वह अपनी समुदाय के पास वापस गया एवं कहा : हे मेरी समुदाय के लोगो इस्लाम ले आओ इस लिये कि मुहम्मद इतना देते हैं कि उन्हें गरीबी का भी भय नहीं होता। (मुस्लिम 2312)

- एक बार आप के पास अस्सी हज़ार दिरहम लाये गये जिन्हें आप ने एक चटाई पर डाल दिया, फिर उन्हें आप ने लोगों में बांट दिया, जब तक वह समाप्त नहीं होगया आप ने किसी मांगने वाले को खाली हाथ वापस नहीं किया । (अल हाकिम 5423)
- अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक व्यक्ति आया, और कुछ मांगा आप ने फ़र्माया : मेरे पास कुछ नहीं, किन्तु मेरे हिसाब पर खरीद लो, जब हमारे पास कुछ आयेगा तो हम उसे अदा कर देंगे । अर्थात जो चाहो खरीद लो अदायगी मैं कर दुंगा, हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने कहा : हे अल्लाह के रसूल, जो आप की शक्ति एवं अधिकार में नहीं, अल्लाह ने आप को उस का पाबन्द नहीं किया है, अल्लाह के रसूल को हज़रत उमर की यह बात अच्छी नहीं लगी, अतः उस व्यक्ति ने कहा : खर्च करो एवं अर्श वाले से कमी का भय न खाओ, यह सुन कर आप हंस पड़े, एवं आप के चेहरे से प्रसन्नता झलकने लगी । (अहादीसभ अलमुख्तारह : 88)
- जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन युद्ध से वापस हुये तो आप के पास गाँव दीहात के लोग तथा नव मुस्लिम उपस्थित हुये एवं आप से युद्ध में प्राप्त गनीमत के धन से मांगने लगे, लोगों ने आप को चारों दिशा से घेर लिया यहाँ तक विवश होकर आप को एक वृक्ष तक पीछे हटना पड़ा जिस में आप की चादर उलझ गई, अतः अल्लाह के रसूल खड़े हुये एवं फ़र्माया : मुझे मेरी चादर वापस कर दो, यदि मेरे पास इन कांटे दार वृक्षों की संख्या में भी धन होता तो मैं तुम में लुटा देता फिर तुम मुझे न तो कन्जूस पाते, न झूटा न कायर । (अल बुखारी 2979)

अल्लाह की दया कृपा हो आप पर, निःसंदेह आप ने जीवन के सभी क्षेत्रों में सद्व्यवहार, शिष्टाचार एवं नैतिकता के आदर्श उदाहरण परस्तुत किये ।



> मदीनह मुनव्वरह में मस्जिदे नववी के अंतरिम भाग से ।



आप का नया जीवन

12

इस्लाम में प्रवेश करते क्षण मनुष्य की जीवन के सर्वमहान क्षण होते हैं जाहूँ उस का वास्तविक जन्म होता है जिस के बाद उसे संसार में अपने जन्म उद्देश्य का सही ज्ञान होता है, उसे पता चलता है कि सहिष्णु इस्लामी विधानानुसार कैसे जीवन व्यतीत किया जाये ।

अध्याय सूची :

मनुष्य इस्लाम में कैसे प्रवेश करे ?

तौबह (पश्चाताप)

मार्गदर्शन तथा पश्चाताप की अनुग्रह पर धन्यवाद ।

इस्लाम की ओर निमंत्रण :

- अल्लाह की ओर निमंत्रण का महत्व
- सत्य उपदेश के गुण एवं विशेषताये
- पत्नी को निमंत्रण

परिवारजनों तथा आस पास के लोगों को निमंत्रण ।

इस्लाम में प्रवेश करने के बाद पारिवारिक जीवन ।

- जब पति पत्नी एक साथ मुसलमान होजाये
- जब केवल पति मुसलमान होजाये पत्नी मुसलमान न हो
- जब पत्नी मुसलमान होजाये, पति मुसलमान न हो
- बच्चों का इस्लाम लाना

इस्लाम लाने के बाद नाम में परिवर्तन
प्रकृति मार्ग

› मनुष्य इस्लाम में कैसे प्रवेश करे

जब मनुष्य दोनों साक्षय का अर्थ जान कर आस्था रखते हुये, उन के निहितार्थ द्वारा निर्देशित बातों का पालन कर उन्हें ज़ब से अदा कर ले तो वह मुसलमान हो जाता है। दोनों साक्षय निम्नलिखित हैं :

- 1 अशहदु अल्लाह इलाह इल्लल्लाह, अर्थात् मैं साक्षय देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं, वह अकेला है, उस का कोई साझी नहीं।
- 2 वअशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अर्थात् मैं इस बात की साक्षय देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूर्ण ब्रम्हाण्ड की ओर भेजे गये अल्लाह के अन्तिम दूत हैं, मैं उन के सभी आदेशों का पालन करूँगा एवं उन की निषिद्ध बातों से बचूँगा, साथ ही मैं उन के लाये धर्म अनुसार अल्लाह की उपासना करूँगा।

नव मुस्लिम का स्नान :

इस्लाम में प्रवेश करते क्षण मनुष्य की जीवन के सर्वमहान क्षण होते हैं जहाँ उस का वास्तविक जन्म होता है जिस के बाद उसे संसार में अपने जन्म उद्देश्य का सही ज्ञान होता है, अतः धर्म में प्रवेश करने से पूर्व उस का श्चनान करना प्रिय है ताकि जिस प्र कार उस ने अपनी अंतरात्मा को अनेकेश्वर एवं पापों की गन्दगी से पवित्र कर लिया है, इसी प्रकार पानी से श्चनान कर अपना शरीर भी पवित्र कर ले।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक साथी को जो अरबों में एक प्रतिष्ठित एवं गणमान्य व्यक्ति थे इस्लाम में प्रवेश करते समय श्चनान का आदेश दिया। (अल बैहकी 837)



पश्चाताप का अर्थ अल्लाह की ओर पलटना एवं लौटना है, अतः जो भी सत्य हृदय से पापों तथा नास्तिकता से पश्चाताप कर अल्लाह की ओर लौट आये, उस ने सत्य में पश्चाताप कर लिया ।

एक मुसलमान को सदैव पापों का प्रायश्चित्त करने, पश्चाताप की खोज एवं क्षमा याचना की आवश्यकता रहती है, इस लिये मनुष्य प्रकृति आधार पर गलतियाँ करता रहता है, एवं उस से जब भी कोई पाप अथवा गलती होजाये उस के अल्लाह से क्षमा याचना करने एवं उस की ओर लौट आने की शिक्षा दी गई है ।

सत्य पश्चाताप की क्या शर्तें हैं ?

सभी पापों यहाँ तक कि नास्तिकता एवं अनेकेश्वरवाद जैसे पापों से पश्चाताप संभव है किन्तु पश्चाताप के उपयोगी एवं मान्य होने के लिये निम्नलिखित शर्तों का पाया जाना अनिवार्य है :

1 पाप को तुरंत त्याग देना :

किसी ऐसे पाप से पश्चाताप लाभदायक नहीं जिसे निरंतर किया जाये, किन्तु सत्य पश्चाताप के उपरांत यदि फिर कोई वही पाप कर बैठे तो इस से उस का प्रथम पश्चाताप निरस्त नहीं होगा परन्तु उसे पुनः पश्चाताप करने की आवश्यकता होगी ।

2 पिछले पापों पर पछतावा तथा शर्मिन्दगी :

किसी ऐसे ही व्यक्ति से पश्चाताप की कल्पना की जासकती है जिसे अपने हुये पापों पर दुख तथा पछतावा हो, उसे पछतावा ग्रस्त नहीं कहा जासकता जो बड़े गर्व के साथ अपने पापों की चर्चा करे, इसी कारण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया है : वास्तविक पछतावा ही सत्य पश्चाताप है । (इब्ने माजह 4252)

3 पुनः पाप न करने का दृढ़ संकल्प:

उस व्यक्ति का पश्चाताप मान्य नहीं जो पश्चाताप के बाद पुनः पापों की ओर पलटने का इच्छुक हो ।

निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की चरणों :

- स्वयं प्रतिज्ञाबद्ध हो कि परिस्थितियाँ एवं कठिनाइयाँ कैसी भी हों वह अतीत के पापों की तरफ कदापि नहीं लौटेगा । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : जिस में तीन गुण हैं वह ईमान की वास्तविक मिठास पावेगा : उन्हीं में से आप ने यह भी फ़र्माया : अल्लाह ने जब किसी को कुपर से मुक्ति देदी तो वह कुपर की दिशा वापस पलटने को ऐसे ही बुरा जाने जैसे वह आग में फँके जाने को बुरा जानता है । (अल बुखारी 21, मुस्लिम 43)
- ऐसे व्यक्तियों तथा स्थानों से दूर रहे जो उस के ईमान को कमज़ोर कर उस के लिये पापों के लुभावना बना दें ।
- मृत्यु तक दृढ़तापूर्वक दीन पर जमे रहने के लिये अल्लाह से अधिक प्रार्थना करना, इस के लिये भाषा एवं रूप की कोई कैद नहीं, निम्न में क़र्आन व हदीस की कुछ दुआयें दी जा रही हैं :



- रब्वना ला तुज़िग़ा कुलूबना बाद इज़ हदैतना । (आलि इमरान : 8) हे हमारे रब ! मार्ग दिखाने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर ।

- या मुक़ल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक । (अत्तिर्मिज़ी 2140) हे दिलों के उलटने पलटने वाले ! मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे।

पश्चाताप के बाद क्या करना चाहिये ?

जब मनुष्य पश्चाताप कर अल्लाह के निकट आता है तो अल्लाह उस के सारे पाप क्षमा कर देता है चाहे वह कितने ही महान क्यों न हों, इस लिये कि अल्लाह की कृपा दया सभी वस्तुओं के लिये विशाल है, जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : हे नबी आप कह दीजिये : अपनी आत्मा पर अत्याचार करने वाले ऐ मेरे दासो ! अल्लाह की कृपा दया से निराश न होजाओ, निःसंदेह अल्लाह सारे पाप क्षमा कर देगा, वह तो बड़ा ही क्षमा करने वाला बड़ा ही दयावान है । (अज़्ज़ुमर : 53)

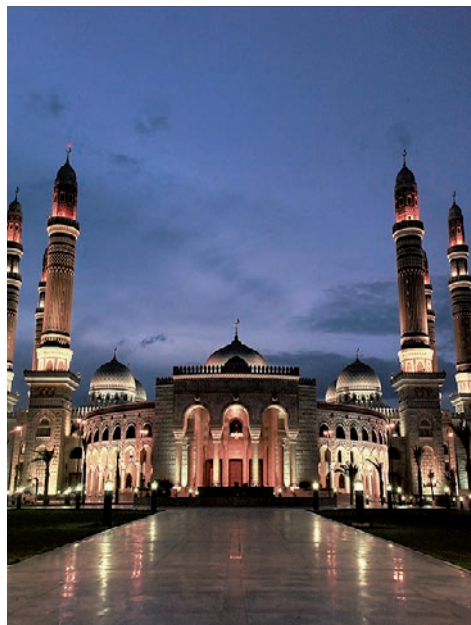
ज्ञात हुआ कि मुसलमान सत्य पश्चाताप के बाद इस प्रकार पापों से पवित्र हो जाता है जैसे उस से कदापि पाप हुआ ही नहीं, यही नहीं बल्कि अल्लाह सत्य पश्चाताप कर अपने निकट आने वालों को विशेष पद प्रदान करता है एवं उन के पापों को पुण्य में परिवर्तित कर देता है जैसा कि उस का फ़र्मान है : मगर जो पश्चाताप कर ईमान ले आये एवं सद्कार्य करे तो यही वह लोग हैं जिन के पापों को अल्लाह पुण्य में परिवर्तित कर देगा एवं अल्लाह बड़ा ही क्षमा करने वाला बड़ा ही दयावान है । (अल फुरक़ान : 70)

जिस की यह स्थिति हो एवं जिस के साथ यह व्यवहार किया जाये उस के लिये उचित है कि वह अपने पश्चाताप की संभवतः सुरक्षा करे एवं निरंतर इस प्रयास में रहे कि वह शैतान की मायाजाल से अपने आप को बचाये ताकि उस की पश्चाताप भंग न हो ।

ईमान की मिठास :

जो अल्लाह एवं उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सर्वाधिक प्रेम करता हो, एवं जो अल्लाह से जितना अधिक निकट हो, जिन का दीन इस्लाम जितना सत्य हो, वह

उन से उतना ही अधिक प्रेम करता हो एवं कुपर तथा अनेकेश्वरवाद की तरफ पलटने से उसे ऐसे ही घृणा हो जैसे उसे आग में फेंके जाने से घृणा है तो ऐसे ही व्यक्ति को, ऐसे ही समय अपने हृदय में ईमान की मिठास एवं स्वाद का अनुभव होता है, उसे अल्लाह की तरफ से एक विचित्र सी शांति एवं निकटता का आभास होता है, वह अल्लाह के धर्म का पालन कर अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्मान है : जिस व्यक्ति में तीन गुण हों उसे उन के माध्यम से ईमान की वास्तविक मिठास प्राप्त होती है : उस के निकट अल्लाह एवं उस के उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वप्रिय हों, एवं वह जब, जिस से भी प्रेम करे, केवल अल्लाह के लिये करे एवं अल्लाह ने जब उसे कुपर से मुक्ति देदी तो वह कुपर की दिशा वापस पलटने को ऐसे ही बुरा जाने जैसे वह आग में फेंके जाने को बुरा जानता है । (अल बुख़ारी 21, मुस्लिम 43)



> जब मुसलमान कुपर की दिशा वापस पलटने को ऐसे ही बुरा जाने जैसे वह आग में फेंके जाने को बुरा जानता है तो उसे ईमान की मिठास एवं उस का वास्तविक स्वाद प्राप्त होता है ।

➤ मार्गदर्शन तथा पश्चाताप की अनुग्रह पर शुक्र

मार्गदर्शन तथा पश्चाताप की अनुग्रह पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिये एक मुसलमान निम्नलिखित महान कार्य कर सकता है :

1 दृढ़तापूर्वक धर्म से चिमटे रहना एवं इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों तथा तकलीफों पर सब्र करना ।

सभी को इस बात का ज्ञान है कि जिस के पास कोई अनमोल खज़ाना होता है वह उस की सुरक्षा की संभवतः प्रयास करता है, वह उसे मूर्खों तथा चोरों से बचाने के जतन करता है एवं उस पर प्रभाव डालने वाली हर वस्तु से उसे बचाता है । एवं इस्लाम का दीर्घ अध्ययन करने के बाद हम इस परिणाम पर पहुँचें हैं कि वह सभी के लिये इस संसार का अनमोल खज़ाना है न कि मात्र एक बौद्धिक प्रवृत्ति एवं व्यायाम या मात्र मनुष्य का एक शौक जिसे मनुष्य इच्छानुसार अपनाता हो, इस के विपरीत इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य की संपूर्ण जीवनचर्या को सम्मिलित है, यही कारण है कि अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दृढ़तापूर्वक इस्लाम एवं क़र्आन पर जम जाने एवं इस से कण मात्र दूर न होने का आदेश देता है, इस लिये कि यही सत्य एवं सीधा मार्ग है, अल्लाह फ़र्माता है : आप की दिशा जो संदेश भेजा गया है आप उस पर दृढ़तापूर्वक जम जाइये, इस में संदेह नहीं कि इस स्थिति में आप सत्य एवं सीधे मार्ग पर हैं । (अज़्ज़ुख़्ख़ुफ़ : 43)



इस्लाम लाने के बाद आने वाली विपदाओं पर मुसलमान को दुखी नहीं होना चाहिये, इस लिये कि यह तो परीक्षणों में अल्लाह का तरीका है, एवं जो हम से कही उत्तम थे उन्हें भी अति कड़े परीक्षणों से गुज़रना पड़ा किन्तु उन्होंने धैर्य से काम लिया एवं परिश्रम जारी रखा, इस संदर्भ में अल्लाह ने हमें असंख्य नबियों की कथाएँ बताई हैं एवं बताया है कि उन पर शत्रुओं से पहले अपनों की तरफ से कैसी कैसी विपदाएँ आईं, परन्तु अल्लाह के मार्ग में आने वाली विपदाओं पर न तो वह कमज़ोर हुये न ही बदले तथा परिवर्तित हुये । ज्ञात हुआ कि विपदाएँ अल्लाह की तरफ से आप की सच्चाई तथा आप की आस्था शक्ति का परीक्षण हैं अतः आप इस परीक्षण में खरा उतरने का प्रयत्न करें, आप इस दीन से चिमट जायें एवं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समान यह दृढ़ता करते रहें : हे दिलों के उलटने पलटने वाले ! मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे । (अत्तिर्मिज़ी 2140)

इसी अर्थ में अल्लाह का यह फ़र्मान भी है : क्या लोगों को यह भ्रम होगया है कि मात्र आमन्ना (हम ईमान लाये) कह देने से उन्हें छोड़ दिया जायेगा उन का परीक्षण नहीं लिया जायेगा जब कि हम ने उन से पहले के लोगों का परीक्षण लिया, इस प्रकार अल्लाह को सत्यवादियों तथा झोटों का पता अवश्य चल जायेगा । (अल अन्कबूत : 2-3)

2 ज्ञान तथा सुंदर उपदेश के साथ उस की दिशा बुलाने में परिश्रम करना :

मनुष्य पर इस्लाम के वर्दान के अनुग्रह का उत्तम साधन यही है कि उस की तरफ लोगों को आमंत्रित किया जाये, साथ ही इस्लाम की तरफ लोगों को आमंत्रित करना दीन पर दृढ़तापूर्वक जम जाने का महान कारण भी है, इस लिये कि संसार की रीति है कि जो किसी जानलेवा रोग से मुक्ति पाता है एवं लम्बे समय तक किसी खतरनाक बीमारी से जूझने के बाद उस का शरीर स्वस्थ होता है एवं उसे सफल औषधि का ज्ञान होजाता है तो उस की चेष्टा होती है कि अधिक से अधिक लोगों तक उस औषधि की सूचना पहुँचा दे, विशेषरूप से अपने परिवार तथा निकट संबन्धियों एवं प्रिय लोगों को तो इस विषय में अवश्य सूचित कर दे, निम्न में इसी विषय पर अधिक चर्चा की जायेगी :

इस्लाम की दिशा निमंत्रण का महत्व :

समस्त सद्कार्यों में उच्चतम कार्य अल्लाह की दिशा लोगों को निमंत्रण देना है, कर्आन व सुन्नत में इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की गई है, निम्न में कुछ का वर्णन किया जा रहा है :

1

अल्लाह की दिशा निमंत्रण देना लोक प्र लोक में सफलता पाने का महत्वपूर्ण साधन है जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : तुम में से एक दल ऐसा अवश्य होना चाहिये जो लोगों को भलाई की दिशा आमंत्रित करे, लोगों को भलाई का आदेश दे तथा बुराई से रोके एवं ए से ही लोग सफल होने वाले हैं । (आले इम्रान : 104)

2

धर्म उपदेशक की बात अल्लाह के निकट सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वप्रिय होती है, जैसा कि धर्म उपदेशक की प्रशंसा करते हुये अल्लाह फर्माता है : उस व्यक्ति से उत्तम वाणी वाला कौन हो सकता है जो लोगों को अल्लाह की दिशा आमंत्रित करे, सद्कार्य करे एवं गर्व से कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ । (फुस्सिलत : 33) धर्म उपदेशक से उत्तम बात किसी और की नहीं हो सकती, वह लोगों का मार्गदर्शक एवं उन्हें उन के रब की उपासना का मार्ग दिखाने वाला है, वह उन्हें अनेकेश्वरवाद के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाता है ।

3

धर्म निमंत्रण अल्लाह के आदेशों का पालन है, जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : अपने रब के मार्ग की दिशा ज्ञान तथा सुन्दर उपदेश के साथ लोगों को आमंत्रित कीजिये एवं उन से उच्च शैली में तर्क वितर्क कीजिये । (अन्नहल : 125) अतः धर्म निर्देशक के लिये आवश्यक है कि वह लोगों को ज्ञान के साथ इस्लाम की तरफ बुलाये, एवं प्रत्येक वस्तु को उस के मूल स्थान में रखे, जिन्हें वह धर्म निमंत्रण दे रहा है उन की स्थिति अवस्था का ज्ञान प्राप्त करे, उन के लिये किस शैली का उपदेश उचित होगा इस का ध्यान रखे,

4

उन के साथ बड़ी सुगम तथा कोमल शैली में बात करे जो उन के मार्गदर्शन को निकट तथा सरल बना दे ।

धर्म निमंत्रण समस्त ईशूतों का परम कर्तव्य था, उन में सर्वश्रेष्ठ हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कर्तव्य भलीभाँति निभाया, जिन्हें अल्लाह ने पूर्ण ब्रम्हाण्ड के लिये साक्षी बना कर भेजा था, जिन्होंने मोमिनों को स्वर्ग तथा पुण्य की शुभ सूचना दी एवं नास्तिकों तथा पापियों को नर्क तथा दण्ड की बुरी खबर सुनाई, आप ने समस्त मानवजाति को अल्लाह की ओर बुलाया एवं उन में प्रकाश फैलाने का प्रयास किया, जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : हे नबी ! हम ने आप को साक्षी, शुभसूचक तथा डराने वाला बना कर भेजा है एवं अल्लाह की ओर बुलाने वाला तथा उज्ज्वल दिया बनाया है, एवं आप मोमिनों को इस बात की शुभसूचना दे दें कि अल्लाह के ओर से उन के लिये महान वर्दान है । (अल अहज़ाब : 45-47)

5

धर्म निमंत्रण अनन्त पुण्य का द्वार है, अतः जो आप का निमंत्रण स्वीकार कर ले एवं आप के हाथ पर सत्य मार्ग पाले तो आप को भी उसी के समान पुण्य मिलेगा, उस की समस्त उपासनाओं, उस की सलात, उस के लोगों को धर्म ज्ञान देने का पुण्य भी आप को मिलेगा, एक धर्म निर्देशक पर अल्लाह का यह कितना महान अनुग्रह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : जो किसी को सत्य मार्ग दिखाये, उस को भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना उस मार्ग पर चलने वाले को मिलेगा, उन सब के पुण्य में से कुछ कम नहीं होगा । (मुस्लिम 2674)

6

अल्लाह की ओर धर्म निर्देशन का कार्य करने वाले को जो पुण्य मिलेगा वह संसार की समस्त पूंजी से अधिक दुर्लभ

होगा, इस लिये कि धर्म निर्देशक का पुण्य अल्लाह पर है, उसे अल्लाह के बन्दों से कुछ नहीं लेना, यही कारण है कि उसे अल्लाह की ओर से महान पुण्य मिलेगा, इस लिये कि दाता को जिस से प्रेम हो उसे वह महान ही देगा, जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : अतः यदि तुम पीठ फेर लो, तो मैं ने तो तुम से कोई अजर नहीं मांगा, मेरा अजर तो अल्लाह के पास है एवं मुझे आदेश दिया गया है कि मैं मुसलमानों में से हो जाऊँ । (यूनस : 72)

सत्य धर्म निमंत्रण के विशेष गुण :

अल्लाह ने सत्य धर्म निमंत्रण को कुछ ऐसे विशेष गुणों से सजाया है जिस के कारण वह अन्य आन्दोलनों से बिलकुल अलग होजाता है, निम्न में कुछ का वर्णन किया जा रहा है :

1 ज्ञान तथा सूक्ष्मदर्शिता :

अतः एक धर्मनिर्देशक का कर्तव्य है कि वह जिस की दिशा लोगों को बुला रहा है पहले स्वयं उसे उस का ज्ञान हो, वह जो कुछ कह रहा हो स्वयं उस की वास्तविकता की उसे सूचना हो जैसा कि अल्लाह फर्मा रहा है : कह दीजिये कि यह मेरा मार्ग है, मैं तथा मेरे पीछे चलने वाले सूक्ष्मदर्शिता के साथ लोगों को अल्लाह की ओर बुलाते हैं । (युसुफ : 108) अर्थात् हे नबी आप कह दीजिये कि यही मेरा मार्ग एवं यही मेरा तरीका है कि मैं पूरे ज्ञान के साथ लोगों को अल्लाह की ओर बुलाऊँ, एवं यही मेरे मार्ग पर चलने वाले मेरे पैरुकारों का भी तरीका है ।

अल्लाह की ओर बुलाने के लिये एक मुसलमान का दीन की बहुत सारी बातों से अवगत होना आवश्यक नहीं है, जब भी उसे किसी एक बात का ज्ञान हो उसे दूसरों तक पहुंचाना उस के लिये अनिवार्य है, अतः जब उस ने एक अल्लाह की उपासना का ज्ञान ग्रहण कर लिया तो अब उस के लिये उसे दूसरों तक पहुंचाना अनिवार्य हुआ, इसी प्रकार जब उस ने इस्लाम की किसी खूबी का ज्ञान प्राप्त किया तो उसे दूसरों को बताना अनिवार्य हुआ यहाँ तक कि वह कूर्आन की एक आयत ही क्यों न हो, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : मेरी ओर से पहुंचा दो चाहे वह एक आयत ही क्यों न हो । (अल बुखारी 3274)

एवं इसी प्रकार सहाबये केराम रज़िअल्लाहु अन्हुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ आकर मुसलमान होते थे एवं कुछ ही दिनों में इस्लाम की मूल बातें सीख कर अपनी कौमों के पास लौट जाया करते थे जहाँ उन्हें इस्लाम की ओर आमंत्रित करते, उन्हें इस्लाम में आने की रुचि दिलाते, इस संदर्भ में उन का व्यवहार लोगों को इस्लाम में लाने में बड़ा सहायक होता था ।

2 धर्मनिमंत्रण में बुद्धि एवं ज्ञान :

अल्लाह तआला फर्माता है : अपने रब के मार्ग की दिशा ज्ञान तथा सुन्दर उपदेश के साथ लोगों को आमंत्रित कीजिये एवं उन से उच्च शैली में तर्क वितर्क कीजिये । (अन्नहल : 125) हिकमत यह है कि सही समय तथा उचित स्थान का चुनाव कर उचित तरीके से कोई काम किया जाये ।

हमें इस बात का ज्ञान है कि लोग विभिन्न प्रकृति के होते हैं, सब के दिल एक ही चाभी से नहीं खुल सकते, लोगों के समझने बूझने



की योग्यता भी विभिन्न होती है अतः धर्म निमंत्रण का कार्य करने वाले का दायित्व है कि उन सभी के लिये उचित साधनों का प्रयोग करे, एवं ऐसे अवसरों से लाभ उठाने का प्रयास करे जो उन के जीवन में अधिक प्रभाव डालने वाले हों।

इस पूरी कृपाकलाप में लोगों के साथ नमी, कोमलता, सुन्दर उपदेश, कृपा दया आदि गुण अति आवश्यक हैं, संतुलित तथा शांतिपूर्ण बातचीत लोगों में आत्म घृणा तथा उत्तेजना का कारण नहीं बनती, बल्कि शांतिपूर्ण वार्तालाप सदैव सफल होता है, यही कारण है कि अल्लाह अपने नबी के उदार तथा कोमल होने को अपना उपकार बताता है, क्योंकि यदि आप क्रूर एवं पत्थर दिल होते तो लोग आप को छोड़ कर बिखर जाते, जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : यह अल्लाह की कृपा है कि आप उन के लिये कोमल व्यवहार वाले हैं एवं यदि आप क्रूर तथा पत्थर दिल होते तो लोग आप को छोड़ कर बिखर जाते। (आले इमरान : 159)

परिवार को धर्म निमंत्रण :

अल्लाह ने जिस पर अपनी दया की हो एवं उसे इस्लाम की संपत्ति हाथ लगी हो, उसे अपने घर परिवार तथा निकट संबंधियों को इस्लाम की ओर बुलाना चाहिये, इस मार्ग में उसे जो कष्ट पहुंचे उस पर सब्र करना चाहिये, उस के पास जितने उपलब्ध साधन हैं, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने में उन का प्रयोग करना चाहिये, जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : एवं आप अपने घर वालों को सलात का आदेश तथा एवं उस पर स्वयं आप भी कार्यबद्ध रहें (ताहा : 132)

कभी ऐसा भी होता है कि दूर के लोग धर्म निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं जब कि अपने दूर चले जाते हैं, इस स्थिति में धर्म निर्देशक को बड़ा दुख होता है, किन्तु एक सक्षम धर्म निर्देशक उपलब्ध सभी साधनों का प्रयोग कर धर्म प्रचार का भरपूर प्रयास करता है, एवं लोगों के लिये अल्लाह से मार्गदर्शन की प्रार्थना करता है एवं जटिल परिस्थितियों में भी वह अल्लाह की दया से निराश नहीं होता है।

जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के साथ किया था, जो निरंतर कुरैश के सामने आप का

समर्थन करते रहे, आप की रक्षा करते रहे किन्तु अन्तिम क्षण तक मुसलमान नहीं हुये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें निरंतर धर्म निमंत्रण देते रहे यहाँ तक कि जीवन के अन्तिम क्षणों में भी आप ने उन्हें इन शब्दों में इस्लाम में आने का निमंत्रण दिया : प्रिय चचा, आप केवल ला इलाह इल्लल्लाह कह दीजिये, इस वाक्य द्वारा मैं अल्लाह के यहाँ आप के लिये हुज्जत कर लेजाउंगा (अल बुखारी 3671, मुस्लिम 24) किन्तु उन्होंने ने आप की बात स्वीकार नहीं की एवं नास्तिकता पर उन की मृत्यु होगई जिस के विषय में यह आयत अवतरित हुई : आप जिस से प्रेम करते हैं, उसे मार्ग नहीं दिखा सकते, किन्तु अल्लाह जिसे चाहता है मार्ग दिखाता है एवं वही सत्य मार्ग पर चलने वालों के विषय में अधिक ज्ञान रखता है। (अल कसस : 56) ज्ञात हुआ कि धर्म प्रचारक को शक्ति भर प्रयास करना चाहिये, लोगों को निरंतर धर्म निमंत्रण देना चाहिये उन में भलाई का प्रचार प्रसार करना चाहिये किन्तु उसे इस बात का भी ज्ञान होना चाहिये कि लोगों के हृदय अल्लाह के हाथ में हैं, उन में से अल्लाह जिन्हें चाहता है सत्य मार्ग की ओर मार्गदर्शित करता है।

➤ आप का घर परिवार

नव मुस्लिम पर इस्लाम में प्रवेश करने के समय ही से यह दायित्व बनता है कि वह अपने समस्त परिचित लोगों तथा निकट संबन्धियों से संबन्ध बनाये रखे, इस लिये कि इस्लाम अंतर्मुखता एवं अलगाव की शिक्षा नहीं देता है।

लोगों के साथ उपकार, सदाचार एवं सद्व्यवहार करना ही इस धर्म का उचित परिचय है जिसे देकर हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था ताकि आप उच्च नैतिकता की पूर्ति कर सकें।

घर परिवार ही, उच्च नैतिकता तथा उदार लेनदेन के आवेदन का प्रथम चरण है।

निम्न में कुछ ऐसी धार्मिक शिक्षायें दी जा रही हैं जिन की परिवार में एक नव मुस्लिम की आवश्यकता पड़ सकती है :



➤ इस्लाम में प्रवेश के बाद पारिवारिक जीवन

जब पति पत्नी एक साथ मुसलमान होजायें।

- जब पति पत्नी एक साथ मुसलमान होजायें तो वह अपने पुराने विवाह ही पर बाकी रहेंगे, उन को नये निकाह की आवश्यकता नहीं है।

इस से निम्नलिखित परिस्थितियों को अलग किया जासकता है :

- 1 यदि कोई अपने किसी ऐसी रिश्तेदार महिला से विवाहित हो जिस से सदैव के लिये इस्लाम में विवाह हुराम है, जैसे उस ने अपनी माँ, बहन, खाला, फूफी आदि से विवाह किया हुआ हो तो इस्लाम लाने के बाद उन के मध्य जुदाई अनिवार्य है।
- 2 जब उस ने दो सगी बहनों को एक साथ अपने विवाह में रखा हो, या फूफी एवं भतीजी को एक साथ रखा हो या खाला एवं भांजी को एक साथ रखा हो तो इस्लाम लाने के बाद उन में से किसी एक को तलाक़ देना होगा।
- 3 यदि कोई चार से अधिक पत्नियों के साथ मुसलमान होजाये तो उसे मात्र चार पत्नियों को एक साथ रखने की अनुमति है शेष को उसे अलग करना होगा।

किन्तु जब पति मुसलमान होजाये एवं पत्नी मुसलमान न हो तो क्या किया जाये ?

इस स्थिति में हम महिला के धर्म को देखेंगे, महिला या तो यहूदी होगी अथवा ईसाई, या किसी मूर्ति पूजा वाले धर्म से उस का संबन्ध होगा जैसे बृद्धमत, हिन्धू दमत अथवा नास्तिक जो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते ।

1 आकाशीय धर्म ग्रन्थ वाली पत्नी :

जब पति मुसलमान होजाये एवं पत्नी मुसलमान न हो किन्तु वह यहूदी अथवा ईसाई हो तो इस स्थिति में दोनों पुराने निकाह ही पर बाकी रहेंगे उन को अलग होने की आवश्यकता नहीं, इस के लिये एक मुसलमान ईसाई अथवा यहूदी महिला से विवाह कर सकता है ।

अल्लाह का फ़र्मान है : आज तुम्हारे लिये पवित्र वस्तुयें हलाल की गई हैं एवं आकाशीय धर्मग्रन्थ वालों के ज़बह किये हुये पशु भी तुम्हारे लिये हलाल हैं एवं तुम्हारे ज़बह किये हुये पशु उन के लिये हलाल हैं, एवं पवित्र मोमिनह महिलायें तथा आकाशीय धर्मग्रन्थ वालों की पवित्र महिलायें भी । (अल मायदह : 5)

किन्तु पति का दायित्व है कि वह अपनी ग़ैर मुस्लिम पत्नी को समस्त उपलब्ध साधनों का प्रयोग कर इस्लाम की ओर आमंत्रित करे, वह उस के मार्गदर्शन का अभिलाषी हो ।

2 पत्नी जो आकाशीय धर्मग्रन्थ वाली न हो :

यदि पति मुसलमान होजाये एवं पत्नी इस्लाम लाने से इन्कार कर दे, तथा वह यहूदी व ईसाई न होकर बौद्ध, हिन्दू अथवा किसी मूर्तिपूजक धर्म से हो :

इस स्थिति में तलाक़ वाली महिला की इद्त की अवधि तक प्रतीक्षा किया जायेगा जिस का विवरण विपरीत तालिका के अनुसार होगा ।

•यदि इद्त अवधि ही में वह मुसलमान होजाती है तो वह उस की पत्नी ही रहेगी उसे नये निकाह की आवश्यकता नहीं होगी ।

•यदि इद्त अवधि पूरी होगई किन्तु वह मुसलमान नहीं हुई तो निकाह भंग होजायेगा ।

बाद में वह जब भी मुसलमान हो तो पति को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो उस से विवाह का अनुरोध कर सकता है, अल्लाह का फ़र्मान है : तुम नास्तिक महिलाओं की कलाई मत थामो । (अल मुम्तहिनह : 10) अर्थात इस्लाम लाने के बाद किसी ऐसी महिला को अपने विवाह में मत रखो जो आकाशी धर्मग्रन्थ वाली न हो बलिक वह किसी मूर्तिभ पूजक धर्म से सम्बन्ध रखती हो ।



तलाक़ दी गई महिला की इद्त :

- 1 जो किसी महिला से विवाह करे किन्तु उस से मिलाप एवं संभोग न हुआ हो, मात्र निकाह ही हुआ हो तो ऐसी महिला केवल तलाक़ ही से अलग होजायेगी, और पुरुष के मात्र मुसलमान होने ही से वह अलग हो जायेगी। अल्लाह फ़र्माता है : हे ईमान वालो जब तुम मोमिनह महिलाओं से निकाह कर लो एवं छूने से पूर्व ही उन्हें तलाक़ देदो, तो उन पर तुम्हारे शुमार करने की कोई इद्त नहीं। (अल अहज़ाब : 49)
- 2 गर्भवती महिला की इद्त : बच्चा जनते ही यह इद्त समाप्त होजायेगी, चाहे समय अधिक हो या कम, जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : गर्भवती महिलाओं की इद्त का सीमित समय उन का बच्चा जनना है। (अत्तलाक़ : 4)
- 3 जो गर्भवती न हो एवं उसे माहवारी आता हो तो तलाक़ अथवा पति के मुसलमान होने के बाद उस की इद्त तीन माहवारी है, अर्थ यह है कि उसे माहवारी आये फिर पवित्र हो, उसे पुनः माहवारी आये फिर पवित्र हो, फिर तीसरी बार भी उसे माहवारी आये फिर पवित्र हो, यह उस की तीन पूर्ण माहवारियाँ हुई, इन के मध्य समय चाहे अधिक हो अथवा कम, अतः जब वह तीसरी माहवारी के बाद पाक हो तो उस की इद्त समाप्त होगई, अल्लाह का फ़र्मान है : तलाक़ दीगई महिलायें अपने लिये तीन माहवारी तक प्रतीक्षा करें। (अल बकरह : 228)
- 4 जिस महिला को किसी कारण हैज़ (माहवारी) न आता हो, चाहे कम आयु होने के कारण अथवा दीर्घायु के कारण माहवारी बन्द होगई हो, या किसी रोग के कारण, तो ऐसी महिलाओं की इद्त तलाक़ अथवा पति के इस्लाम के समय से आगे तीन महीने तक है, अल्लाह का फ़र्मान है : तुम्हारी जो महिलायें माहवारी से निराश होगई हों यदि तुम्हें संदेह हो तो उन की इद्त तीन महीना है, इसी प्रकार उन की इद्त भी जिन्हें अभी माहवारी ही न आया हो। (अत्तलाक़ : 4)





जब पत्नी इस्लाम न लाये :

क्या वह आकाशीय धर्मग्रन्थ वाली (यहूदी या ईसाई) है ?

हा

नहीं

निकाह अपनी मूल स्थिति पर वाकी है, उसे नये निकाह की आवश्यकता नहीं, इस स्थिति में पुरुष को चाहिये कि अपनी पत्नी को उपलब्ध सभी उचित साधनों का प्रयोग कर इस्लाम में दाखिल होने की दावत दे ।

यदि पत्नी आकाशीय धर्मग्रन्थ वाली न हो तो उसे इस्लाम की ओर बुलाये, फिर देखा जायेगा कि वह इद्दत की अवधि में मुसलमान हुई या नहीं (विपरीत तालिका में इद्दत की अवधि देखिये) ?

हा

नहीं

वह इस्लाम में उस की पत्नी है, दोनों को नये निकाह की आवश्यकता नहीं ।

यदि वह इस्लाम लाने से इन्कार कर दे यहाँ तक कि इद्दत भी समाप्त होजाये तो निकाह भंग होजायेगा, भविष्य में पत्नी जब भी मुसलमान होगी, उन दोनों के लिये वैध होगा कि नये विवाह से पुनः पति पत्नी बन जायें

यदि पत्नी मुसलमान होजाये किन्तु पति मुसलमान न हो, इस स्थिति में क्या किया जाये ?

यदि काफिर पति पत्नी एक साथ मुसलमान होजायें तो वह अपने पुराने विवाह ही पर बाकी रहेंगे जब तक पति ऐसा संबन्धी न हो जिस से सदैव के लिये विवाह अवैध है जैसे उस का भाई, चचा, मामूँ आदि ।

किन्तु जब पत्नी मुसलमान होजाये एवं पति इस्लाम लाने से इन्कार कर दे :

पत्नी के मात्र इस्लाम लाते ही विवाह अनुबंध, वैध अनुबंध में परिवर्तित होजायेगा जहाँ पत्नी को इच्छानुसार चुनाव का अधिकार होगा :

- कि वह अपने पति के इस्लाम लाने की प्रतीक्षा करे एवं विभिन्न उपलब्ध साधनों का प्रयोग कर उस के सामने धर्म की वास्तविकता को स्पष्ट करे, अल्लाह से उस की हिदायत की प्रार्थना करे, यदि पति लम्बे समय के बाद मुसलमान होजाता है तो प्रतीक्षा की अवधि में होने के कारण वह पहले ही विवाह के आधार पर अपने पति के पास लौट जायेगी जब तक पति मुसलमान न हो, पत्नी को उसे संभोग के लिये अपने निकट कदापि नहीं आने देना चाहिये ।

- पत्नी को यह अधिकार है कि जब चाहे तलाक़ अथवा निकाह भंग की मांग कर सकती है, विशेष कर जब वह यह देखे कि पति के इस्लाम की प्रतीक्षा का कोई लाभ नहीं ।

पत्नी के मुसलमान होने के बाद दोनों स्थितियों में पति को संभोग के लिये निकट आने देना हराम है, जैसा कि अल्लाह का फर्मान है : यदि तुम्हें ज्ञान होजाये कि वह मोमिनह महिलायें हैं तो उन्हें काफिरों को वापस न करो, न वह उन के लिये हलाल हैं, न वह इन के लिये हलाल हैं । (मुम्तहिनह : 10)



इस आधार पर महिला को इस्लाम लाने के बाद ही से निम्नलिखित कार्य करना चाहिये :

- 1 इस्लाम लाने के तुरंत बाद ही से महिला को सभी उपलब्ध साधनों तथा सुन्दर उपदेश द्वारा अपने पति को इस्लाम की ओर बुलाने में शीघ्रता करनी चाहिये ।
- 2 यदि पति इस्लाम लाने से इन्कार कर दे एवं काफी प्रयास के बाद भी उसे संतुष्ट करने में पत्नी सफल न हो बल्कि वह पूर्ण ब्रह्म से निराश होजाये तो इस स्थिति में उसे अलग होने तथा तलाक लेने की कार्यवाही आरंभ कर देनी चाहिये ।
- 3 तलाक की कार्यवाही संपन्न होने में जो समय लगे चाहे वह लम्बा ही क्यों न हो इस अवधि में दोनों के मध्य निकाह अनुबन्ध वैध होगा, इस बीच यदि पति इहत के बाद भी मुसलमान होजाये तो पहले ही विवाह के आधार पर वह अपने पति के पास लौट जायेगी, किन्तु कार्यवाही संपन्न होते ही निकाह भंग हो जायेगा ।
- 4 तलाक की कार्यवाही संपन्न होने से पूर्व प्रतीक्षा अवधि में महिला के लिये पति के घर में ठेहरना वैध है किन्तु इस्लाम लाने के समय ही से पति को संभोग के लिये निकट आने देना हराम है ।

बच्चों का इस्लाम :

सभी को अल्लाह ने प्रकृति एवं इस्लाम पर जन्म दिया है, लोग माता को देख कर, उन का प्रशिक्षण पाकर दूसरे धर्मों का पालन करने लगते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : प्रत्येक जन्म लेने वाला शिशु प्रकृति पर जन्म लेता है फिर उस के माता पिता उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं । (अल बुखारी 1292, मुस्लिम 2658)

किन्तु काफिरों के जो बच्चे अल्पायु ही में मर गये हम संसार में उन के साथ काफिरों ही का व्यवहार करेंगे, शेष रहस्य का अधिक ज्ञान केवल अल्लाह ही को है एवं अल्लाह किसी के साथ अत्याचार नहीं करता, अतः अल्लाह पुनरुत्थान के दिन उन की परीक्षा लेगा, जो सफल होंगे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे एवं जो विफल होंगे नर्क में जायेंगे ।

एवं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशिरकों की संतान के विषय में पूछा गया तो आप ने उत्तर दिया : अल्लाह नै जिस समय उन्हें जन्म दिया था उसे भली भांति ज्ञान था कि वह क्या करेंगे । (अल बुखारी 1317)

किन्तु हम संसार में काफिरों के बच्चों के इस्लाम का फैसला कब करेंगे ?

बच्चों के इस्लाम की पुष्टि की विभिन्न स्थितियाँ हो सकती हैं, उन्हीं में कुछ निम्न हैं :

1 जब माता पिता मुसलमान होजायें, अथवा उन में कोई एक मुसलमान होजाये तो बच्चा उन दोनों में से उत्तम धर्म वाले से जोड़ा जायेगा ।

2 जब अच्छी बुरी वस्तुओं में अन्तर करने की क्षमता रखने वाला बच्चा व्यस्क होने से पूर्व ही मुसलमान होजाये यद्यपि उस के माता पिता मुसलमान न हुये हों, यह बात इतिहास का भाग है कि एक यहूदी लड़का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा करता था, वह बीमार होगया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखने आये, आप उस के सर के पास बैठ गये एवं उस से कहा : इस्लाम स्वीकार कर लो, उस ने वहाँ उपस्थित अपने पिता की दिशा देखा, पिता ने कहा : अबुल कासिम की बात मान लो (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अतः वह मुसलमान होगया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह कहते हुये उस के पास से बाहर आये : समस्त प्रकार की प्रशंसा उस अल्लाह के लिये है जिस ने उसे नर्क से बचा लिया । (अल बुखारी 1290)

क्या उस के माता पिता दोनों ही मुसलमान होगये अथवा उन में से कोई एक ?

नहीं

हा

उस के इस्लाम का फैसला किया जायेगा एवं उस के साथ साधारण मुसलमानों जैसा व्यवहार किया जायेगा ।

उस ने अपने परिवार से अलग होकर अकेले इस्लाम स्वीकार किया है ?

नहीं

हा

यदि अच्छी बुरी वस्तुओं के मध्य अन्तर करने की छमता के साथ जो कहता है उस की उसे समझ भी है तो सही बात यही है कि संसार में उस के इस्लाम का फैसला किया जायेगा ।

काफिरों के जो बच्चे अल्पायु ही में मर गये हम संसार में उन के साथ काफिरों ही का व्यवहार करेंगे, शेष रहस्य का अधिक ज्ञान केवल अल्लाह ही को है एवं अल्लाह किसी के साथ अत्याचार नहीं करता, अतः अल्लाह पुनरुत्थान के दिन उन की परीक्षा लेगा, जो सफल होंगे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे एवं जो विफल होंगे नर्क में जायेंगे ।

› क्या इस्लाम लाने के बाद नाम बदलना प्रिय है ?

मूल सिद्धांत यही है कि इस्लाम के बाद भी बिना किसी परिवर्तन मुसलमान अपने नाम पर बाकी रहे, सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हुम के युग में नामों में परिवर्तन परिचित नहीं था, उस समय असंख्य लोग मुसलमान हुये एवं अपने पुराने नामों पर बाकी रहे, हाँ यदि नाम का कोई गलत अर्थ निकलता हो तो नाम परिवर्तित किया जासकता है ।



निम्नलिखित परिस्थितियों में नाम परिवर्तन उचित है :

1

अल्लाह के अतिरिक्त किसी और से अब्द शब्द जोड़ कर नाम रखा गया हो या ईमान के विरुद्ध अर्थ वाला नाम हो ।

उदाहरणस्वरूप किसी का नाम अब्दुल मसीह अथवा अब्दुन्नबी हो या इसी अर्थ में हो, या नाम का अर्थ ईमान के विरुद्ध हो जैसे नाम शुनूदह, जिस का अर्थ अल्लाह का पुत्र, अल्लाह इस आरोप से अति ऊपर है ।

या कोई ऐसा नाम हो जो अल्लाह की अनुपन विशेषताओं तथा विशेष गुणों में से हो ।

जैसे किसी बन्दे से कोई ऐसी वस्तु मंसूब की गई हो जो मात्र अल्लाह ही के लिये विशिष्ट हो जैसे शाहंशाह आदि नाम रखना ।

2

नाम में कोई ऐसा बुरा तथा घातक अर्थ हो जिसे सामान्य आत्मा एवं शुद्ध प्रकृति स्वीकार न करे ।

अल्लाह ने खाने पीने तथा जीवन की सभी क्रियाकलाप में अशुद्ध, दुष्ट एवं घातक चीजों को हम पर हराम किया है, अतः मुसलमान होने के बाद गलत अर्थ वाला नाम रखना उचित नहीं है, जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : ईमान लाने के बाद सब से बुरा नाम फासिक कहना है । (अल हजुरात : 11)

3

कोई ऐसा नाम हो जिस का गैर मुस्लिमों के यहाँ कोई धार्मिक अर्थ निकलता हो या जो गैर मुस्लिम धर्मगुरुओं के मध्य इस प्रकार प्रचलित हो कि वह उन का धार्मिक चिन्ह बन गया हो ।

उदाहरण : पुतरस, जरजीस, जान, ईसाइयों के यहाँ पोलिस अथवा इस जैसे अन्य नाम ।

इन परिस्थितियों में नाम में परिवर्तन आवश्यक है किन्तु परिवर्तित नाम ऐसा हो जो शुद्ध इस्लामी अर्थ रखता हो एवं उस में कोई गलत अर्थ न हो ताकि आत्मा से आरोप को हटाया जासके, एवं इस लिये भी उपरोक्त नाम रखने में काफिरों की समानता भी है जिस से इस्लाम ने मना किया है ।

नाम बदलना प्रिय है :

जब नया नाम अल्लाह को प्रिय हो, जैसे नाम बदल कर अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान रख दिया जाये या अल्लाह के अन्य नामों एवं गुणों के साथ अब्द शब्द जोड़ कर नाम रख दिया जाये, यह सब अल्लाह के निकट प्रिय नाम हैं किन्तु इन का इस्लाम में प्रवेश से कोई संबंध नहीं।

- बिना कारण भी नाम बदलना वैध है जैसे कोई अपना पुराना नाम बदल कर कोई अरबी नाम रख ले, किन्तु ऐसा करना न तो सुन्नत है न ही इस्लाम में प्रवेश से इस का कोई संबंध है।

क्या नाम का अर्थ धर्म तथा आस्था के विरुद्ध है ?

नहीं

हां

जिस में इस प्रकार का अर्थ हो उसे बदलना अनिवार्य है।

क्या गैर मुस्लिमों के यहाँ उस नाम का कोई धार्मिक अर्थ है या वह गैर मुस्लिम धर्मगुरुओं के मध्य प्रचलित है ?

नहीं

हां

फितने से बचने के लिये ऐसे नाम भी बदलना उत्तम है।
एवं काफिरों की समानता से दूरी अपनाने के लिये भी।

क्या नाम में कोई ऐसा अर्थ है जिस से समान्य आत्मायें दूर भागती हैं ?

नहीं

हां

इस प्रकार के नामों को बदल कर ऐसे सुन्दर नाम रखना सुन्नत है जो मनुष्य के इस्लाम में प्रवेश करने के अनुकूल हो।

नहीं : जब उपरोक्त दिये गलत अर्थ वाले नाम न हों तो उन को बदलना अनिवार्य नहीं। आरंभ इस्लाम बहुत सारे मुसलमान इस्लाम लाने के बाद भी अपने पुराने नामों ही से परिचित हुये, उन्होंने ने अपना नाम नहीं बदला।

बिना किसी कारण भी नाम बदलना वैध है, विशेष कर जब नाम बदल कर अल्लाह का कोई प्रिय नाम रखा गया हो जैसे अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान आदि

> प्राकृतिक तरीके



> इस्लाम चाहता है कि मुसलमान अति सुन्दर रूप वाला लगे ।

प्राकृतिक तरीकों का अर्थ क्या है ?

प्राकृतिक तरीकों का अर्थ वह विशेष गुण हैं जिन पर अल्लाह ने लोगों को जन्म दिया है एवं जिन्हें अपना कर एक मुसलमान पूर्ण होता है, इस प्रकार वह अति सुन्दर गुणों तथा अति सुन्दर रूप वाला होजाता है, ऐसा इस कारण है कि इस्लाम ने मुसलमानों के सौन्दर्य क्षेत्रों एवं अनुपूरक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है ताकि उस के लिये प्रकट तथा अदृश्य दोनों प्रकार की भलाईयाँ ए कत्रित होजायें

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : प्रकृति पांच हैं : खतना कराना, नाभि के नीचे के बाल साफ करना, मूँछ काटना, नाखुन तराशना, हाथों के नीचे बगल के बाल उखेड़ना । (अल बुखारी 5552, मुस्लिम 257)

खतना : सुपारी के अग्रिम भाग से चमड़े को आप्रेशन द्वारा काट कर अलग कर देना, सामान्य रूप से यह जन्म के शुद्धाती दिनों ही में हो जाता है ।

यह पुरुष के लिये सुन्नत एवं प्राकृतिक तरीकों में से है, इस के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं, किन्तु यह इस्लाम में प्रवेश करने के लिये शर्त नहीं है, एवं भय अथवा किसी अन्य कारण यदि कोई मुसलमान खतना नहीं भी कराता तो पापी नहीं होगा ।

नाभि के नीचे के बाल साफ करना : मूँड कर अथवा किसी भी साधन द्वारा नाभि के नीचे निकले खुरदुरे बालों को साफ करना ।

मूँछ काटना : मूँछ रखना मात्र वैध है कोई प्रिय काम नहीं किन्तु यदि मुसलमान मूँछ रखना चाहता है तो उस के लिये अनिवार्य है उसे अधिक बड़ी न होने दे बल्कि समय समय से बड़ी हुई मूँछों को काटता रहे ।

दाढ़ी बढ़ाना : इस्लाम दाढ़ी बढ़ाने पर उभारता है, दाढ़ी उन बालों को कहते हैं जो ठोड़ी एवं दोनों जबड़ों के ऊपर उगते हैं ।

दाढ़ी बढ़ाने का अर्थ यह है कि उन्हें उन की स्थिति पर छोड़ दिया जाये एवं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में उन्हें न काटा जाये न शेव किया जाये ।

नाखुन तराशना : मुसलमान के लिये उचित है कि वह समय समय से अपने नाखुन तराशता रहे ताकि उन के नीचे गन्दगी एवं मैल कुचैल न एकत्रित होने पाये ।

दोनों हाथों के नीचे बगल के बाल उखेड़ना : मुसलमान के लिये उचित है कि बगल के बाल उखाड़ कर या किसी और साधन से साफ करता रहे ताकि उस के शरीर से दुरगन्ध न फूटे



भरतवाक्य

आप का अगला कदम क्या होगा ?

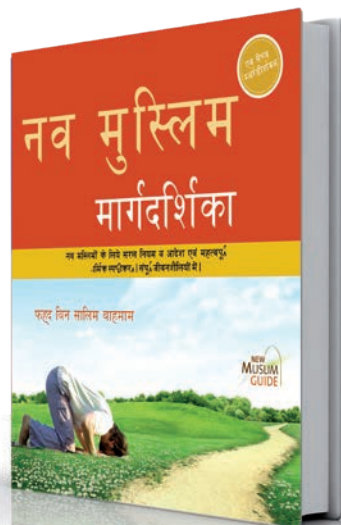
इस मार्गदर्शिका का पूर्ण अध्ययन कर लेने के बाद आप ने अपने धर्म की आवश्यक बातों की जानकारी के संदर्भ में प्रथम चरण पूरा कर लिया, वस इतना रह गया है कि आप इन शिक्षाओं को अपने व्यावहारिक जीवन में लागू करें, इस लिये कि बिना कर्म एवं आवेदन मात्र ज्ञान प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं, बल्कि ऐसा ज्ञान पुनरुत्थान के दिन उलटा ज्ञान वाले के लिये आपदा बन जायेगा ।

इसी प्रकार आप के लिये यह भी आवश्यक है कि आप विश्वनीय सूत्रों से उन बातों की भी शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करें जिन की आप को आवश्यकता हो परन्तु वह इस पुस्तक में आप को न मिली हों ।

मुसलमान का ईमान कितना ही दृढ़ क्यों न होगया हो, वह विश्वास की कितनी ही ऊँचाई पर क्यों न पहुँच गया हो उसे अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता सदैव रहेगी, यही कारण है कि सूरये फातिहा जो कुर्आन की सर्वमहान सूरत है एवं जिसे एक नमाज़ी अपनी सलातों में बार बार दोहराता है, उस में यह आयत आई है : हे अल्लाह हमें सत्य, सीधा मार्ग दिखा (अल फातिहा : 6) ।

अतः आप अल्लाह से उतना डरें जितना आप की शक्ति में है ।

आप इस पुस्तक अथवा किसी अन्य पुस्तक में भविष्य में सामने घटने वाली घटनाओं का विस्तारपूर्वक उत्तर नहीं पायेंगे, अतः उस समय आप को ज्ञानियों से प्रश्न करने के साथ शक्ति भर नई समस्याओं तथा घटनाओं में अल्लाह से डरने का प्रयास करना होगा, इसी प्रकार दैनिक संबन्धों के विवरण के विषय में भी आप को अल्लाह से डरना होगा जहाँ आप के लिये हर समय ज्ञानियों से संपर्क करना संभव न हो, अल्लाह के इस आदेश का पालन करते हुये : अतः आप अल्लाह से उतना डरें जितना आप की शक्ति में है । (अत्तगाबुन : 16)





अपने मुसलमान भाइयों से संपर्क को सुनिश्चित बनायें एवं सदैव उन के निकट रहें ।

आप मुसलमान भाइयों से सदैव निकट रहें एवं इस्लामी केन्द्रों का निरंतर दर्शन किया करें, आप खुशी गम में बराबर उन का साथ दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोगों में सर्वाधिक आस्था वाले थे उन्हें भी सदाचारियों के संग रह कर धैर्य एवं प्रयास का आदेश दिया गया है जैसा कि अल्लाह का फ़र्मान है : आप स्वयं भी उन लोगों के साथ अपनी आत्मा पर भार डालिये जो अपने रब की प्रसन्नता की चाह में उसे सुबह शाम पुकारते हैं । (अल कह्फ : 28)

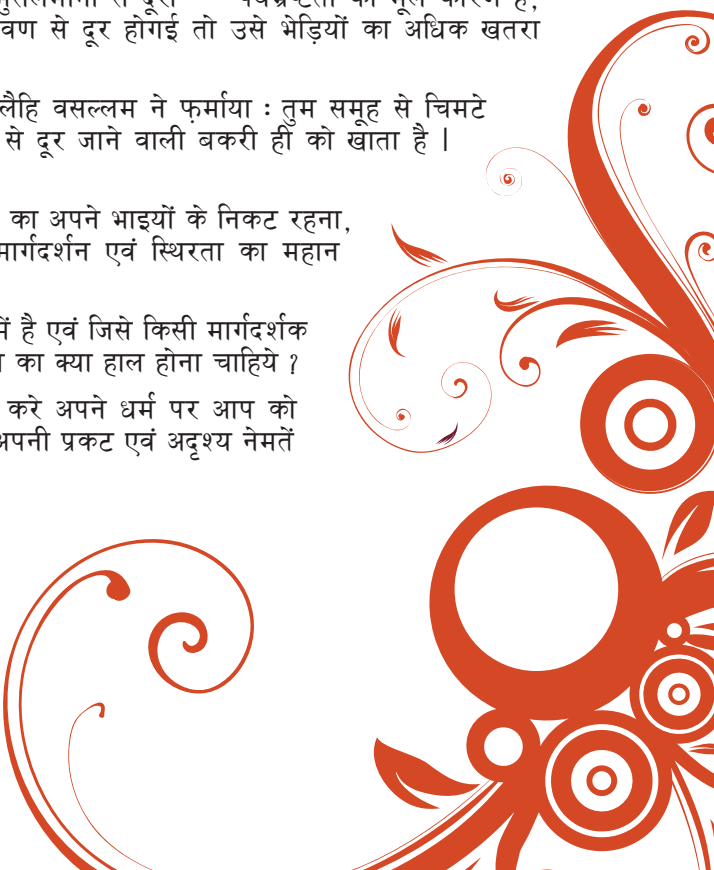
इसी प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से दूरी बनाने से सावधान किया है, इस लिये कि मुसलमानों से दूरी पथभ्रष्टता का मूल कारण है, ठीक उस बकरी के समान जो रेवण से दूर होगई तो उसे भेड़ियों का अधिक खतरा होगा ।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया : तुम समूह से चिमटे रहो, इस लिये कि भेड़िया झुण्ड से दूर जाने वाली बकरी ही को खाता है ।
(अल मुस्तदरक 567)

अतः साधारणतः एक मुसलमान का अपने भाइयों के निकट रहना, सदैव उन से जुड़े रहा भलाई, मार्गदर्शन एवं स्थिरता का महान कारण है ।

तो जो अभी मार्ग के आरंभ ही में है एवं जिसे किसी मार्गदर्शक तथा हमदर्द की आवश्यकता है उस का क्या हाल होना चाहिये ?

अल्लाह आप को क्षमता प्रदान करे अपने धर्म पर आप को दृढ़तापूर्वक जमा दे एवं आप पर अपनी प्रकट एवं अदृश्य नेमतें पूरी कर दे ।





دليل المسلم الجديد

The New Muslim **Guide**

Guide du converti musulman

ለአዲስ ሰለምቲዎች መመሪያ

Ang Gabay Para sa Bagong Muslim

Vodič novom muslimanu

新改宗者のためのガイドブック

La guida del nuovo musulmano

새내기 무슬림을 위한 지침서

Handbuch für den neuen Muslim

नव मुस्लिम मार्गदर्शिका

Guia para o novo muçulmano

新穆斯林指南

Руководство для принявшего ислам

Guía para el Nuevo Musulmán

U . K - Birmingham
B11 1AR
Tel : +441214399144

K . S . A - Riyadh
Tel : +966112922240
Fax: +966112922205



www.newmuslimguide.com
www.guide-muslim.com
info@modern-guide.com

Indian

नव मुस्लिम मार्गदर्शिका

आप का ईमान



आप की पवित्रता



आप की सलात



आप के सियाम, रोज



आप की ज़कात (दान)



आप का हज्ज ।



आप के आर्थिक तथा वित्तीय
व्यवहार (लेन देन) ।



आप का भोजन पानी



आप का वस्त्र



आप का परिवार ।



इस्लाम में आप का
आचरण एवं शिष्टाचार ।



आप का नया जीवन



यह चित्रित मार्गदर्शिका आप (नव मुस्लिम) के समक्ष उस महान धर्म की पहचान के संदर्भ में प्रथम चरण एवं मूल आधार प्रस्तुत करती है जो संपूर्ण मानवजाति के ऊपर महान उपकार है, इस में जीवन चर्या के अधिकांश भागों के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा है जिस की एक मनुष्य को आवश्यकता है, साथ ही इस में अति सरल शैली में आप के जटिल प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया है एवं बड़ी ही सुगम शैली में आस पास घटित परिस्थितियों से निपटने का गुर भी बताया गया है । इस में कुर्आन व हदीस पर आधारित बड़ी ही सीमित एवं विश्वस्त जानकारी दी गई है ।

पुस्तक पढ़ने योग्य रोचक मार्गदर्शिका होने के साथ एक ऐसा श्रोत पुस्तक भी है, जिस की तरफ किसी समस्या में अल्लाह का आदेश जानने की आवश्यकता पड़ने अथवा किसी समस्या के समाधान एवं विस्तृत ज्ञान के लिये सरलतापूर्व लौटा जा सकता है ।



www.newmuslimguide.com



Tel: +441214399144 uk@modern-guide.com

9 660000 040522
ISBN. 978-603-01-0798-8